आज़ादी का अमृत महोत्सव

35वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2021-22



शाश्वत ऊर्जा

इरेडा
IREDA

एक बार इरेडा सदैव इरेडा

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

शाश्वत ऊर्जा



इरेडा ने तिरूपुर जिला, तमिलनाडू में स्थित मैसर्स एसपीआरएनजी
रेन्यूबल एनर्जी प्रा. लि. की 300 मेगावाट विंड एनर्जी प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया

हमारा विजन

देश में किफाइती, स्केलेबिलिटी और स्थिरता स्थापित करने की दिशा में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार और परिवर्तन / संक्रमण

हमारा मिशन

"स्थायी विकास के लिए अक्षय स्रोतों द्वारा ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर निवेश को प्रोत्साहित व वित्तपोषित करने वाली एक अग्रणी, प्रतिभागियों की हितैषी एवं प्रतियोगी संस्था के रूप में बने रहना।

गुणवत्ता नीति

इरेडा, अपने ग्राहकों के लिए सम्पूर्ण संतुष्टि और पारदर्शिता प्रदान करने के लिए कुशल प्रणालियों और प्रक्रियाओं के माध्यम से अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता / संरक्षण तथा पर्यावरणीय प्रौद्योगिकियों में नवीन वित्त पोषण प्रदान करने के लिए अग्रणी संगठन के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

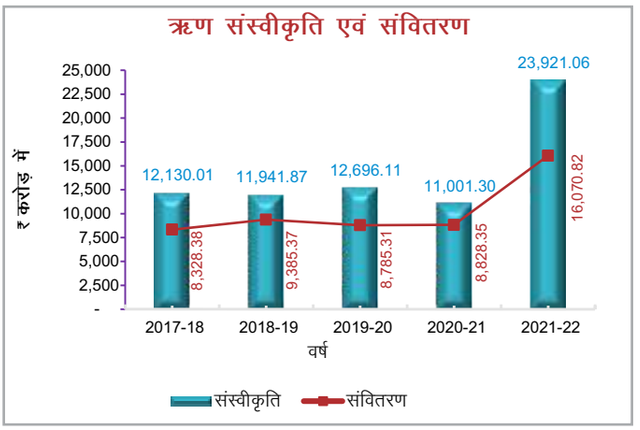
इरेडा प्रभावी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के माध्यम से अपने ग्राहकों को सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करेगा।

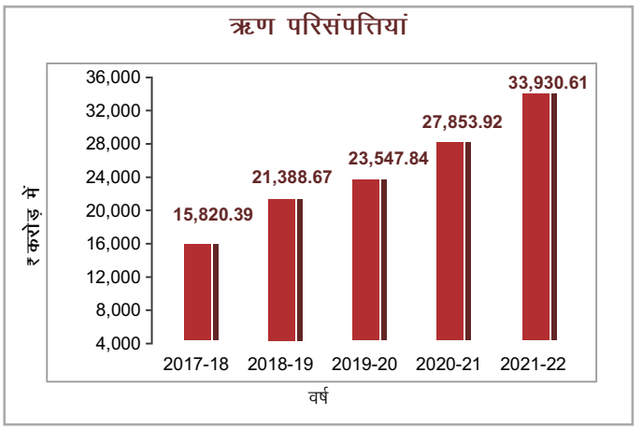
गुणवत्ता के उद्देश्य

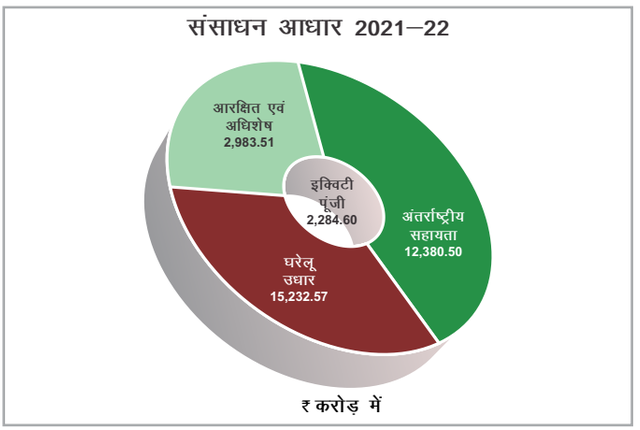
- ग्राहक की पूर्ण संतुष्टि के लिए प्रयास करना।
- कर्मचारियों के पेशेवर कौशल में क्षमता और सुधार के लिए निरंतर उन्नयन।
- ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं की क्षमता में सुधार।
- प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सेवाओं में निरंतर सुधार।

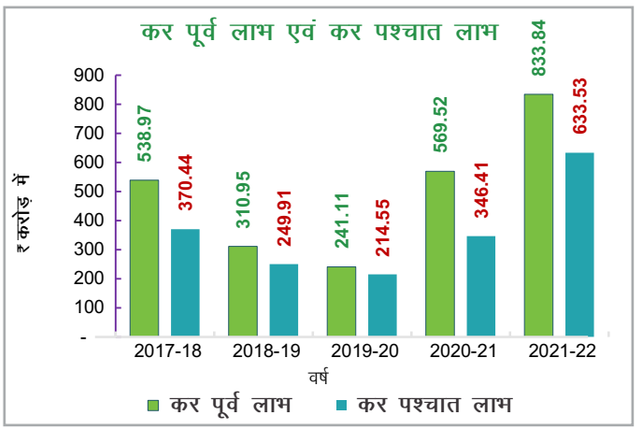


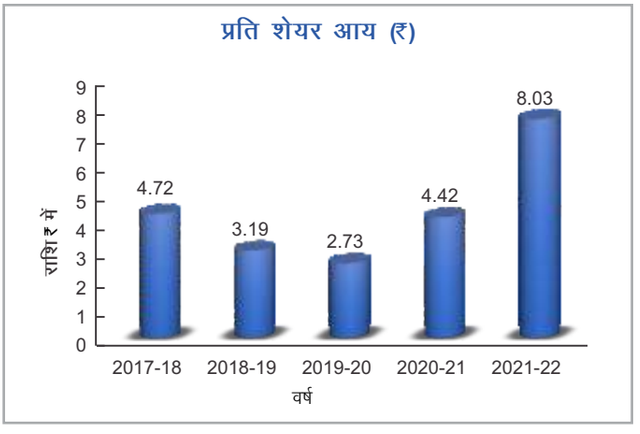
निष्पादन की मुख्य विशेषताएं

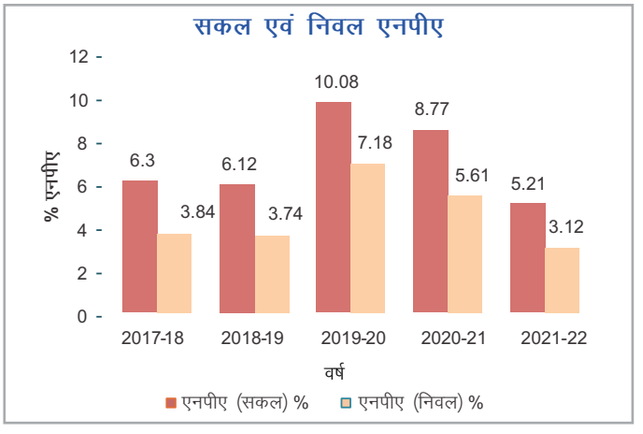




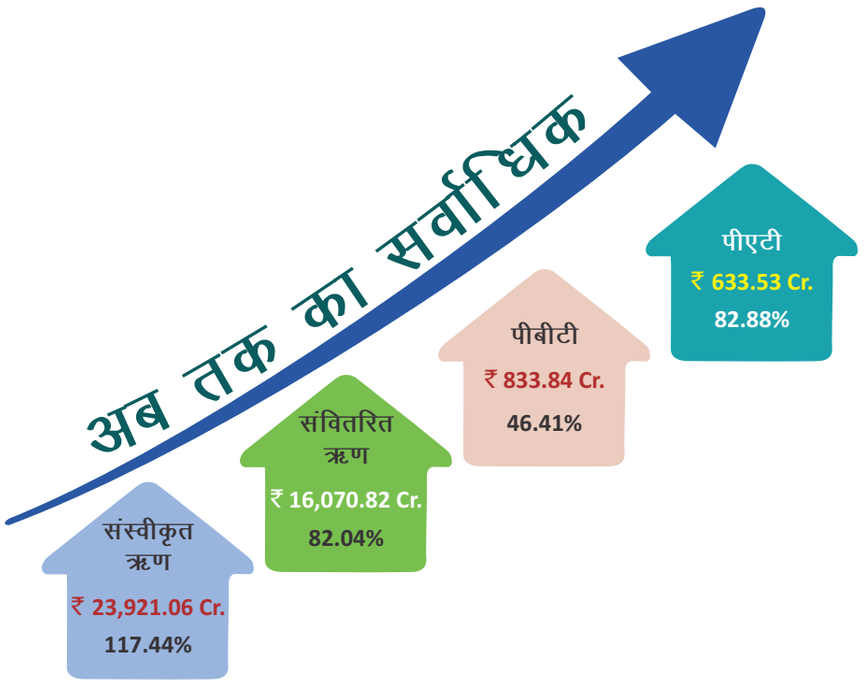








वित्तीय वर्ष 22 की विशेषताएं



(₹ करोड़ में)

साधन	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
शेयर पूंजी	784.60	784.60	784.60	784.60	2,284.60
रिजर्व और अधिशेष	1,628.23	1,799.37	1,736.72	2,210.59	2,983.51
अंतर्राष्ट्रीय उधार	9,895.10	11,850.80	12,576.04	12,263.69	12,380.50
घरेलू उधार	5,097.83	6,902.12	9,277.51	11,736.31	15,232.57
कुल	**17,405.76**	**21,336.89**	**24,374.86**	**26,995.19**	**32,881.18**

संचालन	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
ऋण संस्वीकृति	12,130.01	11,941.87	12,696.11	11,001.30	23,921.06
ऋण संवितरण	8,328.38	9,385.37	8,785.31	8,828.35	16,070.82
उधारकर्ताओं द्वारा चुकौती	6,199.12	3,819.95	6,621.72	4,814.75	10,015.81
शुद्ध बकाया ऋण	15,820.39	21,388.67	23,547.84	27,853.92	33,930.61

कार्यशील परिणाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कुल आय	1,813.18	2,022.21	2,372.38	2,657.74	2,874.16
कर पूर्व लाभ	538.97	310.95	241.11	569.52	833.84
कर के बाद लाभ	370.44	249.91	214.55	346.41	633.53
प्रति शेयर आय (₹ 10 का एफवी)	**4.72**	**3.19**	**2.73**	**4.42**	**8.03**



विषय सूची

1.	निदेशक मंडल	7
2.	नोटिस	9
3.	अध्यक्ष महोदय का संदेश	14
4.	निदेशकों की रिपोर्ट	24
5.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	79
6.	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	92
7.	तुलन–पत्र	110
8.	लाभ और हानि का विवरण	112
9.	नकद प्रवाह का विवरण	114
10.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	117
11.	वित्तीय विवरणी पर नोट	120



कंपनी की जानकारी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री प्रदीप कुमार दास
अन्य निदेशक	श्री चिंतन शाह श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन श्री दिनेश दयानंद जगदाले (08.07.2021 से प्रभावी) श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (28.01.2022 से प्रभावी) डॉ. चेन्नाकेशवएम. जगन्नाथ (31.03.2022 से प्रभावी (अपराह्न) श्री बी.पी. यादव (08.07.2021 तक)
कंपनी सचिव	श्री सुरेंद्र सुयाल
पंजीकृत कार्यालय	भारत पर्यावास केंद्र कोर 4 'ए', ईस्ट कोर्ट प्रथम तल, लोधी रोड नई दिल्ली -110003
कॉर्पोरेट कार्यालय	तीसरी मंजिल, अगस्त क्रांति भवन भीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली-110066
सांविधिक लेखा परीक्षक	मैसर्स डीएसपी एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट 783, देशबंधु गुप्ता रोड, फैज रोड क्रॉसिंग के पास, करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सचिवीय लेखा परीक्षक	मैसर्स पी सी जैन एंड कंपनी कंपनी सचिव #2382, सेक्टर-16, फरीदाबाद, हरियाणा-121002
बैंकर्स	बैंक ऑफ बड़ौदा यस बैंक भारतीय स्टेट बैंक पंजाब नेशनल बैंक बैंक ऑफ इंडिया एचडीएफसी बैंक सुमितोमोमित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन आरबीएल बैंक

निदेशक मंडल

(31 जुलाई, 2022 के अनुसार)



श्री प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
((डीआईएन: 07448576)



श्री चिंतन शाह
निदेशक (तकनीकी)
((डीआईएन: 07795952)



श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन
सरकार नामित निदेशक
((डीआईएन: 08701559)



श्री दिनेश दयानंद जगदाले
सरकार नामित निदेशक
((डीआईएन: 03344721)



श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट
स्वतंत्र निदेशक
((डीआईएन: 09483059)



डॉ चेन्नाकेशव एम. जगन्नाथ
स्वतंत्र निदेशक
((डीआईएन: 09556253)

वरिष्ठ प्रबंधन

(31 जुलाई, 2022 के अनुसार)



सुश्री मनीषा सक्सेना
मुख्य सतर्कता अधिकारी



डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (एफ एंड ए) और सीएफओ



डॉ. पी. श्रीनिवासन
महाप्रबंधक (एचआर और सीएसआर)



श्री सोम पाल
महाप्रबंधक (टीएस) एवं सीआरओ



श्री सुरेंद्र सुयाल
महाप्रबंधक (आईए), सीसीओ और सीएस



सुश्री देबजानी भाटिया
महाप्रबंधक (टीएस) और विधि



श्री आर.के. विमल
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री एस.के. डे
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री ए. चंद्रशेखर
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री के.पी. फिलिप
अपर महाप्रबंधक (टीएस)



श्री राजेंद्र सिंह
अपर महाप्रबंधक (टीएस)

सूचना

एतद्द्वारा यह **सूचना** दी जाती है कि भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (इरेडा) के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) **बुधवार, 10 अगस्त, 2022 को अपराह्न 12:30 बजे निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए, टैमरिंड हॉल, प्रथम तल, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–11003** पर अल्प समय के नोटिस पर आयोजित की जाएगीः

साधारण व्यवसाय :

1. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के साथ–साथ निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

विशेष व्यवसाय:

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन।

निम्नलिखित संशोधन के प्रस्ताव को बिना संशोधन या संशोधन के साथ एक साधारण संकल्प के रूप में पारित करना,विचार करना, यदि उचित समझा जाए, तो:

"संकल्प किया गया कि कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014, कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य सभी लागू प्रावधानों के नियम 14 के साथ पठित धारा 148 के अनुसार, मैसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, लागत लेखाकार, (फर्म पंजीकरण संख्या 000239), वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा,कर सहित, ₹50,000 (पचास हजार रुपये केवल)वार्षिक पारिश्रमिक पर (कर्मचारी द्वारा किया गया खर्चा), जिसका भुगतान मैसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, (फर्म पंजीकरण संख्या 000239), लागत लेखाकार, को किया जाना है,पर नियुक्त किया गया है तथा इस नियुक्ति को एतद्द्वारा पुष्टि और अंगीकार किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
इरेडा के लिए

ह/-
(सुरेन्द्र सुयाल)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

दिनांक : 5 अगस्त, 2022
स्थानः नई दिल्ली

टिप्पणियाँ:

1. **वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभावी होने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक से कम से कम 48 घंटे पहले प्रतिनिधि कि सूचना को जमा किया जाना चाहिए। से संबंधित एक रिक्त प्रतिनिधि प्रपत्र संलग्न है। तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।**

2. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 102 के अनुसार वार्षिक आम बैठक में किए जाने वाले विशेष व्यवसाय से संबंधित एक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. बैठक का आयोजन,कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यक अल्प सूचना देकर किया गया है। शेयरधारकों की सहमति प्राप्त कर ली गई है।

4. नोटिस में संदर्भित वैधानिक रजिस्टर और अन्य सभी दस्तावेज इस नोटिस के प्रचलन की तारीख से एजीएम की तारीख तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं।

5. एजीएम के आयोजन स्थल के लिए उपस्थिति पर्ची और रूट मैप एततद्वारा संलग्न है।

व्याख्यात्मक विवरण
(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसार)

मद संख्या 2

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियम की धारा 148 के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) अधिनियम, 2014 के साथ पठित, लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति निदेशक मंडल द्वारा ऐसे पारिश्रमिक पर की जाएगी जिसे सदस्यों द्वारा

अनुमोदित किया जा सकता है। कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के तहत, बोर्ड को लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति करते समय उन्हें देय पारिश्रमिक को मंजूरी देनी होती है और बोर्ड द्वारा अनुमोदित पारिश्रमिक को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तदनुसार, जैसा कि लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के अनुसार, बोर्ड ने मेसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, (फर्म पंजीकरण संख्या 000239), को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए कंपनी के लागत लेखा परीक्षक के रूप में ₹50,000/– (पचास हजार रुपये मात्र) (कर्मचारी द्वारा किया गया खर्चा) और लागू करों के पारिश्रमिक पर नियुक्त किया।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार विषय संख्या में 3निर्धारित अनुसार एक साधारण प्रस्ताव पारित करके शेयरधारकों का अनुमोदन मांगा जाता है।

श्री दिनेश डी. जगदाले, निदेशक (सरकारी नामित) को छोड़कर, जिनके पास भारत के राष्ट्रपति की ओर से इरेडा के 100 इक्विटी शेयर हैं, कंपनी के निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी वित्तीय या अन्यथा उपरोक्त संकल्प से संबंधित या रुचि नहीं रखता है।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल एक साधारण संकल्प के रूप में मद संख्या 2 में निर्धारित संकल्प को पारित करने की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
इरेडा के लिए

ह/-
(सुरेन्द्र सुयाल)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

दिनांक : 5 अगस्त, 2022
स्थानः नई दिल्ली



28 सितम्बर, 2021 को आयोजित इरेडा की 34वीं वार्षिक आम बैठक

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

सीआईएन: U65100DL1987GOI027265

पंजीकृत कार्यालय : कोर-4 'ए', प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

फोन: 011-24682214/फैक्स:91-11-24682202. वैबसाइट: www.ireda.in ईमेल: cmd@ireda.in

उपस्थिति पर्ची

35वीं वार्षिक आम बैठक बुधवार, 10 अगस्त, 2022 को अपराह्न 12:30 बजे टैमरिंड हॉल, प्रथम तल हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में होगी

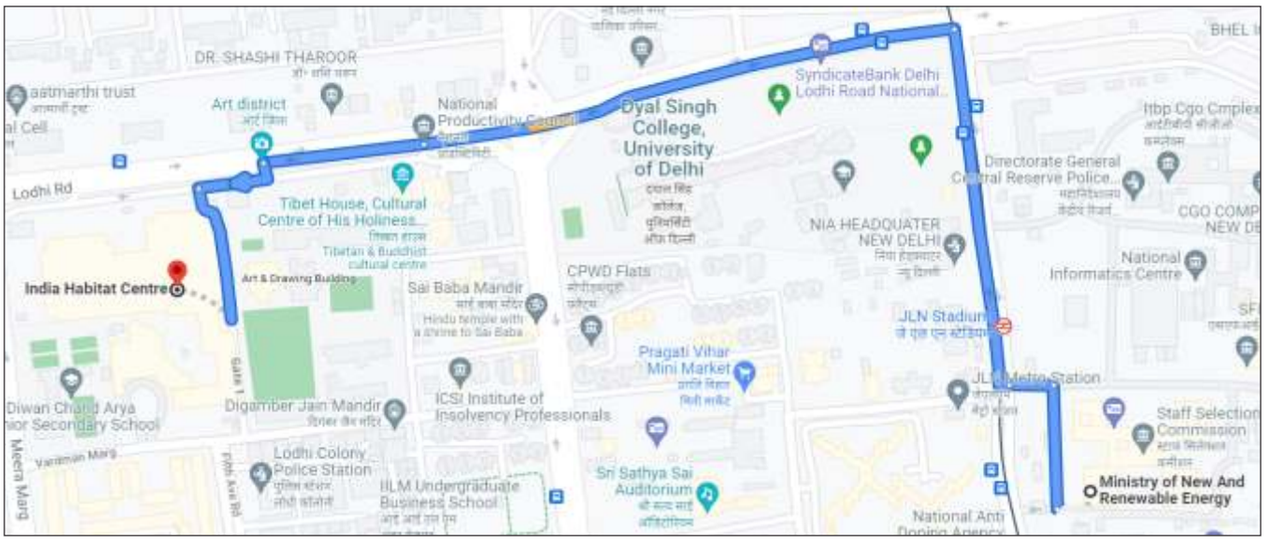
भाग लेने वाले सदस्य का नाम (बड़े अक्षरों में)	
*फोलियो सं.	
डीपी आईडी नंबर–क्लाइंट आईडी नंबर	
धारित शेयरों की संख्या	
प्रतिनिधि का नाम (सदस्य के बदले प्रॉक्सी उपस्थिति यदि हो तो बड़े अक्षरों में भरें)	

मैं एतद्द्वारा बुधवार, 10 अगस्त, 2022 को अपराह्न 12:30 बजे आयोजित कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज करता हूँ।

सदस्य/प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

*भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में लागू

एजीएम के स्थान के लिए मार्ग मानचित्र



भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)
सीआईएन: U65100DL1987GOI027265
पंजीकृत कार्यालय : कोर-4 'ए', प्रथम तल, ईस्ट कोर्ट, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
फोन: 011-24682214/फैक्स:91-11-24682202. वैबसाइट: www.ireda.in ईमेल: cmd@ireda.in

प्रॉक्सी प्रारूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी प्रबंधन और प्रशासन नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सदस्य (सदस्यों) का नाम: पंजीकृत पता : ईमेल आईडी: फोलियो नंबर और डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी:

मैं/हम _____ के सदस्य होने के नाते ..... उपरोक्त नामित कंपनी के शेयर, एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं

1. नाम :..... ईमेल आईडी: .....
   पता :..... हस्ताक्षर:..... या उसके असफल होने पर
2. नाम :..... ईमेल आईडी .....
   पता :..... हस्ताक्षर:.....

मेरे/हमारे प्रतिनिधि के रूप में **बुधवार दिनांक 10, अगस्त 2022** को आयोजित होने वाली कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से (मतदान पर) भाग लेने और मतदान करने के लिए अपराह्न 12:30 बजे टैमरिंड हॉल, प्रथम तल हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 और उसके किसी भी स्थगन पर ऐसे संकल्प के संबंध में जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

मद संख्या	विषय	के लिए	के विरूद्ध
साधारण व्यवसाय:			
1.	22 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करने, उन पर विचार करने और अपनाने के साथ–साथ निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।		
विशेष व्यवसाय:			
2.	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए लागत लेखा परीक्षक के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन		

_____, 2022 के दिन पर हस्ताक्षर किए गए.

प्रत्यय राजस्व टिकट

शेयरधारक के हस्ताक्षर _____

प्रतिनिधि धारक(धारकों) के हस्ताक्षर _____

नोट : प्रतिनिधि के इस रूप को प्रभावी होने के लिए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक शुरू होने से कम से कम 48 घंटे पहले विधिवत रूप से पूरा और जमा किया जाना चाहिए।



माननीय श्री भगवंत खुबा, रसायन एवं उर्वरक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री ने दिनांक 11 जुलाई 2022 के पंजीकृत कार्यालय में विजिट करने के दौरान इरेडा के प्रदर्शन की समीक्षा और सराहना की।



माननीय श्री भगवंत खुबा, रसायन एवं उर्वरक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री, श्री ललित बोहरा, संयुक्त सचिव, एमएनआरई, श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, श्रीमती मनीषा सक्सेना, सीवीओ ने सतर्कता कर्मचारी हैण्डबुक के दूसरा संस्करण का विमोचन किया।

अध्यक्ष का संदेश



प्रिय, शेयरधारकों,

आपको अपनी कंपनी के संचालन के 35वें वर्ष के प्रदर्शन को, जो अग्रणी रहा है, आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे खुशी हो रही है।

जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड –19 और वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण अभूतपूर्व अस्थिरता और व्यवधान का सामना कर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, मुद्रास्फीति, आदि के बावजूद भी मजबूत हो रही है। इस कठिन समय ने हमें जीवित रहने के साथ–साथ व्यापार करने के तरीके भी सिखाए हैं। जबकि वर्ष परिचालन और व्यावसायिक मोर्चों पर चुनौतियों से भरा था, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि, आपकी कंपनी ने अपनी प्रतिबद्ध श्रमशक्ति और स्थायी प्रदर्शन के प्रति केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, न केवल भारत के अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है जो अक्षय ऊर्जा को (आरई) क्षेत्र, समर्पित है, लेकिन 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अब तक के उच्चतम स्वीकृति, संवितरण और लाभ भी हासिल किया है। वित्तीय वर्ष 22 में एक अस्थिर आर्थिक परिदृश्य और कोविड की दूसरी और तीसरी लहर के बावजूद, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 22 में ₹833.84 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) और ₹633.53 करोड़ करूपरांत लाभ (पीएटी) का ऐतिहासिक सर्वकालिक उच्चवार्षिक लाभ दर्ज किया। जिससे वित्त वर्ष 22 में, वित्त वर्ष 21 की तुलना में क्रमशः 46.41 प्रतिशत और 82.88 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्ज की गई। आपकी कंपनी की ऋण खातों में वित्तीय वर्ष 21 के अंत में ₹27,853.92 करोड़ से वित्त वर्ष 22 के अंत में ₹33,930.61 करोड़ (21.82 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए) की वृद्धि हुई है। आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की ₹11,001.30 करोड़ की स्वीकृति की तुलना में 117.44 प्रतिशत की वृद्धि और पिछले वर्ष की तुलना में 82.04 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज करते हुए ₹16,070.82 करोड़ के अब तक के उच्चतम ऋण वितरण के साथ, अब तक की उच्चतम ऋण स्वीकृति ₹23,921.06 करोड़ प्राप्त की है।

31 मार्च 2022 को आपकी कंपनी का निवल मूल्य ₹5,268.11 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि वित्त वर्ष 21 के अंत में ₹2,995. 19 करोड़, 75.89 प्रतिशत की वृद्धि, जिसमें भारत सरकार द्वारा ₹1,500 करोड़ का इक्विटी निवेश शामिल है (भारत सरकार)

कड़ी समीक्षा और निगरानी के साथ–साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, आपकी कंपनी का शुद्ध एनपीए वित्त वर्ष 22 के अंत में 5.61 प्रतिशत के मुकाबले वित्त वर्ष 22 को समाप्त होकर 3.12 प्रतिशत हो गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में एक महत्वपूर्ण कमी है।

यह आपकी कंपनी की वैश्विक रूप से कठिन समय को एक सफल संक्रांति में अनुकूलित और प्रबंधित करने के अवसर में परिवर्तित करने की क्षमता को दर्शाता है। मुझे विश्वास है कि, आने वाले वर्षों में, आपकी कंपनी नई ऊंचाइयों को छुएगी और हमारे राष्ट्र को पर्याप्त ऊर्जा, ऊर्जा कुशल और ऊर्जा स्वतंत्र बनाने में सफल होगी।

नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास की तीव्र गति के साथ, आपकी कंपनी की ऊर्जा मूल्य श्रृंखला के भीतर एक मजबूत अभिसरण विषय उभर रहा है। कंपनी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी विशेष स्थिति और इंफ्रा सेक्टर के ज्ञान के कारण हमारे देश में इंफ्रा क्रेडिट के अवसरों को भुनाने की मजबूत स्थिति में है।

वैश्विक ऊर्जा परिदृश्य

आईईए की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र लगातार नए ऊर्जा स्रोतों और ऊर्जा आपूर्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नए खिलाड़ियों के साथ बदल रहा है। ऊर्जा दहन और औद्योगीकरण से वैश्विक सीओ2 उत्सर्जन 2020 में 6% की वृद्धि के साथ 2021 में 36.3 जीटी की वृद्धि के साथ अपने उच्चतम वार्षिक स्तर पर पहुंच गया है। कोविड –19 महामारी का 2020 में ऊर्जा की मांग पर दूरगामी प्रभाव पड़ा, जिससे वैश्विक सीओ$_2$ उत्सर्जन 5. 2% तक कम किया गया। हालांकि, तब से दुनिया ने तेजी से आर्थिक सुधार का अनुभव किया है, जो एक अद्वितीय वित्तीय और तीव्रतम टीकाकरण अभियाणों द्वारा संभव हुआ है। 2021 में ऊर्जा की मांग में सुधार प्रतिकूल मौसम और ऊर्जा बाजार की संयुक्त स्थितियों से जटिल हो गया था, जिसके कारण अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अपनी सबसे बड़ी वार्षिक वृद्धि दर्ज करने के बावजूद अधिक कोयला जलाया गया था। बिजली उत्पादन के लिए कोयले के उपयोग में वृद्धि के कारण, भारत में सीओ$_2$ उत्सर्जन 2019 के स्तर से 80 मिलियन टन अधिक हो गया। भारत में कोयले से चलने वाला उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, 2020 में स्तर से 13% ऊपर पहुँच गया, जब कोयला उत्पादन में 3.7% की गिरावट देखी गई थी। ऊर्जा से संबंधित सीओ$_2$ उत्सर्जन में 2010 के बाद से औसतन प्रति वर्ष 1% की वृद्धि हुई है। हालाँकि, 100 से अधिक देश कार्बन तटस्थता के लिए काम करने का संकल्प लिया है।

2021 के अंत में, वैश्विक नवीकरणीय उत्पादन क्षमता 2021 में 257 गीगावाट (9.1%) की वृद्धि के साथ अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (ईरेना) के अनुसार 3064 गीगावाट थी। 2021 में इस अतिरिक्त क्षमता का साठ प्रतिशत एशिया में जोड़ा गया था, जिसके परिणामस्वरूप 2021 तक कुल 1.46 टेरावाट (टी डब्लू) नवीकरणीय क्षमता प्राप्त हुई। अकेले सौर ऊर्जा पिछले वर्ष रिकॉर्ड 133 गीगावाट के साथ नवीकरणीय परिवर्धन के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है, इसके बाद 93 गीगावाट पवन ऊर्जा समग्र और अपतटीय पवन ऊर्जा रिकॉर्ड 21 गीगावॉट क साथ रिकार्ड स्थापित कर है। भारत 2021 में 15.4 गीगावाट के साथ कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है, केवल चीन (136 गीगावाट) और अमेरिका (43 गीगावाट) (आरईएन 21 की अक्षय ऊर्जा 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट) के बाद दूसरे स्थान पर है।

बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता के साथ, भारत का लक्ष्य अपनी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करने के लिए हरित हाइड्रोजन का एक प्रमुख उत्पादक बनना है। जैसा कि आईआरईएनए द्वारा मूल्यांकन किया गया है, हाइड्रोजन 2050 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस दुनिया में कुल ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 12 प्रतिशत होगा।

पवन और सौर ऊर्जा की गिरती लागत नवीकरणीय ऊर्जा में बढ़े हुए निवेश का मार्ग प्रशस्त कर रही है, जो अब ऊर्जा उत्पादन और सोर्सिंग के लिए पसंदीदा तरीका है। हालांकि, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा नवंबर 2021 में ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए पार्टियों का 26वां सम्मेलन (सी ओ पी 26) में घोषित आत्मानिर्भर भारत मिशन और पंचामृत लक्ष्यों के तहत नवीनतम तकनीकी प्रगति के साथ, हरित हाइड्रोजन, हरित अमोनिया, आरई हाइब्रिड और अपतटीय पवन के क्षेत्र में नई आरई क्षमता वृद्धि की उम्मीद है ।

अन्य ब्रिक्स देशों की तुलना में हमारे राष्ट्र की ऊर्जा गहनता बहुत कम है और 2024–25 तक + 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर काम करने की आवश्यकता है जिसके लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी आगे का रास्ता है। अगले दशक में हमारे देश की स्वच्छ ऊर्जा निवेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमें एक वित्तीय प्रणाली की आवश्यकता है जो ऊर्जा कंपनियों के

लिए वित्तीय आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाए। जैसे–जैसे भारत सतत विकास परिदृश्य (एसडीएस) मार्ग पर आगे बढ़ता है, ऋण वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी। आपकी कंपनी भारतीय नवीकरणीय कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम अपने बड़े समकक्षों की तुलना में अधिक चुस्त हैं और इस प्रकार उभरते बाजार के अवसरों का फायदा उठा सकते हैं।

सरकारी पहल और भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र

भारत सरकार अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को समर्थन देने के लिए अनुकूल नीतियों और विनियमों के माध्यम से एक तंत्र स्थापित करके सक्रिय रूप से लगी हुई है। हमारा देश स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा संक्रांति के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादन की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अभिनव बाजार तंत्र और व्यापार मॉडल, संस्थागत मजबूती, क्षमता निर्माण और मांग निर्माण के लिए उग्र रूप से जोर दे रहा है।

स्थानीय विकास और अक्षय ऊर्जा उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कई पहल की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की संशोधित विशेष प्रोत्साहन पैकेज योजना (एम–एसआईपीएस) योजना मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय के लिए सब्सिडी प्रदान करती है – विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में निवेश के लिए 20% और सौर पीवी सेल, सौर को कवर करने वाले गैर–एसईजेड में 25% पीवी मॉड्यूल, ईवा, बैकशीट और सोलर ग्लास। 'सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश' के कार्यान्वयन के साथ, सरकार और इसकी संस्थाओं के लिए घरेलू रूप से निर्मित सौर पीवी मॉड्यूल और सौर इनवर्टर की खरीद और उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। सीपीएसयू योजना चरण–II, पीएम–कुसुम और ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर कार्यक्रम चरण–II की एमएनआरई योजनाओं के तहत घरेलू उत्पादों को भी अनिवार्य किया गया है। सरकार ने सोलर पीवी सेल और मॉड्यूल के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) भी लगाई है। माननीय प्रधान मंत्री ने भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का शुभारंभ किया ताकि सरकार को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाने में सहायता मिल सके।

आपकी कंपनी 4500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय और 2022–23 के बजट में घोषित 19,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय के साथ 'उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल' के लिए पीएलआई योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। बजट 2022 में पीएलआई योजना सौर फोटोवोल्टिक सेल में अधिक आवंटन और मॉड्यूल के निर्माण में अतिरिक्त निवेश आकर्षित करेगा जिससे चीनी आयात पर निर्भरता कम हो जाती है, और वैश्विक चैंपियन की आपूर्ति और रोजगार उपलब्ध होता है। सड़क परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए, सरकार ने विद्युत अधिनियम 2003 के तहत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाइसेंसिंग प्रतिष्ठान के अलावा फेम–I, फेम–II के रूप में स्वच्छ गतिशीलता समाधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू किए हैं।

सीओपी–21 में, अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के हिस्से के रूप में, भारत ने 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40 प्रतिशत गैर–जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। देश ने पहले ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। भारत ने एक स्थायी ऊर्जा दुनिया बनाने में मदद करने के लिए साहसिक कदम उठाए हैं और अक्षय ऊर्जा प्रलोभक देश सूचकांक में तीसरे स्थान पर था। हमारे देश में नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक उदार विदेशी निवेश नीति है जिसमें स्वतः मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। हाल के वर्षों में, आरई क्षेत्र ने वैश्विक और भारतीय निवेशकों से भारत में निवेश की आमद देखी है।

हमारा देश स्थापित आरई क्षमता के मामले में दुनिया में चौथे स्थान पर है, स्थापित क्षमता के मामले में सौर ऊर्जा में 5वें और पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर है। हमारे देश में भी 2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित करने की महत्वाकांक्षा है। जैसे–जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, बिजली की खपत 2012 में 4,926 टी.डब्ल्यू.एच से 2040 में 15,280 टी.डब्ल्यू. एच तक पहुंचने का अनुमान है। अक्षय ऊर्जा के इस खंड में प्रमुख रूप से दोहन की उम्मीद है।

यद्यपि हमारा देश अपनी ऊर्जा जरूरतों की तुलना में पारंपरिक ऊर्जा के संसाधनों में कम है, मुख्य रूप से इसकी आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण, यह जमीनी स्तर से 120 मीटर पर लगभग 695 गीगावॉट की पवन ऊर्जा क्षमता और लगभग 748 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता से यह मानते हुए कि बंजर भूमि क्षेत्र का 3% सौर पीवी मॉड्यूल द्वारा कवर किया गया है। भारत सरकार इन डोमेन क्षेत्रों में मानव और संगठनात्मक क्षमताओं के विकास को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

प्रदर्शन विशेषताएँ

मैं वित्तीय वर्ष 22 के लिए आपकी कंपनी की परिचालन और वित्तीय उपलब्धियों पर प्रकाश डालता हूं::

- कर पूर्व लाभ – ₹569.52 करोड़ की तुलना में ₹833.84 करोड़ (46.41% की वृद्धि)
- कर पश्चात लाभ – ₹346.41 करोड़ की तुलना में ₹633.53 करोड़ (82.88% की वृद्धि)
- ऋण स्वीकृति – ₹11,001.30 करोड़ की तुलना में ₹23,921.06 करोड़ (117.44% की वृद्धि)
- ऋण संवितरण– ₹8,828.35 करोड़ की तुलना में ₹16,070.82 करोड़ (82.04% की वृद्धि)
- ऋण बुक – ₹27,853.92 करोड़ की तुलना में ₹33,930.61 करोड़ (21.82% की वृद्धि)
- निवल मूल्य– ₹2,995.19 करोड़ (75.89% की वृद्धि) की तुलना में ₹5,268.11 करोड़
- शुद्ध एनपीए– 5.61% की तुलना में 3.12% (44.39% की कमी)

वित्त वर्ष 21 के लिए प्रति शेयर आय ₹4.42 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 22 के लिए ₹8.03 हो गई है जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 82 प्रतिशत की वृद्धि है। पूंजी पुनर्गठन पर दीपम के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपकी कंपनी को न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान पीएटी का 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा। हालांकि, वित्तीय वर्ष 22 के लिए, आपकी कंपनी ने लाभांश के भुगतान के लिए दीपम से छूट प्राप्त की है। आपकी कंपनी को केयर एज इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा "एए+" रेट किया गया है। ब्रिकवर्क क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बकाया बॉन्ड के लिए ''एएए नेगेटिव'' रेटिंग और ''एएए (सीई)'' प्रदान किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी के बैंक ऋणों को ब्रिकवर्क क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा ''एएए नकारात्मक'' रेटिंग दी गई है।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अप्रतिभूति कर योग्य बांडों के निजी नियोजन द्वारा घरेलू बांड बाजार के माध्यम से ₹106 करोड़ की राशि जुटाई। ये बांड 5.98% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ 3 साल 1 महीने और 14 दिनों की परिपक्वता के साथ जारी किए गए थे, जो समान रेटिंग वाले सीपीएसयू/इकाई की तुलना में 25 बीपीएस कम था। ये बांड एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध हैं।

आपकी कंपनी ने आरई क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक भूमिका निभाई है और इस क्षेत्र में अपेक्षित वृद्धि को देखते हुए इसके संचालन का दायरा बढ़ाया है। आपकी कंपनी अब पारेषण और वितरण कंपनियों के साथ–साथ ऊर्जा भंडारण, स्मार्ट मीटर, ई–गतिशीलता, ऊर्जा दक्षता, इथेनॉल, सीबीजी आदि के क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनियों के साथ–साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी किसी भी परियोजना/योजना/गतिविधि के लिए वित्तपोषण कर रही है। अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और/या ऊर्जा संरक्षण और/या अन्य पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के साथ आपकी कंपनी पारदर्शिता, व्यवसाय करने में आसानी और प्रक्रिया दक्षता में सुधार सुनिश्चित करने के लिए अपने संचालन और सेवाओं का डिजिटलीकरण कर रही है। आपकी कंपनी ने अपने सिस्टम और व्यवसाय प्रक्रिया में सुधार किया है ताकि व्यापार करने में आसानी, सुशासन और अपने ग्राहकों के लिए कार्यालय में आए बिना भी पारदर्शिता अभ्यास को बढ़ाया जा सके।

नीति और परिचालन पहल

मैं आपके साथ वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा व्यवसाय संचालन की आवश्यकताओं को पूरा करने, व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने और पारदर्शिता और कार्य की समग्र दक्षता और कर्मचारियों की संतुष्टि में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहलों को साझा करना चाहता हूं:

- **संस्थापन प्रलेख (एमओए)** : आपकी कंपनी के एमओए में ई–मोबिलिटी, एनर्जी स्टोरेज को शामिल करने, नए फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स शुरू करने और ट्रस्ट्स/फंड्स/फैक्टरिंग बिजनेस में भाग लेने के लिए संशोधन किया गया है।
- **समझौता ज्ञापन:** वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने मेसर्स टैंजेडको, नीपको, बीवीएफसीएल, टीएचडीसी, जीएसएल और सिपेट के साथ तकनीकी–वाणिज्यिक व्यवहार्यता अध्ययन और अक्षय ऊर्जा के लिए ऋण जुटाने की सेवाओं के क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है।
- **सम्पूर्ण भारत में उपस्थिति:** आपकी कंपनी ने हैदराबाद और चेन्नई (दक्षिणी भारत) और मुंबई (पश्चिमी भारत) में

अपने मौजूदा शाखा कार्यालयों के अलावा भुवनेश्वर (पूर्वी भारत) में एक नया शाखा कार्यालय खोला है। यह परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार व्यापार में आसानी और ग्राहकों की सुविधा के लिए देश भर में शाखाएं खोलने की योजना बना रहा है।

- **उधार दर में कमी:** प्रतिस्पर्धी बढ़त बनाए रखने और आकर्षक ब्याज दरों के साथ आरई डेवलपर्स का समर्थन करने के लिए, उधार दरों को बाजार की स्थितियों के साथ संरेखित करने के लिए वित्तीय वर्ष 22 में पांच बार संशोधित किया गया है।

- ई–ऑफिस के कार्यान्वयन के कारण स्वीकृतियों, दस्तावेजीकरण और संवितरण के लिए चक्र समय में कमी सुनिश्चित की गई।

- **प्रणालियों और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:** वित्तीय सहमति टीम की शुरुआत करके क्रेडिट मूल्यांकन तंत्र को मजबूत किया गया है। एक पाक्षिक आधार पर एक परियोजना की प्रगति और वसूली की निगरानी की जाती है। आपकी कंपनी ने फेसलेस स्वीकृतियों के माध्यम से व्यवसाय करने में आसानी सुनिश्चित की है। एक व्हिसलब्लोअर पोर्टल की हॉस्ट की गई है जिसे सीवीसी ने सराहा है।

- **प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना:** संपर्क रहित और पारदर्शी लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक लागू की जा रही है। आपकी कंपनी डायनेमिक्स 365 ईआरपी सिस्टम की ओर मर्जिंग कर रही है, जो पूरी तरह से एकीकृत आईटी समाधान है।

- **उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पर एमएनआरई योजना (पीएलआई–I):** एमएनआरई ने आपकी कंपनी को 'उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल' के लिए पीएलआई–I योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है। योजना के तहत सहायता के लिए तीन एजेंसियों को ₹4500 करोड़ के परिव्यय के लिए लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी किया गया है।

- **सीपीएसयू योजना पर एमएनआरई योजना – चरण– II:** आपकी कंपनी सीपीएसयू योजना – चरण–II के तहत 5,000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वीजीएफ आधारित बोली (किश्त–III) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। ई–रिवर्स नीलामी के बाद योग्य बोलीदाताओं को क्षमता आवंटित की गई है।

- **हितधारक परामर्श:** हितधारकों, उद्योग विशेषज्ञों के साथ तिमाही बातचीत,उधारकर्ता और आपकी कंपनी के दिग्गज और कर्मचारी लेनदेन को सुव्यवस्थित करना, पारदर्शिता लाना, देरी को कम करना और दक्षता बढ़ाना सुनिश्चित करते हैं।

- **वर्ल्ड एक्सपो में भागीदारी:** आपकी कंपनी ने दुबई में आयोजित वर्ल्ड एक्सपो में अपनी कॉर्पोरेट यात्रा का प्रदर्शन किया और निवेशकों, डेवलपर्स, नीति निर्माताओं और अन्य हितधारकों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विचार–विमर्श किया।

- **केंद्रित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम:** आपकी कंपनी ने कर्मचारियों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में वर्चुअल साप्ताहिक/पाक्षिक व्याख्यान केंद्रित प्रशिक्षण और विकास कार्यक्रम पेशेवरों/संस्थानों की शुरुआत की है।

- **कोविड प्रतिक्रिया और घर से काम:** आपकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों के लिए आरटी–पीसीआर और एंटीबॉडी परीक्षण, कंपनी, एमएनआरई, एमओपी, एनएचपीसी और अन्य सीपीएसई और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए टीकाकरण अभियान सहित सक्रिय कदम उठाए। तनाव कम करने और कर्मचारियों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार के लिए हर शाम योग सत्र के अलावा हर सुबह एक ध्यान सत्र आयोजित किया जाता है।

- **महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन:** आपकी कंपनी ने अपने व्यापार पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए निम्नलिखित नीतियों की शुरुआत/समीक्षा की है:

  - एक नया उत्पाद पेश किया जहां उधार दरों को उधार लेने की वृद्धिशील लागत के साथ संरेखित किया गया है।

  - भारत सरकार की सैटअट योजना के तहत ''संपीड़ित बायो–गैस (सीबीजी)'' परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए योजना।

  - म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट (एमएसडब्ल्यू) आधारित वेस्ट टू एनर्जी (डब्ल्यूटीई) प्रोजेक्ट्स के लिए एक्सपोजर सीमा को परियोजना लागत के 70 प्रतिशत तक बढ़ाना।

  - ब्याज सबवेंशन का लाभ उठाने के लिए पात्र मौजूदा

चीनी मिलों की इथेनॉल परियोजनाओं के लिए जोखिम सीमा को परियोजना लागत के 90% तक बढ़ाना।

- कमीशन की गई लघु जल विद्युत (एसएचपी) परियोजनाओं के अधिग्रहण के मामले में जोखिम सीमा को बढ़ाकर 75 प्रतिशत करना।
- अक्षय ऊर्जा के उपयोग/प्रवेश को बढ़ावा देने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण के लिए व्यापक नीति अर्थात बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) और बैटरियों का निर्माण, हरित हाइड्रोजन (इलेक्ट्रोलिसर), इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट, अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाइयों का उत्पादन।
- व्यवसाय करने में आसानी की दिशा में एक कदम के रूप में संपत्ति के प्रतिस्थापन के साथ ऋण को पूर्व–बंद करने का विकल्प।
- सीसीडी, ओसीडी, असुरक्षित ऋण, एनसीडी या अन्य मेजेनाइन ऋण जो वरिष्ठ उधारदाताओं के अधीन हैं, के कारण मूल्यह्रास और ब्याज के कारण नुकसान वाली परियोजनाओं को शामिल करने के लिए सामान्य पात्रता शर्तों को संशोधित किया गया है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) – व्यवसाय से परे

एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, आपकी कंपनी अपने सीएसआर प्रभाव को बढ़ाने और आने वाले वर्षों में आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को सम्मिलित करते हुए पहुंच बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि भारत के सतत विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में, आपकी कंपनी ने कर पूर्व औसत एकल लाभ के 2 प्रतिशत के आधार पर ₹6.85 करोड़ का बजटीय आवंटन किया है।

वित्तीय वर्ष 22 के लिए, ₹6.85 करोड़ का सीएसआर बजट उपलब्ध था, जिसके विरुद्ध विभिन्न परियोजनाओं पर ₹9.51 करोड़ की राशि खर्च की गई थी। इसमें प्रधान मंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम–केयर्स फंड) में राहत के लिए ₹132 लाख का योगदान शामिल है। इस राशि में पिछले वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में अव्ययित निधि शामिल है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आपकी कंपनी की सीएसआर पहलों में से एक, ''थेरेपी ऑन व्हील्स'' को ऑस्ट्रियाई ईएसएसएल फाउंडेशन द्वारा ''जीरो प्रोजेक्ट'' पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई है। जीरो प्रोजेक्ट ऑस्ट्रियाई ईएसएसएल फाउंडेशन की एक पहल है जो विकलांग लोगों के अधिकारों पर

विश्व स्तर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जीरो प्रोजेक्ट के दृष्टिकोण का उद्देश्य समावेशी समाधानों की पहचान करना, क्यूरेट करना और साझा करना है, जैसा कि इरादा है, और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों (सीआरपीडी) पर संयुक्त राष्ट्र (यूएन) कन्वेंशन के अनुच्छेद 32 द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। ''थेरेपी ऑन व्हील्स'' एक मोबाइल थेरेपी–सेंटर–ऑन–व्हील्स है, जो एक अच्छी तरह से सुसज्जित सेटअप है जो विकलांग बच्चों को फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी प्रदान करता है। इस परियोजना को नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था।

आपकी कंपनी अपनी व्यावसायिक योजनाओं और देश के सतत विकास के लिए भारत सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप सार्थक सामुदायिक विकास परियोजनाओं की सहायता करना जारी रखेगी।

एमओयू रेटिंग

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 22 के लिए प्रमुख लक्ष्य निर्धारित करते हुए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त वर्ष 21 के लिए, आपकी कंपनी ने समझौता ज्ञापन मूल्यांकन के अनुसार 'उत्कृष्ट' रेटिंग हासिल की है। वित्तीय वर्ष 22 के लिए, समझौता ज्ञापन पर अंतिम रेटिंग सरकार द्वारा मूल्यांकन के अधीन है।

मानव संसाधन विकास

एक सेवा उद्योग में, कर्मचारी मूल होते हैं। आपकी कंपनी का प्रबंधन इसके मूल संसाधन के महत्व को समझता है और उनके विकास और प्रतिधारण में निवेश करता है।

मार्च 2022 को समाप्त होने वाले 156 पूर्णकालिक कर्मचारियों के साथ, आपकी कंपनी उपलब्ध मानव संसाधन का इष्टतम उपयोग करने और बिजली और आरई क्षेत्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों से साप्ताहिक केंद्रित प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से कर्मचारियों की नियमित क्षमता निर्माण जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी महिलाओं के लिए समान विकास के अवसर प्रदान करती है और वे कुल कार्यबल का लगभग 24% प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रबंधन कार्य–जीवन संतुलन को सुविधाजनक बनाने के लिए अनुकूल कार्य नीतियों को सुनिश्चित करता है, इस प्रकार कर्मचारियों को बढ़ी हुई उत्पादकता के माध्यम से कंपनी

के रणनीतिक लक्ष्यों की उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है।

वित्त वर्ष 22 की कोविड–19 महामारी के दौरान एक अनुकरणीय आंतरिक कोविड–देखभाल प्रतिक्रिया टीम ने टीकाकरण शिविर, नियमित ध्यान सत्र सहित मानसिक स्वास्थ्य सहायता, भोजन और दवाओं की डिलीवरी, अस्पताल में भर्ती, प्लाज्मा की व्यवस्था, ऑक्सीजन सांद्रता आदि सहित 24x7 सहायता प्रदान करके कोविड –19 सकारात्मक कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों की देखभाल की। आपकी कंपनी को कोविड के कारण कोई हताहत नहीं हुआ है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

आपकी कंपनी व्यवसाय के कुशल और नैतिक आचरण के लिए व्यावसायिकता, अखंडता, जवाबदेही, निष्पक्षता, पारदर्शिता, सामाजिक जवाबदेही और व्यावसायिक नैतिकता के उच्चतम मानकों को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। यह वैधानिक दायित्वों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और अंतर्निहित भावना का पालन करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं में अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास करता है। आपकी कंपनी का मानना है कि अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन जीवन का एक तरीका है और जिस तरह से हम अपना व्यवसाय करते हैं, जिसमें हर दिन की गतिविधियां शामिल होती हैं और हमारे कामकाज के हिस्से के रूप में निहित होती हैं। आपकी कंपनी सामाजिक दायित्वों, पर्यावरण और नियामक अनुपालनों से समझौता किए बिना अपने सभी हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य निर्माण में वृद्धि पर केंद्रित है। कॉर्पोरेट प्रशासन का सार आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत और सामुदायिक लक्ष्यों के बीच सही संतुलन बनाए रखना है। ये सिद्धांत भविष्य में हमारी मार्गदर्शक शक्ति रहे हैं और रहेंगे।

भविष्य की रणनीतियाँ

अपने संचालन के कई वर्षों में, आपकी कंपनी ने मुख्य क्षमता के साथ–साथ क्षेत्रीय विशेषज्ञता हासिल कर ली है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र बन गया है। आपकी कंपनी ने अतीत में कई कठिन परिस्थितियों का सामना किया है और अभी भी विकास करना जारी रखा है।

सभी के लिए बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पारंपरिक स्रोतों से बिजली पैदा करने के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के दोहरे उद्देश्य के साथ एक सक्षम नीतिगत ढांचा है। भारत सरकार के समर्थन से अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता वृद्धि ने गति पकड़ी। वर्ष 2070 तक हमारे देश की प्रतिबद्धता के साथ कुल कार्बन शून्य राष्ट्र बनने के लिए, आरई क्षमता कई गुना बढ़ने की ओर अग्रसर है। नीतिगत पहलों, बाधाओं को दूर करने और कार्यान्वयन की समय–सीमा को कम करने आदि के मामले में इस क्षेत्र पर एमएनआरई, भारत सरकार का ध्यान लगातार बना हुआ है। कई नई परियोजनाएं चल रही हैं और सरकार सभी संभावित सक्षमताओं को लागू कर रही है। अवसंरचना निवेश एक बहुत बड़ा अवसर है और आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में संभावित अवसरों का दोहन करके इस अवसर का उपयोग करने के लिए तैयार है। आपकी कंपनी को अनुसूची 'ए' सीपीएसई में अपग्रेड करने और ''नवरत्न'' का दर्जा देने का प्रस्ताव एमएनआरई को प्रस्तुत किया गया है।

आपकी कंपनी से अपेक्षा की जाती है कि वह नवोन्मेष के माध्यम से अपने विकास पथ को जारी रखे और एक गतिशील बाजार में खुद को स्थापित करे। सरकार ने जीडब्ल्यू पैमाने के सौर मॉड्यूल की एक कुशल घरेलू विनिर्माण क्षमता स्थापित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक उत्पादन लिंक्ड योजना (पीएलआई) शुरू की है। एमएनआरई ने उक्त योजना के लिए आपकी कंपनी को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया है।

आपकी कंपनी बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे पेंशन फंड, बीमा फंड, पर्यावरण, सामाजिक और शासन कोष, आदि को टैप करने के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के रूप में एक ऋण कोष (फंड) स्थापित करने की प्रक्रिया में है। एआईएफ आपकी कंपनी को उन उधारकर्ताओं की नई परियोजनाओं के वित्तपोषण में भी मदद करता है जो जोखिम सीमा के करीब हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी निकासी प्रमाणपत्र जारी करके परिसंपत्ति–आधारित प्रतिभूतिकरण (एबीएस) करने की भी योजना बना रही है।

उभरता हुआ पावर पारिस्थितिकी तंत्र आपकी कंपनी के लिए एक बड़ी क्षमता की शुरुआत करता है। बदले में आपकी कंपनी इस क्षेत्र के लिए पर्याप्त और किफायती संसाधन सुनिश्चित करने के लिए अपना समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी कंपनी इस क्षेत्र को सस्ते वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नई लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और बहुपक्षीय उधारदाताओं के माध्यम से अपने प्रयासों को जारी रखेगी। जबकि आपकी कंपनी एक ऋण सूचीबद्ध कंपनी है, यह अपनी इक्विटी सूचीबद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और

आपकी कंपनी एक आईपीओ लाने की भी योजना बना रही है और आगे उधार देने के लिए पूंजी जुटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में हरित बॉण्ड भी जारी कर रही है।

आपकी कंपनी हाइड्रोजन ऊर्जा उपयोग के लिए सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप प्रस्तावित राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन के तहत स्थायी ऊर्जा समाधान का समर्थन करने के लिए तैयार है।

जबकि आपकी कंपनी का वर्तमान पोर्टफोलियो देश के दक्षिणी, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्रों में फैला हुआ है, कंपनी देश के पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में क्षमता वृद्धि तलाश रही है। आपकी कंपनी निकट भविष्य में, कंपनी की परिचालन आवश्यकताओं के अधीन, अखिल भारतीय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कई शाखाएं खोलने की योजना बना रही है।

आभार

मैं इस अवसर पर भारत सरकार, विशेष रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) को उनके समर्थन, विशेष रूप से इक्विटी निवेश और लाभांश छूट के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करने का अवसर लेता हूं। मैं सरकार के अन्य अंगों जैसे सार्वजनिक उद्यम विभाग, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड और अन्य नियामक प्राधिकरण के कार्यालय का निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन, सहयोग और सहायता के लिए आभारी हूं। सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों को उनके योगदान के लिए मेरा विशेष धन्यवाद। मैं सभी राज्य सरकारों, राज्य बिजली उपयोगिताओं और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निजी उद्यमियों सहित निवेशकों, उधारदाताओं, उधारकर्ताओं और ग्राहकों को कंपनी में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

मैं जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबौ (केएफडब्ल्यू), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एजेंस फ्रैंचाइज डी डेवलपमेंट (एएफडी), यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) नॉर्डिक निवेश बैंक (एनआईबी), अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी) और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के समर्थन और सहयोग के लिए आभारी हूं।

मैं बोर्ड में अपने सहयोगियों को कंपनी को मजबूत करने में उनके द्वारा जोड़े गए अपार मूल्य और अंत में लेकिन महत्वपूर्ण, उनकी प्रतिबद्धता और भागीदारी के लिए कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करता हूं।

क्या मैं अब अनुरोध कर सकता हूं कि वित्तीय वर्ष 22 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित बैलेंस शीट, लाभ और हानि खाता और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को अपनाया जाए।

धन्यवाद,

ह/–

प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः– 07448576

दिनांकः 5 अगस्त, 2022
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों की प्रोफाइल

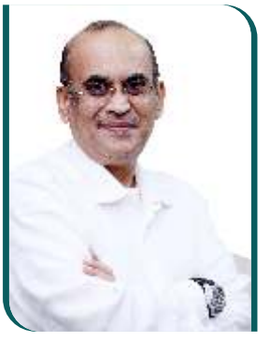


श्री प्रदीप कुमार दास (डीआईएन: 07448576)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

श्री प्रदीप कुमार दास, 6 मई, 2020 से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक हैं। वे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के फेलो सदस्य और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के एसोसिएट सदस्य हैं। उन्होंने जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भुवनेश्वर से प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया है। कंपनी में ज्वॉइन करने से पहले, वे भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (आईटीडीसी) में निदेशक (वित्त) थे। उन्होंने आरईसी लिमिटेड (पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के रूप में जाना जाता था), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनपीसीएल), भारत हेवी प्लेट एंड वेसल्स लिमिटेड (बीएचपीवी), कुसुम प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य संगठन के साथ भी काम किया है। उन्हें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वित्त, बैंकिंग, कॉर्पोरेट प्रशासन, लेखा परीक्षा, संसाधन जुटाने और ट्रेजरी, ऋण और वसूली, विनिवेश/विनिवेश, आदि में विभिन्न पदों पर 34 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है। वे सरकार द्वारा गठित विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों और विभिन्न रणनीतिक निर्णयों के लिए भारत के निकाय और उद्योग संघ के विशिष्ट सदस्य हैं। वे सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) के उपाध्यक्ष भी हैं।

श्री चिंतन शाह (डीआईएन: 07795952)



निदेशक (तकनीकी)

श्री चिंतन शाह, कंपनी के निदेशक (तकनीकी) हैं। उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के साथ एसबीडी और कॉर्पोरेट मामलों के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और इससे पहले द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) के साथ भी काम किया है। उनके पास नवीकरणीय ऊर्जा में 26 से अधिक वर्षों का अनुभव है, जिसमें विभिन्न गतिविधियों जैसे आरई सिस्टम/उत्पादों का निर्माण, परियोजना निष्पादन, परियोजना परामर्श, परियोजना वित्तपोषण और नीति नियोजन शामिल हैं।



श्री विमलेन्द्र ए. पटवर्धन (डीआईएन: 08701559)

सरकारी नामित निदेशक

श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन, कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) हैं। वे भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के एक अधिकारी हैं जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जनादेश को लागू करते हैं। उन्होंने 23 से अधिक वर्षों के अपने करियर की अवधि में मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन में पदों पर कार्य किया है और सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखा परीक्षा, मूल्यांकन और वित्त/लेखा की योजना बनाने और निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार हैं। उनके इनपुट के परिणामस्वरूप रिपोर्टें आईं, जिन पर संसद की लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई, जिसके कारण सिस्टम में सुधार के लिए सिफारिशें की गईं और सार्वजनिक धोखाधड़ी के कई मामलों में कार्रवाई की भी मांग की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व पर्यटन संगठन जैसी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के ऑडिट के लिए उनके एक्सपोजर में वित्तीय के साथ–साथ नियमितता ऑडिट भी शामिल है। सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान के साथ अपने कार्यकाल में और बाद में वित्तीय सलाहकार के रूप में, उन्होंने मौजूदा प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के माध्यम से अपनी प्रक्रियाओं और नीति में सुधार करने में संगठनों की सहायता की है। संगठनों में नीति मूल्यांकन ढांचे का उपयोग जारी है। प्रमुख विषयों के साथ वाणिज्य स्नातक – उन्नत लेखा, लेखा परीक्षा, वित्तीय प्रबंधन और वाणिज्यिक कानून, उनके पास बड़ी टीमों के प्रबंधन और उनके काम में सामंजस्य स्थापित करने का अनुभव है।

श्री दिनेश डी. जगदले (डीआईएन: 03344721)



सरकारी नामित निदेशक

श्री दिनेश डी. जगदले, कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) हैं। वे संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार हैं। सितंबर 2019 से भारत सरकार की योजना, नीति निर्माण, कार्यान्वयन, वित्त, प्रशासन, अक्षय ऊर्जा से संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देने, देश में अक्षय उद्योग के प्रगति और विकास के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल की सुविधा में सक्रिय रूप से शामिल है। उन्हें वर्तमान में पवन ऊर्जा, बायोएनेर्जी (बायोमास, अपशिष्ट से ऊर्जा और बायोगैस), अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मीडिया और प्रचार, नवीकरणीय ऊर्जा नियामक अनुपालन आदि विभागों को सौंपा गया है। उनके पास विद्युत और नवीकरणीय उद्योग में 31 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। उन्होंने भारत में कई राज्यों में आरई क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है। उन्हें भारत के सभी नवीकरणीय राज्यों में नियामक, अनुमति और लाइसेंसिंग से संबंधित प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी है। उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री है।



श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट (डीआईएन: 09483059)

स्वतंत्र निदेशक

श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट, 28 जनवरी, 2022 से कंपनी के अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। उनके पास कानून के साथ–साथ वाणिज्य में स्नातक की डिग्री है। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं।

डॉ. चेन्नाकेशव एम. जगन्नाथ (डीआईएन: 09556253)



स्वतंत्र निदेशक

डॉ. चेन्नाकेशव एम. जगन्नाथ, 31 मार्च, 2022 से कंपनी के अंशकालिक–गैर–आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) हैं। डॉ. जगन्नाथ एमबीबीएस हैं और आंतरिक चिकित्सा में एमडी हैं। वे नारायण अस्पताल, थिंडलू और प्रोलाइफ अस्पताल, ब्यातरयानपुरा, बैंगलोर में एक सलाहकार चिकित्सक और मधुमेह विशेषज्ञ हैं। डॉ. जगन्नाथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, येलहंका शाखा के कोषाध्यक्ष हैं। इसके अलावा, वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवाएं/परामर्श प्रदान करके उनकी मदद करने की प्रवृत्ति रखते हैं।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपके निदेशकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ आपकी कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 35वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है (वित्त वर्ष 22)।

1.0 प्रदर्शन का सारांश:

वित्तीय वर्ष 22 के लिए आपकी कंपनी के प्रदर्शन की मुख्य विशेषताएं, पिछले वर्ष के प्रदर्शन की तुलनात्मक स्थिति के साथ, यहां दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 22	वित्तीय वर्ष 21
1.	संस्वीकृत ऋण	23,921.06	11,001.30
2.	संवितरित ऋण	16,070.82	8,828.35
3.	निवल मूल्य	5,268.11	2,995.19
4.	प्रचालनों से राजस्व	2,859.90	2,654.81
5.	अन्य आय	14.26	2.93
6.	वित्त लागत (निवलपरिवर्तन/ लेन–देन विनिमय हानि सहित)	1,633.14	1,640.11
7.	कर पूर्व लाभ	833.84	569.52
8.	घटायें : आयकर	311.20	291.62
9.	आस्थगित कर	(110.88)	(68.51)
10.	करोपरांत लाभ	633.53	346.41
11.	अन्य व्यापक आय	(77.80)	(247.24)
12.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि) और अवधि के लिए अन्य व्यापक आय सहित)	555.73	99.17
	विनियोग:		
13.	डिबेंचरशोधन आरक्षिति(डीआरआर) में अंतरण	46.29	46.29
14.	विशेष आरक्षिति में अंतरण	115.64	111.20
15.	एनबीएफसीआरक्षिति में अंतरण	127.00	70.00
16.	सामान्य आरक्षिति में अंतरण	345.00	195.00

1.1 वित्तीय विशेषताएं

क) वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी की सकल आय बढ़कर ₹2,874.16 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की सकल आय ₹2,657.74 करोड़ की तुलना में 8.14% अधिक है।

ख) वित्त वर्ष 22 के अंत में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) बढ़कर ₹833.84 करोड़ हो गया, जिसने पिछले वर्ष के ₹569.52 करोड़ के पीबीटी की तुलना में 46.41% की वृद्धि दर्ज करी है।

ग) वित्त वर्ष 22 के अंत में कर पश्चात लाभ (पीएटी) बढ़कर ₹633.53 करोड़ हो गया, जिसने पिछले वर्ष के ₹346.41 करोड़ के पीएटी की तुलना में 82.88% की वृद्धि दर्ज करी है।

घ) वित्तीय वर्ष 22 के अंत में कंपनी की कुल संपत्ति बढ़कर ₹5,268.11 करोड़ हो गई, जिसने पिछले वर्ष के ₹2,995. 19 करोड़ के निवल मूल्य से 75.89% की वृद्धि दर्ज करी है।

ड) वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹10 (दस रुपये) के 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) इक्विटी शेयरों को सममूल्य पर नकद के लिए राइट इश्यू के आधार पर भारत के माननीय राष्ट्रपति को आवंटित किया है, कुल मिलाकर ₹1,500 करोड़ (पंद्रह सौ करोड़ रुपये केवल)) ।

च) रिपोर्ट के तहत वित्तीय वर्ष 22 के अंत में कंपनी का जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 21.22% था जो आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुसार एनबीएफसी के लिए निर्धारित 15% की अनुमेय सीमा से अधिक है।

छ) वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की उपलब्धि 93.36% की तुलना में उपलब्ध कुल निधियों का 98.48% संवितरित किया।

ज) वित्त वर्ष 22 के दौरान वितरित ऋण बढ़कर ₹16,070.82 करोड़ हो गया, जिसने पिछले वर्ष की वितरित राशि ₹8,828.35 करोड़ की तुलना में 82.04% की वृद्धि दर्ज करी है।



वित्तीय वर्ष 2022 के महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करने के लिए दिनांक 15.02.2022 को श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी, एमएनआरई और श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा ने एमएनआरई के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किए।

1.2 अन्य हाइलाइट्स

क) वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं के परिणामस्वरूप कुल बिजली उत्पादन क्षमता 1188.68 मेगावाट, इथेनॉल के 90 केएलपीडी और 2940 मेगावाट पीए आरई उपकरण निर्माण क्षमता में वृद्धि हुई है।

ख) सौर पार्क परियोजनाओं के लिए साझा बुनियादी ढांचे के लिए विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत 2 मिलियन अमरीकी डालर स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) अनुदान के तहत, वित्त वर्ष 22 के दौरान कंपनी को ₹2.47 करोड़ (0.33 मिलियन अमरीकी डालर) की राशि जारी की गई थी।

ग) वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने भारत सरकार के ई–मोबिलिटी के प्रमुख कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए एक उत्पाद पेश किया है और ₹267.79 करोड़ की राशि स्वीकृत की है।

घ) वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने मेसर्स टैंजेडको, नीपको, बीवीएफसीएल, टीएचडीसी, जीएसएल और सिपेट के साथ तकनीकी–वाणिज्यिक व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित करने और अक्षय ऊर्जा आदि में ऋण जुटाने की सेवाओं में सहायता के लिए परामर्श सेवाओं के लिएछह समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए हैं। ।

ङ) वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने एसजेवीएनएल को 153 मेगावाट सौर परिचालन परियोजना के विकास और अधिग्रहण के लिए सलाहकार सेवाएं प्रदान की हैं। आपकी कंपनी ने दीया हसाओ, असम में 50 मेगावाट की चल सौर ऊर्जा परियोजना के लिए पूर्व व्यवहार्यता अध्ययन करने के लिए नीपको लिमिटेड को भी समर्थन दिया और नामरूप, असम में अपने संयंत्र में सौर पीवी बिजली परियोजना की स्थापना के लिए बीवीएफसीएल के लिए पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट भी तैयार की।

2.0 व्यापार प्रचालन

2.1 संस्वीकृति और संवितरण

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹23,921.06 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिससे पिछले वर्ष की स्वीकृत राशि ₹11,001.30 करोड़ की तुलना में 117.44% की वृद्धि दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 22 के दौरान वितरित ऋण ₹16,070.82 करोड़ था, जो पिछले वर्ष की वितरित राशि ₹8,828.35 करोड़ की तुलना में 82.04% की वृद्धि दर्शाता है। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान संस्वीकृतियों और संवितरणों का क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:



इरेडा ने दिनांक 30 नवम्बर 2021 को ग्रीन ऊर्जा सहयोग के लिए बीवीएफसीएल के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया।



इरेडा ने 2 अक्टूबर 2021 को ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए टेक्नो–वित्तीय विशेषज्ञ देने के लिए निपको के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया।



इरेडा ने ग्रीन एनर्जी सहयोग के लिए दिनांक 3 दिसम्बर 2021 को टीएचडीसीआईएल के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया।



इरेडा ने रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए 29 जनवरी 2022 को गोवा शिपयार्ड लि. के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया।

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	प्रतिबंध	%	संवितरण (पिछले वर्ष के प्रतिबंधों सहित)	%
पवन ऊर्जा	2,538.90	10.61	2,114.38	13.16
सौर ऊर्जा	4,880.24	20.41	3,406.15	21.19
अल्पकालिक ऋण	11,754.26	49.14	8,323.15	51.79
जलविद्युतऊर्जा	2,169.04	9.07	1,195.09	7.44
बायोमास (बायोगैस और सह–उत्पादन शामिल हैं))	42.79	0.18	16.57	0.10
अपशिष्ट से ऊर्जा	0.00	0	107.20	0.67
ऊर्जा दक्षता और संरक्षण (ऊर्जा सुलभता	95.70	0.40	77.85	0.48
एमएसएमई के लिए गारंटी कृतआपात कालीन ऋण लाइन	260.10	1.09	290.36	1.81
बिजली के वाहन	267.79	1.12	35.71	0.22
विविध ((गारंटी योजना + पारेषण और निकासी + इथेनॉल + एलओसी + विनिर्माण + हाइब्रिड पवन और सौर)	1,912.24	7.99	504.37	3.14
कुल	**23,921.06**	**100**	**16,070.82**	**100**

31 मार्च, 2022 तक क्रमशः संचयी प्रतिबंध और संवितरण ₹1,20,522.25 करोड़ और ₹79,188.43 करोड़ था। संचयी राज्य–वार और क्षेत्र–वार संस्वीकृतियों और संवितरणों का विवरण अनुबंध **I से III** में दिया गया है।

2.2 स्वीकृत क्षमता

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित विवरण के अनुसार बिजली उत्पादन क्षमता, नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उपकरण के निर्माण और अन्य आरईपहलों का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है:

सेक्टर्स	क्षमता (मेगावाट)
सोलर ऊर्जा	2499.39
पवन ऊर्जा	500.50
बायोमास और सह–निर्माण	10.00
जलविद्युतऊर्जा	199.40
ऊर्जा सुलभता	12.42
कुल बिजली उत्पादन क्षमता	**3221.71**
आरई उपकरण निर्माण	5199 मेगावाट प्रति वर्ष
इथेनॉल	650 केएलपीडी
विद्युत वाहन	3000 इकाई
संचरण/निकासी	1000 एमवीए

2.3 कमीशन क्षमता

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के परिणामस्वरूप 1188.68 मेगावाट की कुल कमीशन क्षमता हुई, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

सेक्टर्स	क्षमता (मेगावाट)
सोलर ऊर्जा	289.74
पवन ऊर्जा	540.56
सौर पवन संकर	7.00
जलविद्युत ऊर्जा	312.20
अपशिष्ट से ऊर्जा	37.50
ऊर्जा सुलभता	1.68
कुल	**1188.68**

उपरोक्त के अलावा, आपकी कंपनी ने खुद को एक विश्वसनीय संगठन के रूप में स्थापित करना जारी रखा है, जिससे निम्नलिखित क्षेत्र में क्षमता वृद्धि हुई है:

सेक्टर्स	क्षमता
इथेनॉल	90 केएलपीडी
आरई उपकरण निर्माण	2940.00 मेगावाट/वर्ष

2.4 वित्तीय योजनाएं और पहल

उभरते बाजार परिदृश्य में रणनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, आपकी कंपनी ने अक्षय ऊर्जा वित्तपोषण में विकास और बाजार हिस्सेदारी को बनाए रखने के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं और मौजूदा योजनाओं को संशोधित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सम्मिलित हैं:

क) संपीडितबायोगैस (सीबीजी) परियोजनाओं की स्थापना को वित्तपोषित करने के लिए भारत सरकार की किफायती परिवहन (एसएएटीएटी) योजना के लिए सतत वैकल्पिक के तहत 'संपीड़ितबायो–गैस (सीबीजी)' परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना की समीक्षा।

ख) संसाधनों को बढ़ाने की बढ़ती लागत के साथ संरेखित करके प्रतिस्पर्धी दरों पर आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक संरचित उत्पाद पेश किया।

ग) अक्षय ऊर्जा के उपयोग/पैठ को बढ़ावा देने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण के लिए नीति पेश की। जैसे कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) और बैटरियों का निर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन (इलेक्ट्रोलिसर), इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट, अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाइयों का उत्पादन।

घ) विशिष्ट परियोजना/अनुबंध के कार्यान्वयन के लिए तत्काल निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु परियोजना विशिष्ट वित्त पोषण (पीएसएफ) योजना जिसमें ऋण की चुकौतीईपीसी और परियोजना डेवलपर्स के बीच परियोजना विशिष्ट आपूर्ति अनुबंध के भुगतान शर्तों/चरणोंसे जुड़ी हुई है, जो कि एससीओडी/सीओडी परियोजना से जुड़ा हुआ है।

ङ) कमीशन की गई लघु जल विद्युत (एसएचपी) परियोजनाओं के अधिग्रहण के मामले में, ऋण जोखिम सीमा बढ़ा दी गई है।

च) एथेनॉल के उत्पादन के लिए नई डिस्टिलरी के वित्तपोषण/मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार के लिए संशोधित योजना, जिसके अनुसरण में मौजूदा चीनी मिलों के साथ–साथ मौजूदा चीनी मिलों के मामले में परियोजना लागत के 90% तक ऋण दिया जा सकता है जो ब्याज पर आर्थिक सहायता प्राप्त करने की पात्र हैं।

छ) नगरपालिका ठोस कूड़ा (एमएसडब्ल्यू) आधारित अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) परियोजनाओं के मामले में एक्सपोजर सीमा को परियोजना लागत के 70% तक बढ़ा दिया गया है।

ज) व्यवसाय करने में आसानी के रूप में परिसंपत्ति के प्रतिस्थापन के साथ ऋण को पूर्व बंद करने का विकल्प पेश किया गया है।

झ) क्रेडिट मूल्यांकन प्रक्रिया को और मजबूत किया गया है। मूल्यांकन चरण के दौरान, परियोजना के कार्यान्वयन के मामले में आवेदकों को सेबी पंजीकृत क्रेडिटरेटिंग एजेंसियों में से किसी भी प्रायोजक/प्रमोटर की बाहरी क्रेडिटरेटिंग प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

ञ) प्रतिस्पर्धी बने रहने और आकर्षक ब्याज दरों पर आरईडेवलपर्स को ऋण देने के लिए, समय–समय पर उधार दरों को संशोधित किया जाता है ताकि इसे गतिशील बाजार परिदृश्यों के साथ संरेखित किया जा सके।

3.0 सौर उर्जा परियोजना

आपकी कंपनी ने एस ई सी आई के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है और केरल राज्य में 50 मेगावाट की एक सौर परियोजना चालू की है। परियोजना के लिए पीपीए पर केरल राज्य विद्युत बोर्ड के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं और परियोजना से होने वाली आय को केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) के आदेश के अनुरूप/3.83 प्रति यूनिट के हिसाब से रखा गया है। मार्च, 2021 में संयंत्र आपकी कंपनी को सौंप दिया गया है और पूरी क्षमता यानी 50 मेगावाट पर चल रहा है।

4.0 वसूली और दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन

आपकी कंपनी दबावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है और समर्पित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप, निवल गैर–निष्पादित परिसंपत्तियां (एनएनपीए) घटकर 3.12% हो गई हैं, जो कि वित्त वर्ष 2014–15 के बाद से सबसे कम शुद्ध एनपीए आंकड़ा है। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान ₹591.88 करोड़ के कुल बकाया ऋण के साथ कुल चौदह एनपीए खाते बंद या नियमित किए गए हैं। एक केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, ₹268.58 करोड़ के मूलधन और ₹187.28 के ब्याज सहित कुल ₹467.11 करोड़ की वसूली वित्त वर्ष 22 के दौरान करोड़ की वसूली की गई है। कुल राशि में बट्टे खाते में डाली गई संपत्ति से वसूल की गई राशि ₹11.25 करोड़ शामिल है।

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 22 के दौरान एनपीए को कम करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। आपकी कंपनी पाक्षिक आधार पर, उधारकर्ताओं की देरी और/या चूक और उनकी वसूली की निगरानी करती है, प्रारंभिक चेतावनी संकेतों की पहचान के लिए,एनपीए में गिरावट को रोकने के लिए और समय पर वसूली कार्रवाई शुरू करने के लिएएनपीए खातों सहित संपूर्ण ऋण पोर्टफोलियो की नियमित समीक्षा और निगरानी करती है। इसके अलावा, परियोजनाओं के कार्यान्वयन और संचालन के दौरान प्रगति की निगरानी के लिए ऋणदाता के स्वतंत्र अभियंता (एलआईई) को नियुक्त किया गया है।

5.0 संसाधन संचलन

आपकी कंपनी ने निधियों की लागत को अधिकतम करने के लिए विविधीकृत उधार मिश्रण तैयार किया है। आपकी कंपनी की कुल उधारी वित्त वर्ष 22 की स्थिति के अनुसार ₹27,613.07 करोड़ थी, जो पिछले वित्तीय वर्ष में ₹24,000.01 करोड़ थी। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी ने निम्नलिखित घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्रोतों से ₹5,810.53 करोड़ जुटाए हैं:

(₹ करोड़ में)

क. घरेलू संसाधन	
सावधि ऋण	4,445.01
5.98% कर योग्य असुरक्षित ऋणपत्र ((सीनियर-XI क)	106.00
अल्पावधि ऋण/सीसी/ओडी सीमा	201.44
कुल (क)	**4,752.45**
ख. अंतर्राष्ट्रीय संसाधन	
ईआईबी II	871.71
केएफडब्ल्यू VI	141.44
विश्व बैंक – आईबीआरडी	33.70
विश्व बैंक – सीटीएफ	11.23
कुल (ख)	**1,058.08**
कुल (क+ख)	**5,810.53**



इरेडा ने असम स्थित मैसर्स एजूर पावर फोर्टी प्रा. लि. के 90 मेगावाट पीवी पावर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया।



इरेडा ने हैदराबाद, तेलांगाना स्थित मैसर्स प्रीमियर एनर्जीज फोटोवोल्टैक प्रा. लि. के 750 मेगावाट सेल निर्माण प्लांट को वित्त पोषित किया।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने असुरक्षित कर योग्य ऋणपत्रोंके निजी नियोजन के माध्यम से घरेलू बांड बाजार से ₹106 करोड़ की राशि जुटाई। ये बांड 3 साल 1 महीने और 14 दिनों की परिपक्वता के साथ और 5.98% प्रति वर्ष की कूपन दर के साथ जारी किए गए थे, जो समान रेटिंग वाले सीपीएसयू/इकाई की तुलना में 25 बीपीएस कम थे। ये बांड एनएसई और बीएसई दोनों में सूचीबद्ध हैं।

5.1 हरित ऋणपत्र

आपकी कंपनी ने अक्टूबर2017 में भारत में हरित ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए 300 मिलियन अमरीकी डॉलर के ग्रीन मसाला बांड जुटाए। ग्रीन मसाला बांड लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई आईएफएससी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) खंड में सूचीबद्ध हैं। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2016–17 और वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान क्रमशः ₹700 करोड़ और ₹865 करोड़ के घरेलू कर योग्य ग्रीन बांड जुटाए हैं जो एनएसई और बीएसई दोनों पर सूचीबद्ध हैं।

आय का उपयोगः आय का उपयोग सौर और पवन क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए किया गया था, जिसमें इरेडा के ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क में परिभाषित पात्र परियोजनाओं के पुनर्वित्त शामिल हैं। इसने सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव और जीवाश्म ईंधन निर्भरता को कम करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में भी योगदान दिया है।

केपीएमजी, भारत ने वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान जारी किए गए ₹865 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड और इमर्जेंटवेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए सत्यापन के बाद स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की थी। लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2017–18 और वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान जारी किए गए क्रमशः 300 मिलियन अमरीकी डालर ग्रीन मसाला बांड और ₹700 करोड़ ग्रीन बांड के लिए सत्यापन के बाद स्वतंत्र आश्वासन रिपोर्ट प्रदान की थी। ये आश्वासन रिपोर्ट आपकी कंपनी के ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क पर आधारित हैं, जिसे 5 अक्टूबर, 2016 को क्लाइमेट बॉन्डस स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ क्लाइमेट बॉन्ड इनिशिएटिव (सीबीआई) द्वारा प्रमाणित किया गया है।

आय का प्रबंधनः यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रीन बांड के माध्यम से जुटाई गई राशि पात्र परियोजनाओं में निवेशित रहे, इरेडा सीबीआई के अनुरूप अपने ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क की आवश्यकताओं के अनुरूप है। कंपनी द्वारा जारी किए गए ये ग्रीन बॉन्ड 30 मई, 2017 के सेबी के परिपत्र की निरंतर प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ग्रीन बॉन्ड पर वार्षिक रिपोर्ट नीचे दिए गए लिंक का

उपयोग करके कंपनी की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है: https://www.ireda.in/compliance-of-bonds

5.2 नकद ऋण सुविधा

आपकी कंपनी के पास (नकद क्रेडिट/डब्ल्यूसीडीएल/ओडी/एसटीएल) की स्वीकृत कार्यशील पूंजी सीमा ₹4,500 करोड़ तक है, जबकि इसके दैनिक संचालन के लिए विभिन्न बैंकों से किसी भी समय अधिकतम उपयोग ₹1,500 करोड़ तक सीमित है।

6.0 क्रेडिट रेटिंग

इरेडा के घरेलू ऋण उपकरणों को केयरएज, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च और आईसीआरए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा "एए+" रेट किया गया है। ब्रिकवर्क क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने बकाया बॉन्ड के लिए "एएए नेगेटिव" रेटिंग और "एएए (सीई)" असाइन किया है। इसके अलावा, आपकी कंपनी के बैंक ऋणों को ब्रिकवर्क क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा "एएए नकारात्मक" रेटिंग दी गई है।

आपकी कंपनी के अंतर्राष्ट्रीय ऋण उपकरण अर्थात ग्रीन मसाला बांड, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार (आईएसएम) खंड में सूचीबद्ध हैं और एनएसई आईएफएससी पर भी सूचीबद्ध हैं, को अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों अर्थात मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस और फिच रेटिंग्स से क्रमशः "बीएए3" और "बीबीबी–"।

भारत सरकार के पूरी तरह से सेवित ऋण पत्रों के लिए, "एएए (स्थिर)" की रेटिंग को इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च, आईसीआरए और केयरएज द्वारा फिर से पुष्टि की गई है।

7.0 शेयर पूंजी

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने राइट इश्यू के आधार पर ₹10 (दस रुपये) के 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) इक्विटी शेयरों को सममूल्य पर नकद के लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति को आवंटित किए हैं, जो कुल मिलाकर ₹1,500 करोड़ (पंद्रह सौ करोड़ रुपये मात्र) है। 31 मार्च, 2022को आपकी कंपनी की अधिकृत और चुकता शेयर पूंजी क्रमशः ₹6,000 करोड़ और ₹2,284.60 करोड़ थी। संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार के पास है।



इरेडा ने ऐरा स्टेट, लखीमपुर खीरी मे स्थित मैसर्स गोविंद शुगर मिल्स प्रा. लि. के 100 केएलपीडी क्षमता एथेनॉल निर्माण प्लांट को वित्त पोषित किया।

8.0 लाभांश

निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डी आई पी एम) के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार लाभांश के भुगतान के दिशा–निर्देशों वाले पूंजीगत पुनर्गठन पर दिनांक 27.05. 2017, आपकी कंपनी को कर पश्चात लाभ (पीएटी) का न्यूनतम वार्षिक लाभांश 30% या निवल मूल्य का 5%, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष 22 के लिए, आपकी कंपनी ने डीआईपीएम से लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त की है।

9.0 आईएसओ प्रमाणन

आपकी कंपनी आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ 27001:2013 प्रमाणित संगठन है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आईएसओ 9001:2015 प्रमाणपत्र और सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए आईएसओ 27001:2013 प्रदान किया गया। उपरोक्त मानकों के तहत आवश्यक विभिन्न सुरक्षा उपायों के अनुपालन ने डेटा संसाधन और सूचना प्रवाह के लिए एक मजबूत सुरक्षित नेटवर्क सुनिश्चित किया है।

10.0 जोखिम प्रबंधन

आपकी कंपनी ने जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया है, जिसमें क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, साथ ही परिचालन जोखिम प्रबंधन शामिल है। जोखिम प्रबंधन समिति के मार्गदर्शन में विकसित और निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति को समय–समय पर उभरते बाजार के रुझानों और स्वयं के अनुभव के आधार पर परिष्कृत किया जाता है। जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक करते हैं। निदेशक मंडल या बोर्ड की समितियों द्वारा समय–समय पर अनुमोदित नीतियां शासी ढांचे का गठन करती हैं जिसके अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियां की जाती हैं।

इसके अलावा, एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित केवाईसी नीति और एंटी–मनीलॉन्ड्रिंग मानक भी मौजूद है जो ग्राहकों से संबंधित मामलों को संबोधित करता है और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुरूप मनीलॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का आंकलन करता है।

व्यवसाय के दौरान आपकी कंपनी को जिन प्रमुख जोखिमों का सामना करना पड़ता है, वे हैं क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और परिचालन जोखिम।

10.1 क्रेडिट जोखिम

आपकी कंपनी का मुख्य व्यवसाय उधार देना है, जो इसे विभिन्न प्रकार के ऋण जोखिम का खतरा उत्पन्न करता है, विशेष रूप से पुनर्भुगतान में विफलता और गैर–निष्पादित ऋणों में वृद्धि। आपकी कंपनी व्यक्तिगत उधारकर्ता स्तर पर और पोर्टफोलियो स्तर पर क्रेडिट जोखिम का आंकलन, निगरानी और प्रबंधन करती है।

क्रेडिट जोखिमों को कम करने के लिए, आपकी कंपनी व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन करती है। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी दबावग्रस्त संपत्ति के प्रावधान पर आरबीआई द्वारा अनिवार्य विवेकपूर्ण मानदंडों का सख्ती से पालन करती है और प्रावधानीकरण लेने में कठोर दृष्टिकोण अपनाती है जिससे शेयरधारक मूल्य को संरक्षित किया जा सके। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने दबावग्रस्त संपत्ति पोर्टफोलियो के समाधान पर काम किया है और दबावग्रस्त संपत्ति की मात्रा को काफी कम किया है। आपकी कंपनी ने जोखिमों की पहचान करने और उन्हें कम करने के लिए एक क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति भी गठित की है।

10.2 परिचालन जोखिम

सिस्टम विश्वसनीयता या अखंडता में महत्वपूर्ण कमियों के कारण नुकसान की संभावना से परिचालन जोखिम उत्पन्न होता है। इसे अपर्याप्त या विफल आंतरिक प्रक्रियाओं, लोगों और प्रणालियों या बाहरी घटनाओं से होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। आपकी कंपनी ने परिचालन जोखिमों की पहचान, समीक्षा और प्रबंधन के लिए एक परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) स्थापित की है।

10.3 चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम उस जोखिम को संदर्भित करता है जहां कंपनी अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा नहीं कर सकती है। चलनिधि जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य पर्याप्त चलनिधि बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए धन उपलब्ध हो। चलनिधि के लिए ढांचा इसकी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति में वर्णित है, जिसे परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) द्वारा कार्यान्वित, निगरानी और समय–समय पर समीक्षा की जाती है। एल्को आपकी कंपनी की चलनिधि के प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।

10.4 बाजार जोखिम

बाजार जोखिम को बाजार की कीमतों में उतार–चढ़ाव या

लेन–देन या समझौते में निर्धारित दरों या कीमतों से दूर दरों से उत्पन्न होने वाले नुकसान के जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। एक वित्तीय संस्थान के बाजार जोखिम प्रबंधन में ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम, वस्तु मूल्य जोखिम और इक्विटी मूल्य जोखिम का प्रबंधन शामिल है। ब्याज दर जोखिम बाजार की ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होने वाली संभावित हानि है। ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, आपकी कंपनी समय–समय पर अपनी उधार दरों और उधार की भारित औसत लागत और प्रचलित बाजार दरों के आधार पर उधार की वृद्धिशील लागत की समीक्षा करती है।

10.5 विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा ऋण की मौजूदा और भविष्य नीतियां उधार और उधार से प्राप्त किसी अन्य विदेशी मुद्रा जोखिम से संबंधित विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रबंधन को कवर करती है। नीति का उद्देश्य विदेशी मुद्रा संबंधी जोखिमों के बचाव के लिए किए जाने वाले लेन–देन के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में कार्य करना है।

विनिमय दर में उतार–चढ़ाव विदेशी मुद्रा उधारों के मूल्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, जो आपकी कंपनी के कुल उधार का 37.78% है। आपकी कंपनी मुद्रा और ब्याज दर जोखिमों को कम करने/नगण्य करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित सामान्य और संरचित लिखतों दोनों के माध्यम से हेजिंग लेन–देन में प्रवेश करती है, न कि व्यापार या सट्टा उद्देश्य के लिए।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, आपकी कंपनी के पास ₹10,432.03 करोड़ के कुल विदेशी मुद्रा उधार के मुकाबले 18.60: यानी ₹1,940.43 करोड़ (हेजींग सहित) का खुला विदेशी मुद्रा संसर्ग था, जो विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन नीति के तहत निर्धारित सीमा के भीतर है।

10.6 परिसंपत्ति देयता प्रबंधन

परिसंपत्ति देयता प्रबंधन नीति के उद्देश्य समग्र रणनीतिक उद्देश्यों के साथ बाजार जोखिम प्रबंधन को संरेखित करना, वर्तमान ब्याज दर दृश्य को स्पष्ट करना और परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्य निर्धारण, मिश्रण और परिपक्वता प्रोफाइल का निर्धारण करना है।

एल्को समिति समय–समय पर व्यवसाय और कार्य परिणामों, एएलएम असंतुलन, बजट आदि को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णय लेती/समीक्षा करती है। आपकी कंपनी असंतुलनकी समीक्षा करने के लिए परिसंपत्ति देयता प्रबंधन की एक रिपोर्टिंग प्रणाली का पालन करती है, जिसके अनुसार उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। आपकी कंपनी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित एएलएम नीति है।

10.7 सूचना और साइबर सुरक्षा जोखिम प्रबंधन

एनबीएफसी के लिए आरबीआई मास्टर निर्देश के अनुपालन में कंपनी ने एक आईटी रणनीति समिति स्थापित की है। समिति कॉर्पोरेट रणनीति और बोर्ड नीति के साथ आईटी रणनीतियों की समीक्षा करती है, आईटी जोखिम, नियंत्रण, साइबर सुरक्षा व्यवस्था और आईटी शासन से संबंधित अन्य मामलों की निगरानी एक प्रभावी और मजबूत प्रणाली सुनिश्चित करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे पर एनबीएफसी के लिए आरबीआई के मास्टर निर्देश के अनुरूप, कंपनी ने अपनी आईटी नीति और परिवर्तन प्रबंधन, सूचना सुरक्षा, व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन और साइबर सुरक्षा पर अन्य नीतियों को लागू किया है।

11.0 सहायक कंपनी में निवेश

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने मेसर्स म.प्र. विंडफार्म्स लिमिटेड, एक सहयोगी कंपनी में अपने निवेश का परिसमापन किया है। आपकी कंपनी द्वारा रखे गए ₹10/.के अंकित मूल्य के कुल 1,68,000 इक्विटी शेयर (प्रत्येक बोनस शेयरों के रूप में आवंटित ₹10/.के 48,000 इक्विटी शेयरों सहित) को स्विस चैलेंज पद्धति के माध्यम से बेचा गया जिसके परिणामस्वरूप निवेश की बिक्री पर ₹0.12 करोड़ का लाभ हुआ। अब मेसर्स एम.पी. विंडफार्म्स लिमिटेड आपकी कंपनी की सहयोगी कंपनी नहीं रह गई है।

12.0 सूचना प्रौद्योगिकी पहल

आपकी कंपनी पारदर्शी प्रणालियों को सुनिश्चित करने और मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करना जारी रखे हुए है। आपकी कंपनी ने उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के माध्यम से संपूर्ण कार्यालय उत्पाद को क्लाउड परिवेश में सफलतापूर्वक विस्थापित कर दिया है। चल रहे माइक्रोसॉफ्ट डाइनैमिक्स–365 ई आर पी कार्यान्वयन से स्वचालन प्रणाली और प्रक्रियाओं को और मजबूत करने की उम्मीद है। हरित पहल और कागज रहित वातावरण की दिशा में, आपकी कंपनी में केंद्रीकृत अवलोकन समाधान लागू किया गया है।

13.0 ग्राहक संबंध

आपकी कंपनी के पास ब्रांड जागरूकता पैदा करने, उभरते व्यावसायिक क्षेत्रों में टैप करने और अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने के लिए एक अलग व्यवसाय विकास इकाई है। आरई क्षेत्र के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में खुद को पुनर्स्थापित करने हेतु, आपकी कंपनी नियमित रूप से अपने उधारकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ बातचीत करती है और उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करती है। इस फीडबैक का उपयोग न केवल इसकी नीतियों बल्कि मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने ऐसी चार "उधारकर्ता बैठकें" आयोजित की हैं, जिनमें हमारे मौजूदा और संभावित उधारकर्ताओं ने भाग लिया था। आपकी कंपनी अनुरोधों के सुचारू और समय पर प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के लिए 'नोडल अधिकारियों' की नियुक्ति के साथ एकल खिड़की अवधारणा की दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने अपने हितधारकों के लिए एक डिजिटल इंटरफेस बनाया है जो बिना किसी भौतिक बैठक के आभासी बातचीत को सक्षम बनाता है। इसने हमारे ग्राहकों को कंपनी के आभासी वातावरण में विभिन्न उधार और अन्य सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाया है।

ब्रांड के निरंतर सशक्तिकरण के लिए, आपकी कंपनी द्वारा पारंपरिक मीडिया उपस्थिति और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा रहा है। विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं, नई तकनीकों और नीतिगत परिवर्तनों पर सूचना का प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा आरई प्रौद्योगिकियों के विकास पर कई व्याख्यान भी आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए महत्वपूर्ण संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भी भाग लिया है, जिसमें दुबई में एक्सपो 2020 भी शामिल है। हमने नई दिल्ली में 7वें स्मार्ट सिटीज एक्सपो 2022 में अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों को भी प्रदर्शित किया है।

वेबसाइट पर एक ऑनलाइन ग्राहक पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जिससे उधारकर्ता अपने आवेदन की स्थिति और अन्य प्रासंगिक विवरण के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कंपनी ने अपने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक घोषणापत्र भी अधिसूचित किया है।

14.0 ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में विवरण

14.1 ऊर्जा और प्रौद्योगिकी अवशोषण का संरक्षण

आपकी कंपनी का मुख्य उद्देश्य भारत के लिए ऊर्जा संक्रांतिका समर्थन करना है। आंतरिक आवश्यकता के लिए, आपकी कंपनी ने 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना में निवेश किया है। आपकी कंपनी का माइक्रोग्रिड, ईवी के बेड़े आदि जैसी नवीन परियोजनाओं के वित्तपोषण के माध्यम से उद्योग ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण पर व्यापक प्रभाव है। जैसे, ऊर्जा के संरक्षण और प्रौद्योगिकी अवशोषण से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं।

14.2 विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान, विदेशी मुद्रा जमा राशियों पर ब्याज के रूप में ₹0.02 करोड़ के मुकाबले, विदेशी मुद्रा व्यय पर ब्याज और प्रतिबद्धता व्यय के कारण ₹91.19 करोड़ की कमाई हुई। इसके अतिरिक्त, आपकी कंपनी ने विभिन्न बहुपक्षीय और द्विपक्षीय वित्तीय संस्थानों से ₹1,058.08 करोड़ जुटाए हैं।

15.0 निगमित सामाजिक जिम्मेदारी

आपकी कंपनी एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट बनने के लिए प्रतिबद्ध है और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए समाज तक पहुंचती है। इस सिद्धांत पर आधारित कंपनी की निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल भारत सरकार के लक्ष्यों के साथ–साथ इसकी नीति में उल्लिखित सतत विकास लक्ष्यों के साथ भी प्रति/वनित प्राप्त करती है।

इन पहलों के माध्यम से, आपकी कंपनी का उद्देश्य धारा 135 कंपनी अधिनियम, 2013 कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पठित के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के व्यापक मुद्दों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता के माध्यम से सामुदायिक विकास और उनके सशक्तिकरण के मुद्दों को संबोधित करना है।

सीएसआर गतिविधि तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए, आपकी कंपनी के पास सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों के अनुपालन में एक समर्पित सीएसआर इकाई है। कंपनी की एक बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति भी है। आपकी कंपनी की सीएसआर नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/csr-policy-of-ireda पर उपलब्ध है।



श्री प्रदीप कुमार दास, सीएमडी, इरेडा ने कंपनी द्वारा वित्त पोषित सीएसआर प्रोजेक्ट "थेरेपी ऑन व्हील" कूल्लू हिमाचल प्रदेश का 5 मार्च 2022 को विजिट किया।

रिपोर्टिंग वर्ष के लिए, ₹6.85 करोड़ का एक सीएसआर बजट उपलब्ध था, जिसके विरुद्ध विभिन्न परियोजनाओं पर ₹9.51 करोड़ की राशि व्यय की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि (पीएम–केयर फंड) में राहतकोष में ₹132 लाख का योगदान शामिल है। इस राशि में पिछले वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में अव्ययित निधि शामिल है। निगमितसामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की गतिविधियों और प्रत्येक सीएसआर गतिविधि के लिए किए गए व्यय पर वार्षिक रिपोर्ट इस रिपोर्ट के अनुबंध–V में दी गई है।

एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में अपने सीएसआर प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और भारत के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाने का लक्ष्य रखती है।

16.0 मानव संसाधन विकास

16.1 मानव संसाधन

आपकी कंपनी के कर्मचारी इसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं, क्योंकिउनके अथक प्रयासों से ही कंपनी अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो पाती है। आपकी कंपनी ने समावेशी विकास, बेहतर उत्पादकता और टीम भावना के विकास के माध्यम से एक उच्च प्रदर्शन संस्कृति विकसित की है। आपकी कंपनी ने अपने व्यवस्थाओं और नीतियों की नियमित समीक्षा और अद्यतन करने के अलावा कर्मचारियों के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाली आंतरिक प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए कई पहल की हैं। आपकी कंपनी की पारदर्शी नीति है और कर्मचारियों को सम्पूर्ण बोर्ड में सुधार का सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आपकी कंपनी मासिक ई–बुलेटिन ष्ओडिसीष् के माध्यम से अपने कर्मचारियों के साथ संचार करती है।

31 मार्च, 2022 तक, आपकी कंपनी में 156 पूर्णकालिक कर्मचारी हैं जिनमें 138 कार्यकारिणीऔर 18 गैर–कार्यकारिणीशामिल हैं। भुवनेश्वर में शाखा खोलने के साथ, आपकी कंपनी अपनी अखिल भारतीय उपस्थिति का विस्तार कर रही है।

16.2 प्रशिक्षण और विकास

अपनी मानव पूंजी की क्षमता को अधिकतम करने के उद्देश्य से, कंपनी ने अपने कार्यबल को बढ़ाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान किए हैं। कर्मचारियों को उनके संबंधित



माननीय मुख्य मंत्री श्री पुस्कर सिंह धामी ने इरेडा के सीएसआर पहल के तहत 23 दिसम्बर 2021 को बागेश्वर में पीवीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया।

क्षेत्रों में नवीनतम विकास के साथ अद्यतन रखा जाता है। सकारात्मक सुदृढीकरण के रूप में विभिन्न सॉफ्टस्किल और व्यवहार प्रशिक्षण हस्तक्षेप भी आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का आयोजन किया गया, जिससे 760 मानव प्रशिक्षण दिवस प्राप्त हुए।

16.3 आरक्षण और रोजगार

आपकी कंपनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडे वर्ग के कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। 31 मार्च, 2022 तक कुल संख्या में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का समूहवार विवरण निम्नानुसार है:

समूह	31 मार्च 2022 पर कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य पिछड़े वर्ग	
		सं.	%	सं.	%	सं.	%
क	134	16	11.94	08	5.97	22	16.42
ख	04	02	50.00	00	0.00	00	0.00
ग	18	04	22.22	01	5.56	03	16.67
घ	00	00	0.00	00	0.00	00	0.00
कुल	**156**	**22**	**14.10**	**09**	**5.77**	**25**	**16.03**

16.4 कल्याण

आपकी कंपनी वेलनेस और वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत महत्व देती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को काम शुरू करने से पहले दैनिक निर्देशित ध्यान सत्र प्रदान किए गए। चिंतित कर देने वाले कई चिकित्सा मुद्दों पर विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल वार्ता और व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया गया। कर्मचारियों को दैनिक आधार पर योग कक्षाएं लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। 21 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया जिसमें प्रशिक्षित योग विशेषज्ञों ने विभिन्न योग तकनीकों का प्रदर्शन किया।

16.5 महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

आपकी कंपनी इस विषय पर भारत सरकार के दर्शन के अनुरूप महिलाओं के लिए समान विकास के अवसर प्रदान करती है। कंपनी में पदानुक्रमित स्तरों पर अति महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में महिला कर्मचारी हैं। महिलाओं का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है और वह कुल कार्यबल का 24% हिस्सा है।

आपकी कंपनी, एक जिम्मेदार नियोक्ता के रूप में, महिला कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों का



इरेडा ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया।



इरेडा ने आज़ादी के 75वें वर्ष के रूप में 13 अगस्त 2021 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाया।

अनुपालन सुनिश्चित करती है। कंपनी ने 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया।

16.6 कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

आपकी कंपनी किसी भी प्रकृति के उत्पीड़न से मुक्त सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसी किसी भी घटना के रिपोर्ट होने की स्थिति में कड़ी और अति कड़ी कार्रवाई करती है। कंपनी के पास कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत यौन उत्पीड़न के मामलों की जांच करने के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति है। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, इस विषय पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

17.0 महामारी के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा

आपकी कंपनी एक संवेदनशील कार्य वातावरण के लिए प्रयासरत रहती है और अपने कर्मचारियों का पोषण करती है। एक कार्यस्थल में, जहां कर्मचारी समर्थित और खुश महसूस करते हैं, वे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। हाल की महामारी के दौरान, आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कई उपाय किए। कर्मचारियों और उनके परिवारों को टीका लगाने के लिए टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा कोविड प्रबंधन, इसकी रोकथाम और इलाज के विषय पर कई आभासी सत्र आयोजित किए गए। महामारी और अलगाव के कारण होने वाले तनाव को दूर करने के लिए नियमित रूप से ऑनलाइन ध्यान सत्र आयोजित किए गए।

सकारात्मक परीक्षण करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों की देखभाल के लिए एक आंतरिक कोविड–देखभाल प्रतिक्रिया दल का गठन किया गया था। उनसे नियमित रूप से संपर्क किया गया और परामर्श दिया गया। उपचार के लिए मूलभूत आवश्यकताएं जैसे दवाएं, अस्पताल में भर्ती, प्लाज्मा दान, ऑक्सीजन सांद्रक को विधिवत सुनिश्चित किया गया था। वास्तव में,कोविड प्रभावित परिवारों को नियमित रूप से भोजन की आपूर्ति की गई।

वर्कफ्रॉम होम सुविधा को अपनाया गया था जिसके कारण कंपनी को कोई व्यावसायिक नुकसान नहीं हुआ और





21 जून 2021 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाना

प्रत्येक कर्मचारी व्यवसाय प्रक्रिया की निरंतरता सुनिश्चित करने में सक्षम था। इन सभी पहलों के परिणामस्वरूप, हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कोई भी इस महामारी के शिकार नहीं हुआ है।

18.0 शिकायत निवारण

आपकी कंपनी के पास व्यापक रूप से जनता की शिकायतों से निपटने के लिए एक शिकायत निवारण प्रणाली है। व्यवस्था कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से सुलभ हैं। अनुमेय समय सीमा के भीतर शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित किया जाता है। आपकी कंपनी के पास अपनी कार्य गतिविधियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचित नागरिक घोषणापत्र है। सुगम पहुंच हेतु घोषणा–पत्र सुविधा कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

19.0 पुरस्कार और मान्यता

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी की निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल को रोटरी इंटरनेशनल द्वारा समुदायों और पर्यावरण के समर्थन के लिए 'रोटरी सीएसआर अवार्ड्स 2021' के माध्यम से मान्यता दी गई है। कंपनी को अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता (आरई और ईई) के लिए शीर्ष वित्त पोषण संस्थानों की श्रेणी में 2022 में हरित ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पुरस्कार का दूसरा संस्करण भी मिला है।

20.0 राजभाषा कार्यान्वयन

आपकी कंपनी राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों और निर्देशों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। हिंदी ज्ञान, टाइपिंग और आशुलिपि प्रशिक्षण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किया गया है। आपकी कंपनी में राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है और गृह मंत्रालय के वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम के अनुपालन का पालन किया गया है।

संचार के सभी आवश्यक दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं। हिंदी पखवाड़ा–2021 (1 से 14 सितंबर 2021) कर्मचारियों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया गया और उनके लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी स्तरों पर भारी भागीदारी रही।

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से एक ई–पत्रिका 'अक्षय क्रांति' का प्रकाशन किया जा रहा है। जिसका स्वागत किया जाता है। 14 दिसंबर 2021 को,



इरेडा 1 से 14 सितम्बर 2021 के दौरान हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया।



सतर्कता जगरूकता सप्ताह के समापन समारोह के दौरान "पहल" के 5वें संस्करण का विमोचन किया गया।

आपकी कंपनी ने टाउन राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टीओएलआईसी) के तत्वावधान में सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के लिए 'चित्र अभिव्यक्ति' नामक एक आभासी प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजित की है।

21.0 जागरूकता

आपकी कंपनी केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करती है और निवारक और प्रशासनिक सतर्कता का संचालन करती है जिससे आपकी कंपनी की प्रणाली मजबूत होती है।

वर्ष के दौरान, सतर्कता इकाई द्वारा कई नई पहल की गईं, जिसमें प्रणालियों और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कमियों को दूर करने के लिए दिशानिर्देशों की अधिसूचना शामिल थी। आपकी कंपनी एक समर्पित व्हिसल ब्लोअर पोर्टल रखने वाली पहली सीपीएसई है। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को https://www.ireda.in/corporate-governance पर देखा जा सकता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार 26 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2021 तक पूरे जोश और उत्साह के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "स्वतंत्र भारत@75: सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता" था।

आपकी कंपनी ने सभी पात्र अनुबंधों के लिए सीवीसी अनिवार्य सत्यनिष्ठा समझौता लागू किया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) को सत्यनिष्ठा समझौते के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है।

22.0 सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन करती है और भारत के नागरिकों को जानकारी प्रदान करती है और अपने कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखती है। कंपनी ने आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) को तथा एक पारदर्शिता अधिकारी को दिशा–निर्देशों के उचित अनुपालन के लिए नामित किया है। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के अनुपालन में, अपेक्षित प्रकटीकरण को अद्यतन किया गया है और आपकी कंपनी की वेबसाइट पर होस्ट किया गया है।

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 118 आवेदन प्राप्त हुए और उन सभी का मार्च 2022 के अंत तक निपटारा कर दिया गया।

23.0 पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली

आपकी कंपनी ने मजबूत पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) स्थापित और कार्यान्वित की है जो हमारे उधार व्यवसाय (मुख्य व्यवसाय) पर लागू होती है।

स्थायी उधार के हिस्से के रूप में और जैसा कि पर्यावरण और सामाजिक (ईएंडएस) नीति में प्रतिबद्ध है, आपकी कंपनी उन परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान करती है जो श्रमिकों, प्रभावित समुदायों और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करने, कम करने या क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करती हैं।

इरेडा की पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा इकाई (ईएसएसयू) के पास ईएसएमएस के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के अलावा विभिन्न परियोजनाओं और उनकी संबंधित प्रौद्योगिकियों के पर्यावरणीय और सामाजिक (ईएंडएस) पहलुओं से संबंधित प्रभावों का आकलन और रिपोर्टिंग करने की प्राथमिक जिम्मेदारी है। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा वित्त पोषित सभी प्रौद्योगिकियों में लगभग 90 परियोजनाओं की ईएंडएस स्क्रीनिंग और वर्गीकरण किया गया था।

24.0 निदेशक

24.1 बोर्ड और उसकी समितियां

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान आयोजित बोर्ड और इसकी समितियों की संरचना, संदर्भ की शर्तों और बैठकों की संख्या का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है। वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की 17 (सत्रह) बैठकें आयोजित की गईं।

लेखा परीक्षा समिति की संरचना कंपनी की कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट में प्रदान की गई है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया था।

24.2 निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)

आपकी कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के उच्च मानकों को बनाए रखती है। 31 मार्च, 2022 तक, बोर्ड में छह निदेशक शामिल हैं जिनमें सीएमडी, निदेशक (तकनीकी), दो सरकारी नामित निदेशक और दो स्वतंत्र निदेशक हैं।

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र. सं.	नाम और निदेशक पद की प्रवृत्ति	नियुक्ति/ समाप्ति की तिथि	नियुक्ति/ समाप्ति
1.	श्री दिनेश डी. जगदाल निदेशक (सरकारी नामित) डी आई एन: 03344721	08.07.2021	नियुक्ति
2.	श्री भानु प्रताप यादव निदेशक (सरकारी नामित) डी आई एन: 07835275	08.07.2021	समाप्ति
3.	श्री शब्दशरणएन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक डी आई एन: 09483059	28.01.2022	नियुक्ति
4.	डॉ. चेन्नाकेशवएम. जगन्नाथ स्वतंत्र निदेशक डी आई एन: 09556253	31.03.2022	नियुक्ति

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, श्री दिनेश डी. जगदाले, संयुक्त सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को कंपनी के सरकारी नामित निदेशक के रूप में 08/07/2021 एमएनआरई आदेश संख्या 340/85/2017–इरेडा दिनांक 8 जुलाई, 2021 के द्वारा 1.4.2015 से नियुक्त किया गया था। श्री शब्दशरणएन. ब्रह्मभट्ट को बोर्ड में 28/01/2022 एमएनआरई आदेश संख्या 340–11/1/2018–इरेडा दिनांक 21 जनवरी, 2022 के द्वारा स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। डॉ. चेन्नाकेशवएम. जगन्नाथ को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में 31/03/2022 (एध्एन) एमएनआरई आदेश संख्या 340–11/1/2018–इरेडा दिनांक 28 मार्च, 2022 के तहत 1.4.2015 से नियुक्त किया गया था। सेबी के नियमों के अनुपालन में, शेयरधारकों द्वारा 26 अप्रैल, 2022 को आयोजित बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई थी।

बोर्ड कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कंपनी के विकास में श्री भानु प्रताप यादव, सरकारी नामित निदेशक (पूर्व संयुक्त सचिव एमएनआरई) द्वारा किए गए बहुमूल्य योगदान की सराहना करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), सीएफओ और कंपनी सचिव कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) हैं। सीईओ की भूमिका कंपनी के सीएमडी द्वारा निभाई जा रही है और सीएफओ की भूमिका कंपनी के जीएम (एफएंडए) द्वारा निभाई जा रही है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी केएमपी ने इस्तीफा नहीं दिया है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार द्वारा महिला निदेशक सहित कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न होने के कारण, बोर्ड की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 और सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 और सेबी एलओडीआर विनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। कंपनी ने पहले ही एमएनआरई, भारत सरकार (प्रशासनिक मंत्रालय), यानी नियुक्ति प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में तेजी लाए, ताकि वैधानिक प्रावधान सहित लागू नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन में, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने अपनी अपेक्षित घोषणा की है कि वे स्वतंत्रता के निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं और कोई भी निदेशक परस्पर संबंधित नहीं हैं।

25.0 निदेशकों की नियुक्ति/पारिश्रमिक और प्रदर्शन मूल्यांकन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड के अनुसार, निदेशक की नियुक्ति पर नीति के प्रकटीकरण की आवश्यकता और योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं, एक निदेशक की स्वतंत्रता और उप के तहत प्रदान किए गए अन्य मामलों के निर्धारण के लिए पारिश्रमिक मानदंड अधिनियम की धारा 178 की धारा (3) को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 5 जून, 2015 के तहत सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है। सुशासन के रूप में और सेबी लिस्टिंग विनियमों का पालन करने के लिए, कंपनी ने विभिन्नता पर एक नीति बनाई है। बोर्ड, निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति/पारिश्रमिक और निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन।

उक्त नीति कंपनी की वेबसाइट https://www.ireda.in/corporate-governance पर उपलब्ध है।

इरेडा के बोर्ड में अति योग्य निदेशक शामिल हैं, जो कंपनी चलाने में आवश्यक कौशल, क्षमता और विशेषज्ञता लाते हैं और बोर्ड और इसकी समितियों में प्रभावी योगदान देते हैं। आपकी कंपनी एक सरकारी कंपनी होने के नाते, चयन, नियुक्ति और निदेशकों को शामिल करने की प्रक्रिया एमएनआरई और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के माध्यम से कार्य करने वाले भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास निहित है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों और सरकारी कंपनियों को दी गई छूट के अनुपालन में, आपकी कंपनी को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में प्रकट करने के लिए छूट दी गई है, एक विवरण जिसमें बोर्ड के प्रदर्शन का औपचारिक मूल्यांकन करने का तरीका दर्शाया गया है , इसकी समितियां और व्यक्तिगत निदेशक बनाए गए हैं। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई)/प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उनके आंतरिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। कंपनी हर साल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश करती है जिसमें कंपनी का मूल्यांकन विभिन्न वित्तीय और गैर–वित्तीय मानकों पर किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशक अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड द्वारा अनुमोदित बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठक शुल्क के हकदार हैं। सरकार द्वारा नामित निदेशकों को कंपनी द्वारा कोई पारिश्रमिक/बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है। आपके निदेशक सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरण के 38(10) (भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण) की ओर आकर्षित करते हैं, जो वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशक को बैठक शुल्क के लिए भुगतान की गई राशि को निर्धारित करता है।

26.0 वैधानिक प्रकटीकरण

क) वित्तीय वर्ष 22 के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ।

ख) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 22 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है और वित्तीय वर्ष 23 के दौरान भी कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करेगी।

ग) नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और जरूरी आदेश पारित नहीं किया गया था जिससे भविष्य में कंपनी के संचालन की स्थिति और संचालन को प्रभावित किया जा सके।

घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा –186(11) के अनुसार, कंपनी द्वारा दिए गए ऋण, दी गई गारंटी या कंपनी द्वारा प्रदान की गई प्रतिभूतियां, जो कंपनियों के वित्तपोषण के व्यवसाय में लगी हैं या अपने व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करती हैं, कंपनी के लिए लागू नहीं हैं । इसलिए, कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

ङ) कंपनी ने कंपनी के निदेशकों या किसी कर्मचारी को कोई स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

च) वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। विवरण के लिए, कृपया 'प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट' देखें।

छ) एमएसएमई के लिए दिशानिर्देशों का कंपनी में पालन किया जा रहा है और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत आवश्यक प्रकटीकरण का उल्लेख वित्तीय विवरणों के नोट–38(5) के तहत किया गया है।

ज) वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, कंपनी ने वित्तीय लेनदार की हैसियत से दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष छह आवेदन दायर किए हैं, जो कॉर्पोरेट देनदार होने के नाते अपने उधारकर्ताओं के खिलाफ बकाया ऋण की वसूली के लिए है। सभी छह आवेदन माननीय एनसीएलटी के समक्ष विचाराधीन हैं। कॉर्पोरेट देनदार परियोजनाओं का विवरण, जिसमें दिवाला और दिवालियापन संहिता के तहत धारा 7 आवेदन निम्नानुसार हैं-:

कार्पोरेट देनदार	ऋण राशि शामिल (₹ करोड़ में)
मैसर्स टैक्सस इंफ्रा एंड पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	62.92
मैसर्स नारायणगढ़ शुगर मिल्स लिमिटेड	133.23
मैसर्स भद्रगिरी पावर प्राइवेट लिमिटेड	71.88
मैसर्स साईं स्पर्थी पावर प्राइवेट लिमिटेड	71.88
मैसर्स श्री बसवेश्वर शुगर्स लिमिटेड	178.25
मेसर्स एसएलएस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	488.00
कुल	**1,006.16**

झ) वित्तीय वर्ष वित्तीय वर्ष 22 के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के साथ एक–मुश्त निपटान का कोई उदाहरण नहीं था।

ञ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (ए) के साथ पठित धारा 92 (3) के अनुसार, कंपनी की वार्षिक रिटर्न कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे यहां देखा जा सकता है। https://www.ireda.in/annual-reports

त) संबंधित पार्टी लेनदेन की भौतिकता और संबंधित पार्टी लेनदेन से निपटने की नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.ireda.in/corporate-governance पर देखा जा सकता है।

थ) कंपनी पुष्टि करती है कि एक सतर्कता तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति लागू है और किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है। कंपनी की व्हिसल ब्लोअर नीति इरेडा की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे https://www.ireda.in/corporate-governance पर देखा जा सकता है।

द) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के प्रकटीकरण आवश्यकता से छूट दी है। इसलिए, कोई प्रकटीकरण करने की आवश्यकता नहीं है।

ध) एक्सचेंजों को आवश्यक जानकारी समय पर प्रस्तुत की गई है और कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

27.0 लेखा परीक्षा और लेखा निरीक्षण

27.1 सांविधिक लेखापरीक्षा

मेसर्सडीएसपी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली (फर्म पंजीकरण संख्याः 006791N) को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्तीय वर्ष 22 के लिए इरेडा के सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने वित्तीय वर्ष 22 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा–जोखा किया है और बिना किसी संदेह, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण के अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दी है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के प्रावधानों के अनुसार, न तो सांविधिक लेखा परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान धोखाधड़ी की किसी घटना की सूचना दी है।

27.2 लेखापरीक्षा समीक्षा

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा वित्त वर्ष 22 के वित्तीय विवरणों पर कोई टिप्पणी नहीं है।

27.3 आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी की एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई है जो नीतियों, प्रक्रियाओं, योजनाओं, नियामक और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन और पर्याप्तता की उपयुक्त निगरानी सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का लगातार मूल्यांकन करती है। आपकी कंपनी ने मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी, एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को वित्त वर्ष 22 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में को नियुक्त किया है। कंपनी की एक अनुमोदित लेखा परीक्षा नीति है। कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई के साथ घनिष्ठ समन्वय में अनुभवी फर्मों द्वारा नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा की जाती है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति समय–समय पर कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और लागू आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है।

आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) नीति अपनाई है। आरबीआईए का मुख्य उद्देश्य जोखिम गुणवत्ता के लक्षित अभिसरण को सुनिश्चित करना, व्यापार से जुड़े जोखिमों के मूल्यांकन, समाधान और रिपोर्टिंग में एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और रणनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के तहत जोखिम रेटिंग के सामंजस्य को बढ़ावा देना है। समिति के पास बाहरी विशेषज्ञों, सलाहकारों को उस सीमा तक नियुक्त करने का भी अधिकार है, जो वह संगठन के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझती है।

27.4 सचिवीयलेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और उसके तहत नियमों के अंतर्गत आवश्यक कंपनी के सचिवीय लेखा परीक्षा करने हेतु वित्तीय वर्ष 22 के लिए निदेशक मंडल द्वारा मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिवों को नियुक्त किया गया था। कंपनी भारत के कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है। वित्तीय वर्ष 22 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–VI** में संलग्न है और यह स्व–व्याख्यात्मक है।

27.5 लागत लेखा परीक्षा

आपकी कंपनी ने केरल राज्य में कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लागत रिकॉर्ड के संबंध में वित्तीय वर्ष 22 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में मेसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी को नियुक्त किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत आपकी कंपनी, केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 के तहत निर्धारित लागत लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव कर रही है।

28.0 निगमित शासन

आपकी कंपनी ने विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतर जुड़ाव और नियमित संचार के साथ उपयुक्त बोर्ड समितियों के गठन के साथ गुणवत्तापूर्ण निगमित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। आपकी कंपनी नैतिक व्यावसायिक निर्णयों और मूल्य सृजन और हितधारकों की अपेक्षा के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ व्यवसाय संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

आपकी कंपनी कंपनी के संचालन और प्रदर्शन, नेतृत्व और शासन के बारे में समय पर और सटीक जानकारी का खुलासा करना एक अंतर्निहित जिम्मेदारी मानती है। आपकी कंपनी ने हमेशा निगमित शासन मानदंडों के उच्च मानकों को लागू करने और बनाए रखने का प्रयास किया है और अपने निगमन के बाद से सुदृढ़ निगमित शासन के सिद्धांतों का अभ्यास कर रही है।

अनुपालन रिपोर्ट के साथ निगमित शासन पर जारी एक प्रमाण पत्र क्रमशः **अनुलग्नक–VII** और **अनुलग्नक–VIII** के रूप में संलग्न है।

29.0 संबंधित पार्टियों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 में परिभाषित के रूप में संबंधित पार्टियों के साथ कोई महत्वपूर्ण अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन नहीं किया है, इसलिए फॉर्म एओसी –2 में कोई खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके निदेशक, सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों के 'लेखों पर टिप्पणियों'

के नोट 38 (10) की ओर आकर्षित करते हैं जो संबंधित पार्टी प्रकटीकरण को निर्धारित करता है।

30.0 कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं (यदि कोई हो) जो वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई हैं

वित्तीय वर्ष 22 के अंत और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच हुई कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

31.0 भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन (भारत सरकार)

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 22 के लिए प्रमुख लक्ष्य निर्धारित करते हुए भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन मानकों के अनुसार कंपनी की उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	पैरामीटर	31.03.2022 तक उपलब्धि
1	संचालन से राजस्व	₹2,859.90 करोड़
2	परिसंपत्ति आवर्तअनुपात	7.83 %
3	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए	29.82%
4	निवल मूल्य पर रिटर्न	14.25%
5	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	8.71%
6	प्रति शेयर कमाई	₹8.03
7	कुल उपलब्ध निधि के लिए वितरित ऋण	98.48%
8	कुल ऋणों के लिए अतिदेय ऋण	0.74%
9	कुल ऋण के लिए एनपीए	3.12%
10	समान रेटिंग वाले सीपीएसई/संस्थाओं (मार्जिन ओवर रॉयटर्स) की तुलना में ऋण पत्रों के माध्यम से धन जुटाने की लागत	-25 बीपीएस

उपरोक्त के अलावा, इरेडा ने वित्तीय वर्ष 22 के लिए समझौता ज्ञापन के तहत लागू अन्य अनुपालन मानकों (जीईएमपोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद सहित) का भी अनुपालन किया है। वित्त वर्ष 21 के लिए, आपकी कंपनी ने समझौता ज्ञापन मूल्यांकन के अनुसार उत्कृष्ट रेटिंग हासिल की है। वित्तीय वर्ष 22 के लिए, समझौता ज्ञापन पर अंतिम रेटिंग भारत सरकार द्वारा मूल्यांकन के अधीन है।

32.0 निदेशकों का दायित्व विवरण

निदेशकों के दायित्व विवरण के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(सी) और धारा 134(5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि:

क) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और इससे कोई महत्वपूर्ण विचलन नहीं है;

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है और निर्णय और अनुमान लगाए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण थे, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और कंपनी के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का लाभ;

ग) निदेशकों ने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

घ) निदेशकों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए एक सुनाम प्रतिष्ठानके आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है;

ङ) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; और

च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और यह कि ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

33.0 आभारोक्तियाँ

आपके निदेशक भारत सरकार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, मंत्रालय

कॉर्पोरेट मामले और भारत सरकार के अन्य मंत्रालय/विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सार्वजनिक उद्यम विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड और अन्य नियामकों का आभार व्यक्त करता है। आपके निदेशकों ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों जैसे एशियाई विकास बैंक (एडीबी), एजेंस फ्रैंसिस डी डेवलपमेंट (एएफडी), यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी), जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए), क्रेडिट नस्टाल्ट फर विडेरौफबौ (केएफडब्ल्यू), और विश्व बैंक के समर्थन और सहयोग के लिए अपनी प्रशंसा भी दर्ज की है।

आपके निदेशक भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएंडएजी), सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक के उनके मूल्यवान समर्थन और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं।

आपके निदेशक मंडल में अपने सम्मानित सहयोगियों को उनके द्वारा जोड़े गए अत्यधिक मूल्य के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। हम कंपनी के सभी कर्मचारियों के अथक प्रयासों की भी सराहना करते हैं। आप सभी के निरंतर प्रयासों और सहयोग से ही कंपनी सर्वांगीण विकास के पथ पर आगे बढ़ती है। धन्यवाद और जय हिंद!

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह/-
(प्रदीप कुमार दास)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन:07448576)

दिनांक : 14 जुलाई, 2022
स्थान : नई दिल्ली

विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार स्वीकृति

अनुलग्नक-I

(₹ करोड़ में)

कम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		1987 से संचयी	
		परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि	परियोजनाओं की संख्या	ऋण राशि
क	**राज्य**												
1	आंध्र प्रदेश	17	3,231.81	8	1,801.90	4	1,666.72	9	593.21	6	1,491.12	328	14,188.27
2	अरूणाचल प्रदेश	2	98.92	1	33.42	0	0.00	2	133.39	2	85.00	12	1,334.23
3	असम	1	300.00	4	20.65	1	34.50	0	0.00	2	403.62	11	768.17
4	बिहार	0	0.00	2	11.42	0	0.00	0	0.00	1	31.00	13	79.09
5	छत्तीसगढ़	2	271.15	1	29.95	1	33.58	2	126.47	3	173.67	16	801.63
6	गुजरात	6	274.62	13	1,068.50	9	1,147.88	13	1,322.65	12	1,513.27	190	8,553.30
7	गोआ	0	0.00	1	300.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	9	300.62
8	हरियाणा	0	0.00	2	11.05	4	288.17	4	232.35	1	1.95	39	682.85
9	हिमाचल प्रदेश	4	68.77	3	51.09	3	62.80	13	312.70	8	252.30	116	3,370.33
10	जम्मू व कश्मीर	1	6.25	0	0.00	1	312.42	1	6.00	1	60.00	7	400.35
11	झारखंड	0	0.00	1	0.54	0	0.00	1	0.99	1	13.00	10	154.42
12	कर्नाटक	24	2,602.28	14	1,060.47	22	1,384.56	20	954.19	12	3,882.11	415	16,179.04
13	केरल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	839.99	38	1,096.10
14	मध्य प्रदेश	4	441.62	1	142.48	4	940.00	2	337.23	2	924.11	99	4,521.35
15	महाराष्ट्र	7	1,705.00	7	1,138.97	12	942.50	13	1,130.03	8	2,566.70	423	14,448.05
16	मणिपुर	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	9.91	0	0.00	4	10.37
17	मिजोरम	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.16
18	नागालैंड	0	0.00	1	200.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	200.82
19	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2	900.00	2	500.00	12	233.67	9	60.87	3	280.88	94	3,570.55
20	उड़ीसा	3	208.10	1	18.90	2	65.00	3	41.22	9	669.66	39	1,759.65
21	पंजाब	1	3.20	3	8.91	0	0.00	3	804.03	6	927.61	70	3,489.46
22	राजस्थान	1	5.00	7	1,254.28	5	1,326.38	7	823.49	12	3,636.76	147	12,625.22
23	सिक्किम	0	0.00	0	0.00	1	140.00	0	0.00	1	796.73	6	1302.37
24	तमिलनाडु	6	1,428.19	13	2,323.09	11	2,368.85	7	925.25	8	1,045.98	492	11,295.38
25	तेलंगाना	2	94.21	7	594.52	14	1,402.23	23	1,890.04	11	3,291.12	76	8,809.02
26	उत्तर प्रदेश	1	4.39	8	515.08	5	291.46	8	691.09	5	467.51	120	3,729.42
27	उत्तराखंड	2	153.75	1	3.75	1	8.40	16	556.31	7	79.38	55	1,949.55
28	पश्चिम बंगाल	0	0.00	1	3.33	1	10.00	0	0.00	0	0.00	58	278.67
29	एनसीईएफ	1	1.29	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	14	156.56
30	ब्रिज ऋण	5	26.06	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	47	170.99
31	बहु राज्य परियोजना	2	258.88	5	847.71	0	0.00	3	49.88	2	473.59	26	4,149.12
32	बिल रियायत	4	46.52	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	11	79.63
	कुल 'क'	**98**	**12,130.01**	**107**	**11,939.99**	**113**	**12,659.13**	**160**	**11,001.30**	**128**	**23,907.06**	**2,988**	**1,20,454.74**
ख	**केन्द्रशासित प्रदेश**												
1	अंडमान निकोबार	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.11
2	दमन	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	2	8.13
3	पुडुचेरी	0	0	1	1.88	1	36.98	0	0.00	0	0.00	5	45.27
4	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	1	14.00
	कुल 'ख'	**0**	**0**	**1**	**1.88**	**1**	**36.98**	**0**	**0.00**	**1**	**14.00**	**9**	**67.51**
ग	**कुल 'क' + 'ख'**	**98**	**12,130.01**	**108**	**11,941.87**	**114**	**12,696.11**	**160**	**11,001.30**	**129**	**23,921.06**	**2,997**	**1,20,522.25**

अनुलग्नक-II

विगत पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार प्रतिबंध

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	1987 से संचयी
1	पवन ऊर्जा	3,369.13	1,524.94	1,610.55	524.72	2,538.90	29,200.84
2	हाइड्रो ऊर्जा	510.49	134.36	295.28	806.82	2,169.04	11,421.35
3	बायोमास ऊर्जा और सह उत्पादन	164.00	24.87	44.12	146.87	42.79	5,530.54
4	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण	0.00	0.00	5.00	9.91	95.70	1,381.71
5	सौर ऊर्जा	4,630.91	5,748.62	4,042.09	2,289.49	4,880.24	32,663.34
6	अपशिष्ट से ऊर्जा	317.60	327.14	118.38	93.01	0.00	961.29
7	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00	156.57
8	बिल डिस्काउंटिंग	46.52	102.35	0.00	0.00	0.00	181.97
9	सेतु ऋण	26.06	4.79	85.50	10.81	0.00	223.86
10	अल्पकालिक ऋण	2,780.00	3,830.00	5,060.00	4,715.49	11,754.26	31,836.14
11	इलेक्ट्रिकवाहन (ईवी)	0.00	0.00	0.00	0.00	267.79	267.79
12	बायोमास (औद्योगिक अपशिष्टों से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.37
13	एमएसएमई के लिए गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन	0.00	0.00	0.00	206.55	260.10	466.65
14	विविध (गारंटी योजना+इथेनॉल+ एलओसी+विनिर्माण. ट्रांसमिशन)	284.00	244.80	1,435.19	2,197.62	1,912.24	6,125.82
	कुल	**12,130.01**	**11,941.87**	**12,696.11**	**11,001.30**	**23,921.06**	**1,20,522.25**



इरेडा ने मुथैयापुरम गांव, थुथुकुडी जिला, तमिलनाडु में स्थित मेसर्स ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के 22 मेगावाट एसी/25.681 मेगावाट पी फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट को वित्त पोषित किया।

अनुलग्नक-III

विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यवार संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	1987 से संचयी
क	**राज्य**						
1	आंध्र प्रदेश	2,560.75	1,680.61	1,416.93	840.60	469.00	10,849.15
2	अरूणाचल प्रदेश	49.08	55.69	3.92	34.89	35.71	248.92
3	असम	0.00	118.47	110.90	79.87	360.00	669.45
4	बिहार	0.00	10.11	1.13	0.00	29.45	66.31
5	चंडीगढ	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
6	छत्तीसगढ़	42.70	187.33	30.70	0.00	159.60	564.70
7	दादर एवं नगर हवेली	21.82	29.65	0.00	0.00	0.00	51.47
8	गुजरात	276.25	536.04	129.14	412.00	947.97	3,965.15
9	गोआ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
10	हरियाणा	9.46	6.05	1.73	6.50	44.31	179.17
11	हिमाचल प्रदेश	110.09	130.23	113.14	383.92	130.38	2,609.54
12	जम्मू व कश्मीर	3.75	5.23	1.02	4.44	61.54	87.23
13	झारखंड	0.00	0.00	0.54	0.99	9.00	78.78
14	कर्नाटक	1,079.45	1,290.87	717.25	729.48	2,507.27	10,590.73
15	केरल	4.75	4.70	0.00	0.00	824.27	999.01
16	मध्य प्रदेश	52.95	183.66	324.18	319.96	604.67	2,450.91
17	महाराष्ट्र	1,433.29	1285.21	631.71	710.95	1,361.51	10,018.08
18	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	9.41	0.00	9.41
19	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	921.38	460.00	0.00	6.09	40.91	2,965.92
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65
21	उड़ीसा	40.12	168.20	17.27	15.63	384.47	1,068.63
22	पंजाब	145.48	4.99	4.47	802.91	814.23	2,797.57
23	राजस्थान	457.52	701.59	1,468.08	700.48	2,027.52	8,095.54
24	सिक्किम	6.86	22.94	102.70	37.30	688.85	1,169.48
25	तमिलनाडु	340.94	1,534.89	2,159.91	1,646.52	1,147.91	8,615.75
26	तेलंगाना	576.16	575.91	1,047.44	1,382.90	2,409.73	6,548.84
27	उत्तर प्रदेश	161.61	235.76	112.85	148.97	467.16	2107.85
28	उत्तराखंड	32.78	9.26	10.75	473.31	61.30	1,121.16
29	पश्चिम बंगाल	0.00	3.33	0.00	7.00	2.15	62.21
30	बहुराज्य परियोजना	0.00	144.65	379.56	37.80	472.59	1,142.00
	कुल 'क'	**8,328.38**	**9,385.37**	**8,785.31**	**8,791.92**	**16,061.49**	**79,135.03**
ख	**केन्द्रशासित क्षेत्र**						
1	दमन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	36.43	2.23	44.81
3	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	7.10
	कुल 'ख'	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36.43**	**9.33**	**53.40**
ग	**कुल 'क' + 'ख'**	**8,328.38**	**9,385.37**	**8,785.31**	**8,828.35**	**16,070.82**	**79,188.43**

अनुलग्नक-IV

विगत पांच वर्षों के दौरान क्षेत्रवार संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	1987 से संचयी
1	पवन ऊर्जा	2,823.49	1,557.16	1,057.11	900.65	2,114.38	20,473.05
2	हाइड्रो ऊर्जा	330.20	352.65	295.97	682.91	1,195.09	6,839.90
3	बायोमास ऊर्जा और सह उत्पादन	59.25	46.83	118.11	36.91	16.57	3,556.55
4	ऊर्जा दक्षता और संरक्षण	0.44	2.47	0.00	14.16	77.85	434.51
5	सौर ऊर्जा	2,746.31	3,828.47	2,666.10	1,775.19	3,406.15	19,030.10
6	अपशिष्ट से ऊर्जा	0.00	143.79	78.12	147.17	107.20	540.58
7	राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	127.14
8	बिल डिस्काउंटिंग	26.52	92.03	10.10	0.00	0.00	161.76
9	अल्पकालिक ऋण	2,250.00	3,327.54	4,507.97	4,749.55	8,323.15	26,288.21
10	हाइब्रिड उर्जा एवं सोलर	0.00	0.00	0.00	62.50	25.53	88.03
11	सेतु ऋण	22.59	4.79	5.82	4.00	0.00	156.14
12	बायोमास (औद्योगिक अपशिष्टों से ब्रिकेटिंग, गैसीकरण और मीथेनेशन)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.71
13	एमएसएमई के लिए गारंटीकृत आपातकालीन क्रेडिट लाइन	0.00	0.00	0.00	145.17	290.36	435.53
14	इलेक्ट्रिकवाहन (ईवी)	0.00	0.00	0.00	0.00	35.71	35.71
15	विविध (इथेनॉल + विनिर्माण + ट्रांसमिशन)	57.55	29.65	46.00	310.14	478.84	948.51
	कुल	**8,328.38**	**9,385.37**	**8,785.31**	**8,828.35**	**16,070.82**	**79,188.43**



इरेडा ने कोंडावीडु गांव, एडला पाडु मंडल, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश में स्थित मैसर्स जिंदल अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट (गुंटूर) लिमिटेड, की 15 मेगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा परियोजना का वित्त पोषण किया।

अनुलग्नक-V

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा

आपकी कंपनी की सीएसआर नीति का उद्देश्य सतत विकास के लिए अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ प्रौद्योगिकियों से संबंधित परियोजनाओं में आत्मनिर्भर निवेश को बढ़ावा देने के अपने प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से समाज में मूल्य सृजन को बढ़ाना है। सीएसआर गतिविधियों का उद्देश्य कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय को उसके प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना होगा।

शुरू की गई या शुरू की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं का अवलोकन:

आपकी कंपनी ने ऐसी परियोजनाएं शुरू की हैं या करने का प्रस्ताव रखा है जो–

- प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समुदायों और परिणामों को समय के साथ ऊर्जा दक्षता / संरक्षण और स्थानीय आबादी के जीवन की गुणवत्ता और आर्थिक कल्याण को बढ़ाने में लाभ होता है।
- आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से स्थायी तरीके से अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए संगठन में सभी स्तरों पर एक बढ़ी हुई प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें।
- अपनी कंपनी के लिए एक सामुदायिक सद्भावना उत्पन्न करें और एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में कंपनी की सकारात्मक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार छवि को सुदृढ़ करने में मदद करें।
- लिंग संवेदनशीलता, कौशल वृद्धि, उद्यमिता विकास आदि से संबंधित सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के साथ संरेखण को प्रोत्साहित करें।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य संगठनों के साथ साझेदारी को प्रोत्साहित करें ताकि आपदा से निपटने के लिए समुदायों की तैयारी सुनिश्चित हो सके।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पद / निदेशक की प्रकृति	सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या (वर्ष के दौरान)	
			आयोजित	में भाग लिया
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं अतिरिक्त।निदेशक (वित्त) का प्रभार (वित्त)	अध्यक्ष	9	9
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य	9	9
3.	श्री बी.पी. यादव निदेशक (सरकारीनामित)	सदस्य (08/07/21 तक)	1	1
4.	श्री दिनेश दयानंद जगदाले निदेशक (सरकारीनामित)	सदस्य (30/07/21 से 03/02/22 तक)	4	4
5.	श्री शब्दशरण नरहरिभाई ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (04/02/2022 से)	4	4

3. **वेब–लिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा किया गया है।**

सीएसआरनीति :https://www.ireda.in/csr-policy-of-ireda

सीएसआर समिति की संरचना :https://www.ireda.in/doc/CSR-Committe.pdf

सीएसआर परियोजनाएं :https://www.ireda.in/doc/CSR-project-sanctioned.pdf

4. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014, यदि लागू हो, के नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।**

*शून्य.

*डीपीई द्वारा जारी सीएसआर दिशा–निर्देशों के अनुसार और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के अनुपालन में अनिवार्य प्रभाव मूल्यांकन परियोजना–वार किया जाएगा, जहां कंपनियां तत्काल पूर्ववर्ती 3 वर्षों में न्यूनतम औसत सीएसआर दायित्व ₹10 करोड़ या अधिक के साथ हैं। कम से कम एक करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष और सीएसआर परियोजनाओं को प्रभाव मूल्यांकन करने से कम से कम 1 वर्ष पहले पूरा किया गया है।

चूंकि, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 22 में आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रमों को छोड़ कर न्यूनतम एक करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ऐसी किसी भी सीएसआर परियोजना को मंजूरी नहीं दी है, किसी भी सीएसआर परियोजना के लिए प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया था। जहां तक आकांक्षी जिला विकास कार्यक्रमों का संबंध है, यह ध्यान दिया जा सकता है कि चल रही परियोजना अभी भी प्रगति पर है और परियोजनाओं के पूरा होने पर इन परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन किया जाएगा।

5. **कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप–नियम (3) के अनुसरण में सेटऑफ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट–ऑफ के लिए आवश्यक राशि – यदि कोई हो)**

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट आफ के लिए उपलब्ध राशि (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ लाख में)
1.	2020-21	174.66	शून्य
2.	2021-22	187.59	शून्य

6. **अनुभाग के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ धारा 135(5) :** ₹34,267.13 लाख

7. **(₹ लाख में)**

(क)	**धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत**	**:**	**685.34**
(ख)	**वित्तीय वर्ष में सीएसआर परियोजनाओं या पूर्व की गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष**	**:**	**शून्य**
(ग)	**वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो**	**:**	**शून्य**
(घ)	**वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [7a + 7b – 7c]**	**:**	**685.34**

8. **(क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि: ₹ 872.93 लाख**

वित्तीय वर्ष के लिए कुल खर्च राशि (₹ लाख में)	अव्ययित राशि (₹ लाख में)				
	अव्ययित को हस्तांतरित कुल राशि धारा 135(6) के अनुसार सीएसआर खाता		अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड को हस्तांतरित राशि धारा 135(5) के दूसरे परंतु क के अनुसार		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
872.93	शून्य	लागू नहीं	लागू नही	लागू नही	लागू नही

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण : ₹ 469.07 लाख

1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की सातवीं अनुसूची से आइटम की सूची गतिविधियां	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना के स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में खर्च राशि (₹ में)	ओवरहेड्स	तबादला राशि खर्च न करने के लिए सीएसआर खाता के लिए परियोजना के रूप में प्रति अनुभाग 135(6) के अधिनियम*	कार्यान्वयन की विधा – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन की विधा	
				राज्य	जिला							नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के आकांक्षी 10 सरकारी जिले स्कूलों में बुनियादी ढांचे का विकास।	शिक्षा को बढ़ावा देना	नहीं	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	1 वर्ष से अधिक	1,07,75,000	43,10,000	0	-	क्रियान्वयन एजेंसी	जिला प्रशासन, बलरामपुर	-
2	आकांक्षी जिले, चंदौली, उत्तर प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों में सौर प्रणाली	स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	नहीं	उत्तर प्रदेश	चंदौली	1 वर्ष से अधिक	3,93,77,772	3,15,02,218	0	-	क्रियान्वयन एजेंसी	यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-
3	सीएचसी/मेडिकल कॉलेज में 500 एलपीएम मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट और 125 केवीएडी जल जनरेटर	हेल्थकेयर (COVID-19)	नहीं	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थ नगर	1 वर्ष से अधिक	96,97,240	76,01,109	0	-	क्रियान्वयन एजेंसी	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	-
4	राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, नई दिल्ली में स्थापना के लिए 40 किलोवॉट पावर रूफटॉप सोलर सिस्टम	पर्यावरण स्थिरता,, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	हां	नई दिल्ली	नई दिल्ली	1 वर्ष से अधिक	21,86,927	17,49,580	0	-	क्रियान्वयन एजेंसी	राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय नई दिल्ली	00016561 सीएसआर
5	मैसर्स मेवात (नूह) आकांक्षी जिला, हरियाणा में बिसनौली सरोविद्या ग्रामोद्योग सेवा संस्थान (पंजीकृत एनजीओ) द्वारा जनआरोग्यम क्लिनिक की स्थापना।	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	हरियाणा	नूह	1 वर्ष से अधिक	69,77,000	17,44,250	0	-	क्रियान्वयन एजेंसी	बिसनौली सरोविद्या ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	सीएसआर 00001405
6	मोबाइल मेडिकल वैन और 4 विशेष रूप से विकलांग बच्चे	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	1 वर्ष से अधिक	26,18,345	0	32,945	-	क्रियान्वयन एजेंसी	सैम्फिया फाउंडेशन	सीएसआर 00004095
						कुल	**7,16,32,284**	**4,69,07,157**	**32,945**				

* कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि का 100% खर्च किया है।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: ₹ 402.63 लाख

1	2	3	4	5		6		7	8	
क्र.सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की छठीं अनुसूची से आइटम की सूची गतिविधियां	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना के स्थान		परियोजना के लिए व्यय राशि		कार्यान्वयन की विधा – प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा कार्यान्वयन की विधा	
				राज्य	जिला	परियोजना व्यय	ओवरहेड्स		नाम	सीएसआर पंजीकरण
1.	3 kWP सोलर पीवी सिस्टम और 50 एल पी ह आर ओ वाटर वेंडिंग मशीनें, मिर्जापुर, यूपी के 15 सरकारी स्कूलों में	पर्यावरण स्थिरता पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	नहीं	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	59,85,000	0	क्रियान्वयन एजेंसी	यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-
2.	500 एलपीएम मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट और 125 केवीए डीजल जनरेटर सीएचसी, बागेश्वर, उत्तराखंड में	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	नहीं	उत्तराखंड	बागेश्वर	96,97,240	0	क्रियान्वयन एजेंसी	भारत हैवी इलैक्ट्रिकलस लिमिटेड	-
3.	कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में मोबाइल मेडिकल वैन – थेरेपी ऑनव्हील्स चलाने के लिए परिचालन व्यय	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	17,94,289	90,000	क्रियान्वयन एजेंसी	सैम्फिया फाउंडेशन	सीएसआर 00004095
4.	पंडित कमलापति त्रिपाठी अस्पताल, चंदौली, उत्तर प्रदेश को चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति (पिछले वर्ष से रद्द की गई परियोजना)	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	उत्तर प्रदेश	चंदौली	47,98,000	0	क्रियान्वयन एजेंसी	केंद्रीय भंण्डार	-
5.	उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 8 संख्या 5 किलोवाट सौर पीवी सिस्टम (पिछले साल रद्द की गई परियोजना से)	पर्यावरण स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों और स्वास्थ्य देखभाल का संरक्षण	नहीं	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	47,88,000	482	क्रियान्वयन एजेंसी	यूपी स्टेट कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-
6.	पीएम केयर्स फंड में योगदान	स्वास्थ्य देखभाल (कोविड-19)	नहीं	पैन भारत	पैन भारत	1,32,00,000	0	क्रियान्वयन एजेंसी	भारत सरकार	-
	कुल					**4,02,62,529**	**90,482**			

(घ) **प्रशासनिक उपरिव्यय में खर्च की गई राशि:** **₹1.23 लाख**

(ङ) **प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो:** **शून्य**

(च) **वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ):** **₹872.93 लाख**

(छ) **समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि (यदि कोई हो):**

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ लाख में)
(i)	अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	685.34
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	872.93
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्तराशि [(ii)-(i)]	187.59
(iv)	सीएसआर परियोजनाओं या पिछले वित्तीय वर्षों के कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	187.59

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पिछले वित्तीय वर्ष के	धारा 135 (6) के अव्ययित सीएसआर के तहत बदली हुई राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो			सफल वित्तीय वर्षों में शेष राशि खर्च किया जाना (₹ में)
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	हस्तांतरण की तिथि	
1.	2018-19	लागू नहीं	12,55,53,356.90	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	20,19,24,000
2.	2019-20	लागू नहीं	19,19,04,006	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14,40,20,774
3.	2020-21	लागू नहीं	16,41,59,526	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	5,25,96,757
	कुल		**48,16,16,888.90**				

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: ₹ 77.67 लाख

क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	परियोजना जिस वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ की गई	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजनाओं पर व्यय राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय संचयी राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति पूर्ण/चल रहे
1	2019-20/01	सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए सौर पीवी सिस्टम, 50 एलपीएच आरओ जल प्रणाली और चिकित्सा उपकरण प्रदान कर के उत्तर प्रदेश में आकांक्षी जिलों बलरामपुर और चंदौली का परिवर्तन	2019-20	2 वर्ष	8,04,00,000	46,23,450	7,27,52,200	जारी
2	2018-19/01	सोलर पीवी लाइट, सोलर पीवी सिस्टम, आरओ यूनिट और मोबाइल मेडिकल वैन के प्रावधान के माध्यम से बलरामपुर और चंदौली, उत्तर प्रदेश में महत्वाकांक्षी जिला विकास कार्यक्रम	2018-19	3 वर्ष	6,62,00,000	31,43,238	6,62,62,985	पूर्ण
कुल						**77,66,688**		

10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें **(संपत्ति–वार विवरण)** : शून्य (कोई संपत्ति अर्जित नहीं की गई)

(क)	पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि	:	लागू नहीं
(ख)	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि	:	लागू नहीं
(ग)	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिनके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति, पंजीकृत है, उनका पता आदि।	:	लागू नहीं
(घ)	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित) का विवरण प्रदान करें	:	लागू नहीं

11. कारण बताएं, यदि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है:

लागू नहीं। कंपनी ने वित्त वर्ष 22 के लिए खर्च की जाने वाली राशि का 100 प्रतिशत खर्च किया है।

ह/-
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और अध्यक्ष सीएसआर समिति
डीआईएनः 07448576

ह/-
चिंतन शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएनः 07795952

अनुलग्नक-VI

प्रपत्र संख्या एमआर–3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) के अनुसार और कंपनी
(नियुक्ति और पारिश्रमिक कार्मिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9,]

प्रति,

सदस्यगण
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
इंडिया हैबिटेट सेंटर
पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट, कोर4–ए
लोधी रोड
नई दिल्ली–110003

प्रिय सदस्यों,

हमने सीआईएनः U65100DL1987GOI027265 (तदुपरांत कंपनी) वाले भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षा आयोजित किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरीके से किया गया था जिससे हमें कॉरपोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

कंपनी की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान प्रदान की गई जानकारी के हमारे सत्यापन के आधार पर, हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करना कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त समीक्षाधीन अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि जिस हद तक, इसके बाद की गई रिपोर्टिंग का तरीका और विषय के लिए कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र है,

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजात, कार्यवृत्तपुस्तकों, प्रपत्रों और दाखिल रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच निम्न प्रावधानों के अनुसार की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके तहत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') और उसके तहत बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम' के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा निर्देश:-

(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015;

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;

(ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमयबोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018; तथा

(घ) कंपनी अधिनियम और क्लाइंट से निपटने के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (एक निर्गम और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993;

समीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रबंधन द्वारा किए गए अभ्यावेदन और हमारे द्वारा भरोसा किए जाने के अनुसार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियमों और दिशा निर्देशों के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं थे :-

क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018;

ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2021;

ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों का पुनर्खरीद) विनियम, 2018;

घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और पसीना इक्विटी शेयर) विनियम, 2021

ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहण का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियमन, 2011;

(vi) जैसाकि पुष्टि की गई है, निम्नलिखित अन्य कानून विशेष रूप से कंपनी पर लागू होते हैं जिसके लिए प्रबंधन ने पुष्टि की है कि कंपनी ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं:

क. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 जमा राशि स्वीकार न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी–एनडी–एसआई) पर लागू सीमा तक

ख. मास्टर निदेश– गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016

ग. मास्टर निदेश– गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी रिटर्न (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 तथा

घ. मास्टरनिदेश– एनबीएफसी क्षेत्र के लिए सूचना प्रौद्योगिकी ढांचा;

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(I) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा समय–समय पर संशोधित सचिवीय मानक

(ii) लिस्टिंग समझौते और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015

(iii) सीपीएसई के लिए निगमित शासन पर डीपीई दिशा निर्देश

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का पालन निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन किया है: –

<u>डीपीई दिशानिर्देशों के तहत</u>

(I) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण निगमित शासन पर कंपनी ने खंड 3.1.1 के तहत निदेशक मंडल की संरचना, खंड 4.1.1 के तहत लेखा परीक्षा समिति की संरचना और डीपीई दिशा निर्देशों के खंड 5.1 (3 फरवरी, 2022 तक) के तहत पारिश्रमिक समिति की संरचना का अनुपालन नहीं किया है।।

हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान प्रभावी कार्यदिवस 28 जनवरी, 2022 से कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और एक अन्य स्वतंत्र निदेशक को 31 मार्च, 2022 से कंपनी के बोर्ड में नियुक्त किया गया था। लेखा परीक्षा समिति की संरचना को क्रम में बनाने के लिए, 18 अप्रैल, 2022 को समिति का पुनर्गठन किया गया था।

(ii) इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति की बैठक में गणपूर्ति खंड की आवश्यकता के अनुसार नहीं थी 4.4 स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण डीपीई गाइडलाइन के क्लॉज 4.1.2 के तहत आवश्यक 3 फरवरी, 2022 तक ऑडिट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा नहीं की गई थी।

<u>सेबी विनियमों के तहत:</u>

(iii) कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना के संबंध में विनियम 2015 सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(1)(ए), (बी), 18(1)(बी) और 18(2)(बी), 19(1)(सी) का अनुपालन नहीं किया है।

हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में प्रभावी कार्यदिवस 28 जनवरी, 2022 से एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और एक अन्य स्वतंत्र निदेशक को 0.4.1 से नियुक्त किया गया था। सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के विनियम 17 (ए) और (बी) की आवश्यकता के अनुसार 31 मार्च, 2022 को ही बोर्ड की रचना की गई, नतीजतन, समितियों की संरचना को क्रम में बनाने के लिए, लेखा परीक्षा 18 अप्रैल, 2022 को समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया था।

(iv) कंपनी ने पूरे बोर्ड द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के संबंध में सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 17(10), 25(3) और 25(4) का अनुपालन नहीं किया है। समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, एक स्वतंत्र निदेशक को कंपनी के बोर्ड में 28 जनवरी, 2022 से नियुक्त किया गया था और एक अन्य स्वतंत्र निदेशक को 31 मार्च 2022, से नियुक्त किया गया था, जिसके कारण स्वतंत्र निदेशक की बैठक नहीं हो सकी। हालांकि, पहले स्वतंत्र निदेशक ने 30 मार्च, 2022 को प्रबंधन को अपना अवलोकन प्रस्तुत किया।

हालाँकि, जैसाकि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, सभी निदेशकों की नियुक्तियाँ भारत सरकार द्वारा की जाती हैं और निदेशकों का मूल्यांकन भी भारत सरकार द्वारा किया जाता है। कंपनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था।

<u>आरबीआई मेटर निर्देश के तहत</u>रू

(v) समीक्षाधीन अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण लेखा परीक्षा समिति और नामांकन समिति की कंपनी ने आरबीआई मास्टर निदेश– एनबीएफसी के खंड संख्या 70(1) और 70(2) का पालन नहीं किया है, जो जमा राशि स्वीकार नहीं करने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्वबैंक) निदेश, 2016 दिनांक 01 सितंबर, 2016 के संबंध में है।

हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में प्रभावी कार्यदिवस 28 जनवरी, 2022 को एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था और एक अन्य स्वतंत्र निदेशक को 31 मार्च, 2022 से नियुक्त किया गया था। समितियों के गठन को क्रम में करने के लिए, 18 अप्रैल, 2022 को लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित को छोड़कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए परिवर्तनः –

(I) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में 30 मार्च, 2022 तक पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक और समीक्षाधीन अवधि के दौरान महिला निदेशक शामिल नहीं थे। हालांकि, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4) की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक बोर्ड में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की, जिससे बोर्ड का गठन हुआ।

(ii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 3 फरवरी, 2022 तक सीएसआर समिति की संरचना धारा 135 की उपधारा (1) की आवश्यकता के अनुसार नहीं थी और लेखा परीक्षा समिति की संरचना और नामांकन और पारिश्रमिक समिति धारा 177 और धारा 178 और क्रमशः कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी। तथापि, वित्तीय वर्ष

के दौरान कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई थी। 28 जनवरी, 2022 और एक अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति 31 मार्च, 2022 से समिति के गठन को क्रम में करने के लिए 18 अप्रैल, 2022 को समिति का पुनर्गठन किया गया।

सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, एजेंडा पर विस्तृत नोट्स कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे और बैठक से पहले एजेंडा मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों और समिति की बैठकों में सभी निर्णय सर्वसम्मति से किए जाते हैं जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड की समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया जाता है, जैसा भी मामला हो।

कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत नियामक प्राधिकरणों के साथ ई–फॉर्म/दस्तावेज दाखिल करने में कंपनी आमतौर पर नियमित रही है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई विशिष्ट घटना/कार्रवाई नहीं की गई, जिसका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा निर्देशों, मानकों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर एक प्रमुख प्रभाव पड़ता है, सिवाय इसके कि–

(I) कंपनी ने अंकित मूल्य के साथ ₹100,00,00,000/– (रुपये एक सौ करोड़ मात्र) के डिबेंचर (बॉन्ड) की प्रकृति में असुरक्षित, प्रतिदेय, गैर–परिवर्तनीय, गैर–संचयी, कर योग्य बांडों का ₹10,00,000/– (केवल दस लाख रुपये) (बेस इश्यू) के ग्रीन शू विकल्प के साथ ₹6,00,00,000 (केवल छह करोड़ रुपये) कुल मिलाकर ₹106,00,00,000 (एक सौ छह रुपये) करोड़ केवल) (इश्यूसाइज) निजी प्लेसमेंट के आधार पर आवंटन किया है।

(ii) कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान ₹1500करोड़ की राशि के राइट इश्यू के माध्यम से ₹10/– की दर से 1,50,00,00,000 शेयर आवंटित किए हैं।

(iii) समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनी यानी मैसर्स एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड (एमपीडब्ल्यूएल) में विनिवेश किया है।

पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिवों के लिए
एफआरएन: P2016HR051300)

P. C. Jain & Company, Faridabad
COMPANY SECRETARIES
C.P. No. 3349

(पी. सी. जैन)
Managing Partner
CP No. 3349
M No. 4103

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 2 जून, 2022
यूडीआईएनः F004103D000453521

नोटः इस रिपोर्ट को हमारे समतिथि पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुबंध ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

सेवा में,

अनुलग्नक-क

सदस्यगण,

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
इंडिया हैबिटेट सेंटर
पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट, कोर 4ए लोधी रोड
नई दिल्ली–110003

महोदय,

31 मार्च, 2022 को समतिथि को समाप्त वर्ष के लिए हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट इस पत्र साथ पढ़ी जानी है

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है।लेखा परीक्षा के लिए हमारे समक्ष प्रस्तुत अभिलेखों के हमारे निरीक्षण के आधार पर, इन सचिवीय अभिलेखों पर एक राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।

2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेखों में सही तथ्य परिलक्षित होते हैं, परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है और हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा पहले ही बताई गई टिप्पणियों/कमियों को शामिल नहीं किया गया है।

4. जहां कहीं आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी और हमारी राय देने के लिए कि कंपनी के पास उचित बोर्ड–प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र है या नहीं।

6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिवों के लिए
एफआरएन: P2016HR051300)

P. C. Jain & Company, Faridabad
COMPANY SECRETARIES
C.P. No. 3349

(पी. सी. जैन)
Managing Partner
CP No. 3349
M No. 4103

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 2 जून, 2022
यूडीआईएन : F004103D000453521

अनुलग्नक VII

कॉरपोरेट सुशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
इंडिया हैबिटेट सेंटर
पहली मंजिल, ईस्ट कोर्ट, कोर 4ए लोधी रोड
नई दिल्ली–110003

महोदय,

हमने सीपीईएस, मंत्रालय के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी निगमित शासन दिशा निर्देशों (दिशानिर्देश) की अनुपालन शर्त प्रमाणित करने के उद्देश्य से 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, भारत सरकार ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (कंपनी) के सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड की जांच की है।

दिशा निर्देशों के अनुसार निगमित प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा प्रक्रियाओं की समीक्षा और उसके कार्यान्वयन तक सीमित है। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभाव का रिताया प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

हमारी राय में और हमें प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड, स्पष्टीकरण और जानकारी की हमारी जांच के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने निगमित प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है जैसाकि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशा निर्देशों में निर्धारित है –

(I) स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण निगमित प्रशासन पर दिशा निर्देश के अनुसार कंपनी ने खंड 3.1.1 के तहत निदेशक मंडल की संरचना, खंड 4.1.1 के तहत लेखा परीक्षा समिति की संरचना और डीपीई के खंड 5.1 (3 फरवरी, 2022 तक) के तहत पारिश्रमिक समिति की संरचना का अनुपालन नहीं किया है।

हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति 28 जनवरी, 2022 से की गई थी और एक अन्य स्वतंत्र निदेशक को 31 मार्च, 2022 से नियुक्त किया गया था। लेखा परीक्षा समिति के गठन को क्रम में करने के लिए 18 अप्रैल, 2022 को समिति का पुनर्गठन किया गया।

(ii) इसके अलावा, लेखा परीक्षा समिति की बैठक में गणपूर्ति खंड 4.4 की आवश्यकता के अनुसार नहीं थी। स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति न होने के कारण डीपीई गाइडलाइन के क्लॉज 4.1.2 के तहत आवश्यक 3 फरवरी, 2022 तक ऑडिट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक ने नहीं की थी।

हालांकि, कंपनी ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से बोर्ड में आवश्य क संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया था।

पी. सी. जैन एंड कंपनी
कंपनी सचिवों के लिए
एफआरएन: P2016HR051300)

P. C. Jain & Company-Faridabad
COMPANY SECRETARIES
C.P. No. 3349

स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 2 जून, 2022
यूडीआईएन : F004103D000453521

(पी. सी. जैन)
Managing Partner
CP No. 3349
M No. 4103

अनुलग्नक VIII

कॉरपोरेट सुशासन पर रिपोर्ट

निगमित प्रशासन कानूनी, नैतिक और स्थायी रूप से शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करने के बारे में है। कॉरपोरेट प्रशासन के सिद्धांत पारदर्शिता, जवाबदेही पर आधारित हैं और दीर्घावधि में कंपनी की स्थायी सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। निगमित प्रशासन नियमों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं का एक साधन है जिसके द्वारा एक कंपनी को प्रभावी प्रबंधन के लिए नैतिक मानकों का पालन करने और अक्षरशः कानून सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित और नियंत्रित किया जाता है। निगमित प्रशासन सभी हितधारकों के हित सुनिश्चित करता है।

आपकी कंपनी ने हमेशा निगमित प्रशासन मानदंडों के उच्चमानकों को लागू करने और बनाए रखने का प्रयास किया है और अपने निगमन के बाद से अच्छे निगमित प्रशासन के सिद्धांतों का अभ्यास कर रही है।

एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी के रूप में, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित प्रशासन पर दिशा निर्देशों का कंपनी द्वारा पालन किया जाता है। डीपीई दिशा निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप एक रिपोर्ट, निदेशक की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में नीचे दी गई है, साथ ही कंपनी सचिवों मेसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी द्वारा जारी एक प्रमाणपत्र (अनुलग्नक–VIII) के साथ रिपोर्ट निगमित प्रशासन के प्रावधानों के अनुपालन में है।

1. निगमित प्रशासन पर कंपनी का दर्शन

हमारे निगमित प्रशासन दर्शन को निम्नानुसार लिपिबद्ध किया गया है:

कंपनी दृढ़ता से विश्वास करती है और लगातार अच्छे निगमित प्रशासन का अभ्यास करती है। कंपनी की नीति पारदर्शिता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के मूल्यों से परिलक्षित होती है। कंपनी लगातार इन पहलुओं की बेहतरी की दिशा में प्रयास करती है और इस तरह अपने ग्राहकों, कर्मचारियों, हितधारकों और पूरे समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य पैदा करती है।

आपकी कंपनी एक प्रतिस्पर्धी, ग्राहक–हितैषी और विकासोन्मुखी संगठन बनने के लिए प्रतिबद्ध है, अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं का वित्तपोषण और प्रचार–प्रसार करती है। कंपनी के निगमित ढांचे के कारोबार और प्रकटीकरण प्रथाओं को इसके निगमित प्रशासन फिलॉसफी के साथ जोड़ा गया है।

2. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल (बोर्ड) के पास समग्र रूप से व्यवसाय के प्रबंधन, सामान्य मामलों, निर्देशन, प्रदर्शन और दीर्घकालिक सफलता के लिए अंतिम जिम्मेदारी है। बोर्ड रणनीतियां और नीतियां बनाता है, उनके कार्यान्वयन की निगरानी करता है और कंपनी के प्रदर्शन की समय–समय पर समीक्षा भी करता है।

आपकी कंपनी का निदेशक मंडल सभी हितधारकों के प्रति हर समय जवाबदेह रहते हुए कंपनी पर नेतृत्व, उद्देश्य निर्णय, रणनीतिक मार्गदर्शन और व्यायाम नियंत्रण प्रदान करता है। बोर्ड अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और कंपनी अधिनियम, ज्ञापन और कंपनी के एसोसिएशन के लेख, स्टॉक एक्सचेंजों के साथ लिस्टिंग समझौते, आरबीआई दिशा निर्देशों, डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी आदि के आंतरिक कोड / प्रक्रियाओं में निर्धारित ढांचे के भीतर कंपनी के मामलों का प्रबंधन करता है। महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण कंपनी के बोर्ड की संरचना से बीएलओडीआर विनियमों और निगमित प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। वित्तीय वर्ष के अंत में, कंपनी के बोर्ड में 2 (दो) स्वतंत्र निदेशक हैं। श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को 28 जनवरी, 2022 से एमएनआरई आदेश संख्या 340–11/1/2018– इरेडा दिनांक 21 जनवरी, 2022 और 31 मार्च, 2022 (ए/एन) एमएनआरई आदेश संख्या 340– 11/1/2018–इरेडा दिनांक 28 मार्च, 2022 के तहत डॉ. चेन्नाकेशव एम. जगन्नाथ को बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक, स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कुल निदेशकों की संख्या के 50% से कम थी। एक सरकारी कंपनी होने के

नाते, आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को अनुरोध किया गया है और मामला एमएनआरई में विचाराधीन है।

2.1 निदेशक मंडल की संरचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अंतर्गत कंपनी एक सरकारी कंपनी है क्योंकि 100 प्रतिशत प्रदत्त शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) के स्वामित्व में है। कंपनी के एसोसिएशन के लेख आगे प्रदान करते हैं कि बोर्ड में निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से यह कार्य करते हैं और बोर्ड की ताकत 3 निदेशकों से कम और 15 निदेशकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

क्र. सं.	नाम एवं निदेशक की प्रकृति	नियुक्ति/ समापन की तिथि	नियुक्ति/ समापन
1.	श्री दिनेश डी. जगदाले निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएन: 03344721	08.07.2021	नियुक्ति
2.	श्री भानु प्रताप यादव निदेशक (सरकारी नामित) डीआईएन: 07835275	08.07.2021	समाप्त
3.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक डीआईएन: 09483059	28.01.2022	नियुक्ति
4.	डॉ. चेन्नाकेशव एम.जगन्नाथ स्वतंत्र निदेशक डीआईएन: 09556253	31.03.2022 (a/n)	नियुक्ति

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान, 08/07/2021 को एमएनआरई आदेश संख्या 340/85/2017–इरेडा दिनांक 8 जुलाई, 2021 द्वारा श्री दिनेश डी. जगदाले, संयुक्त सचिव, एमएनआरई को श्री भानुप्रताप यादव, पूर्व संयुक्त सचिव, एमएनआरई के स्थान पर कंपनी के निदेशक (सरकारी नामित) के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट को 28 जनवरी 2022 से एमएनआरई आदेश संख्या 340–11/1/2018–इरेडा के तहत

कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया। डॉ. चेन्नाकेशव एम. जगन्नाथ (डॉ. जगन्नाथ सी जोड़ीधर) को एमएनआरई आदेश संख्या 340–11/1/2018–इरेडा दिनांक 28 मार्च, 2022 के द्वारा कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में 31 मार्च, 2022 (ए/एन)को नियुक्त किया गया

श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार 06.05.2020 से सौंपा गया है। इसके बाद, एमएनआरई ने निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार श्री प्रदीप कुमार दास को 06.11.2020 से छह महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है। निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार एमएनआरई द्वारा 06.05.2021 से आगे बढ़ा दिया गया था। एमएनआरई ने उनके प्रभार को प्रभावी कार्यदिवस 06.11.2021 या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक, जो भी पहले हो, छह महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है । 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के बोर्ड में 6 निदेशक शामिल थे जिनमें 2 कार्यात्मक निदेशक, 2 अंशकालिक सरकारी नामित निदेशक और 2 अंशकालिक, गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक (आईडी) शामिल हैं। इस वार्षिक रिपोर्ट में सभी निदेशकों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है।

2.2 31 मार्च, 2022 तक बोर्ड की संरचना इस प्रकार है:

कार्यात्मक निदेशक (पूर्णकालिक निदेशक)		
1.	श्री प्रदीप कुमार दास डीआईएन: 07448576	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार (वित्त)
2.	श्री चिंतन शाह डीआईएन: 07795952	निदेशक (तकनीकी)
पदेन अंशकालिक निदेशक (सरकारी नामित निदेशक)		
3.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन डीआईएन: 08701559	(सरकारी नामित निदेशक)
4.	श्री दिनेशडी. जगदाले डीआईएन: 03344721	(सरकारी नामित निदेशक)
अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक		
5.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट डीआईएन: 09483059	स्वतंत्र निदेशक
6.	डॉ. चेन्नाकेशव एम. जगन्नाथ डीआईएन: 09556253	स्वतंत्र निदेशक

2.3 वित्तीय वर्ष 22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या

निदेशक मंडल की बैठकें उचित अग्रिम सूचना देकर बुलाई जाती हैं। किसी भी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए, कभी–कभी सांविधिक प्रावधानों के पालन के अधीन बोर्ड की बैठकें भी कम समय के नोटिस पर बुलाई जाती हैं। अत्यावश्यकता के मामले में, संविधि के अनुसार संकल्प भी संचलन के माध्यम से पारित किए जाते हैं। विस्तृत एजेंडा नोट, प्रबंधन रिपोर्ट और अन्य व्याख्यात्मक विवरण आमतौर पर बोर्ड की बैठक से कम से कम एक सप्ताह पहले बोर्ड के सदस्यों के बीच बैठक में सार्थक, सूचित और केंद्रित चर्चा की सुविधा के लिए परिचालित किए जाते हैं। एक सुरक्षित वेब–आधारित ऑनलाइन आवेदन पर प्रासंगिक कागजात अपलोड करके बोर्ड के लिए एजेंडा पत्रों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित किया जाता है, जिससे मुद्रित एजेंडा पत्रों का प्रचलन समाप्त हो गया था। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 और सचिवीय मानकों के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बोर्ड के अन्य सदस्यों की सहमति से बोर्ड की बैठक में चर्चा के लिए एजेंडा में किसी भी मामले को शामिल करने का निर्णय लेते हैं। यदि आवश्यक हो तो बोर्ड की बैठकों में चर्चा किए जा रहे मामलों पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए विभाग प्रमुख (एचओडी)/वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को भी बुलाया जाता है। यदि आवश्यक हो तो बोर्ड को कुछ एजेंडा मदों पर विस्तृत प्रस्तुति भी दी जाती है। बैठक के बाद, मसौदे की एक प्रति मिनट और हस्ताक्षरित कार्यवृत्त निर्धारित समय के भीतर निदेशकों को परिचालित किए जाते हैं। बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठाने के लिए, आपकी कंपनी प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में प्रयास जारी रखे हुए है। निदेशकों को बोर्ड/समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी प्रदान की जा रही है।

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, 17 (सत्रह) बोर्ड की बैठकें आयोजित की गईं। 30/05/2021, 18/06/2021, 06/08/2021, 04/09/2021, 17/09/2021, 06/11/2021 को, 12/11/2021, 01/12/2021, 23/12/2021, 21/01/2022, 04/02/2022, 14/02/2022, 28/02/2022, 16/03/2022, 24/03/2022, 30/03/2022 और 31/03/2022।

किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच न्यूनतम 1 दिन और अधिकतम अंतराल 49 दिन क्रमशः था।

2.4 निदेशक मंडल की बैठकों और पिछली वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति रिकॉर्ड और अन्य निदेशकों/समिति सदस्यताओं/अध्यक्षों की संख्या।

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति (28 सितंबर, 2021 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक सहित) और प्रत्येक निदेशक के अन्य निदेशकों/समिति सदस्यता/अध्यक्षता की संख्या नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम और पदनाम	बोर्ड बैठक आयोजित (कार्यकाल के अनुसार)		अन्य निदेशक पद की संख्या 31.03.2022	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता 31.03.2022*		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (28.09.2021)
	आयोजित	में भाग लिया		सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में	
श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक (वित्त) का प्रभार	17	17	शून्य	शून्य	शून्य	में भाग लिया
श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	17	17	शून्य	शून्य	शून्य	में भाग लिया

निदेशक का नाम और पदनाम	बोर्ड बैठक आयोजित (कार्यकाल के अनुसार)		अन्य निदेशक पद की संख्या 31.03.2022	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता 31.03.2022*		अंतिम एजीएम में उपस्थिति (28.09.2021)
	आयोजित	में भाग लिया		सदस्य के रूप में	अध्यक्ष के रूप में	
श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन निदेशक (सरकारी नामित)	17	16	6	3	3	में भाग लिया
श्री दिनेश डी. जगदाले निदेशक (सरकारी नामित) (08.07.2021 से प्रभावी)	15	14	शून्य	शून्य	शून्य	में भाग लिया
श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक (28.01.2022 से प्रभावी)	07	07	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
डॉ. चेन्नाकेशव एम. जगन्नाथ स्वतंत्र निदेशक [31.03.2022 से प्रभावी (ए/एनn)]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री भानू प्रताप यादव निदेशक (सरकारी नामित)	2	2	लागू नहीं			

टिप्पणियां:

- *लेखा परीक्षा समिति और शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समिति के अलावा अन्य बोर्ड समितियों में अध्यक्षता/सदस्यता शामिल नहीं है।
- कंपनी का कोई भी निदेशक किसी भी तरह से एक दूसरे से संबंधित नहीं है;
- एनए इंगित करता है कि संबंधित व्यक्ति प्रासंगिक तिथि पर कंपनी के बोर्ड का सदस्य नही था।.
- बोर्ड का कोई भी निदेशक सेबी (एलओडीआर) के विनियम 26 के तहत निर्धारित सभी सूचीबद्ध कंपनियों में 10 से अधिक समितियों का सदस्य या 5 से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है।

2.5 निदेशक मंडल को उपलब्ध जानकारी:

बोर्ड के पास कंपनी के भीतर सभी प्रासंगिक जानकारी तक पूर्ण पहुंच है। बोर्ड को नियमित रूप से दी जाने वाली जानकारी में आमतौर पर शामिल हैं:

- वार्षिक परिचालन योजनाएँ, बजट और उनमें कोई अपडेट।
- पूंजी बजट और उसमें कोई अपडेट।
- तिमाही वित्तीय परिणाम।
- कंपनी के लिए तिमाही समझौता ज्ञापन उपलब्धियां/परिणाम।
- लेखा परीक्षा समिति और बोर्ड की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
- बोर्ड स्तर के ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती की सूचना।
- मटेरियाल कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और जुर्माना नोटिस, यदि कोई हो।
- कंपनी के प्रति और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण चूक या कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए पर्याप्त भुगतान न करना।

- किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग समझौते का विवरण।
- निवेश।
- त्रैमासिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर और प्रतिकूल विनिमय दर के उतार–चढ़ाव के जोखिम को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि सामग्री हो।
- कंपनी पर लागू विनियामक या सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन / गैर–अनुपालन पर रिपोर्ट।
- बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट जो ऐसे सभी लंबित मामलों पर अद्यतन स्थिति प्रदान करती है।
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबंधित जानकारी।
- कॉरपोरेट गवर्नेंस मानदंडों के अनुपालन पर त्रैमासिक रिपोर्ट।
- सूचना और / या अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कोई अन्य जानकारी।

2.5 आचार संहिता

निदेशक मंडल ने कंपनी के मिशन और उद्देश्यों के अनुरूप बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए एक आचार संहिता निर्धारित की है और इसका उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को बढ़ाना है। आचार संहिता की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट यानी https://www-ireda-in पर उपलब्ध है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक घोषणा

सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक, इरेडा ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता संहिता' के अनुपालन की पुष्टि की है।

(प्रदीप कुमार दास)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07448576

3. निदेशक मंडल की समितियां

नियामक आवश्यकताओं के संदर्भ में और कंपनी के मामलों पर त्वरित विचार और केंद्रित निर्णय लेने की सुविधा के लिए, बोर्ड ने विशिष्ट भूमिका, जवाबदेही और अधिकार के साथ बोर्ड स्तर की समितियों का गठन किया है। 31 मार्च, 2022 तक ऐसी समितियों का विवरण नीचे दिया गया है:

3.1 निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति;

3.2 निदेशकों की ऋण समिति;

3.3 निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति;

3.4 निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति;

3.5 निदेशकों की निवेश समिति;

3.6 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति;

3.7 आईटी रणनीति समिति

3.8 जोखिम प्रबंधन समिति

3.9 एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति।

समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाते हैं

3.1 निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम के तहत आवश्यकताओं के अनुसार, सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और आरबीआई के निगमित प्रशासन मानदंड, कंपनी के निदेशक मंडल ने विधिवत रूप से एक निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया है। 31 मार्च, 2022 तक, लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री शब्दशरणएन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री विमलेंद्रए. पटवर्धन निदेशक (सरकारीनामित)	सदस्य
3.	श्री दिनेश डी. जगदाले निदेशक (सरकारीनामित)	सदस्य

निदेशक (वित्त), जीएम (एफएंडए) और सीएफओ बैठक में विशेष आमंत्रित हैं। कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक और लागत लेखा परीक्षकों को भी क्रमशः वित्तीय विवरणों / वित्तीय परिणामों और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर चर्चा करते हुए लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में आमंत्रित किया जाता है।

3.1.1 लेखा परीक्षा समिति के विचारार्थ विषय:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग की निगरानी प्रक्रिया और इसके वित्तीय प्रकटीकरण जानकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।

2. नियुक्ति और शर्तों को लेखांकित करने के लिए कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।

3. बोर्ड को लेखा परीक्षा शुल्क के निर्धारण पर अनुशंसा करना।

4. वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की स्वीकृति वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रदान की गई कोई अन्य सेवाएं के लिए।

5. वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षकों का बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले उस पर प्रबंधन के साथ समीक्षा करना और जांच करना,:

   (क) निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण होना चाहिए में शामिल किए जाने के लिए आवश्यक मामले के संदर्भ में बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल धारा 134 की उप–धारा 3 का खंड (सी) कंपनी अधिनियम, 2013;

   (ख) लेखांकन नीतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो, और अभ्यास और उसी के कारण;

   (ग) प्रबंधन द्वारा प्रमुख लेखा प्रविष्टियां निर्णय के अभ्यास के आधार पर अनुमान शामिल हैं;

   (घ) लेखापरीक्षा निष्कर्षों में किए गए समायोजन से उत्पन्न वित्तीय विवरण;

   (ङ) लिस्टिंग का अनुपालन और अन्य कानूनी वित्तीय विवरणों से संबंधित आवश्यकताएं;

   (च) किसी भी संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण तथा

   (छ) लेखा परीक्षा में संशोधित मसौदा पर राय(प्रतिवेदन।

6. तिमाही / अर्धवार्षिक वित्तीय विवरण जमा करने से पहले बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रबंधन के साथ समीक्षा करना,

7. सांविधिक और आंतरिक लेखा परीक्षक के प्रदर्शन और प्रबंधन के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना

8. आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की संरचना सहित, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो तो,विभाग का नेतृत्व करने वाले कर्मचारी और अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और लेखापरीक्षा की आंतरिक आवृत्ति।

9. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष के बारे में आंतरिक लेखा परीक्षकों और / या लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करें।

10. आंतरिक लेखा परीक्षकों / लेखा परीक्षकों द्वारा जांच / एजेंसियों के निष्कर्षों की समीक्षा करना, उन मामलों में जहां किसी आंतरिक संदेह धोखाधड़ी या अनियमितता या एक भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता और मामले की रिपोर्टिंग बोर्ड में करना।

11. लेखापरीक्षा प्रारंभ होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा और साथ ही साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा की बाद की चर्चा

12. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों,शेयरधारक (घोषित राशि का भुगतान न करने की स्थिति में) लाभांश) और लेनदारको भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों पर गौर करने के लिए

13. ह्विसलब्लोअर तंत्र के कार्य की समीक्षा और निगरानी करना

14. उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि आदि का आकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति

को मंजूरी प्रदान करनाय जहां निदेशक (वित्त) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया जाता है वह प्रमुख वित्तीय अधिकारी के रूप में कार्य करेगा;

15. सीएजी लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना

16. संसद के उपक्रम (सीओपीयू) सार्वजनिक समिति की सलाह पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए

17. स्वतंत्र लेखा परीक्षक, आंतरिक लेखा परीक्षक और निदेशक मंडल के बीच संचार का एक खुला मार्ग प्रदान करने के लिए

18. अनुमोदन या उसके बाद का कोई संशोधन संबंधित पक्षों के साथ कंपनी का लेनदेन।

19. संबंधित पक्ष के लिए प्रस्तावित लेनदेन सर्वग्राही अनुमोदन की ऐसी शर्तों के अधीन करनाजो कंपनी द्वारा दर्ज किए जाने के लिए नियत हो सकती है

20. स्वतंत्र लेखापरीक्षक के साथ लेखापरीक्षा प्रयासों के समन्वय की अनावश्यक प्रयासों के कवरेज में कमी, और सभी लेखापरीक्षा संसाधनों का प्रभावी उपयोगपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा करें

21. स्वतंत्र लेखा परीक्षक और प्रबंधन के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करें:

    - कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण और सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और

    - प्रबंधन प्रतिक्रियाओं के साथ, संबंधित निष्कर्ष और सिफारिशें और स्वतंत्र लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक।

22. प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षक और स्वतंत्र लेखा परीक्षक के साथ निम्नलिखित पर विचार और समीक्षा करें:

    - वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष, पिछली लेखापरीक्षा सलाहों की स्थिति सहित, और

    - लेखापरीक्षा कार्य के दौरान आने वाली कोई भी कठिनाई जिसमें गतिविधियों के दायरे पर कोई प्रतिबंध या आवश्यक जानकारी तक पहुंच शामिल है।

23. लेखा परीक्षा समिति अनिवार्य रूप से निम्नलिखित जानकारी की समीक्षा करेगी:

    I. प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और संचालन के परिणामों का विश्लेषण

    II. प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण (जैसा कि लेखा परीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है)।

    III. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों का पत्र।

    IV. आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

    V. आंतरिक/प्रणाली ऑडिट के प्रमुख की नियुक्ति, निष्कासन और स्थानांतरण को ऑडिट कमेटी के समक्ष रखा जाएगा।

    VI. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा बोर्ड द्वारा नामित किए जाने वाले वित्तीय विवरणों का प्रमाणन/घोषणा।

    VII. विचलन का विवरण:

    (i) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण) के विनियम 32(1) के अनुसार, यदि लागू हो, निगरानी एजेंसी की रिपोर्ट सहित विचलन (ओं) का तिमाही विवरण, स्टॉक एक्सचेंज (ओं) को प्रस्तुत किया गया आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सूचीकरण विनियम"), और

    (ii) लिस्टिंग विनियमों के विनियम 32(7) के संदर्भ में प्रस्ताव दस्तावेज/प्रोस्पेक्टस/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण।

24. सांविधिक लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा प्रक्रिया के निष्पादन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।

25. अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच

26. कंपनी उपक्रमों या संपत्ति का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो।

27. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली का मूल्यांकन।

28. प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम के माध्यम से जुटाई गई निधि का उपयोग/प्रयोग (पब्लिक इश्यू, राइट्स इश्यू, प्रेफरेंशियल इश्यू, आदि), प्रस्ताव दस्तावेज/विवरणिका/ नोटिस में बताए गए प्रयोजनों से अन्य के लिए उपयोग किए गए बयान की समीक्षा/धन का विवरण, और आय की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एक सार्वजनिक या राइट्स इश्यू के उपयोग की बोर्ड को उपयुक्त सलाहें दें और इस मामले में कदम उठायें

29. 1 अप्रैल, 2019 को मौजूदा ऋणों/अग्रिमों/निवेशों सहित 100 करोड़ से अधिक या सहायक कंपनी के परिसंपत्ति आकार के 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, में होल्डिंग कंपनी द्वारा ऋण और/या अग्रिम/निवेश के उपयोग की समीक्षा करना।

30. कंपनी के लिए समय–समय पर लागू डीपीई दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम और लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्धारित किसी भी अन्य कार्य को करना और बोर्ड द्वारा समय–समय पर उचित समझे जाने वाले किसी अन्य कार्य को कंपनी और कंपनी के अन्य हितधारकों के सर्वोत्तम हित में करना

31. लेखा परीक्षा समिति की शक्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

    (क) इसके संदर्भ की शर्तों के भीतर निर्दिष्ट किसी भी गतिविधि के मामलों की जांच करना;

    (ख) कंपनी के किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना;

    (ग) बाहरी स्रोतों से कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना, यदि आवश्यक हो;

    (घ) यदि आवश्यक हो तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना और

    (ङ) कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूर्ण पहुंच प्राप्त करना।

उपरोक्त संदर्भ की शर्तों के उद्देश्य के लिए:

(क) समिति निदेशक (वित्त) या वित्त समारोह के प्रमुख और सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रतिनिधि और कंपनी के ऐसे किसी भी अन्य अधिकारियों को समिति की बैठक में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित कर सकती है। बशर्ते कि कभी–कभी लेखा परीक्षा समिति कंपनी के किसी भी कार्यपालक की उपस्थिति के बिना बैठक कर सकती है।

(ख) समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, लेखा परीक्षा के दायरे के बारे में लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के लिए बोल सकती है, जिसमें लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों और बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरण की समीक्षा शामिल है और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक और प्रबंधन और आंतरिक के साथ किसी भी संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा कर सकती है।

(ग) जब वह लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करेंगे, कंपनी के लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सुनवाई का अधिकार होगा, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के तहत बोर्ड की रिपोर्ट, एक लेखा परीक्षा समिति की संरचना का खुलासा करेगी और जहां बोर्ड ने लेखा परीक्षा समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था, इसका खुलासा उसके कारणों सहित इस तरह की रिपोर्ट में किया जाएगा ।

जब तक अन्यथा परिभाषित न हो, उपरोक्त लेखा परीक्षक की परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, इसमें सांविधिक लेखा परीक्षक, सचिवीय लेखा परीक्षक, लागत लेखा परीक्षक और आंतरिक लेखा परीक्षक शामिल होंगे।

3.1.2 लेखा परीक्षा समिति की बैठकों की संख्या

सांविधिक आवश्यकता के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति को एक वर्ष में कम से कम चार बार मिलना आवश्यक है और उस वर्ष में दो बैठकों के बीच चार महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, 30/05/2021, 18/06/2021, 06/08/2021, 04/09/2021, 17/09/2021, 12/11/2021, 21/01/2022, 14/02/2022 और 16/03/2022 को 9 (नौ) लेखा परीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। विस्तृत एजेंडा के साथ व्याख्यात्मक विवरण समिति के सदस्यों को अग्रिम रूप से परिचालित किया गया था।

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति में स्थान	बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)		एजीएम के अंत में उपस्थिति
			आयोजित	भाग लिया	
1.	श्री शब्दशरणएन. ब्रह्मभट्ट	अध्यक्ष (04/02/2022 से प्रभावी)	2	2	लागू नहीं
2.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन	सदस्य/अध्यक्ष (अध्यक्ष 30/07/2021 से 03/02/2022 तक)	9	9	भाग लिया
3.	श्री दिनेश डी. जगदाले	सदस्य (30/07/2021 से प्रभावी)	7	7	भाग लिया
4.	श्री चिंतन शाह	सदस्य	7	7	भाग लिया
5.	श्री भानु प्रताप यादव	अध्यक्ष (upto 08/07/2021)	2	2	लागू नहीं

नोटः लागू नहीं इंगित करता है कि संबंधित व्यक्ति प्रासंगिक तिथि पर कंपनी के बोर्ड का सदस्य नहीं था।

लेखापरीक्षा समिति के कार्यवृत्त को सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष रखा गया।

3.2 निदेशकों की ऋण समिति

कंपनी के विधान में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, निदेशक मंडल में प्रतिनिधिमंडल संरचना और कार्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल की एक विधिवत गठित ऋण समिति (एलसीओडी) है। 31 मार्च, 2022 तक, निदेशकों की ऋण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभारी	अध्यक्ष
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री दिनेश डी. जगदाले निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य

3.2.1 निदेशकों की ऋण समिति के संदर्भ की शर्तें:

1) प्रतिनिधिमंडल के अनुसार परियोजनाओं के लिए ऋण की मंजूरी पर विचार करना। (वर्तमान में 20 करोड़ से अधिक और व्यक्तिगत ऋण/परियोजना के लिए अतिरिक्त/ऋण की वृद्धि सहित 125 करोड़ तक)।

2) प्रत्यायोजन के अनुसार ऋण वाली परियोजनाओं के लिए पुनर्निर्धारण प्रस्तावों और उससे संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करना। (वर्तमान में 20 करोड़ से अधिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 125 करोड़ तक)।

3) प्रतिनिधिमंडल के अनुसार ऋण ले जाने वाली परियोजनाओं के लिए एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रस्तावों और उससे संबंधित अन्य मुद्दों पर विचार करना (वर्तमान में 20 करोड़ से अधिक और व्यक्तिगत परियोजनाओं के लिए 125 करोड़ तक)।

4) एलसीओडी के दायरे में आने वाली परियोजनाओं के संबंध में वित्त, साइट, गारंटी (ओं), वैधता और ऋण के अन्य नियमों और शर्तों में परिवर्तन पर विचार करना।

3.2.2 निदेशकों की ऋण समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, निदेशकों की ऋण समिति (एलसीओडी) की 9 (नौ) बैठकें 18/06/2021, 04/09/2021, 12/11/2021, 01/12/2021, 05/02/2022, 28/02/2022, 16/03/2022, 24/03/2022 और 30/03/2022 को आयोजित की

गईं। व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ विस्तृत कार्यसूची समिति के सदस्यों को अग्रिम रूप से परिचालित की गई थी। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान आयोजित एलसीओडी बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति में स्थान	बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	भाग लिया
1.	श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष	9	9
2.	श्री चिंतन शाह	सदस्य	9	9
3.	श्री दिनेश डी. जगदाले	सदस्य (30/07/2021 से प्रभावी)	8	8
4.	श्री भानु प्रताप यादव	सदस्य (08/07/2021 तक)	1	1

एलसीओडी के कार्यवृत्त सूचना के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखे गए थे।

3.3 निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

आपकी कंपनी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और तदनुसार सीएमडी और निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी के विधान के लेखों के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार, सीपीएसई के लिए निगमित प्रशासन पर डीपीई के दिशानिर्देश, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और आरबीआई के निगमित प्रशासन मानदंड, आपकी कंपनी के पास एक विधिवत गठित नामांकन और पारिश्रमिक समिति है। 31 मार्च, 2022 तक, निदेशकों की नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं..	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री शब्दशरणएन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
2.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन, निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य
3.	श्री दिनेश डी. जगदाले, निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य

3.3.1 नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संदर्भ की शर्तें:

कंपनी के लिए लागू सीमा तक, संदर्भ की शर्तें निम्नानुसार हैं:

1) बोर्ड के एक स्तर नीचे के पद के लिए छाँटे गए उम्मीदवारों की समीक्षा करना और परामर्श करना;

2) बोर्ड से एक स्तर नीचे के पदों पर पदोन्नति के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की पहचान करना;

3) लागू कानून/दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर बोर्ड को वार्षिक बोनस और अधिकारियों को इसके वितरण के लिए नीति की सिफारिश करना;

4) यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को तैयार करना कि समय–समय पर संशोधित प्रतिभूति कानून का कोई उल्लंघन न हो;

5) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के पास मुख्य प्रबंधन कार्मिक (निदेशकों को छोड़कर) और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के चयन और नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदंडों के अनुसार महाप्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर पर औपचारिक और पारदर्शी प्रक्रियाएं हैं;

6) निर्धारित मानदंडों के अनुसार महाप्रबंधक और उससे ऊपर के स्तर पर प्रमुख प्रबंधन कर्मियों (निदेशकों को छोड़कर) और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों की नियुक्ति और हटाने के लिए बोर्ड को विचार करना और सिफारिश करना;

7) वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, चाहे वह किसी भी रूप में हो, बोर्ड को अनुशंसा करना।

8) भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करने वाले स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति और निष्कासन को रिकॉर्ड में लेना;

9) हमारी कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों के कार्यकाल के विस्तार, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड में लेने के लिए, जैसा कि संबंधित मंत्रालयों के माध्यम से कार्य करते हुए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जा सकता है

10) यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी के पास नए निदेशकों को प्रभावी रूप से शामिल करने के लिए कार्यक्रम हैं;;

11) भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित विभिन्न नीतियों, यदि कोई हो, को रिकॉर्ड में लेने के लिए, अन्य बातों के साथ, 2021–22 35 वींवार्षिक रिपोर्ट 70 निदेशक मंडल की

विविधता पर नीति और निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए मानदंड

12) संदर्भ की शर्तों के तहत बोर्ड द्वारा सौंपी गई किसी भी अन्य जिम्मेदारी में भाग लेने के लिए;

13) सेबी लिस्टिंग विनियमों और कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित किसी भी अन्य कार्य को समय–समय पर संशोधित करने के लिए;

14) समय–समय पर संदर्भ की शर्तों की समीक्षा करना और परिवर्तनों के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना;

इसके अलावा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून 2015 की अधिसूचना के तहत सरकारी कंपनियों को योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और निदेशकों की स्वतंत्रता और निदेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित नीति के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करने से संबंधित आवश्यकताओं से छूट दी है।

3.3.2 नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों की संख्या:

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की 4 (चार) बैठकें 06/08/2021, 05/02/2022, 16/03/2022 और 30/03/2022 को आयोजित की गईं। विस्तृत एजेंडा के साथ व्याख्यात्मक विवरण समिति के सदस्यों को अग्रिम रूप से परिचालित किया गया था।

वित्त वर्ष 2012 के दौरान हुई नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति में स्थान	बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	भाग लिया
1.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	अध्यक्ष (04/02/2022 से)	3	3
2.	श्री विमलेंद्र ए पटवर्धन	अध्यक्ष/सदस्य (अध्यक्ष 29/04/2021 से 03/02/2022 तक)	4	4
3.	श्री दिनेश डी. जगदाले	सदस्य (30/07/2021 से)	4	4
4.	श्री प्रदीप कुमार दास	सदस्य	1	1

एनआरसी के कार्यवृत्त को सूचना के लिए निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

3.4 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निदेशकों की समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक, निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभारी	अध्यक्ष
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री शब्दशरणएन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

3.4.1 निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के संदर्भ की शर्तें:

1. सीएसआर और स्थिरता एजेंडा को वांछित दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता करना;
2. समय–समय पर कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति की निगरानी करना;
3. सीएसआर गतिविधियों के कार्यान्वयन की निगरानी करना, और
4. समय–समय पर संशोधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति पर अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए।

3.4.2 सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की 9 (नौ) बैठकें 17/06/2021, 06/08/2021, 04/09/2021, 12/11/2021, 23/11/2021, 05/02/2022, 28/02/2022, 16/03/2022 और 24/03/2022 को आयोजित की गईं। । विस्तृत एजेंडा के साथ व्याख्यात्मक विवरण समिति के सदस्यों को अग्रिम रूप से परिचालित किया गया था। वित्त वर्ष 2012 के दौरान 71 आयोजित

सीएसआर समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति में स्थान	बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	भाग लिया
1.	श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष	9	9
2.	श्री चिंतन शाह	सदस्य	9	9
3.	श्री शब्दशरण एन. ब्रह्मभट्ट	सदस्य (04/02/2022 से प्रभावी)	4	4
4.	श्री दिनेश डी. जगदाले	सदस्य (30/7/2021 से 03/02/2022)	4	4
5.	श्री भानु प्रताप यादव	सदस्य (08/07/2021 तक)	1	1

निदेशकों की सीएसआर समिति के कार्यवृत्त सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखे गए।

3.5 निदेशकों की निवेश समिति

आपकी कंपनी में निदेशकों की एक विधिवत गठित निवेश समिति है। निदेशकों की निवेश समिति को निवेश प्रस्ताव और अधिशेष निधि की उपलब्धता के बारे में सूचित किया जाता है। 31 मार्च, 2022 तक, निदेशकों की निवेश समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं अतिरिक्त प्रभार निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	डॉ. आर.सी. शर्मा महाप्रबंधक (एफएंडए) और सीएफओ	सदस्य

3.5.1 निदेशकों की निवेश समिति के विचारार्थ विषय:

निवेश समिति के मुख्य कार्य/जिम्मेदारियां कंपनी के निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक अवसर पर ₹1,500 करोड़ तक के निवेश के लिए 1 वर्ष की परिपक्वता अवधि तक अधिशेष निधि का निवेश करना है। निवेश समिति का निर्णय निदेशक मंडल के समक्ष रखा जाता है।

3.5.2 निवेश समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, निदेशकों की निवेश समिति की 2 (दो) बैठक 14/12/2021 और 13/01/2022 को आयोजित की गई थी। वित्त वर्ष 2012 के दौरान आयोजित निवेश समिति की बैठकों में सदस्य की उपस्थिति इस प्रकार है

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति में स्थान	बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	भाग लिया
1.	श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री चिंतन शाह	सदस्य	2	2
3.	डॉ. आर.सी. शर्मा	सदस्य	2	2

3.6 निदेशकों की हितधारक संबंध समिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 20 और अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के पास एक विधिवत गठित हितधारक संबंध समिति है। 31 मार्च, 2022 तक, निदेशकों की हितधारकों की संबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र. सं.	नाम और पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री विमलेंद्र ए. पटवर्धन निदेशक (सरकारी नामित)	अध्यक्ष
2.	श्री प्रदीप कुमार दास* अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक (वित्त) का प्रभार	सदस्य
3.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
4.	श्री शब्दशरणएन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

*वह निदेशक (वित्त) की हैसियत से समिति के सदस्य हैं

3.6.1 निदेशकों की हितधारकों की संबंध समिति के संदर्भ की शर्तें:

1) शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य सुरक्षा धारकों की शिकायतों के निवारण के लिए अपनाए गए तंत्र की समीक्षा करना।

2) 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट 35वें 72 शेयरों के हस्तांतरण/ट्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की गैर–प्राप्ति,

घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए/डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित शिकायतों सहित सूचीबद्ध इकाई के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान, आम बैठक आदि।

3) शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकारों के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

4) रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में सूचीबद्ध इकाई द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

5) दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

6) कॉरपोरेट से संबंधित निदेशक मंडल और/या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी लिस्टिंग विनियम") के तहत आवश्यक के अनुसार ऐसे अन्य मामलों की समीक्षा करें और उन पर अमल करें। शासन, समय–समय पर संशोधित, साथ ही साथ किसी भी अन्य लागू वैधानिक नियमों और विनियमों के तहत।

3.6.2 हितधारकों की संबंध समिति की बैठकों की संख्या

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, हितधारकों की संबंध समिति की 3 (तीन) बैठकें 30/05/2021, 12/11/2021 और 21/01/2022 को आयोजित की गईं। वित्त वर्ष 2012 के दौरान आयोजित हितधारकों की संबंध समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति में स्थान	बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	भाग लिया
1.	श्री विमलेंद्र ए पटवर्धन	अध्यक्ष (29/04/2021 से प्रभावी)	3	3
2.	श्री प्रदीप कुमार दास	सदस्य	3	3
3.	श्री चिंतन शाह	सदस्य	3	3

निदेशकों की हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसी) के कार्यवृत्त सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखे गए थे। 28 सितंबर, 2021 को आयोजित कंपनी की पिछली वार्षिक आम बैठक में हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे।

3.6.3 निवेशकों की शिकायतों की स्थिति

कंपनी सभी निवेशकों की शिकायतों पर तेजी से और तुरंत कार्रवाई कर रही है। कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के समन्वय से निवेशकों की शिकायतों का तत्काल निवारण किया गया है। कंपनी को कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों से कोई शिकायत नहीं मिली है। 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों, निवेशकों की शिकायतों की स्थिति आदि से संबंधित, इस प्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त	44
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान किया गया	44
मार्च 31, 2022 तक अनसुलझे रहना	शून्य

3.7 आईटी रणनीति समिति

एनबीएफसी क्षेत्र के लिए दिनांक 8 जून, 2017 को भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर दिशा सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे की आवश्यकता के अनुसार कंपनी की एक विधिवत गठित आईटी रणनीति समिति है। 31 मार्च, 2022 को, आईटी रणनीति समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र सं.	नाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री शब्दशरणएन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (04/02/2022 से)
2.	निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	मुख्य वित्तीय अधिकारी	सदस्य
4.	मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य
5.	आईटी प्रमुख/सीआईओ और सीटीओ	सदस्य
6.	मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ)	सदस्य

नोट:आईटी प्रमुख को मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) और मुख्य तकनीकी अधिकारी (सीटीओ) के रूप में नामित किया गया है।

3.7.1 आईटी रणनीति समिति के संदर्भ की शर्तें:

1) आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों को मंजूरी देना और यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने एक प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया को लागू किया है;

2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रबंधन ने 73 प्रक्रियाओं और प्रथाओं को लागू किया है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आईटी व्यवसाय को मूल्य प्रदान करता है;

3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि आईटी निवेश जोखिम और लाभों के संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं और बजट स्वीकार्य हैं;

4) रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों को निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली विधि की निगरानी करना और आईटी संसाधनों के सोर्सिंग और उपयोग के लिए उच्च–स्तरीय दिशा प्रदान करना;

5) एनबीएफसी के विकास को बनाए रखने और आईटी जोखिमों और नियंत्रणों के प्रति जोखिम के बारे में जागरूक होने के लिए आईटी निवेश का उचित संतुलन सुनिश्चित करना।

3.7.2 आईटी रणनीति समिति की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 22 के दौरान, आईटी रणनीति समिति की 2 (दो) बैठकें 17/06/2021 और 16/12/2021 को आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान आयोजित आईटी रणनीति समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति में स्थान	बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	भाग लिया
1.	श्री बी पी यादव	अध्यक्ष (08/07/2021 तक)	1	1
2.	श्री दिनेश डी. जगदाले	अध्यक्ष (30/07/2021 से 03/02/2022 तक)	1	1
3.	श्री चिंतन शाह	सदस्य	2	2
4.	डॉ. आर.सी. शर्मा	सदस्य	2	1
5.	श्री सोम पाल	सदस्य	2	2
6.	श्री एस एम सिद्धेश	सदस्य	2	2
7.	श्री संजय कुमार	सदस्य	2	2

निदेशकों की आईटी रणनीति समिति के कार्यवृत्त सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखे गए थे।

3.8 जोखिम प्रबंधन समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देश और सेबी विनियमों की आवश्यकता के अनुसार कंपनी की एक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति है। 31 मार्च, 2022 तक, निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र सं.	नाम	अध्यक्ष / सदस्य
1.	श्री शब्दशरणएन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (04/02/2022 से)
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री विमलेंद्र ए पटवर्धन निदेशक (सरकारी नामित)	सदस्य

3.8.1 निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति के संदर्भ की शर्तें:

क) कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों को संबोधित करने के लिए उद्यम–व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को मंजूरी दें।

ख) क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (सीआरएमसी), मार्केट रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (एमआरएमसी) के कार्यों को एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी (एल्को), ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (ओआरएमसी) और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कमेटी (आईएससी) के रूप में भी जाना जाता है।

ग) क्रेडिट जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालन जोखिम की माप, प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करना।

घ) तीनों जोखिमों के संबंध में जोखिम न्यूनीकरण और स्टॉप–लॉस पैरामीटर सेट करना।

ङ) जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए प्रबंधन प्रक्रियाओं (लोगों, प्रणालियों, संचालन, सीमाओं और नियंत्रणों सहित) को सुनिश्चित करना।

च) कंपनी द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न जोखिमों का आकलन करने के लिए वित्तीय/रेटिंग मॉडल और उनकी मूल्यांकन प्रणाली की मजबूती और प्रभावशीलता सुनिश्चित करना।

छ) नियामक आवश्यकताओं से काफी ऊपर पूंजी पर्याप्तता बनाए रखने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया की समीक्षा और अनुमोदन।

ज) क्रेडिट रेटिंग प्रक्रिया का अनुमोदन/समीक्षा, आंतरिक/बाह्यरेटिंग, उधारकर्ता श्रेणी/समूह आदि के आधार पर विभिन्न प्रकार के एक्सपोजर आदि के लिए एक्सपोजर सीमा का निर्धारण।

झ) जोखिम प्रबंधन में योग्य और सक्षम अधिकारियों और जोखिम प्रबंधकों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। कंपनी में

जोखिम प्रबंधन विभाग प्रणालियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए ।

ञ) जोखिम प्रबंधन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी/उपयुक्त और पर्याप्त एमआईएस प्रणाली को अपनाने का निर्णय/अनुमोदन।

ट) पूरे संगठन में जोखिम प्रबंधन की संस्कृति और जागरूकता को सुदृढ़ करना जो प्रभावी जोखिम प्रबंधन और ठोस आंतरिक नियंत्रणों के पालन पर उच्च प्राथमिकता देगा।

ठ) नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को संतुष्ट करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा का पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करें।

ड) बोर्ड द्वारा निर्धारित जोखिम सहने की सीमा के संबंध में कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी करना।

3.8.2 वित्तीय वर्ष 22 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों की संख्या

जोखिम प्रबंधन समिति की 4 (चार) बैठकें अर्थात 18/06/2021, 24/09/2021, 24/12/2021 और 30/03/2022 आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान आयोजित जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति में स्थान	बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	भाग लिया
1.	श्री शब्दशरणएन. ब्रह्मभट्ट	अध्यक्ष (04/02/2022 से)	1	1
2.	श्री चिंतन शाह	सदस्य	4	4
3.	श्री विमलेंद्र ए पटवर्धन	सदस्य (29/04/2021 से)	4	3
4.	श्री बी पी यादव	अध्यक्ष (08/07/2021 तक)	1	1
5.	श्री दिनेश डी. जगदाले	अध्यक्ष (30/07/2021 से to 03/02/2022)	2	2

निदेशकों की जोखिम प्रबंधन समिति के कार्यवृत्त सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखे गए थे।

3.9 एनपीए और दबावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति

कंपनी के पास कंपनी की स्ट्रेस एसेट्स और एनपीए की स्थिति की समीक्षा करने के लिए एक विधिवत गठित एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन कमेटी है। 31 मार्च, 2022 तक, एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट रेजोल्यूशन कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

क्र सं.	नाम एवं पदनाम	अध्यक्ष/सदस्य
1.	श्री दिनेश डी जगादले निदेशक (सरकार नामित)	अध्यक्ष
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	सदस्य
3.	श्री विमलेंद्र ए पटवर्धन	सदस्य

3.9.1 एनपीए और दबावग्रस्त संपत्ति संकल्प समिति के संदर्भ की शर्तें

एनपीए और दबावग्रस्त संपत्ति संकल्प समिति का मुख्य कार्य/जिम्मेदारियां दबावग्रस्त संपत्ति और एनपीए पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के साथ स्थिति की समीक्षा करना है।

3.9.2 एनपीए और दबावग्रस्त संपत्ति संकल्प समिति की बैठकों की संख्या

वित्त वर्ष 22 के दौरान, एनपीए और दबावग्रस्त संपत्ति संकल्प समिति की 1 (एक) बैठक 21/10/2021 को हुई थी। वित्त वर्ष 2012 के दौरान हुई एनपीए और दबावग्रस्त संपत्ति संकल्प समिति की बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सदस्य का नाम	समिति में स्थान	बैठकों की संख्या (कार्यकाल के अनुसार)	
			आयोजित	भाग लिया
1.	श्री दिनेश डी जगादले	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री विमलेंद्र ए पटवर्धन	सदस्य	1	1
3.	श्री चिंतन शाह	सदस्य	1	1

एनपीए के कार्यवृत्त और निदेशकों की दबावग्रस्त संपत्ति समाधान समिति को सूचना के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया था।

4. स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

चूंकि 30.03.2022 तक केवल एक स्वतंत्र निदेशक था और अन्य स्वतंत्र निदेशक 31.03.2022 (ए/एन) को नियुक्त किया गया था, इसलिए वित्त वर्ष 22 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई अलग बैठक नहीं हो सकती थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और सीपीएसई के गैर–आधिकारिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की भूमिका और जिम्मेदारियों पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार। हालांकि, एक स्वतंत्र निदेशक ने 30/03/2022 को कंपनी को अपना अवलोकन प्रस्तुत किया।

5. कार्यकारी निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव का पारिश्रमिक

जैसा कि निगमित प्रशासन कोड के तहत आवश्यक है, वित्त वर्ष 22 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सीएफओ और कंपनी सचिव के पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र. सं.	नाम और पदनाम	वेतन और भत्ते	प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन	अन्य लाभ	नियोक्ता पीएफ अंशदान	राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (एनपीएस)	कुल
1.	श्री प्रदीप कुमार दास अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और अतिरिक्त निदेशक (वित्त) का प्रभार	45.61	19.96	2.54	3.58	2.7	74.39
2.	श्री चिंतन शाह निदेशक (तकनीकी)	38.43	24.28	2.33	3.12	2.36	70.52
3.	श्री सुरेंद्र सुयाल कंपनी सचिव	45.08	14.32	2.24	3.07	2.31	67.02
4.	डॉ आर सी शर्मा मुख्य वित्तीय अधिकारी	43.94	21.32	2.59	3.54	2.68	74.07

5.1 अंशकालिक गैर के लिए बैठने की फीस –आधिकारिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक)

स्वतंत्र और सरकारी नामित निदेशकों का कंपनी के साथ कोई भौतिक आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है। स्वतंत्र निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया गया था अर्थात निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹40,000/– और निदेशकों की समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए ₹30,000/– का भुगतान किया गया था। सरकार द्वारा नामित निदेशक कंपनी से किसी पारिश्रमिक या बैठक शुल्क के हकदार नहीं हैं। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशक) को भुगतान की गई बैठक शुल्क निम्नानुसार हैं

(₹ लाख में)

निदेशक का नाम एवं पद	बैठक शुल्क
श्री शब्दशरणएन. ब्रह्मभट्ट स्वतंत्र निदेशक	5,80,000
कुल	**5,80,000**

6. लागू के साथ अनुपालन कानून

विभिन्न वैधानिक और प्रक्रियात्मक अनुपालन की निगरानी के लिए कंपनी के पास एक मजबूत प्रणाली है। कंपनी पर लागू सभी कानूनों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड समय–समय पर वैधानिक और अन्य प्रक्रियात्मक अनुपालनों की स्थिति की समीक्षा करता है।

7. सामान्य निकाय बैठक

7.1 पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों की तिथि, समय और स्थान का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	दिवस और दिनांक	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकलप पारित किया गया था
2018-19	सोमवार 30.09.2019	12.45 दोपहर	जकरंदा हॉल, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	नहीं
2019-20	बुधवार 11.11.2020	12.30 दोपहर	सम्मेलन कक्ष, पहली मंजिल, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, 40, मैक्स म्यूएलर मार्ग, नई दिल्ली–110003	नहीं
2020-21	मंगलवार 28.09.2021	12.30 दोपहर	टैमरीन्डहॉल, पहली मंजिल, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003	नहीं

7.2 35 वित्तीय वर्ष 22 के लिए वार्षिक आम बैठक निम्न को होगी:

दिनांक	बुधवार, 10, अगस्त 2022
समय	12:30 दोपहर
स्थान	टैमरीन्ड हॉल, पहली मंजिल, हैबिटेट वर्ल्ड, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–1100037.

8. सचिवीय लेखा परीक्षा

वित्तीय वर्ष 22 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा मैसर्स पी.सी. जैन एंड कंपनी, कंपनी सचिव और उन्होंने कंपनी को अपनी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

9. प्रकटीकरण

- भारतीय लेखा मानक 24 "संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्षों के साथ किए गए लेनदेन पर एक प्रकटीकरण वार्षिक रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों के नोट 38(10) में दिया गया है। कंपनी द्वारा प्रमोटरों, निदेशकों या प्रबंधन, उनके रिश्तेदारों आदि के साथ भौतिक प्रकृति का कोई लेन–देन नहीं किया गया था, जो बड़े पैमाने पर कंपनी के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।

- गैर–कार्यकारी निदेशक का अपने कार्यकाल के वर्ष के दौरान कंपनी के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेन–देन नहीं था। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार, श्री दिनेश डी. जगदाले, निदेशक (सरकारी नामित) के अलावा किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के पास कंपनी का कोई शेयर नहीं है, जो भारत के राष्ट्रपति की ओर से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से कार्य करते हुए 100 इक्विटी शेयर रखता है।

- वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अनुपस्थिति के कारण, कंपनी के बोर्ड और उसकी समिति की संरचना सेबी (एलओडीआर) विनियमों और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी। इसके अलावा, वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई अलग बैठक नहीं हुई और एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी द्वारा स्वतंत्र निदेशक का कोई प्रदर्शन मूल्यांकन नहीं किया गया था।

- कंपनी द्वारा वैधानिक गैर–अनुपालन के कोई अन्य उदाहरण नहीं थे।

- पिछले 03 वर्षों के दौरान, स्टॉकएक्सचेंजों या सेबी या किसी वैधानिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई दंड, सख्ती नहीं लगाई गई है।

- एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन III के तहत निर्धारित प्रारूप में बैलेंस शीट, इक्विटी में बदलाव का विवरण और लाभ और हानि का विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसे इंड–एएस का अनुपालन करना आवश्यक है।

- इंड–एएस7–कैश फ्लो स्टेटमेंट की आवश्यकता के अनुसार नकदी प्रवाह का विवरण प्रस्तुत किया गया है। पिछले 03 वर्षों के दौरान, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को कोई राष्ट्रपति का निर्देश जारी नहीं किया गया था। कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निगमित शासन पर रिपोर्ट में शामिल करने के लिए सभी सुझाई गई मदों को अपनाया है।

- प्राप्त घोषणाओं के अनुसार कंपनी के निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं है। कंपनी ने कोई व्यय नहीं किया है, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए नहीं है।

- वित्तीय वर्ष 22 के लिए कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 6.01% (पिछले वर्ष 0.96%) है और वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में वित्त वर्ष 22 के लिए 7.51% (पिछले वर्ष 1.22%) है।

- डीपीई द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), 2010 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों के अनुसरण में, तिमाही की समाप्ति से 15 दिनों के भीतर एमएनआरई को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

- साथ ही, वार्षिक स्कोर (चार तिमाहियों का समेकित स्कोर) वाली रिपोर्ट निर्धारित समय में एमएनआरई को प्रस्तुत की गई थी। सेबी (एलओडीआर) के विनियम 17(8) के तहत आवश्यकतानुसार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीएफओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था।

10. संचार के साधन

कंपनी समग्र निगमित प्रशासन ढांचे में संचार को एक प्रमुख तत्व के रूप में पहचानती है और इसलिए सभी बाहरी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निरंतर, कुशल और प्रासंगिक संचार को मान्यता देती है। कंपनी वेबसाइट के माध्यम से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, सामान्य बैठकों और प्रकटीकरण के माध्यम से संचार करती है।

अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। वही कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, अर्थात https://www.ireda.in और व्यापक प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंज में जमा किए जाते हैं।

कंपनी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का उल्लेख प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ लेखा परीक्षित खाते, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट और गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल है जो सदस्यों और इसके हकदार अन्य लोगों को परिचालित की जाती है।

अर्धवार्षिक/वार्षिक परिणाम प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित तिथियों पर प्रकाशित किए गए हैं

अर्धवार्षिक/ वर्ष की समाप्ति	प्रकाशन की तिथि	समाचार पत्र का नाम हिंदी /अंग्रेजी
30.09.2021 (सीमित समीक्षा)	14 नवंबर, 2021	• टाइम्स ऑफ इंडिया • नवभारतटाइम्स (हिंदी)
	15 नवंबर, 2021	• इकोनॉमिकटाइम्स (अंग्रेजी)
31.03.2022 (लेखापरीक्षित)	2 मई, 2022	• टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी) • इकोनॉमिकटाइम्स (अंग्रेजी) • नवभारतटाइम्स (हिंदी) • द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) • द फाइनेंशियलएक्सप्रेस (अंग्रेजी) • जनसत्ता (हिंदी) • द हिंदू (अंग्रेजी) • द हिंदू बिजनेस लाइन (अंग्रेजी) • बिजनेसस्टैंडर्ड (अंग्रेजी)

11. लेखा परीक्षा विशिष्टता

वित्तीय वर्ष 22 से संबंधित कोई सांविधिक लेखा परीक्षक विशिष्टता नहीं है।

12. बोर्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण

आवश्यकता आधारित है। बोर्ड के सदस्य अपनी आवश्यकता के आधार पर समय–समय पर विभिन्न सेमिनारों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेते हैं।

वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, डीपीई ने 22 दिसंबर, 2021 को द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के सहयोग से सीपीएसई के निदेशकों के लिए एक दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कंपनी के कार्यात्मक निदेशक ने भाग लिया। कंपनी के व्यवसाय के बारे में स्वतंत्र निदेशकों को परिचित कराने के लिए आंतरिक रूप से आगे के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

13. व्हिसलब्लोअर नीति

सेबी के विनियमों के अनुसार "सतर्क तंत्र/व्हिसल ब्लोअर नीति पर नीति" बोर्ड द्वारा तैयार की गई थी और वही लागू है। किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है। पॉलिसी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

14. डिबेंचर ट्रस्टियों का विवरण

कंपनी ने समय–समय पर डिबेंचर/बांड जारी किए हैं। डिबेंचर ट्रस्टी की वर्तमान श्रृंखला का विवरण नीचे उल्लिखित है:

क्र. सं.	डिबेंचर का विवरण	सीरीज
1	**एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड** एसबीआईसीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड मिस्त्री भवन, चौथी मंजिल, 122 दिनशॉवछाबॉन्ड रोड, चर्चगेट,मुंबई– 400020	• इरेडा टैक्स फ्रीबॉन्डसीरीज -XIII • इरेडा कर योग्य बांडसीरीज XIII C • इरेडा असुरक्षित कर योग्य बाण्ड सीरीज XI-A
2	**विस्तारा आईटीसीएल (भारत) लि.** विस्ताराआईटीसीएल (भारत) लिमिटेड, प्लॉट सी-22, जी ब्लॉक, बांद्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई- 400051	• इरेडा कर योग्य बांड श्रृंखला III B to VI (सभीकिश्त) XIV C • टैक्स फ्रीबॉन्डसीरीज XIV • भारत सरकार–पूरी तरह से • इरेडा टैक्सेबल ग्रीन बांड सीरीज VII A एवं B • इरेडा कर योग्य, प्रतिदेय, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय, अधीनस्थ टियर II सीरीज-VIII • इरेडा कर योग्य बांड श्रृंखला IX A और IX B • इरेडा कर योग्य, प्रतिदेय, गैर–संचयी, गैर–परिवर्तनीय, अधीनस्थ टियर II सीरीज-X

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

इरेडा का प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी के प्रदर्शन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्न है।

1. भारतीय अक्षय ऊर्जा बाजार और विकास का अवलोकन

भारत में विद्युत क्षेत्र आज प्रमुख तकनीकी परिवर्तनों का अनुभव कर रहा है, सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) उत्पादन के साथ जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादन का प्रतिस्थापन है। सरकार ने 2022 तक 175 गीगावॉट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता रखने का लक्ष्य रखा था। अक्षय ऊर्जा खरीद की दिशा में ऊर्जा सुरक्षा और कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए भारत सरकार (जीओआई) नीतिगत ढांचे का एक अभिन्न अंग है। बैटरीस्टोरेज, इलेक्ट्रिकव्हीकल, फ्यूल सेल, ग्रीन हाइड्रोजन आदि जैसी नई तकनीकों का परिचय पर्यावरण और ग्रिड सुरक्षा चिंताओं को दूर करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा।

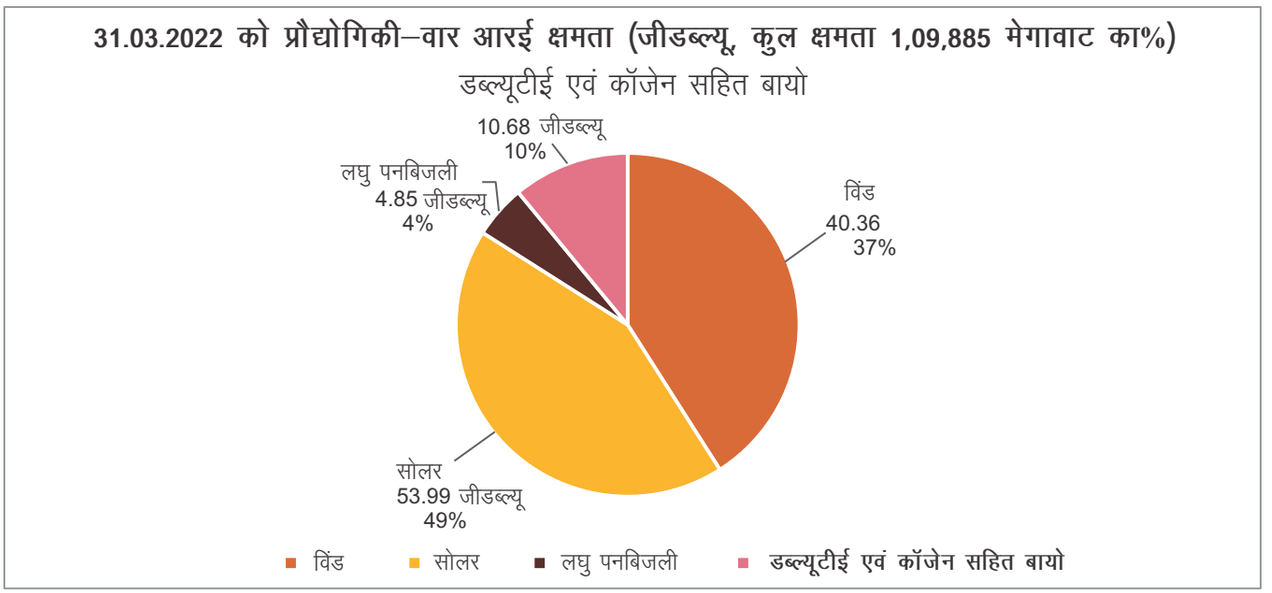
इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का एक महत्वपूर्ण प्रवर्तक है। भारत में, बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को ऋण देने वाली एनबीएफसी भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो बुनियादी ढांचा क्षेत्र की विभिन्न वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण आवश्यकताओं को पोषित करती है। हरित ऊर्जा ने ग्रिड पावर के संवर्धन, ऊर्जा सुगमता प्रदान करने, जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करने और भारत को अपने निम्न कार्बन विकास पथ पर आगे बढ़ने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर दिया है। भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में समाप्त सीओपी26 में घोषणा की कि सरकार वर्ष 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावॉट स्थापित बिजली क्षमता प्राप्त करने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्तर पर, पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने अक्षय ऊर्जा में निवेश, मांग और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सकारात्मक दृष्टिकोण को सफलतापूर्वक बनाया है जिसमें सौर, पवन, जैव–ऊर्जा, हाइड्रो और अपशिष्ट से ऊर्जा शामिल हैं। इस क्षेत्र में जैव ईंधन, फ्लोटिंगसोलर, विंड–सौर हाइब्रिड, ग्रीन हाइड्रोजन, बायो–एथेनॉल, ईवी और स्टोरेजसिस्टम जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। सरकार का बढ़ा फोकस आरई क्षेत्र की ओर भारत के निवेश के साथ–साथ इस क्षेत्र में रोजगार के लिए जबरदस्त अवसर पैदा हुए हैं। जैसे–जैसे भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, ऋण की आवश्यकता में वृद्धि होना तय है, और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और विस्तार को एक मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए, बैंकों के साथ–साथ एनबीएफसी की प्रमुख क्रेडिट सुविधाकर्ता होने में अहम भूमिका है। सीओपी21 में, अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के हिस्से के रूप में, भारत ने 2030 तक गैर–जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 40% हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। देश ने नवंबर 2021 में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है, कुल गैर –जीवाश्म आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता (विशालहाइड्रोसहित) नवंबर 2021 के दौरान ही कुल स्थापित बिजली क्षमता का 40.1% तक पहुंच गई। इसके अलावा, सौर विनिर्माण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनने के लिए, भारत ने अपनी सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता और संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसके अलावा, बैटरी ऊर्जा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने (एसीसी) पर पचास (50) गीगावाट घंटे के (जीडब्ल्यूएच) और एसीसी के 5 जीडब्ल्यूएच की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना उन्नत रसायन विज्ञान सेल बैटरी भंडारण पर 18,100 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आला एसीसीके राष्ट्रीय कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। पीएलआई योजना पिछड़े और अगले के एकीकरण के साथ घरेलू मॉड्यूल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाएगी।

अक्टूबर 2021 में जारी अर्न्स्ट एंड यंगग्लोबल लिमिटेड (ईवाई) के 'रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के 58वें संस्करण में भारत अक्षय ऊर्जा निवेश और तैनाती के अवसरों के लिए तीसरा सबसे आकर्षक देश है। वैसे भी, निवेशक कलांतरण में भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विकास की कहानी को लेकर उत्साहित हैं और भारतीय आरई बाजार में और निवेश करने के इच्छुक हैं। विश्व स्तर पर, भारत स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथा और सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता के मामले में 5 वें स्थान पर है।

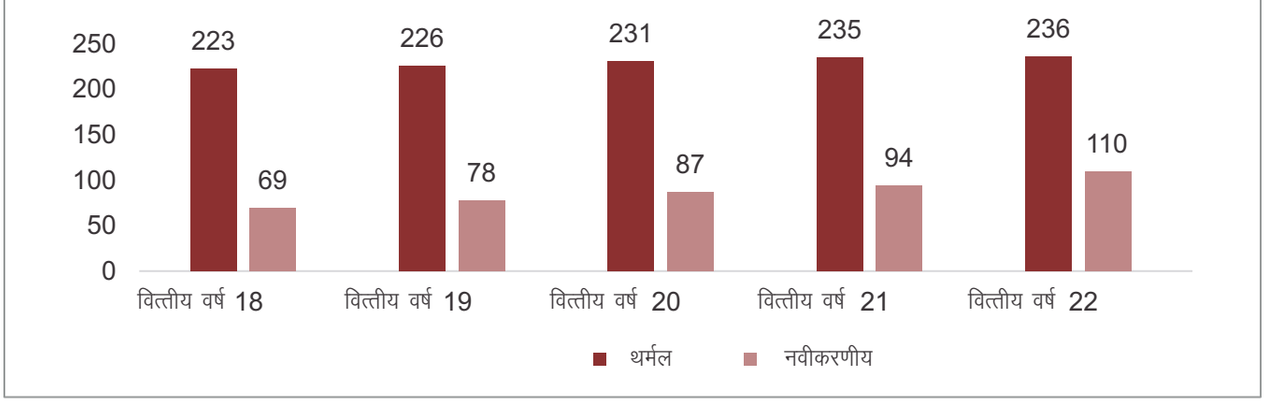
आरई क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में देश की कुल बिजली उत्पादन में स्थापित क्षमता और आरई की बढ़ती हिस्सेदारी दोनों के संदर्भ में परिवर्तनकारी वृद्धि देखी है। आरई क्षमता वृद्धि का अधिकांश हिस्सा सौर (सौर छत सहित) और पवन ऊर्जा के कारण है, जिसमें कुल आरई स्थापित क्षमता का 86% शामिल है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, 3% बंजर भूमि मानकर भारत में सौर ऊर्जा क्षमता का अनुमान 748 गीगावॉट है और इसी तरह, जमीनी स्तर से 120 मीटर ऊपर पवन ऊर्जा क्षमता का अनुमान 695 गीगावॉट है।

मजबूत बिजली कंपनियों और भारत सरकार की उपस्थिति डिस्कॉम के वित्त से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद सौर और पवन क्षमताओं के विकास का समर्थन कर रही है।

31.03.2022 को प्रौद्योगिकी–वार आरई क्षमता (जीडब्ल्यू, कुल क्षमता 1,09,885 मेगावाट का%)



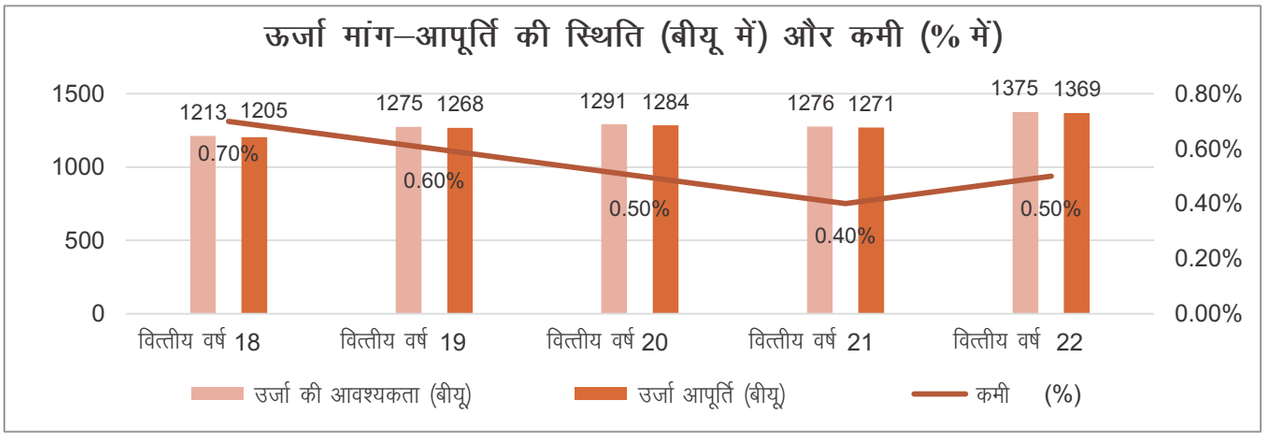
गीगावाट में संचयी संस्थापित क्षमता (थर्मल बनाम नवीकरणीय)

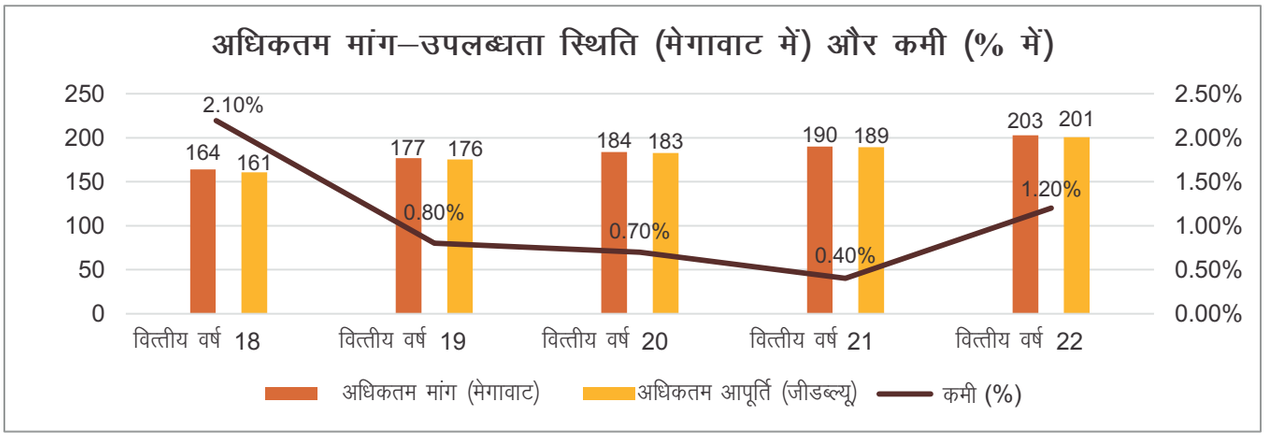


लघु पनबिजली

स्रोत : सीईए

मांग पक्ष पर, ऊर्जा मांग और ऊर्जा आपूर्ति पिछले कुछ वर्षों में 3.2% की सीएजीआर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं। इसी तरह, चोटी की मांग और चोटी की उपलब्धता मेट पिछले 5 वर्षों में 5.5% की सीएजीआर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली है।





Source: CEA

आगे बढ़ते हुए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में बिजली की एक प्रमुख उत्पादक सामग्री बने रहने की उम्मीद है और आने वाले वर्षों में देश के समग्र ऊर्जा पोर्टफोलियो में अक्षय ऊर्जा की प्रमुख भूमिका होगी। आरई क्षमता के लिए पर्याप्त उच्च लक्ष्य अधिक ऊर्जा सुरक्षा, बेहतर ऊर्जा सुलभता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित करेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के साथ, ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकता को ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के माध्यम से पूरा किए जाने की संभावना है।

अर्थव्यवस्था में इंफ्रास्ट्रक्चर एनबीएफसी की भूमिका

एनबीएफसी देश के बुनियादी ढांचे के मूल विकास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय व्यापार और वाणिज्य उद्योग को लंबी अवधि के फंड और क्रेडिट की पेशकश करके, वित्तीय संस्थान देश भर में बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण और विकास को सक्षम कर रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, जबकि विभिन्न एनबीएफसी को बड़े झटके लगे हैं, इरेडा व्यापार चक्रों के माध्यम से ठोस चल निधि कुशन बनाए रखते हुए अधिक स्थिति–स्थापक हो गया है। कंपनी ने बाजार से जुड़े मूल्य निर्धारण (प्रतिस्पर्धी उधार दरों) की अपनी रणनीति में भी प्रभावी बदलाव किया है, दबावग्रस्त संपत्तियों के तेजी से समाधान पर ध्यान केंद्रित किया है और संभावित दबावग्रस्त संपत्तियों के लिए निवारक और सुधारात्मक कार्य

योजना के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया है। हम सतत हरित बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में अग्रणी बनने के अपने दृष्टिकोण की दिशा में अपने प्रयासों का अनुवाद करने के लिए तत्पर हैं।

नीतिगत ढांचा /हाल के विकास/बिजली/आरई क्षेत्र में उपलब्धियां/सरकारी पहल

भारत सरकार ने देश में अक्षय ऊर्जा और आरई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों, कार्य योजनाओं, अधिसूचनाओं और दिशानिर्देशों को लागू किया है। सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा किए गए सक्रिय प्रयासों ने भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास को बढ़ावा दिया है। नियामक ढांचे ने बिजली बाजारों के निरंतर उदारीकरण के साथ तालमेल बिठाया है।

भारत के माननीय प्रधान मंत्री आरई क्षेत्र के विकास की वकालत करने और सतत विकास को बनाए रखने की दिशा में हरित ऊर्जा के कारण को बढ़ावा देने में सबसे आगे रहे हैं।

- **बजटीय सहायता (वित्त वर्ष 2022–23)**
    - o वित्तीय वर्ष 2021–22 में पीएलआई के लिए ₹4500 करोड़ के अलावा उच्च दक्षता वाले सौर फोटो वोल्टाइकमॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए ₹19,500 करोड़ की अतिरिक्त राशि।
    - o विद्युत संयंत्रों में 5–7 प्रतिशत बायोमास छर्रों का सह–फायरिंग।
    - o ईवी पारिस्थिति की तंत्र में दक्षता में सुधार के लिए अंतर–संचालन मानकों के साथ एक बैटरी स्वैपिंग नीति।
    - o इस क्षेत्र को ऋण को बढ़ावा देने के लिए, बुनियादी ढांचा क्षेत्र की सामंजस्यपूर्ण सूची में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को शामिल करना।
    - o हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी करना
    - o ऊर्जा सेवा कंपनी (एस्को) व्यवसाय मॉडल के माध्यम से बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना
- **उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाए:** भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 10 प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना शुरू की। जीडब्ल्यू–स्केल के सौर मॉड्यूल की अत्यधिक कुशल घरेलू विनिर्माण क्षमता स्थापित करने और आयात निर्भरता में कमी के उद्देश्य से, भारत सरकार ने उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी योजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को कार्यान्वयन मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। पीएलआई योजना के तहत उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के चरण 1 के लिए परिव्यय ₹4,500 करोड़ था जिसके लिए 54,809 मेगावाट की सौर पीवी निर्माण क्षमता के अनुरूप 18 बोलियों के साथ जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी। सफल आवेदकों को पुरस्कार पत्र जारी किया गया है और वर्ष 2024 तक 8,737 मेगावाट के पूरी तरह से एकीकृत सौर पीवीमॉड्यूल निर्माण इकाइयों के चालू होने की उम्मीद है। उच्च दक्षता वाले मॉड्यूल के निर्माण के लिए पीएलआई के लिए ₹19,500 करोड़ की अतिरिक्त राशि, पूरी तरह से एकीकृत करने की प्राथमिकता के साथ 1 फरवरी 2022 को बजट2022–23 में पॉलीसिलिकॉन से सोलर पीवी मॉड्यूल तक निर्माण इकाइयों की घोषणा की गई थी।

  इसी तरह, 25,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए पीएलआई योजनाएं और 18,000 करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ उन्नत रसायन विज्ञान प्रकोष्ठों के लिए पीएलआई योजना को घरेलू विनिर्माण इकाइयों की त्वरित तैनाती का समर्थन करने के लिए रणनीतिक पहल के रूप में पेश किया गया है।
- **मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) का अधिरोपण**: आयातित सौर सेल और मॉड्यूल पर बीसीडी लगाना घरेलू सौर निर्माताओं के लिए एक सकारात्मक कदम है क्योंकि इससे घरेलू सेल/मॉड्यूल निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार की उम्मीद है। भारत के विशाल सौर क्षेत्र के लक्ष्यों और आरई क्षेत्र की रणनीतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, और आत्म निर्भर भारत पहल के तहत घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ाने के लिए, 01.04.2022 से बीसीडी को क्रमशः 40% और 25% के सौर मॉड्यूल और सेल पर लगाया गया है। सरकार ने सौर मॉड्यूल के लिए मॉडल और निर्माताओं (एएलएमएम) की स्वीकृत सूची जारी की है। एएलएमएम अधिसूचना में विद्युत अधिनियम की धारा 63 के तहत प्रदान की गई परियोजनाओं के लिए सूचीबद्ध ओईएम से मॉड्यूल के उपयोग के साथ–साथ खुली

अभिगम–आधारित परियोजनाओं की आवश्यकता होती है और तदनुसार सीपीएसयू योजना, कुसुम योजना,रेलवे आदि जैसी कई केंद्र सरकार की योजनाओं में घरेलू रूप से निर्मित मॉड्यूल का उपयोग अनिवार्य किया गया है।

- **राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशनः** हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया को भविष्य में ईंधन के रूप में और आने वाले वर्षों में जीवाश्म ईंधन का स्थान लेने के लिए परिकल्पित किया गया है। पर्यावरणीय रूप से स्थायी ऊर्जा की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उपयोग करके इन ईंधनों का उत्पादन किया जाता है। मिशन का उद्देश्य सरकार को अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और भारत को हाइड्रोजन हब बनाने में सहायता करना है। इससे 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने और अक्षय ऊर्जा क्षमता के संबंधित विकास में मदद मिलेगी। यह नीति हरित हाइड्रोजन/अमोनिया निर्माताओं को पावर एक्सचेंज से अक्षय ऊर्जा खरीदने या आरई क्षमता स्थापित करने की अनुमति देती है, 30जून 2025, तारीख से पहले शुरू की गई परियोजनाओं के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के निर्माताओं को 25 साल की अवधि के लिए अंतर–राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क में छूट देती है, हाइड्रोजन/अमोनिया निर्माता को आरपीओ लाभ, समयबद्ध तरीके से वैधानिक मंजूरी, प्राथमिकता पर कनेक्टिविटी आदि सहित सभी गतिविधियों को करने के लिए एकल पोर्टल।

- **पवन–सौर हाइब्रिड बिजली संयंत्रों के लिए अपार संभावनाएंः** पवन–सौर हाइब्रिड बिजली परियोजनाओं की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए,एमएनआरई के माध्यम से भारत सरकार ने 2018 में राष्ट्रीय पवन–सौर हाइब्रिड नीति जारी की, जिसे अक्टूबर 2020 में ग्रिड से जुड़े पवन–सौर ऊर्जा हाइब्रिड परियोजनाओं के लिए टैरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से बिजली की खरीद के लिए दिशानिर्देशों की अधिसूचना के साथ पूरक किया गया है।

- **चौबीसों घंटे आरई आपूर्ति और ऊर्जा भंडारण प्रणालीः** ऊर्जा मिश्रण में अक्षय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी और आरटीसी (राउंड–द–क्लॉक) आपूर्ति और ग्रिड स्थिरता, चौबीसों घंटे और ऊर्जा भंडारण समाधान से संबंधित चिंताओं के साथ सक्रिय रूप से प्रचारित किया जा रहा है। इस संबंध में वित्त वर्ष 22 में चौबीसों घंटे और सोलर–प्लस–स्टोरेज के कई टेंडर जारी किए गए थे।

- **सोलर रूफ टॉप खंडः** भारत में सोलर रूफ टॉप एसपीवी बाजार में लगभग 124 गीगावाट की बाजार क्षमता है। रूफ टॉप सोलर के 2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक प्रमुख भूमिका निभाने की उम्मीद है। रूफटॉप सौर ऊर्जा स्थापित करने के लिएटियर– II और टियर– III शहर परिवारों के लिए एमएनआरई द्वारा सब्सिडी व्यवस्था के तहत इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकतम क्षमता प्रदान करते हैं। वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए, रूफटॉप सौर ऊर्जा उपयोगिताओं से पारंपरिक बिजली की लागत की तुलना में बिजली की खपत लागत को बचाने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करती है।

- **इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी):** भारत सरकार ने 2030 तक 30: इलेक्ट्रिक वाहन प्रवेश का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उसी के अनुरूप, भारत सरकार फेम (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल) योजना के तहत स्वदेशी प्रौद्योगिकी में पैठ बढ़ाने और आगे निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ईवी निर्माताओं को तेजी से प्रोत्साहित कर रही है। सड़क परिवहन क्षेत्र को डीकार्बोनाइज करने के लिए, फेम–I योजना (2016–2019 में 895 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ), फेम–II योजना (2019–2024 के परिव्यय के साथ 10,000 करोड़ रुपये) के तहत स्वच्छ गतिशीलता समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। वित्त वर्ष 2022–23 के बजट के दौरान, भारत सरकार ने ईवी पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता में सुधार के लिए अंतर–संचालन मानकों के साथ एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाने की घोषणा की है। इरेडा ने पहले ही 3,000 इलेक्ट्रिक कारों के वित्तपोषण के लिए ₹267 करोड़ का सावधि ऋण स्वीकृत किया है। इरेडा देश में स्वच्छ स्रोतों के लिए परिवहन की गति को तेज करने के लिए और अधिक ईवी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की आशा कर रहा है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के कंपनी के प्रयास का हिस्सा है।

- **इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी):** भारत सरकार ने तेल आयात बोझ को कम करने के लिए 20% इथेनॉल सम्मिश्रण (ई20) के लिए ईबीपी के लिए लक्ष्य तिथि 2030 से 2025 तक बढ़ा दी है। इसलिए, एक सफल ई20 कार्यक्रम देश के तेल आयात बिलों में कटौती कर सकता है। इसके अलावा, इथेनॉल एक कम प्रदूषणकारी ईंधन है और पेट्रोल की तुलना में कम लागत पर समान दक्षता प्रदान करता है।

- **एसएटीएटी योजनाः** सरकार डेवलपर्स द्वारा उत्पादित कम्प्रेस्डबायो–गैस (सीबीजी)के उठाव के लिए एसएटीएटी (एसएटीएटी) स्कीम लेकर आई है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फलने–फूलने में मदद कर रहा है और साथ ही उधारदाताओं को ऐसी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने का विश्वास दिला रहा है।

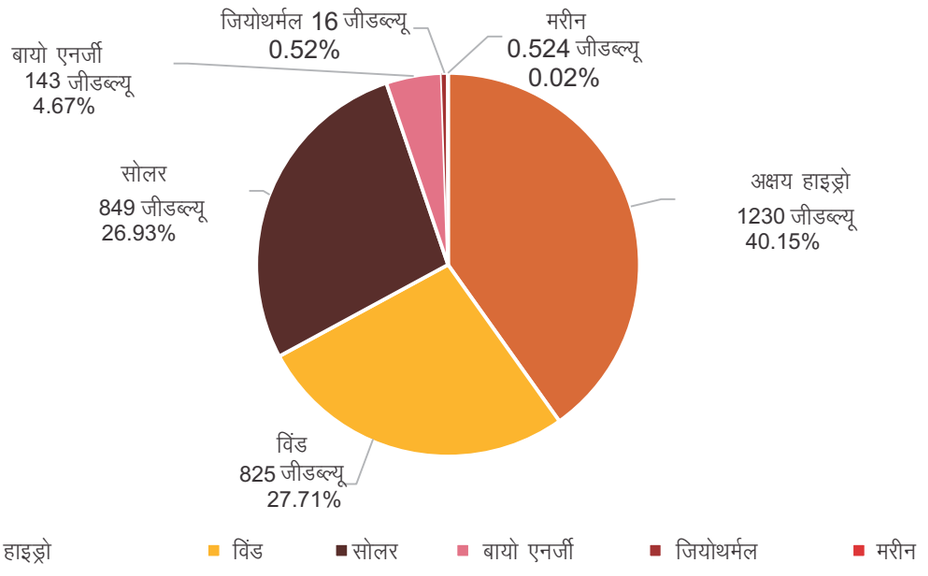
- **बायोमास पेलेटः** वित्त वर्ष 22–23 के बजट में, सरकार ने थर्मल पावर प्लांटों में 5–7 प्रतिशत बायोमास पेलेट को सह–फायर करने का प्रस्ताव किया है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फलने–फूलने में मदद कर रहा है और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण की विनाशकारी समस्या को हल कर रहा है।

- **हाइड्रोखरीद दायित्व(एच पी ओ)**: भारत सरकार ने गैर–सौर नवीकरणीय खरीद दायित्व (आर पी ओ) के अंतर्गत एच पी ओ को अलग इकाई के रूप में मंजूरी दी है।

वैश्विक स्थितिः अक्षय ऊर्जा

इरेना के अनुसार, दिसंबर 2021 के अंत में, वैश्विक नवीकरणीय उत्पादन क्षमता 3064 गीगावाट थी। 1230 गीगावाट की क्षमता के साथ, अक्षय जलविद्युत वैश्विक समायोजन का सबसे बड़ा हिस्सा है। शेष क्षमता के लिए क्रमशः पवन और सौर ऊर्जा ने 825 गीगावाट और 849 गीगावाट की क्षमता के साथ योगदान किया है। अन्य नवीकरणीय ऊर्जा में 143 गीगावाट बायोएनेर्जी और 16 गीगावाट जियोथर्मल, साथ ही 524 मेगवाट समुद्री ऊर्जा शामिल हैं। 2021 में अक्षय उत्पादन क्षमता में 257 गीगावाट 9.1%) की वृद्धि हुई। सौर ऊर्जा ने 133 गीगावाट (18.5%) की वृद्धि के साथ, पवन ऊर्जा ने 93 गीगावाट (12.7%) के साथ क्षमता विस्तार का नेतृत्व करना जारी रखा। जलविद्युत क्षमता में 19 गीगावाट(1.6%) और जैव ऊर्जा में 10 गीगावाट (7.8%) की वृद्धि हुई। भूतापीय ऊर्जा में केवल 1571 मेगावाट से कम की वृद्धि हुई।

31.12.2021 की स्थिति के अनुसार प्रौद्योगिकी–वार आरई क्षमता (कुल क्षमता का % जीडब्ल्यू)



Source: IRENA

सौर और पवन ऊर्जा ने अक्षय क्षमता विस्तार पर हावी होना जारी रखा, संयुक्त रूप से 2021 में सभी शुद्ध नवीकरणीय परिवर्धन का 88ः हिस्सा था। हालांकि, यह असामान्य रूप से उच्च हिस्सा पिछले साल जलविद्युत के बहुत कम विस्तार को दर्शा सकता है। 2021 में एशिया ने नई क्षमता का 60% हिस्सा लिया, जिससे इसकी नवीकरणीय क्षमता 154 गीगावाट बढ़कर 1455 गीगावाट(वैश्विक कुल का 48%) तक पहुंच गई। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में क्षमता में क्रमशः 39 गीगावाट (6.4%) और 38 गीगावाट (9.0%) का विस्तार हुआ।

तालिका 1: शीर्ष 10 देश – सौर पीवी और पवन ऊर्जा क्षमता

शीर्ष 10 देश–सौर पीवी क्षमता			शीर्ष 10 देश–पवन उर्जा क्षमता		
देश पद	देश का नाम	स्थापित क्षमता (लगभग) दिसंबर–21 (गीगावाट) की स्थिति के अनुसार	देश पद	देश का नाम	स्थापित क्षमता (लगभग) दिसंबर–21 (गीगावाट) की स्थिति के अनुसार
1	चीन	307	1	चीन	329
2	अमरीका	95	2	अमरीका	133
3	जापान	74	3	जर्मनी	64
4	जर्मनी	58	**4**	**भारत**	**41**
5	**भारत**	**50**	5	स्पेन	27.5
6	इटली	23	6	युनाइटेड किंगडम	27.1
7	आस्ट्रेलिया	19	7	ब्राजील	21.2
8	कोरिया गणराज्य	18.1	8	फ्रांस	18.7
9	वियतनाम	16.6	9	कनाडा	14.3
10	स्पेन	15.9	10	स्वीडन	12.0

स्रोत: इरेना

2021 के वर्ष में, निम्न–कार्बन ऊर्जा संक्रांतिमें वैश्विक निवेश कुल +755 बिलियन था, जो 2020 में 595 बिलियन डॉलर और 2011 में केवल +264 बिलियन था। इस आंकड़े में नवीकरणीय ऊर्जा, भंडारण, चार्जिंगइंफ्रास्ट्रक्चर, हाइड्रोजन उत्पादन, परमाणु, पुनर्चक्रण और सीसीएस परियोजनाएं – साथ ही साथ कम कार्बन ऊर्जा उपकरणों की अंतिम उपयोगकर्ता खरीद, जैसे कि छोटे पैमाने पर सौर प्रणाली, ताप पंप और शून्य–उत्सर्जन वाहनजैसी परियोजनाओं में निवेश शामिल है। 2021 में सबसे बड़ा क्षेत्र अक्षय ऊर्जा था, जिसने नई परियोजनाओं और लघु–स्तरीय प्रणालियों (2020 से 6.5% तक) के लिए + 366 बिलियन को आकर्षित किया, लेकिन विद्युतीकृत परिवहन क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ा और + 273 बिलियन (77% की बढोतरी) तक पहुंच गया। खर्च के अगले सबसे बड़े क्षेत्रों में विद्युतीकृत ऊष्मा, 53 अरब डॉलर और परमाणु ऊर्जा 31 अरब डॉलर थी। एशिया प्रशांत क्षेत्र ने सबसे अधिक 368 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित किया, और 38% की उच्चतम विकास दर दर्ज की।

देश द्वारा ऊर्जा संक्रमण में वैश्विक निवेश, 2021	(अरब अमरीकी डॉलर)
चीन	266
अमेरिका	114
जर्मनी	47
युनाइटेड किंगडम	31
फ्रांस	27
जापान	26
भारत	**14**
कोरिया (गणराज्य)	13
ब्राजील	12
स्पेन	11

स्रोत: ब्लूमबर्ग

2. दृष्टिकोण

भारत ने 2030 तक गैर–जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 500 गीगावॉट स्थापित क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें फ्लोटिंग सोलर पार्क, हाइब्रिड प्रोजेक्ट, जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन और भंडारण प्रणाली पर अधिक ध्यान दिया गया है। भारत हरित ऊर्जा गलियारा परियोजना पर भी जोर दे रहा है जिसका उद्देश्य ग्रिड में पारंपरिक बिजली स्टेशनों के साथ अक्षय स्रोतों से उत्पादित बिजली को समक्रमिक बनाना है। महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ, सहायक नीति और नियामक ढांचे ने भारत को आरई क्षेत्र के लिए शीर्ष निवेश स्थलों में से एक बना दिया है।

कई वैश्विक पेंशन फंड, सॉवरेनवेल्थ फंड, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय एजेंसियां और अन्य वित्तीय संस्थान (एफआई), निजी इक्विटी, घरेलू संस्थान बैंक आदि इस क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट के सरकार के क्षमता वृद्धि लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, इस परिदृश्य में, बुनियादी ढांचे के विकास कोष (आईडीएफ), इनवीआईटी, वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ), जैसे नए उपकरणों के संदर्भ में मुद्रा बाजार को गहरा करने के लिए क्षेत्र की वित्त पोषण की आवश्यकता में काफी वृद्धि हुई है। नई परियोजनाओं आदि में निवेश के लिए धन निकालने हेतु बांड समग्र आरई लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। परियोजनाओं के लिए ऋण की लागत को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बांड/बैंक ऋण/अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए इरेडा एक विशेष उत्पाद लेकर आया है।

इरेडा देश के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लघु/दीर्घकालिक निधि ऋण समाधान प्रदान करके, यह देश भर में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण और विकास को सक्षम बना रहा है। इरेडा ई–मोबिलिटी, स्मार्टमीटरिंग, एनबीएफसी को लाइन ऑफ क्रेडिट आदि जैसी हरित टिकाऊ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण पर जोर देने के साथ संपूर्ण आरई मूल्य श्रृंखला अर्थात आरई उत्पादन, बिजली वितरण कंपनियों और संबंधित अन्य बुनियादी ढांचे में परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

3. वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, इरेडा ने अपने तनावग्रस्त खातों में कमी, उधार मिश्रण के प्रबंधन, उधार लागत में कमी और किसी भी अप्रत्याशित देयता और वृद्धि को पूरा करने के लिए सिस्टम में हर समय पर्याप्त तरलता बनाए रखने के साथ अपनी बैलेंस शीट को मजबूत किया है। हमारी पहल के माध्यम से, आपकी कंपनी सभी वित्तीय और परिचालन मानकों में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम रही है।

कुल आय: वित्त वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी की कुल आय बढ़कर ₹2,874.16 करोड़ हो गई, जो पिछले वर्ष की कुल आय ₹2,657.74 करोड़ की तुलना में 8.14% अधिक है।

कर पश्चात लाभ (पीएटी): वित्त वर्ष 22 के अंत में कर पश्चात लाभ (पीएटी) बढ़कर ₹633.53 करोड़ हो गया, जो पिछले वर्ष के ₹346.41 करोड़ के पीएटी की तुलना में 82.88% की वृद्धि दर्ज करता है।

निवल मूल्य : कंपनी का निवल मूल्य वित्त वर्ष 22 के अंत में बढ़कर 5,268.11 करोड़ हो गया, जो पिछले साल के निवल मूल्य ₹2,995.19 करोड़ की तुलना में 75.89% की वृद्धि दर्ज करता है।

प्रतिबंध: वित्तीय वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹23,921.06 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए, जो पिछले वर्ष की स्वीकृत राशि ₹11,001.30 करोड़ की तुलना में 117. 44% अधिक है।

संवितरण: वित्त वर्ष 22 के दौरान, आपकी कंपनी ने ₹16,070.82 करोड़ के ऋण वितरित किए, जो पिछले वर्ष की वितरित राशि ₹8,828.35 करोड़ की तुलना में 82.04% की वृद्धि दर्शाता है।

एनपीए में कमी: निवल एनपीए 21 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में 5.61% से 22 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में 3.12% तक कम कर दिया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में शुद्ध एनपीए में 44.39% की कुल कमी को आई है। कोविड –19 महामारी की दूसरी और तीसरी लहरों के

साथ–साथ चल रहे अंतर्राष्ट्रीय तनाव के मद्देनजर गंभीर आर्थिक मंदी के वर्ष के दौरान उपरोक्त हासिल किया गया है।

4. ताकत, कमजोरी, अवसर, खतरे (सवॉट) – प्रतिस्पर्धी विश्लेषण

इरेडा के बिजनेसमॉडल का उद्देश्य प्रथम प्रस्तावक लाभ, भारत सरकार द्वारा नामित अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए एक केंद्रक अभिकरणका दर्जा, कम लागत वाली पूंजी और एक त्रुटिहीन ब्रांड वैल्यू का एक कार्य है। इरेडा भारत में स्थायी पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से स्वीकार्य अक्षय ऊर्जा संरचना के विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक प्रमुख प्रेरक रहा है।

इरेडा की प्रतिस्पर्धा के स्रोतों के लिए पोर्टर के पांच बलों के मॉडल को लागू करते हुए, यह माना जा सकता है कि हमारे उधारकर्ताओं और उधारदाताओं दोनों के पास इरेडा के व्यवसाय संचालन को प्रभावित करने के लिए विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण सौदेबाजी की शक्ति है, हालांकि, यहां इस बात पर जोर देना अनिवार्य है कि यहाँ विचार राजस्व, लाभप्रदता, शेयरधारकों को रिटर्न और इरेडा के ब्रांड मूल्य के प्रमुख मैट्रिक्स में सुधार के लिए परिप्रेक्ष्य को सीमित करना नहीं है। बल्कि, यह एक स्थायी संगठन बनाना है जो आने वाले दशकों में भारत सरकार के समग्र उद्देश्यों के तहत आरई उद्योग के विकास के लिए एक विचार, बाजार और ब्रांड लीडर हो।

ताकत:

भारत में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के इष्टतम ऊर्जा मिश्रण के अनुसार, 2030 तक देश की बिजली की आवश्यकता 817 गीगावाट होगी, जिसके लिए आरई क्षेत्र से 500 गीगावाट पूरा करने का प्रयास किया जाएगा (केवल सौर से 280 गीगावाट योगदान की उम्मीद है)।

इरेडा के पास 35 वर्षों का परिचालन अनुभव है और यह विद्युत क्षेत्र में अपने ग्राहकों को परियोजना अवधारणा से लेकर पोस्ट–कमीशन चरण तक वित्तीय उत्पादों और संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाओं के साथ–साथ संबंधित नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएँ भी शामिल है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में ₹1,500 करोड़ के इक्विटी निवेश के साथ, इरेडा आरई क्षेत्र को और अधिक ऋण देने और खाता मूल्य को बढ़ाने में सक्षम होगा। अतिरिक्त इक्विटी से इरेडा की पूंजी पर्याप्तता में भी सुधार होगा जो इरेडा को कम ब्याज दर पर उधार लेने में मदद करेगा, इस प्रकार विकासकों के लिए ब्याज दरों को कम करेगा।

कमजोरियां:

इरेडा के पास अपने छोटे पूंजी आधार के कारण उच्च क्षमता वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की सीमा है। इसके अलावा, बढ़ते समेकन के कारण बाजार की परिपक्वता,आरई क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खरीद के साथ, ऋण जोखिम बाधाएं इरेडा की वित्तपोषण क्षमता को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा, चूंकि इरेडा एक गैर–जमा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण (एनडी–एसआई) एनबीएफसी है, खुदरा निवेशकों से जमा का विकल्प उपलब्ध नहीं है, जिससे बैंकों की तुलना में उधार लेने की लागत थोड़ी अधिक हो जाती है। हालांकि, हाल ही में ₹1500 करोड़ के इक्विटी पूंजी प्रवाह के साथ, इरेडा सीमाओं को पार करने और अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सकारात्मक है।

इसके अलावा, आरई टैरिफ में लगातार गिरावट आई है जिसने एक तरफ देश में आरई क्षमता में वृद्धि की है, लेकिन दूसरी तरफ वांछित तकनीकी मानकों के बीच प्रतिस्पर्धी बोली/विपरीत नीलामी पद्धतियों के अंतर्गत घटते हुए शुल्कों ने गैर–अनुरूप मिलान के प्रति उद्योग की चिंताओं को भी जन्म दिया है।

अवसर:

इरेडा भारत में एक प्रमुख वित्तीय संस्थान है जो आरई क्षेत्र पर केंद्रित है। आरई क्षेत्र के प्रारंभिक चरणों के बाद से, इरेडा ने भारत में आरई क्षेत्र के विकास और वित्तपोषण में एक रणनीतिक भूमिका निभाई है। भारतीय आरई क्षेत्र में

जबरदस्त विकास जारी रहने और भारत के ऊर्जा मिश्रण में प्रमुख ऊर्जा स्रोत होने की संभावना के साथ, आरई वित्तपोषण में बहुत बड़े अवसर उपलब्ध हैं। सरकार का 2030 तक 500 गीगावाट का क्षमता वृद्धि लक्ष्य इरेडा को प्रमुख व्यावसायिक अवसर प्रदान करने की संभावना है और अपने अनुभव और दृष्टि के माध्यम से, इरेडा इसे पूरा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। कोविड–19 के प्रभाव के बावजूद, वित्त वर्ष 2022 के दौरान, कंपनी ने पिछले वर्षों की तुलना में रिकॉर्ड लाभ और संवितरण दर्ज किया है, जो अप्रत्याशित संक्रमण का प्रबंधन करने के लिए कंपनी की अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है।

उसी के अनुरूप, कंपनी तेजी से बाजार की आवश्यकताओं को अपना रही है और विभिन्न वित्तीय उत्पादों के माध्यम से निधि और गैर–निधि–आधारित ऋण सहायता प्रदान कर रही है। इरेडा के पास बाजार की जरूरतों को समझने के लिए एक समर्पित व्यवसाय विकास दल है जो इसे अभिनव वित्तीय उत्पादों के विकास के मामले में प्रथम प्रस्तावक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा इथेनॉल और बायोगैस परियोजनाओं (ईबीपी) और एसएएटीएटी योजना पर ध्यान केंद्रित करने से इरेडा के लिए ईबीपी को निधि देने के महान अवसर पैदा हुए हैं। चूंकि इरेडा के पास ऐसी परियोजनाओं के वित्तपोषण का अच्छा अनुभव है जो प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ ऊपरी हाथ प्रदान करती हैं। इसलिए सरकार द्वारा ऐसी योजनाओं की शुरूआत से इरेडा को अपने पोर्टफोलियो और राजस्व का विस्तार करने का अवसर मिलता है। इरेडा ने विभिन्न नई और उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को पूरा करने के लिए हरित गतिशीलता खंड के नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग/प्रवेश को बढ़ावा देने और बढ़ाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों के वित्तपोषण के लिए व्यापक नीति पेश की है।

खतरे, जोखिम और चिंताएं:

इरेडा के व्यवसाय मॉडल का आधार भारतीय बिजली बाजारों में संप्रभु संस्थाओं (राज्य के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनियों डिस्कॉमओं) और आई पी पीको उधार दे रहा है, हालांकि, यह जोखिम से जुड़ा है क्योंकि यह क्षेत्र बिजली वितरण के गंभीर वित्तीय संकट की चुनौतियों से घिरा हुआ है। उपयोगिताओं अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में तकनीकी जोखिम और जलवायु संबंधी जोखिम अधिक होते हैं। जोखिम अधिक हैं क्योंकि समय सीमा लंबी है और कुछ प्रौद्योगिकियां प्रारंभिक चरण में हैं। अपने बिजली खरीद दायित्वों को पूरा करने में संस्थाओं की विफलता इरेडा की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है और कंपनी को तनावग्रस्तपरिसंपत्तियों के प्रबंधन और परिसंपत्ति गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए प्रभावी रणनीतियों को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता हो सकती है।

कोविड–19 महामारी के निरंतर प्रभाव के साथ, आरई क्षेत्र के अगले कुछ वर्षों तक प्रभावित रहने की संभावना है, हालांकि धीरे–धीरे यह क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य हो रही है। तदनुसार, परियोजना निष्पादन कार्यक्रम में व्यवधान, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही, वित्त पर दबाव आदि बना रह सकता है। इसके अलावा, आरई क्षेत्र की वृद्धि नीतिगत ढांचे को प्रोत्साहित करने और उसके तहत उपलब्ध संबंधित वित्तीय और वित्तीय प्रोत्साहनों पर निर्भर है। इन लाभों में कमी या वापसी और विदेशी मुद्रा के प्रतिकूल उतार–चढ़ाव जिनसे कंपनी का संसर्ग है, कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा, राज्य स्तर पर नीतिगत अनिश्चितताएं, कुछ विशिष्ट मामलों में प्रशुल्क पुनः बातचीत के मुद्दे आदि बिजली क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा जोखिम हैं।

कंपनी के संचालन को एक ही क्षेत्र तक सीमित रखना अनिवार्य है, अर्थात केवल अक्षय ऊर्जा, जिससे इसका क्षेत्रीय संकेंद्रण जोखिम बढ़ रहा है। इसलिए, कम लागत पर विवेकपूर्ण तरीके से संसाधन जुटाना और इन निधियों का सर्वाधिक उत्पादक उपयोग सुनिश्चित करना कंपनी की लाभप्रदता और वृद्धि का प्रमुख कारक है। भारत में आर्थिक विकास में मंदी इरेडा के कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इरेडा का प्रदर्शन और उसके व्यवसाय की वृद्धि समग्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर निर्भर है।

5. जोखिम प्रबंधन ढांचा

कंपनी के व्यवसाय संचालन और विकास के उद्देश्यों से जुड़ी अनिश्चितताओं और जटिलताओं को कम करने के लिए, कंपनी के पास जोखिम प्रबंधन के लिए एक प्रणाली–आधारित दृष्टिकोण है, जो इसकी नीतियों और प्रक्रियाओं और आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य प्रमुख वित्तीय जोखिमोंजैसे बाजार जोखिम, ऋण जोखिम, परिचालन जोखिम और चलनिधि जोखिम)की शीघ्र पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन सुनिश्चित करना है। आपकी कंपनी ने एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन नीति अपनाई है और आपकी कंपनी में की गई सभी व्यावसायिक गतिविधियां उक्त नीति ढांचे के अंतर्गत आती हैं।

आरबीआई अधिसूचना डीएनबीआर (पीडी) सीसी.एनओ/. 099/03.10.001/2018–19 के अनुपालन में आपकी कंपनी की एक विधिवत गठित जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) है और एक मुख्य जोखिम अधिकारी नामित है। जोखिम कार्य की संरचना, जोखिम अधिकारी और उनके मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) की स्थिति इरेडा के जोखिम अधिकारी की पर्याप्त स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।

जोखिम अधिकारी को जोखिम प्रबंधन कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी में जोखिम का मूल्यांकन और विश्लेषण और क्रेडिट, बाजार और परिचालन जोखिम में जोखिमों का अंतर्संबंध शामिल होता है। जोखिम प्रबंधन की भूमिका को परिसंपत्ति–देयता बेमेल तक बढ़ा दिया गया है।

जोखिम अधिकारी का व्यावसायिक कार्यक्षेत्र/व्यावसायिक लक्ष्यों के साथ कोई रिपोर्टिंग संबंध नहीं है। इसके अलावा, कोई दोहरी नफरत नहीं है। कुल मिलाकर, जोखिम प्रबंधन कार्य के कामकाज ने कंपनी में महत्वपूर्ण निर्णय की स्थिति के लिए एक आरंभकर्ता–समीक्षक मैट्रिक्स बनाया है।

समिति की भूमिका एकीकृत जोखिमों का प्रबंधन करना, जोखिम प्रबंधन कार्यों की देखरेख करना, उद्यम–व्यापी एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए नीतियों और रणनीतियों को मंजूरी देना, कंपनी के संचालन और अन्य संबंधित मामलों में उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई का सुझाव देना है। जोखिम प्रबंधन समिति के साथ, कंपनी के पास परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) भी है, जो कंपनी के व्यवसाय के परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए विशिष्ट नीतियों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है और सीएफओ की अध्यक्षता वाली क्रेडिट जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) है जो ऋण जोखिमों की पहचान और उन्हें कम करती है।

जैसे–जैसे जोखिम प्रबंधन विकसित हो रहा है। जोखिम प्रबंधन में परिणामी सुधार के लिए कंपनी उच्च स्तरीय मैक्रो और व्यावसायिक जोखिमों सहित सामरिक जोखिम मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

कंपनी की एक स्वतंत्र आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई है जो नीतियों, प्रक्रियाओं, योजनाओं, नियामक और वैधानिक आवश्यकताओं के अनुपालन और पर्याप्तता की उपयुक्त निगरानी सहित आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का लगातार मूल्यांकन करती है। आपकी कंपनी ने, एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स वित्त वर्ष 22 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स रवि राजन एंड कंपनी को नियुक्त किया है। कंपनी की एक अनुमोदित लेखा परीक्षा नीति है। कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा इकाई के साथ घनिष्ठ समन्वय में अनुभवी फर्मों द्वारा नियमित और संपूर्ण आंतरिक लेखा परीक्षा और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समीक्षा की जाती है।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति समय–समय पर कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और लागू आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की समीक्षा करती है।

आपकी कंपनी ने निदेशक मंडल के अनुमोदन से जोखिम

आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) नीति अपनाई है। आरबीआईए का मुख्य उद्देश्य जोखिम गुणवत्ता के लक्षित अभिसरण को सुनिश्चित करना, व्यापार से जुड़े जोखिमों के मूल्यांकन, समाधान और रिपोर्टिंग में एक सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देना और रणनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के तहत जोखिम रेटिंग के सामंजस्य को बढ़ावा देना है। समिति के पास बाहरी विशेषज्ञों, सलाहकारों को उस सीमा तक नियुक्त करने का भी अधिकार है, जो वह संगठन के समग्र उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त समझती है।

7. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध

आपकी कंपनी अनुकूल कार्य नीतियों को शुरू करके अपनी मानव पूंजी की क्षमता को अनुकूलित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो कार्य जीवन संतुलन को सुविधाजनक बनाती है, जिससे हमारे कार्यबल को उच्च स्तर की उत्पादकता सुनिश्चित करके कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों की उपलब्धि पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है। आपकी कंपनी ने फिर से पुष्टि की है कि मानव संसाधन विकास प्रबंधन के समग्र कार्य का एक अभिन्न अंग है। यह संगठन के कर्मचारियों की खेती में सहायता करता है और अधिकारियों को कौशल और प्रासंगिक ज्ञान प्रदान करता है जो उन्हें कार्यस्थल में बढ़ने में मदद कर सकता है।

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों को अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति मानती है और इसका उद्देश्य व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी मानवीय संपत्तियों को संरेखित करना है। इरेडा ने नीतिगत हस्तक्षेपों और प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार के माध्यम से कंपनी में प्रदर्शन संस्कृति में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं। वर्ष के दौरान, इरेडा ने 760 मानव दिवस प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, और 30 अधिकारियों ने सप्ताह भर चलने वाले वेबिनार में भाग लिया है। वित्तीय वर्ष 22 के दौरान कठिन परिस्थितियों के बावजूद, इरेडा ने कर्मचारियों को दैनिक ध्यान सत्र, आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्याख्यान श्रृंखला और अन्य केंद्रित विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से सुविधा प्रदान की। 31 मार्च, 2022 तक, कंपनी में 156 पूर्णकालिक कर्मचारी हैं।

8. पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण

कंपनी के संपूर्ण संचालन का उद्देश्य सतत विकास है। अक्षय ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ ऊर्जा विकल्प है। कंपनी का प्राथमिक अधिदेश अक्षय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना है, जो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन, ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सतत विकास पर देश और वैश्विक चिंताओं के अनुरूप है। कंपनी न केवल आरई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वित्त प्रदान करती है बल्कि अपने उधारकर्ताओं को कुशल उपकरण स्थापित करने और पर्यावरण के अनुकूल प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। कंपनी की पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन प्रणाली (ईएसएमएस) पर एक नीति है जो पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं के संबंध में राष्ट्रीय मानक और विभिन्न उधारदाताओं की आवश्यकताओं की पुष्टि करती है और इसके लिए एक अलग सेल है।

9. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

आपकी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि वह एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई बन जाए जो सतत विकास के लिए परियोजनाओं को शुरू करके बड़े पैमाने पर समाज के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी के पास एक अलग सीएसआर इकाई है, जिसका उद्देश्य कंपनी के प्राथमिक व्यवसाय को समग्र सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं के साथ पूरक करना है। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार सामुदायिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के माध्यम से सामुदायिक विकास, समुदायों के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है।

रिपोर्टिंग वर्ष के लिए, ₹6.85 करोड़ का एक सीएसआर बजट उपलब्ध था, जिसके विरुद्ध विभिन्न परियोजनाओं पर ₹9.51 करोड़ की राशि खर्च की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति

निधि में राहत (पीएम–केयर फंड) में ₹132 लाख का योगदान शामिल है। इस राशि में पिछले वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में अव्ययित निधि शामिल है।

एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में अपने सीएसआर प्रभाव को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका लक्ष्य भारत के विकास में एक बड़ी भूमिका निभाना है।

10. खंड–वार या उत्पाद–वार प्रदर्शन

कंपनी भारत में काम करती है इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में संचालित करने के लिए माना जाता है। कंपनी के सभी कार्यों को एकल व्यवसाय खंड के रूप में माना जाता है, इसलिए कंपनी के पास कोई अलग रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं है।

चेतावनी बयान

कंपनी के उद्देश्यों, अनुमानों, अपेक्षाओं और अनुमानों का वर्णन करने वाले प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में विवरण वर्तमान कारोबारी माहौल पर आधारित हैं। वास्तविक परिणाम भारत और विदेशों दोनों में, भविष्य के आर्थिक और अन्य विकासों के आधार पर व्यक्त या निहित परिणामों से भिन्न हो सकते हैं।

★ ★ ★ ★ ★

डीएसपी एण्ड एसोसिएटस
चार्टर्ड अकाउंटेंट (सनदी लेखाकार)

783, देश बन्धु गुप्ता रोड,
नियर फैज रोड क्रॉसिंग
करोल बाग, नई दिल्ली–110 005
22684423, 23622076
टेलीफैक्स : 23622094, 41545550
ई–मेल : dspdelhi@dspdelhi.in
aksinghal@dspdelhi.in
वेबसाइट : www.dspdelhi.in

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
के सदस्यों के लिए

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') द्वारा आवश्यक जानकारी को 31 मार्च, 2022 को कंपनी के मामलों की स्थिति, और लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप आवश्यक तरीके और सही और निष्पक्ष रूप से देते है।

मत के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) ("एसएएस") के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों (एसएएस) के अनुसार अपना ऑडिट किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के भाग "वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों" में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के प्रावधानों के तहत हमारे वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और उसके तहत नियम, और हमने अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामले का महत्व

1. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 38 (42) (बी) में उल्लिखित है, आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अनुसार कंपनी ने कुछ खातों को जिनका जोड़ रु. 91879.22 लाख है को चरण III/चरण II की गैर–निष्पादित संपतियों (एनपीए)/आवश्यक मानक के रूप में वर्गीकृत करा है। तदनुसार वैधानिक खुलासे किए गए हैं। हालांकि, नीतियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे खातों पर भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार एनपीए बनने पर ब्याज आय को संग्रह के आधार पर मान्यता दी गई है और तदनुसार खातों में हानि के लिए भत्ता दिया गया है।

2. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 38 (40) में वर्णित है, हाल ही में संक्रमणों में वृद्धि सहित कोविड –19 महामारी का कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा, यह चल रहे और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर है, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं और इसके संभावित प्रभाव का इस समय पता लगाना संभव नहीं है।

3. जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 38(25) में वर्णित है, वर्ष के दौरान, कंपनी ने सहयोगी कंपनी, मेसर्स एम.पी. विंड फार्म्स लिमिटेड में अपने निवेश समाप्त कर दिया है।

तदनुसार, कंपनी द्वारा कोई समेकित वित्तीय परिणाम प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारा मत अशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारी पेशेवर राय में – चालू अवधि की वित्तीय विवरणिकाओं की हमारी लेखापरीक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के लिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में माना है।

क्र. सं.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का प्रत्युत्तर
1.	**ऋण परिसम्पत्तियों की अक्षमता–संभावित क्रेडिट हानि** (लेखांकन नीति सं. 5 (ii) –'वित्तीय विलेख' के साथ पठित वित्तीय विवरणिकाओं पर नोट 38 (37) (क) (ii) का संदर्भ लें) वित्त पोषण कंपनी का प्रमुख व्यवसाय है और हानि के कारण हानि के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उचित मूल्य पर ऋण परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण सबसे महत्वपूर्ण है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्यप्रणाली का अनुसरण करती है जिसमें एक बाहरी एजेंसी द्वारा हानि के लिए भत्ता का मूल्यांकन कुछ मानदंड/ढांचे के आधार पर किया जाता है, जो क्रेडिट जोखिम और हानि के साक्ष्य के स्तर के आधार पर परिसंपत्तियों को विभिन्न चरणों में वर्गीकृत करता है। परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय आस्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ता (ईसीएल) के मापन के लिए जटिल मॉडलों और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार (जैसे, ग्राहकों के चूक करने और परिणामी नुकसान की संभावना) के बारे में महत्वपूर्ण धारणाओं के उपयोग की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करते समय कंपनी महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और ईसीएल के अंतर्निहित अनुमानों की निगरानी और समीक्षा निरंतर की जाती है। ऐसी धारणाओं का उचित अनुप्रयोग ऋण आस्तियों के विवरण के लिए महत्वपूर्ण है। वित्तीय विवरणों में ऋण परिसंपत्तियों की राशि के महत्व को ध्यान में रखते हुए, ऋण परिसंपत्तियों की हानि के कारण होने वाली हानि को हमारी लेखापरीक्षा में मुख्य लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना गया है।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रिया जिसके आधार पर हम प्रकटीकरण के औचित्य और ऋण आस्तियों की हानि के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे – अपेक्षित ऋण हानि में निम्नलिखित शामिल हैं:** हमने इंड एएस 109 ''वित्तीय लिखतों'', विभिन्न नियामक अद्यतनों, आईसीएआई के मार्गदर्शन और ईसीएल के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी, प्रासंगिक डेटा गुणवत्ता के परीक्षण सहित ऋण हानि का आकलन और दर्ज किए गए वास्तविक डेटा की समीक्षा के संबंध में प्रमुख आंतरिक नियंत्रण तंत्र का मूल्यांकन और परीक्षण। ऋण परिसम्पत्तियों की वसूली का सत्यापन उस पर दबाव के स्तर और वित्तीय विवरणों में हानि भत्ते पर प्रभाव का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसी भी ऋण परिसंपत्ति खाते में किसी भी अतिदेय, असंतोषजनक आचरण या कमजोरी का पता लगाने के लिए दस्तावेजीकरण, संचालन / प्रदर्शन और ऋण परिसंपत्तियों, विशेष रूप से बड़ी और दबावग्रस्त ऋण परिसंपत्तियों की निगरानी का सत्यापन/समीक्षा। कंपनी ईसीएल के मूल्यांकन के लिए तीसरे पक्ष की सेवाओं का लाभ उठाती है। तीसरे पक्ष द्वारा किए गए हानि भत्ते के अध्ययन में घटकों और गणनाओं पर हमारे द्वारा भरोसा किया जाता है और इसके लिए नमूना जांच की जाती है। तीसरे पक्ष के साथ साझा किए गए डेटा को हमारे द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सामग्री घटकों की शुद्धता के लिए सत्यापित किया जाता है। उसी में हमारी ऑडिट प्रक्रिया कुछ मापदंडों को साझा नहीं करने और ऐसे डेटा के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को ऐसे तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माने जाने के मद्देनजर सीमित है।

2.	**व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का उचित मूल्यांकन** (लेखांकन नीति सं. 5 (ii) –'वित्तीय विलेख' के साथ पठित वित्तीय विवरणिकाओं पर नोट 38 (36) का संदर्भ लें) विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर के लिए कंपनी के जोखिम को कम करने के लिए, गैर–रुपये नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और हेजिंग उद्देश्य के लिए व्युत्पन्न अनुबंध दर्ज किए जाते हैं। डेरिवेटिव्स को इंड एएस 109 के अनुसार उचित मूल्य पर मापा जाता है। हेज एकाउंटिंग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, हेजिंग संबंध को इंड एस के अनुसार कुछ निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। हेज अकाउंटिंग के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, साथ ही इसके लेखांकन/धारणाओं की जटिलता और हेज संबंध स्थापित करने के लिए कई पैरामीटर हैं। इन डेरिवेटिव्स पर लाभ/हानि को अन्य व्यापक आय या इंड–एएस द्वारा प्रदान किए गए लाभ और हानि में मान्यता दी गई है। कंपनी के संचालन के अनुसार इस तरह के लेनदेन का परिमाण महत्वपूर्ण है। मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना है।	**हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम प्रकटीकरण की तर्कसंगतता और डेरिवेटिव के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:** जोखिम प्रबंधन के लिए कंपनी की प्रबंधन की धारणा और अध्ययन नीति पर चर्चा करना और समझना। इंड–एएस 109 के संदर्भ में डेरिवेटिव के उचित मूल्य का सत्यापन, डेरिवेटिव लेनदेन की सटीकता और पूर्णता का परीक्षण। व्युत्पन्न उपकरणों के वर्गीकरण, मूल्यांकन और मूल्यांकन मॉडल पर प्रबंधन के प्रमुख आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन। 31 मार्च, 2022 को विभिन्न वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंधों के बकाया/निपटान के लिए लंबित के विवरण प्राप्त किए। उन वित्तीय डेरिवेटिव अनुबंधों के लिए निकाले गए उचित मूल्यांकन के आकलन में अंतर्निहित मान्यताओं का सत्यापन। लागू मूल्यांकन पद्धतियों की उपयुक्तता और व्युत्पन्न उपकरणों के लिए नमूना आधार पर उनका परीक्षण करना। इसके अतिरिक्त, हमने अन्य व्यापक आय या लाभ और हानि खाते में डेरिवेटिव पर लाभहानि के लेखांकन का सत्यापन किया। इंड एएस 109 के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की।
3.	**आयकर के लिए देनदारी** नोट 38 (3क) का संदर्भ लें कंपनी के पास विवादित मामलों के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चित कर मांगें हैं जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। निर्धारण वर्ष 1997 –1998 से निर्धारण वर्ष 2008–2009 के आयकर मामले माननीय उच्च न्यायालय/आईटीएटी के निर्देश पर वापस भेजे गए और वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2009–10 से 2017–18 के लिए अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित हैं। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए परिग्रहीतियों के रूप में काफी मांगे की गई है जो स्पष्ट गलतियां हैं और जिन्हें अभी तक सुधारा जाना बाकी है। ऐसी देनदारियों का उचित प्रावधान और प्रकटीकरण	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में आयकर विभाग के साथ विवादित विषय पर माननीय उच्च न्यायालय और माननीय आईटीएटी द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की समीक्षा शामिल है। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू की।** इंड एएस 37 ''प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां'' के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता की समीक्षा की। हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता और अनुदानों और अनुवृतियों के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संदर्भ की शर्तों और लेखांकन में उनके निहितार्थ को समझना।

	वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति के लिए महत्वपूर्ण है। सर्विस टैक्स और गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) अधिकारियों ने भी कुछ मुद्दों को उठाया है और हाल ही में कई पिछली अवधि के लिए मांगों को उठाया है, जिनका विरोध किया जा रहा है। इन मांगों के संभावित परिमाण व्यापक हैं। इसे देखते हुए हमने इसे एक प्रमुख ऑडिट मामले के रूप में पहचाना है।	इंड एएस 37 प्रावधान अकास्मिक देनदारियां और अकास्मिक परिसंपत्तियां
4.	**अक्षय ऊर्जा के लिए अनुदान और अनुवृत्ति का लेखा–जोखा** कंपनी को भारत सरकार और अन्य संगठनों के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और निगरानी में सम्मिलित किया जा रहा है। इसमें नियमित व्यापार लेनदेन से अलग ऐसे लेनदेन का लेखा–जोखा, राजस्व मान्यता और भारतीय कर कानूनों के तहत कर निहितार्थ का मूल्यांकन शामिल है। इस तरह के लेनदेन की आवृत्ति और मात्रा बढ़ रही है, जिसे देखते हुए, हमने इसे मुख्य लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना है।	**हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं जिनके आधार पर हम प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता और अनुदानों और सब्सिडी के लिए लेखांकन के बारे में निष्कर्ष पर पहुंचे, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:** ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संदर्भ की शर्तों और लेखांकन में उनके निहितार्थ को समझना। इंड एएस 20 सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण के संदर्भ में कर निहितार्थ और लेखांकन का विश्लेषण

इंड एएस वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट सहित बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। अन्य जानकारी जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वस्ति निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें, और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या इस दौरान प्राप्त हमारी जानकारी हमारी लेखापरीक्षा के दौरान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत विवरण दिया गया प्रतीत होता है। जब हम ऊपर बताई गई अन्य जानकारी को पढ़ते हैं और यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को शासन के आरोपित लोगों से संप्रेषित करना होगा और लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई का वर्णन करना होगा।

प्रबंधन तथा वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रशासन के प्रभारियों का उत्तरदायित्व

कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो मामलों की स्थिति (वित्तीय स्थिति), लाभ या हानि का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। (अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन), भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन, अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित।

इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल हैय उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित

और विवेकपूर्ण हों, और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं गलत कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों और लेखांकन के चल रहे चिंता आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या संचालन बंद कर दें, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिटिंग पर मानक (एसए) के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, कि क्या वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हैं, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता;

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।

- लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालें कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी के चालू रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह/चिंता पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, तो अपनी राय को संशोधित करने के लिए यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त है। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और यह मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में कंपनी के शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के प्रभारी व्यक्तियों को भी एक विवरण प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधि प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ सम्प्रेषण किया है जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर औचित्य रूप से पड़ सकता है, और जहां भी लागू हो, संबंधित सुरक्षोपायों का अनुपालन भी किया है।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों

का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से अपेक्षा की जाएगी इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन

1. जैसा कि कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, हम ''अनुबंध–क'' में, आदेश में लागू सीमा तक विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण देते हैं, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (5) के अनुसार हम कम्पनी के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के संबंध में सूचना ''अनुबंध–ख'' में प्रदान करते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं किः

क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थेय

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित बहीखाता रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हुई हैं जिन पर हमने विचार नहीं किया है;

ग) बैलेंस शीट, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा सम्पन्न नकद प्रवाह विवरण खाते की पुस्तकों के अनुरूप हैं;

घ) हमारी राय में, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

ड़) अधिसूचना संख्या के संदर्भ में, जी.एस.आर. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है;

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, ''अनुबंध–ग'' के रूप में संलग्न हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – वित्तीय विवरणों के लिए नोट 38 (3) देखें।य

ii. कंपनी ने लागू कानून या भारतीय लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किया है, डेरिवेटिव अनुबंधों सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर वास्तविक नुकसान, यदि कोई हो, के लिएः – देखें नोट 38 (37) (सी) (द्वितीय) (सी) को वित्तीय विवरण।

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. प्रबंधन के प्रतिनिधित्व और सर्वोत्तम जानकारी और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण के आधार परः

(क) खातों में नोट में प्रकट किए गए के अतिरिक्त कोई भी अग्रिम निधि या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (नोट 38 (53 देखें)) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तिओं) या इकाई (इकाईओं), जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं

में उधार या निवेश करेगा ("अंतिम लाभार्थी") या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा;

(ख) कंपनी द्वारा, विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियां") सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से खातों के नोट में उल्लेखित के अतिरिक्त कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है (देखें नोट 38(53), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी य तथा

(ग) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप खंड (ए) और (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।

v. वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी लाभांश घोषित या दिया नहीं गया है।

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

ह./–
सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 अप्रैल 2022

यूडीआईएनः 22084906AIFDUG4322

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक–क

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर कंपनी के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" के पैराग्राफ 1 में संदर्भित कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020' आदेश' का अनुलग्नक "क"

i) क) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए समुचित रिकॉर्ड अनुरक्षित किए है;

(ख) कंपनी अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड रख रही है,

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण को प्रबंधन द्वारा सालाना भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है, जो हमारी राय में उचित है। कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भौतिक सत्यापन और परिणामी समायोजन पर देखी गई विसंगतियों को लेखा पुस्तकों में किया जाता है। प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी राय में, यह सामग्री नहीं है और इसे लेखा पुस्तकों में ठीक से निपटाया जाता है।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड और हमें प्रदान किए गए टाइटल /लीज डीड के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, टाइटल डीड, हम रिपोर्ट करते हैं कि, वित्तीय विवरणों में प्रकट सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख, (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते विधिवत रूप से पट्टेदार के पक्ष में निष्पादित किए गए हैं) नीचे बताए गए के सिवाय कंपनी के नाम पर रखे गए हैं –

क्र. सं	संपत्ति का विवरण {प्रकृति}	सकल वहन मूल्य (रु.लाख में)	किस नाम पर	चाहे प्रमोटर निदेशक हों या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	धारित अवधि– जहां उपयुक्त हो, सीमा इंगित करें	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
1.	कार्यालय परिसर– इंडिया हैबिटेट सेंटर कॉम्प्लेक्स (आईएचसी) {संपत्ति का उपयोग अधिकार}	172.34	-	नहीं	आवंटन पत्र तिथि 12.04.1993	विकासकर्ता आईएचसी [भूमि एवं विकास कार्यालय (एल एंड डीओ), आईएचसी और आबंटित संस्थानों के बीच, द्वारा वाहन विलेख/अनुबंध का निष्पादन आईआरईडीए सहित आईएचसी में सभी आबंटित संस्थानों के लिए लंबित है।
2.	अगस्त क्रांति भवन में कार्यालय परिसर (एकेबी) {संपत्ति का उपयोग अधिकार}	2110.10	-	नहीं	आवंटन पत्र तिथि 04.12.2006	एकेबी, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के विकासकर्ता के साथ संपत्ति के अधिकार/लीज डीड के हस्तांतरण का पालन किया जा रहा है।
3.	जंगपुरा दिल्ली में आवासीय फ्लैट (निवेश संपत्ति के रूप में आयोजित)	8.75	-	नहीं	23.06.1994	विक्रेता हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा एल एंड डीओ के साथ संपत्ति/लीज डीड के हस्तांतरण का पालन किया जा रहा है।

(घ) वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है;

(ङ) बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

ii) क) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है इसलिए यह उपबंध कंपनी पर लागू नहीं होता है।

ख) कंपनी को कुछ मौजूदा परिसंपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी की सीमा स्वीकृति प्राप्त हुई है और कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दायर त्रैमासिक रिटर्न या विवरण कंपनी के खातों के अनुरूप हैं।

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान अपने लेनदेन के संबंध में, कंपनी ने कोई निवेश नहीं किया है, लेकिन एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) होने के नाते गारंटी और सुरक्षा प्रदान की है, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी और अन्य पार्टियों को ऋण की प्रकृति में अग्रिम और सुरक्षित और असुरक्षित ऋण प्रदान किया है। हम आगे बताते हैं कि–

(क) एक एनबीएफसी होने के नाते, कंपनी, जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, ऋणों या ऋण की प्रकृति में किसी भी अग्रिम, या गारंटर के रूप में खड़े होने, या सुरक्षा के प्रावधान पर रिपोर्टिंग के लिए यह धारा लागू नहीं है। इसे देखते हुए इस धारा की उप– धारा (ए) और (बी) के अंतर्गत रिपोर्टिंग करना आवश्यक नहीं है;

(ख) हमारी राय में और हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, प्रदान की गई गारंटी, दी गई सुरक्षा और ऋण और गारंटी की प्रकृति में सभी ऋणों और अग्रिमों के अनुदान के नियम और शर्तें कंपनी के हितों के प्रतिकूल नहीं हैं;

(ग) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, ऋणों और ऋणों की प्रकृति में अग्रिमों के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और चरण 2 और चरण 3 के रूप में पहचाने गए मामलों को छोड़कर चुकौती आम तौर पर नियमित होती है और कुछ मामलों को स्टेज 1 के रूप में प्रकट किया गया लेकिन अदालत के आदेशों खवित्तीय विवरणों के लिए क्रमशः नोट 38(58) एल और 38(42) देखें,) के मद्देनजर गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) के रूप में प्रकट नहीं किया गया है;

(घ) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट 38 (58) एल में बताया गया है, कुल 176825.45 लाख रुपये नब्बे दिनों से अधिक समय से बकाया है। हमारी राय में, मूलधन और ब्याज की वसूली के लिए कंपनी द्वारा एक एनबीएफसी होने के नाते उठाए गए कदम आम तौर पर इसके द्वारा बनाई गई नीतियों के अनुसार हैं और उचित हैं;

(ङ) कंपनी एक एनबीएफसी है जिसका मुख्य व्यवसाय ऋण देना है, इस वर्ष के दौरान देय ऋण आदि और दिए गए मौजूदा ऋणों की अधिक बकाया राशि को निपटाने के लिए दिए गए नवीनीकृत या विस्तारित या नए ऋण की रिपोर्टिंग की धारा कंपनी पर लागू नहीं है;

(च) हमारे द्वारा निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान, मांग पर चुकाने योग्य ऋण की प्रकृति पर या किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है । इसे देखते हुए, इस धारा के अनुसार ऋण के संबंध में संबंधित पक्षों पर अन्य रिपोर्टिंग आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं;

(iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के तहत निर्दिष्ट है, कंपनी ने कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसलिए, अनुच्छेद 3 (iv) के तहत आवश्यक आगे की रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(v) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और निष्पादित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या किसी अन्य अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत नियम कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। इसे देखते हुए, ऐसे प्रावधानों के उल्लंघन या प्राधिकारियोंध्अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के अनुच्छेद 3 (अ) के अनुसार आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

vi) हमने कंपनी के व्यवसाय के संबंध में अधिनियम की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए, केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खाते की पुस्तकों की व्यापक समीक्षा की है, जिसके लिए उक्त नियम बनाए गए हैं। लागू है और उनकी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित रिकॉर्ड बनाए रखा गया है। तथापि, हमने यह निर्धारित करने के लिए कि वे सही हैं या पूर्ण हैं, उक्त अभिलेखों की विस्तृत जांच नहीं की है।

vii) क. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी आम तौर पर माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय जो उस पर लागू होते हैं, सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को उचित अधिकारियों के पास जमा करने में नियमित रही है। उपरोक्त सांविधिक देय राशियों के संबंध में वर्ष के अंत में उनके देय होने की तारीख से छह माह से अधिक की अवधि के लिए देय कोई निर्विवाद राशि नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त सांविधिक देय राशियों का विवरण जो किसी भी विवाद के कारण वर्ष के अंत में जमा नहीं किया गया है, इस प्रकार हैः

संविधि का नाम	करों की प्रकृति	विवादित राशि (लाख रुपए में)	संबंधित वित्तीय वर्ष	जमा की गई राशि+	वह मंच जहां मामला लंबित है
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1344.16	2009-10	1344.16	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1496.52	2010-11	1496.52	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1519.54	2011-12	1519.54	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2216.55	2012-13	2216.55	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	1547.05	2013-14	1547.05	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2310.96	2014-15	2310.96	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2761.20	2015-16	1904.51	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	5337.19	2016-17	1134.45	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	0.10	2016-17	-	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	2678.78	2017-18	2678.78	सीआईटी (अपील)
आयकर अधिनियम 1961	आयकर	22201.94	2019-20	-	पीआर सीआईटी
वित्त अधिनियम (एफए) 1994 एफए 2004 एफए 2015	सेवा कर और जुर्माना	11709.11	2012-13 to 2015 -16	-	वैधानिक अवधि के भीतर दायर करने की अपील
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर और जुर्माना	4145.78	2016-17 और 2017-18	232.87	

+ प्रतिरोध / पूर्वदत्त करों के अधीन जमा

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान, कोई लेनदेन नहीं है जिसका आयकर अधिनियम,1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किया गया है । इसे ध्यान में रखते हुए, पैराग्राफ 3 (viii) के संदर्भ में पहले से अलिखित आय का कोई लेनदेन नहीं है।

(ix)क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी ऋण या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या उस पर ब्याज के भुगतान में किसी भी ऋणदाता के साथ कोई चूक नहीं की है। इसे देखते हुए, इस धारा के तहत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, सावधि ऋण का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए हुआ है, जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया था। इसे देखते हुए, इस धारा के तहत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे द्वारा की गई प्रक्रियाओं और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर पाया गया है कि कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है। इसे देखते हुए, इस धारा के तहत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी सहयोगी कंपनी के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धन नहीं लिया है। कंपनी के कोई सहायक या संयुक्त उद्यम नहीं है। इसे देखते हुए, इस धारा के तहत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने अपनी पूर्व सहयोगी कंपनी में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रख इस वर्ष के दौरान ऋण नहीं उठाया है।

(x) (क) कंपनी ने शेयरों के सार्वजनिक निर्गम या फॉलो ऑन सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान डेट इंस्ट्रूमेंट (सार्वजनिक निर्गम या अन्य) के माध्यम से जुटाई गई राशि को उन उद्देश्यों के लिए उपयोग किए गया जिनके लिए उन्हें उठाया गया था। इसे देखते हुए, इस धारा के तहत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमान्य आवंटन या शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसे देखते हुए, इस धारा के तहत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xi)(क) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट की गई है। इसे देखते हुए, इस धारा के तहत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(ख) वर्ष के दौरान, फॉर्म एडीटी–4 के लिए कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा केंद्र सरकार को कोई रिपोर्ट पेश करने की आवश्यकता नहीं थी ।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वर्ष के दौरान कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी को किसी मुखबिर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और इसलिए अनुच्छेद 3(•पप) के धारा (ए), (बी) या (सी) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, सभी संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां उचित और विवरण का खुलासा लागू लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित वित्तीय विवरण में किया गया हैय

(xiv)(क)हमारी राय में और हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों की अब तक जारी की गई रिपोर्ट पर ऑडिट की अवधि के लिए विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान हमारी राय में कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है। इसे देखते हुए, इस धारा के तहत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(xvi)(क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–आईए के तहत गैर–बैंकिंग वित्तीय गतिविधियों के संचालन के लिए कंपनी का पंजीकरण आवश्यक है और वह पंजीकृत है।

(ख) कंपनी द्वारा की जाने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय गतिविधियां वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र के अंतर्गत हैं।

(ग) कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार उप–धारा (सी) और (डी) के तहत आवश्यक रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

(xvii) कंपनी को इस वित्तीय वर्ष में न तो नकद घाटा हुआ है और न ही पिछले वित्तीय वर्ष में। इसे देखते हुए, इस धारा के तहत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है;

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया है और तदनुसार इस खंड के तहत अपेक्षित रिपोर्टिंग लागू नहीं है;

(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और वित्तीय अनुपात के अनुसार, वित्तीय देनदारियों के भुगतान तथा वित्तीय परिसंपत्तियों की पुराना हो जाने और वसूली की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी, हमारी राय है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है और कंपनी बैलेंस शीट की तारीख पर मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है जब और जैसे वे बैलेंस शीट की तारीख के एक वर्ष की अवधि के भीतर देय हो जाते हैं ।

(xx)(क) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (5) के दूसरे नियम के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम के लिए कंपनी को अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में किसी भी अव्ययित राशि को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं हैय

(ख) हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी चल रही परियोजना के अनुसार कोई राशि शेष नहीं है और कंपनी अधिनियम की धारा 135 की धारा (5) के उप प्रावधानों के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

(xxi) कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के तहत समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार पैराग्राफ 3 (xxi) लागू नहीं है।

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

ह./–
सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 अप्रैल 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध–ख

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निदेश

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है?

   यदि हां, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।

उत्तरः

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, सभी लेखांकन लेनदेन कंपनी द्वारा कार्यान्वित आईटी प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं, कुछ निर्दिष्ट श्रेणी के उधारकर्ता खातों (कुल अग्रिम के 10ः से कम) के लेखांकन को छोड़कर। अवधि के अंत वित्तीय विवरण आईटी प्रणाली से उत्पन्न शेष राशि और लेनदेन के आधार पर ऑफलाइन संकलित किए जाते हैं। हमें न तो सूचित किया गया है और न ही हमारे लेखा परीक्षा के दौरान किसी भी लेखा लेन–देन के बारे में पता चला है जो आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित किए गए वित्तीय प्रभावों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव डालता है। हालांकि, सिस्टम को संशोधित करना बेहतर है ताकि इस तरह के लेनदेन को मानक निर्देशों के आधार पर आईटी सिस्टम के माध्यम से भी संसाधित किया जा सके ताकि गलत रिपोर्टिंग की संभावना कम हो।

2. क्या मौजूदा ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋण चुकाने में कंपनी की अक्षमता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को ऋण/कर्ज/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव के बारे में उल्लेख किया जाए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है।

उत्तरः

(i) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी को किसी भी ऋणदाता द्वारा किए गए ऋणों/उधार राशियों/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।

(ii) एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में व्यवसाय करने वाली सरकारी कंपनी होने के नाते, एक ऋणदाता के रूप में कंपनी के संचालन के संबंध में, कंपनी ने ऐसे मामलों के लिए उचित रूप से हिसाब लगाया है जहां मौजूदा ऋण पुनर्गठित किए गए हैं या छूट के मामले/ऋण/कर्ज/ब्याज आदि को बट्टे खाते में डालना और ऐसे मामलों का कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव नहीं है, सिवाय इसके कि वर्ष के दौरान 1301.96 लाख रुपये की कुल ऋण राशि को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

3. क्या केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

उत्तरः

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, कंपनी ने योजनाओं के नियमों और शर्तों के अनुसार केंद्र/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धन का लेखा और उपयोग किया है।

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

ह./–
सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 अप्रैल 2022

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक–ग

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (1) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 तक भारतीय अक्षय ऊर्जा संस्था लिमिटेड, (कंपनी) की स्टैंडअलोन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग ("मार्गदर्शन नोट") पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट और आईसीएआई द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग मानकों के अनुसार और कंपनियों की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माना गया है, के अनुसार अपना ऑडिट किया। अधिनियम, 2013, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर लागू होते हैं और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए जाते हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम पर आंतरिक नियंत्रण आधारों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किया है, वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर मेरी/हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो:

1. रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

2. उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति

देने के लिए आवश्यक के रूप में दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; तथा

3. कंपनी की संपत्ति के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान भी हो सकते हैं। भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर गिर सकता है।

मत

हमारी राय में, नीचे बताए गए मामलों के अलावा, कंपनी को वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर 31 मार्च, 2022 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को सभी भौतिक मामलों में मजबूत करने की आवश्यकता है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करने वाली कंपनी

क) विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण के प्रत्यायोजन की समीक्षा की जाएगी।

ख) इंड–एएस लेखा अभिलेखों के रख–रखाव के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को अद्यतन किया जाना है।

ग) विविध शीर्षों के तहत आय के संबंध में आईटी सक्षम प्रक्रिया की तैयारी प्रगति पर है।

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

ह./–
सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 अप्रैल 2022

गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

निदेशक मंडल,
भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड
नई दिल्ली–110066.

श्रीमान,

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड (कंपनी) पर लागू सीमा तक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी ऑडिटर की रिपोर्ट (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कंपनी गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थान के कारोबार में लगी हुई है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण के लिए कंपनी के आवेदन के अनुसार जिसके पास एक वैध प्रमाणपत्र संख्या 14,000012 पूर्व प्रमाण पत्र संख्या के 14,000012 दिनांक 10 फरवरी 1998 के बदले 23 जनवरी, 2008 को जारी किया गया।

2. कंपनी 31 मार्च, 2022 तक अपने सिद्धांत व्यापार मानदंड (वित्तीय संपत्ति/आय पैटर्न) के संदर्भ में इस तरह के सीओआर को जारी रखने की हकदार है।

3. कंपनी मास्टर निदेश–गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी– प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि नहीं लेने वाली कंपनी और जमाराशि लेने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में निर्धारित आवश्यक निवल स्वामित्व वाली निधि आवश्यकता को पूरा कर रही है।

4. निदेशक मंडल ने 29 अप्रैल, 2021 को संकल्प लिया है कि कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं करेगी।

5. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई सार्वजनिक जमा स्वीकार नहीं किया है।

6. गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी और जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 में परिभाषित प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली एनबीएफसी के संबंध में:

   क) बैंक को प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणी शैली डीएनबीएस–3 में प्रकट पूंजी पर्याप्तता अनुपात सही ढंग से निकाला गया है और ऐसा अनुपात बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीआरएआर के अनुपालन में है। फॉर्म एनबीएस –7 में तिमाही रिटर्न जमा करना तब से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बंद कर दिया गया है।

   ख) कंपनी ने अस्थायी वित्तीय विवरण के आधार पर निर्धारित अवधि के भीतर 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के लिए डीएनबीएस –3 में पूंजीगत निधि, जोखिम संपत्ति/जोखिम और जोखिम परिसंपत्ति अनुपात का वार्षिक विवरण बैंक को प्रस्तुत किया है।

7. गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी को व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण जमा न लेने वाली कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

8. कंपनी ने गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – सिस्टमिक रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा राशि लेने वाली कंपनी के संदर्भ में आय पहचान, परिसंपत्ति वर्गीकरण और अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन किया है, जैसा कि जमा स्वीकार करने वाली कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016 के अनुसार इरेडा के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुसार लेखांकन मानकों का भी अनुपालन किया है।

कृते डीएसपी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कम्पनी पंजीकरण संख्याः 006791N

ह./–
सीए संजय जैन
(भागीदार)
सदस्यता संख्या 084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30 अप्रैल 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर धारा अधिनियम के 143 (10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 30 अप्रैल, 2022 की अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक ऑडिट किया है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

मेरी अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं आया है जो अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर किसी नोट या अनुपूरक को प्रस्तुत करें।

के लिए और की ओर से
भारत के नियंत्रक और ऑडीटॉर जनरल

ह./–
(संजय कुमार झा)
लेखापरीक्षा महानिदेशक
(पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01/07/2022

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31.03.2022 को तुलनपत्र

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
I	**परिसम्पत्तियां**			
A	**वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) नकद और नकद समतुल्य	2	13,117.48	22,101.83
	(ख) उपर्युक्त (क) के अतिरिक्त अन्य बैंक शेष	3	39,551.85	38,229.29
	(ग) डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें	4	39,833.00	40,309.01
	(घ) प्राप्य			
	(I) कारोबारी प्राप्य	5	452.68	297.04
	(II) अन्य प्राप्य		-	-
	(e) ऋण	6	3,317,444.77	2,690,564.31
	(f) निवेश	7	9,926.84	12.00
	(g) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	8	3,182.09	2,279.36
	कुल (क)		**3,423,508.71**	**2,793,792.84**
ख	**गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां**			
	(क) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	9	12,984.52	10,846.02
	(ख) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	10	32,205.88	21,099.21
	(ग) निवेश सम्पत्ति	11	3.55	4.25
	(घ) सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर	12	23,010.64	24,637.63
	(ड.) चालू पूंजीगत कार्य	13	12,833.28	0.86
	(च) प्रयोगाधिकार परिसम्पत्ति	14	1,765.30	1,961.84
	(छ) अमूर्त परिसम्पत्तियां विकासाधीन	15	311.16	-
	(ज) अमूर्त परिसम्पत्तियां	16	4.50	10.60
	(झ) अन्य गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	17	164,212.81	176,944.37
	कुल (ख)		**247,331.64**	**235,504.79**
	कुल परिसम्पत्तियां (क+ख)		**3,670,840.35**	**3,029,297.64**
II.	**देनदारियां और इक्विटी**			
	देनदारियां			
क	**वित्तीय देनदारियां**			
	(क) डेरिवेटिव वित्तीय लिखतें	4	18,257.49	9,183.16
	(ख) देय			
	(I) कारोबार देय (i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	18	62.26	43.47
	(ii) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से अन्य लेनदारों की कुल बकाया देयताएं		454.69	2,204.52

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
	(ग) ऋण प्रतिभूतियां	19	922,913.87	912,026.16
	(घ) उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	20	1,773,467.47	1,423,055.09
	(ड.) अधीनस्थ देनदारियां	21	64,925.97	64,919.20
	(च) अन्य वित्तीय देनदारियां	22	83,559.91	86,264.06
	कुल (क)		**2,863,641.67**	**2,497,695.66**
ख	**गैर–वित्तीय देनदारियां**			
	(क) प्रावधान	23	105,596.56	60,245.87
	(ख) आस्थगित कर देनदारी (निवल)	24	174,790.81	171,837.62
	कुल (ख)		**280,387.37**	**232,083.49**
ग	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	25	228,460.00	78,460.00
	(ख) अन्य इक्विटी	26	298,351.31	221,058.50
	कुल (ग)		**526,811.31**	**299,518.50**
	कुल देनदारियां और इक्विटी (क+ख+ग)		**3,670,840.35**	**3,029,297.64**

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां 1

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार 38

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

ह./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या
084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.04.2022

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं, 07795952

ह./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

ह./–
सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2022	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021
I	**प्रचालनों से राजस्व**			
i)	ब्याज आय	27	271,322.13	256,433.83
ii)	शुल्क और कमीशन आय	28	10,638.61	3,377.26
iii)	डेरिवेटिवों पर उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	29	(147.35)	(1,247.32)
iv)	सौर संयंत्र प्रचालनों से निवल राजस्व	30	4,176.55	6,917.37
	प्रचालनों से कुल राजस्व (I)		**285,989.94**	**265,481.14**
II	अन्य आय	31	1,425.54	293.21
III	**कुल आय (I+II)**		**287,415.48**	**265,774.35**
IV	**व्यय**			
i)	वित्त लागत	32	158,725.13	157,026.19
ii)	निवल परिवर्तन /संव्यवहार विनिमय हानि	33	4,588.99	6,984.66
iii)	वित्तीय लिखतों पर अक्षमता	34	17,989.84	34,164.50
iv)	कर्मचारी लाभ व्यय	35	5,881.83	4,735.95
v)	मूल्यह्रास, परिशोधन और अक्षमता	36	2,324.31	2,267.40
vi)	अन्य व्यय	37	13,570.90	2,002.33
vii)	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	38(27)	950.60	1,641.60
	कुल व्यय (IV)		**204,031.61**	**208,822.64**
V	असाधारण मदों और कर से पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)		83,383.87	56,951.72
VI	असाधारण मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V-VI)**		83,383.87	56,951.72
VIII	**कर व्यय**			
	(i) चालू कर		31,119.55	29,162.31
	(ii) आस्थगित कर	38(29)	(11,088.33)	(6,851.31)
IX	निरंतर प्रचालनों से अवधि के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)		63,352.65	34,640.72
X	**अवधि के लिए लाभ/(हानि)**		63,352.65	34,640.72
XI	**अन्य व्यापक आय**			
(क)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	- परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनःमापन:-		(72.85)	(141.02)
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि		18.34	(16.21)

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नोट संख्या	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2022	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021
	उप–योग (क)		**(54.52)**	**(157.23)**
(B)	(i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा :-			
	कैश फ्लो हेज रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा		(10,323.14)	(32,828.63)
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		2,598.13	8,262.31
	उप–योग (ख)		**(7,725.01)**	**(24,566.32)**
	अन्य व्यापक आय (क+ख)		**(7,779.53)**	**(24,723.55)**
XII	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (X+XI) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय सहित)		**55,573.12**	**9,917.17**
XIII	प्रति इक्विटी शेयर आय (निरंतर प्रचालनों के लिए) वार्षिक)			
	मूल (₹)	38(13)	8.03	4.42
	विरलित (₹)		8.03	4.42

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां 1
वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां 38

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

ह./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या
084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.04.2022

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं, 07795952

ह./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

ह./–
सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को नकद प्रवाह विवरण

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण		31 मार्च, 2022 को वर्ष समाप्ति		31 मार्च, 2021 को वर्ष समाप्ति	
क	**प्रचालनिक गतिविधियों से नकद प्रवाहः**					
	कर पूर्व लाभ		83,383.87		56,951.72	
	निम्न के लिए समायोजनः					
	1	स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री/समायोजन पर हानि (निवल)	4.09		0.96	
	2	विनिवेश पर लाभ	(12.00)		0.00	
	3	वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता	17,989.84		34,164.50	
	4	मूल्यह्रास	2,324.31		2,267.40	
	5	लीज देनदारी पर ब्याज	6.69		7.89	
	6	निवल परिवर्तन /संव्यवहार विनिमय हानि	4,588.99		6,984.66	
	7	बट्टे खाते डाला गया प्रावधान	(6.55)		(199.17)	
	8	अशोध्य ऋण	1,301.96		0.00	
	9	बट्टे खाते डाला गया राशि	1,410.31		274.52	
	10	कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान	295.58		164.00	
	11	ऋण प्रतिभूतियों पर प्रभावी ब्याज	287.71		267.52	
	12	ऋण प्रतिभूतियों से अन्य राशियों पर प्रभावी ब्याज	2.05		2.66	
	13	उप ऋण पर प्रभावी ब्याज दर	6.77		(50.80)	
	14	ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर	2,967.82		1,732.27	
	15	अप्रत्यक्ष कर और अन्य के लिए प्रावधान	7,411.15		(491.96)	
	16	डेरिवेटिवों पर उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ	147.35		1,247.32	
	प्रचालनिक परिसम्पत्तियों/देनदारियों में परिवर्तनों से पूर्व प्रचालनिक लाभ		**122,109.95**		**103,323.49**	
	प्रचालनिक परिसम्पत्तियों/देनदारियों में वृद्धि/(कमी)					
	1	ऋण	(612,690.00)		(414,763.00)	
	2	अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	(601.67)		207.70	
	3	अन्य गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां	(100.86)		(120.68)	

(लाख रुपए में)

क्र. सं.		विवरण	31 मार्च, 2022 को वर्ष समाप्ति		31 मार्च, 2021 को वर्ष समाप्ति	
	4	कारोबार प्राप्य	(155.63)		15.32	
	5	अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां	2,663.91		(2,698.67)	
	6	अन्य वित्तीय देनदारियां	(2,924.00)		(9,278.90)	
	7	कारोबार प्राप्य	(1,731.03)		(2,594.22)	
	8	नकद और नकद समतुल्य के अतिरिक्त अन्य बैंकशेष	(1,322.56)		20,506.41	
			(616,861.84)		**(408,726.04)**	
	असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह		**(494,751.89)**		**(305,402.55)**	
		असाधारण मद	-		-	
	कर पूर्व प्रचालनों से उत्पादित नकद		**(494,751.89)**		**(305,402.55)**	
		आयकर	(30,659.93)		(15,239.62)	
	प्रचालनों से उत्पादित निवल नकद			(525,411.82)		(320,642.17)
ख	**निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	परिसम्पत्तियों प्लांट, उपकरणों की खरीद	(501.77)		(194.93)	
	2	परिसम्पत्तियों प्लांट, उपकरणों की बिक्री	3.72		0.31	
	3	विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	(311.16)			
	4	प्रतिभूतियों में निवेश	(9,902.84)		0.00	
	5	पूंजी व्यय के लिए अग्रिम	0.00		(15.20)	
	निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह			(10,712.05)		(209.82)
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह**					
	1	इक्विटी अंशदान	150,000.00		0.00	
	2	ऋण प्रतिभूतियों को जारी किया जाना (मोचन का निवल)	10,600.00		(15,000.00)	
	3	ऋण प्रतिभूतियों के अन्य प्रतिभूतियां जुटाना (पुनर्भुगतान का निवल)	366,620.87		209,177.59	
	4	अधीनस्थ देनदारियां जुटाना (मोचन का निवल)	-		50,000.00	
	5	लीज देनदारी के लिए भुगतान	(81.35)		(59.80)	
	6	लाभांश	-		-	
	7	कॉरपोरेट लाभांश कर	-		-	
	वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह			527,139.52		244,117.79
	नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि			**(8,984.35)**		**(76,734.20)**
	वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य			22,101.83		98,836.04
	वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य			13,117.48		22,101.83

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को वर्ष समाप्ति		31 मार्च, 2021 को वर्ष समाप्ति	
	अवधि/वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्यों के घटक				
	बैंकों की भारतीय शाखा में चालू खातों में		7,785.57		21,891.28
	बैंकों की विदेशी शाखा में चालू खातों में		2.51		9.95
	बैंकों में ओवरड्राफ्ट खातों में		18.35		0.00
	बैंकों में जमा खातों में		4,401.25		0.00
	बैंकों में बचत खातों में हस्तगत और		909.56		200.33
	वसूली के तहत हस्तगत चेक/डीडी और डाक अग्रदाय		0.26		0.27
	कुल:		**13,117.48**		**22,101.83**

नकद प्रवाह विवरण पर टिप्पणियां

1 कैश फ्लो का इंड एएस 7 विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत कैश फ्लो का विवरण तैयार किया गया है।

2 संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण और सीएसआर गतिविधियों से संबंधित अन्य उद्देश्यों पर खर्च की गई राशि के लिए नोट 38 (27) देखें।

3 पिछले वर्षों के आँकड़ों को जहाँ कहीं आवश्यक हो पुनः व्यवस्थित और पुनः समूहगत किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

ह./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या
084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.04.2022

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं, 07795952

ह./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

ह./–
सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	(लाख रुपए में)
01.04.2020 को शेष	78,460.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
01.04.2020 के अनुसार पुनः विवरणी शेष	78,460.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन	-
31.03.2021 को शेष	78,460.00
पूर्व अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
01.04.2021 के अनुसार पुनः विवरणी शेष	78,460.00
वर्ष के दौरान परिवर्तन	150,000.00
31.03.2022 को शेष	228,460.00

ख. अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	आरक्षिति और अधिशेष						नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	कुल
	सामान्य आरक्षिति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिति	डिबेंचर शोधन आरक्षिति	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–I सी के तहत एनबीएफसी आरक्षिति	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षिति		
01.04.2020 को शेष	**88,298.33**	**93,471.45**	**25,910.15**	**9,182.69**	**7,998.56**	**-101,345.31**	**50,155.98**	**173,671.85**
लेखांकन नीति/पूर्व अवधि की त्रृटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2020 के अनुसार पुनः विवरणी शेष	**88,298.33**	**93,471.45**	**25,910.15**	**9,182.69**	**7,998.56**	**-101,345.31**	**50,155.98**	**173,671.85**
वर्ष के लाभ					34,640.72			34,640.72
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन (कुल कर)					-157.23			-157.23
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों के स्वयं के ऋण जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन								-

(लाख रुपए में)

विवरण	आरक्षिति और अधिशेष						नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	कुल
	सामान्य आरक्षिति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिति	डिबेंचर शोधन आरक्षिति	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–I सी के तहत एनबीएफसी आरक्षिति	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षिति		
ओसीआई द्वारा मान्यता (कुल कर)							-24,566.32	-24,566.32
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय					**34,483.49**		**(24,566.32)**	**9,917.17**
वर्ष के दौरान आरक्षितियों में अंतरण	19,500.00	11,119.53	4,629.11	7,000.00	(42,248.64)			-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा संव्यवहार हानि						30,488.20		30,488.20
वर्ष के दौरान शोधन						6,981.27		6,981.27
प्रदत्त लाभांश								-
कॉरपोरेट लाभांश कर								-
31.03.2021 को शेष	**107,798.33**	**104,590.98**	**30,539.26**	**16,182.69**	**233.40**	**-63,875.83**	**25,589.66**	**221,058.50**
लेखांकन नीति/पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
01.04.2021 के अनुसार पुनः विवरणी शेष	**107,798.33**	**104,590.98**	**30,539.26**	**16,182.69**	**233.40**	**(63,875.83)**	**25,589.66**	**221,058.50**
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	63,352.65	-	-	63,352.65
परिभाषित लाभ योजना का पुनः मापन (कुल कर)	-	-	-	-	(54.52)	-	-	(54.52)
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों के स्वयं के ऋण जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन	-	-	-	-		-	-	-
ओसीआई द्वारा मान्यता (कुल कर)	-	-	-	-		-	-7,725.01	-7,725.01
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**63,298.13**	**-**	**-7,725.01**	**55,573.12**
वर्ष के दौरान आरक्षितियों में अंतरण	34,500.00	11,564.29	4,629.11	12,700.00	(63,393.40)	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा संव्यवहार हानि	-	-	-	-	-	17,133.73	-	17,133.73

(लाख रुपए में)

विवरण	आरक्षिति और अधिशेष						नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग	कुल
	सामान्य आरक्षिति	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षिति	डिबेंचर शोधन आरक्षिति	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45–I सी के तहत एनबीएफसी आरक्षिति	प्रतिधारित आय	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण आरक्षिति		
वर्ष के दौरान शोधन	-	-	-	-	-	4,585.96	-	4,585.96
प्रदत्त लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-
कॉरपोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	-	-
31.03.2022 को शेष	**142,298.33**	**116,155.27**	**35,168.37**	**28,882.69**	**138.14**	**(42,156.14)**	**17,864.65**	**298,351.31**

उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां नोट संख्या 1
वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां नोट संख्या 38

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएआई पंजीकरण संख्या 006791N

ह./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या
084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.04.2022

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं, 07795952

ह./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

ह./–
सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट - 1 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1) **कॉरपोरेट सूचना**

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (इरेडा) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारत सरकार का एक मिनी रत्न (श्रेणी – I) उद्यम है। इरेडा एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है। कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–I, के तहत गैर–जमा प्राप्त करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत है। वर्ष 1987 से, इरेडा अपने आदर्श वाक्यः ''शाश्वत ऊर्जा'' के साथ, ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों और ऊर्जा दक्षता/संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने, विकसित करने और विस्तारित करने में लगी हुई है । कंपनी के पास केरल राज्य के कासरगोड में स्थित 50 मेगावाट की सौर परियोजना का स्वामित्व है।

2) **तैयारी का आधार**

(i) **इंड एएस के अनुपालन का विवरण**

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी और आगे यथा संशोधित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

वित्तीय विवरण सुनाम प्रतिष्ठान आधार पर और लेखांकन के प्रोद्भवन के आधार पर तैयार किए जाते हैं। कंपनी ने कुछ मदों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत परिपाटी को अपनाया है जिसे एक अलग आधार पर मापा गया है और इस तरह के आधार को प्रासंगिक लेखा नीति में प्रकट किया गया है।

लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय ऐसे मामलों में जहां एक नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक उपयोग में लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो।

(ii) **प्राक्कलनों का प्रयोग**

कंपनी के वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, संपत्ति और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमान में किसी भी संशोधन को वर्तमान और भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

3) **लेखांकन नीतियों को लागू करने और अनिश्चितता के आँकलन में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय**

(क) उल्लेखनीय प्रबंधन निर्णय

<u>आस्थगित कर परिसम्पत्तियों/देनदारियों की स्वीकृति</u> – जिस सीमा तक आस्थगित कर आस्तियों को स्वीकृति दी जा सकती है वह भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आँकलन पर आधारित है जिसके सापेक्ष आस्थगित कर परिसम्पत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, कंपनी प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा *36(1)(viii)* के तहत सृजित और अनुरक्षित की गई विशेष आरक्षित से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, सृजित और अनुरक्षित की गई विशेष आरक्षित को उलटने में सक्षम नहीं है। इसलिए, कंपनी द्वारा उक्त आरक्षित पर कोई आस्थगित कर देनदारी सृजित नहीं की गई है।

परिसम्पत्तियों की अक्षमता के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की हानि के संकेतकों की प्रयोज्यता के मूल्यांकन के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन अपेक्षित होता है जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि में गिरावट आ सके।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर स्वीकृति - क्रेडिट प्रभावित ऋण परिसम्पत्तियों को विवेक के अनुसार, दबाव ग्रस्त परिसम्पत्तियों के समाधान के निष्कर्ष के लंबित रहते स्वीकृत नहीं किया जा रहा है।

पूर्व अवधि मदों की भौतिकता

पूर्वअवधि की मदें जो महत्वपूर्ण नहीं हैं, उन्हें तुलनात्मक मात्रा में पूर्वव्यापी रूप से पुनर्कथन के माध्यम से ठीक नहीं किया गया है और चालू वर्ष में लेखाबद्ध किया गया है।

मदों की चूक या गलत विवरण भौतिक हैं यदि वे आर्थिक निर्णय जो उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों के आधार पर करते हैं को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। भौतिकता आस–पास की परिस्थितियों में चूक या गलत बयान के आकार और प्रकृति पर निर्भर करती है। वस्तुओं के आकार और प्रकृति का संयोजन निर्धारण कारक हैं।

(ख) उल्लेखनीय अनुमान

मूल्यह्रास योग्य/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन – प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिसंपत्तियों की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर मूल्यह्रास योग्य / परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितता तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जिसकी वजह से परिसंपत्तियों की उपयोगिता परिवर्तित हो सकती है।

परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) – प्रबंधन का डीबीओ का अनुमान कई अंतर्निहित मान्यताओं जैसे मुद्रास्फीति की मानक दर, मृत्यु दर, छूट दर और भविष्य में वेतन वृद्धि की प्रत्याशा पर आधारित है । इन स्वीकृतियों में भिन्नता से डीबीओ राशि और वार्षिक परिभाषित लाभ व्यय को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित हो सकती है।

उचित मूल्य माप – प्रबंधन वित्तीय साधनों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं)। इसमें अनुमानों और मान्यताओं को विकसित करना शामिल है जो इस बात के अनुरूप हैं कि बाजार सहभागियों द्वारा उपकरण की कीमत कैसे तय की जाएगी। किसी परिसंपत्ति या देनदारी के उचित मूल्य का अनुमान लगाने में, कंपनी बाजार के अवलोकन योग्य डेटा का उपयोग उस सीमा तक करती है, जहां तक वह उपलब्ध है। बाजार–अवलोकन योग्य डेटा उपलब्ध न होने की स्थिति में, स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग उचित मूल्यांकन के लिए किया जाता है।

आयकर – अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान/वसूली की अपेक्षित राशि और आस्थगित कर परिसंपत्ति का आँकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता के संबंध में आयकर के प्रावधान का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण अनुमान शामिल हैं।

संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल) – परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए अपेक्षित ऋण हानि भत्ता के मापन के लिए जटिल मॉडलों के उपयोग और भविष्य की आर्थिक स्थितियों और ऋण व्यवहार के बारे में महत्वपूर्ण अवधारणाओं के उपयोग किया जाना अपेक्षित होता है (उदाहरण के लिए, ग्राहकों के चूक करने और परिणामी हानियों की संभावना)। कंपनी ईसीएल का अनुमान लगाने के लिए अपेक्षित ऋण हानि का आँकलन करते समय निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेती है

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मानदंड निर्धारित करना;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद / बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार स्थापित करना;
- ईसीएल के मापन के लिए समान वित्तीय परिसम्पत्तियों के समूह स्थापित करना; और
- चूक की संभाव्यता और चूक के कारण होने वाली हानि का अनुमान लगाना (चूक की स्थिति में वसूली योग्य राशियों के अनुमान)।

प्रावधान: दायित्व की स्वीकृति और परिमाणीकरण के समय (मुकदमों सहित के लिए मौजूदा तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकते हैं। प्रावधानों और देनदारियों की वाहित राशि की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और बदलते तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया जाता है।

4) कार्यात्मक और प्रस्तुतिकरण की व्यापकता

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो प्राथमिक आर्थिक वातावरण की कार्यात्मक मुद्रा है जिसमें कंपनी संचालित होती है, मूल्यों को लाख में निकटतम दो दशमलव तक पूर्णांकित किया जाता है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

5) उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां

(i) नकद और नकदी के समतुल्य

नकद में हाथ में नकद, बैंकओवर ड्राफ्ट में डेबिट शेष सहित बैंक में नकद, यदि कोई हो तो, बैंकों में मांग जमा, वाणिज्यिक पत्र और विदेशी मुद्रा जमा शामिल है। नकद समकक्ष जमा (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक हैं, अत्यधिक तरल निवेश जो आसानी से नकदी की ज्ञात मात्रा में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन से नगण्य जोखिम के आधीन हैं।

(ii) वित्तीय प्रपत्र

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी वित्तीय साधन के संविदात्मक प्रावधान का एक पक्ष बन जाती है और शुरू में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए लेन–देन की लागतों को छोड़कर उचित मूल्य पर मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का वर्णन नीचे किया गया है।

वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्तीय माप

अनुवर्तीय मापन के उद्देश्य से वित्तीय आस्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

- कर्ज चुकाने की लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)

- अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां

  एफवीटीपीएल या एफवीओसीआई में इक्विटी लिखतों को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियां इसके लिए समीक्षा के अधीन हैं, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर हानि की पहचान करने के लिए कि क्या कोई वस्तुनिष्ठ प्रमाण है कि वित्तीय संपत्तियाँ वित्तीय परिसंपत्तियों का एक समूह असक्षम है। हानि का निर्धारण करने के लिए हैं वित्तीय आस्तियों की प्रत्येक श्रेणी पर विभिन्न मान दंड लागू होते हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है:

❑ <u>परिशोधन लागत पर ऋण</u>

ऋण (वित्तीय संपत्ति) को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं :

क) वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के अनुसार रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह हेतु वित्तीय परिसंपत्तियों को रोककर रखना है तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो पूरी तरह से बकाया मूलधन पर मूलधन और ब्याज का भुगतान हैं।

परिशोधन लागत पर वहन की गई वित्तीय आस्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए हानि भत्ता को मान्यता दी जाती है।

❑ <u>लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)</u>

एफवीटीपीएल की वित्तीय परिसंपत्तियों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित और प्रभावी को छोड़कर सभी डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं, जिसके लिए हेज लेखांकन आवश्यकताओं को लागू किया जा रहा है। इस श्रेणी में आस्तियों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेन–देन के संदर्भ में या एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

❑ <u>अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां</u>

एफवी ओ आई सी की वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी उपकरण शामिल हैं। (एफवीओसीआई) के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश शुरू में उचित मूल्य प्लस लेन–देन लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि हैं अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है और इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई रिजर्व के भीतर रिपोर्ट की गई है, सिवाय लाभांश आय के लिए, जिसे लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त है। इस तरह के लाभ और हानि का निवेश की मान्यता रद्द करने पर भी ओसीआई से लाभ और हानि के विवरण तक कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, कंपनी इसे इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकती है।

<u>वित्तीय आस्तियों की मान्यता रद्द करना</u>

वित्तीय परिसंपत्तियां (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का हिस्सा) (अर्थात् कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया गया) की मान्यता रद्द की जाती है, जब वित्तीय परिसंपत्ति का नकद प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गए हों या जब वित्तीय परिसंपत्ति और पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए जा चुके हों। कंपनी भी वित्तीय परिसंपत्ति को अमान्य कर देती है यदि उसने दोनों को स्थानांतरित कर दिया है और हस्तांतरण मान्यता रद्द होने के लिए अर्हता प्राप्त करता है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और मूल्यांकन

वित्तीय देनदारियों को बाद में परिशोधन लागत पर प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके मापा जाता है, सिवाय व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां के, जो एफवीटीपीएल में बाद में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर की जाती हैं । (एफवीटीपीएल)

वित्तीय देनदारियों की मान्यता रद्द

वित्तीय देनदारियों की मान्यता तब रद्द की जाती है जब दायित्व के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से दूसरे द्वारा काफी भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया गया है, इस तरह के एक एक्सचेंज या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता रद्द होने और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित में अंतरवहन राशियों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

व्युत्पन्न वित्तीय साधन

कंपनी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों पर विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव के संपर्क में है। कंपनी स्थापित जोखिम प्रबंधन का पालन करके विदेशी मुद्रादर में उतार–चढ़ाव के प्रभाव को सीमित करती है।

कंपनी व्युत्पन्न उपकरण का उपयोग करती है जिसमें मूलधन स्वैप, क्रॉस करेंसी और ब्याज दर स्वैप (सीसीआईआरएस), अग्रिम, ब्याज दर स्वैप, मुद्रा और क्रॉस करेंसी विकल्प, संरचित उत्पाद आदि विदेशी मुद्रा संपत्ति और देनदारियां हेज करने के लिए शामिल हैं।

डेरिवेटिव्स को उचित मूल्य (एमटीएम) पर पहचाना और मापा जाता है। जिम्मेदार लेन–देन लागतों को लागत के रूप में लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियां की मान्यता रद्द:

वित्तीय परिसंपत्तियां की मान्यता रद्द की जाती है, जब वित्तीय परिसंपत्ति का नकद प्राप्त करने के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो गए हों या जब वित्तीय परिसंपत्ति और पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए जा चुके हों।

हेजिंग लेखांकन

व्युत्पन्न वित्तीय साधनों का लेखा–जोखा उचित मूल्य पर लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से किया जाता है, सिवाय इसके कि नकदी प्रवाह बचाव संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित डेरिवेटिव, जिसके लिए एक विशिष्ट लेखांकन प्रणाली की आवश्यकता होती है। हेज लेखांकन के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, हेजिंग संबंध को निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा:

- बचाव की वस्तु और बचाव के साधन के बीच एक आर्थिक संबंध है

- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप होने वाले मूल्यपरिवर्तनों पर हावी नहीं होता है

- हेजिंग संबंध का बचाव अनुपात वही है जो हेज की गई वस्तु की मात्रा के परिणामस्वरूप होता है जो प्रतिष्ठान वास्तव में हेज करता है और हेजिंग लिखत की मात्रा जिसे प्रतिष्ठान वास्तव में हेज की गई वस्तु की मात्रा को हेज करने के लिए उपयोग करता है।

कंपनी ने ज्यादातर डेरिवेटिव अनुबंधों को नकदी प्रवाह हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित किया है। ये व्यवस्थाएं विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम को कम करने के लिए की गई हैं और ब्याज दर जोखिम जिसके विरुद्ध विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित ऋण लिखत हैं।

- नकदी प्रवाह हेजिंग कंपनी की नकदी प्रवाह स्थिति को विनिमय दर में उतार–चढ़ाव और बदलाव से बचाने के और स्थिर नकदी प्रवाह में परिवर्तनशीलता लाने के लिए किया जाता है।
- कंपनी निदेशक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों के अनुसार हेजिंग लिखतों में प्रवेश करती है या, कंपनी के लिखित सिद्धांत अनुसार जो जोखिम प्रबंधन रणनीति/नीतियों के अनुरूप हों
- हेज लेखांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और बाद में बैलेंसशीट में उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है।
- हेज उपकरणों को अनुबंध की शुरुआत में बचाव के रूप में नामित और प्रलेखित किया जाता है। हेज उपकरणों की प्रभावशीलता का आँकलन और मूल्यांकन स्थापना के समय और निरंतर आधार पर किया जाता है। संबंधित बैंकों द्वारा प्रदान किए गए एमटीएम मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन किए गए उचित मूल्य में परिवर्तन के प्रभावी हिस्से/निर्दिष्ट हेजिंग दस्तावेज के तीसरे पक्ष के मूल्यांकन को 'अन्य व्यापक आय' में 'कैश फ्लो हेज रिजर्व' के रूप में मान्यता दी गई है। अप्रभावी भाग को लाभ और हानि के विवरण में जब और जैसे होता है, तुरंत पहचान लिया जाता है। एमटीएम मूल्यांकन के अनुसार उचित मूल्य के आधार पर प्रभावी भाग में परिवर्तन संबंधित बैंकों/तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान किए गए में का नामित हेजिंग लिखत के मूल्यांकन को 'अन्य' में मान्यता दी गई है 'कैश फ्लो हेज रिजर्व' के रूप में व्यापक आय'। अप्रभावी भाग को पहचाना जाता है लाभ और हानि के विवरण में तुरंत और जब भी होता है।
- जिस समय हेज की गई वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है, अन्य किसी भी लाभ या हानि जो पहले से व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है, को इक्विटी से लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है और अन्य व्यापक आय के भीतर समायोजन कर पुनर्वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
- यदि हेजिंग संबंध अब हेजिंग लेखांकन के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो हेजिंग लेखांकन को संभावित रूप से बंद कर दिया जाता है। यदि हेजिंग उपकरण समाप्त हो जाता है या बेचा जाता है, समाप्त हो जाता है या प्रयोग किया जाता है, तो कैश फ्लो हेज रिजर्व में मान्यता प्राप्त हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर संचयी लाभ या हानि कैश फ्लो हेज रिजर्व हेज प्रभावी होने की अवधि तक बनी रहती है। पहले कैश फ्लो हेज रिजर्व में मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि अंतर्निहित लेन–देन के होने पर लाभ और हानि के विवरण में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

हानि

वित्तीय संपत्तियों की हानि

- ऋण संपत्ति

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन परिशोधन लागत पर ऋण परिसंपत्ति की हानि के लिए 'तीन–चरण' मॉडल का अनुसरण करती है, जैसा कि नीचे संक्षेप में बताया गया है:

- चरण 1 में वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिसमें रिपोर्टिंग तिथि पर कम क्रेडिट जोखिम है।
- चरण 2 में वे ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनकी प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है लेकिन जिनके पास हानि का वस्तुनिष्ठ प्रमाण नहीं है।
- चरण 3 में ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं जिनमें रिपोर्टिंग तिथि पर हानि के वस्तुनिष्ठ साक्ष्य हैं।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण 1 में ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12–महीने ईसीएल और चरण 2 और चरण 3 में ऋण परिसंपत्तियां को आजीवन ईसीएल के लिए मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावनाओं का उत्पाद है, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और दिए गए नुकसान पर डिफॉल्ट, निम्नानुसार परिभाषितः

चूक की संभावना (पीडी) – पीडी एक उधारकर्ता की वित्तीय दायित्व की चूक की संभावना का प्रतिनिधित्व करता है, या तो अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) या शेष जीवन काल (लाइफटाइम पीडी) के दौरान बाध्यता।

लॉस गिविंग डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी डिफॉल्ट संसर्ग पर नुकसान की सीमा की कंपनी की अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। एलजीडी प्रतिपक्ष के प्रकार, प्रकार, और दावे की वरीयता और संपार्श्विक की उपलब्धता या अन्य क्रेडिट समर्थन के अनुसार भिन्न होता है।

डिफॉल्ट पर एक्सपोजर (ईएडी) – ईएडी उस निर्धारण तिथि पर बकाया एक्सपोजर की राशि पर आधारित है जिस पर ईसीएल की गणना की जाती है।

12 महीने और आजीवन पीडी, ईएडी और एलजीडी के निर्धारण में भविष्योन्मुखी आर्थिक जानकारी शामिल है। प्रत्याशित ऋण हानि की अंतर्निहित मान्यताओं की निगरानी की जाती है और उनकी समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है।

- ऋण के अलावा अन्य वित्तीय साधनों में शामिल हैं:
- वित्तीय परिसंपत्तियों में नकद और नकद समकक्ष, व्यापार प्राप्य, बिल न किए गए राजस्व, वित्त पट्टा प्राप्य, कर्मचारी और अन्य अग्रिम शामिल हैं।

  वित्तीय देनदारियों में उधार, बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापार देय राशि शामिल हैं। ऋणों के अलावा अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लेनदेन लागत शामिल है। वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता समाप्त कर दी जाती है जब वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित किए गए हों। ऐसे मामलों में जहां वित्तीय आस्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही बनाए रखे जाते हैं, वित्तीय आस्तियों की मान्यता तभी समाप्त की जाती है जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा हो।

  प्रारंभिक मान्यता के बाद, उन्हें नीचे निर्धारित अनुसार मापा जाता हैः

क) नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समकक्षों में बैंक में नकद, बैंकों के साथ मांग जमा, नकद ऋण, सावधि जमा और विदेशी मुद्रा जमा, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट का शुद्ध शामिल है जो मांग पर चुकाने योग्य हैं और उन्हें हिस्सा माना जाता है कंपनी की नकद प्रबंधन प्रणाली के बारे में। वित्तीय स्थिति के विवरण में, बैंक ओवरड्राफ्ट को उधार के तहत प्रस्तुत किया जाता है।

ख) व्यापार प्राप्य

कंपनी व्यापार प्राप्य पर हानि भत्ता की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का अनुसरण करती है। सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसरण से कंपनी को ऋण जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बजाय, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक मान्यता से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ता को मान्यता देता है। कंपनी हानि भत्ता प्राप्य का व्यक्तिगत मूल्यांकन, व्यापार के अपेक्षित जीवन पर ऐतिहासिक रूप से डिफॉल्ट दरों का अवलोकन किया गया प्राप्य और भविष्योन्मुखी अनुमानों के लिए समायोजित किया जाता है।

ग) अन्य देयताएं

अन्य देय राशियों को प्रारम्भिक उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, और बाद में प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके परिशोधित लागत पर ले जाया जाता है। इन उपकरणों की अल्पकालिक परिपक्वता के कारण, इन वित्तीय साधनों के लिए, वहन राशि अनुमानित उचित मूल्य पर है।

(iii) सहायक, सहयोगी और संयुक्त उद्यम में निवेश

- कंपनी सहायक, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में लागत पर निवेश करती है। कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई को कंपनी की सहायक कंपनी के रूप में माना जाता है। भारत के बाहर सहायक कंपनी में निवेश का अधिग्रहण की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर अनुवाद किया जाता है।

- जिन निवेशों में कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, उन्हें सहयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण प्रभाव निवेशिती के वित्तीय और परिचालन नीति निर्णयों में भाग लेने की शक्ति है, लेकिन उन नीतियों पर नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है।

- एक संयुक्त व्यवस्था जिससे व्यवस्था पर संयुक्त नियंत्रण रखने वाले पक्षों के पास नेट परिसंपत्तियों के संयुक्त अधिकार होते हैं को संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संयुक्त नियंत्रण संविदात्मक रूप से सहमति की एक व्यवस्था है, के नियंत्रण का बंटवारा, जो तभी मौजूद होता है जब प्रासंगिक गतिविधियों के बारे में निर्णय लिया जाता है और नियंत्रण साझा करने वाले दलों की सर्वसम्मत सहमति की आवश्यकता है।

❑ सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश पर क्षति

यदि सहयोगी या संयुक्त उद्यम में इकाई के निवेश के संबंध में हानि का संकेत है, तो निवेश के वहन मूल्य को वसूली योग्य राशि के साथ तुलना करके हानि के लिए परीक्षण किया जाता है और किसी भी परिणामी हानि को सहयोगी या संयुक्त उद्यम में निवेश के वहन मूल्य में से काटा जाता है।

(iv) निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां किराये की कमाई और/या पूंजी प्रशंसा के लिए रखी गई संपत्तियां हैं (ऐसे उद्देश्यों के लिए निर्माणाधीन संपत्तियों सहित)। निवेश संपत्तियों आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य करों सहित, व्यापार छूट और छूट, उधार लेने की लागत में कटौती के बाद को प्रारम्भिक लागत पर मापा जाता है, यदि पूंजीकरण मानदंड को पूरा किया जाता है और संपत्ति को स्थान पर लाने में कोई लागत सीधे जिम्मेदार होती है और इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक शर्त होती है तो।

प्रारंभिक मान्यता के बाद, कंपनी लागत मॉडल का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापती है।

एक निवेश संपत्ति की मान्यता निपटान पर रद्द की जाती है या जब निवेश संपत्ति को स्थायी रूप से उपयोग से वापस ले लिया गया हो और निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं है। संपत्ति की मान्यता रद्द होने से उत्पन्न कोई लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में गणना की जाती है) को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है जिसमें संपत्ति की मान्यता रद्द कर दी गई है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उस संपत्ति के वर्ग के अनुसार किया जाता है जिससे वह संबंधित है और उसका जीवन परिसंपत्ति कंपनी में उसी वर्ग की संपत्ति के लिए परिकल्पना के अनुसार होगी।

हालांकि निवेश संपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य का खुलासा टिप्पणियों में है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(v) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मूर्त परिसम्पत्तियां (पीपीई)

मूर्त परिसम्पत्तियां को प्रारंभिक तौर पर लागत पर स्वीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में इसकी खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद और संपत्ति को स्थान और उसके लिए आवश्यक स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार रहें। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मान्यता मानदंडों को पूरा करने वाले स्टोर और स्पेयर को पूंजीकृत किया जाता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में जोड़ा जाता है।

कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को मापने के लिए बाद की मान्यता के लागत मॉडल को अपनाया है। नतीजतन सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण इसकी लागत कम संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है।

स्वीकृति समाप्ति

पीपीई की एक वस्तु को निपटाने पर अमान्य कर दिया जाता है, या जब भविष्य में उपयोग से कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापे गए पीपीई की गैर–मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त हो जाती है।

चल रहे पूंजीगत कार्य

रिपोर्टिंग तिथि पर निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य' प्रगति पर' के रूप में प्रकट किया गया है। लागत में खरीद मूल्य, उधार लागत शामिल है यदि पूंजीकरण मानदंड पूरा किया जाता है और संपत्ति को उपयोग या अपनी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार लागत शामिल है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए भुगतान किए गए अग्रिम जो बैलेंस शीट की तारीख पर बकाया हैं, उन्हें ''पूंजीगत अग्रिम'' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

(vi) अमूर्त परिसम्पत्तियां और परिशोधन

अमूर्त संपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों को मान्यता दी गई है जहाँ यह संभावना होती है कि आस्तियों के कारण भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे। लागत में खरीद मूल्य, आयात शुल्क, गैर–वापसी योग्य कर, व्यापार छूट और छूट में कटौती के बाद, पूंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लेने की लागत और संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने के लिए सीधे जिम्मेदार कोई भी लागत शामिल है। ऐसी परिसम्पत्तियों को मान्यता दी जाती है जहाँ यह संभावना होती है कि आस्तियों के कारण भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे।

परिमित उपयोगी जीवन के साथ सभी अमूर्त संपत्ति को बाद में लागत मॉडल पर मान्यता दी जाती है। इन अमूर्त संपत्तियों को बाद में इसकी लागत कम संचित परिशोधन और संचित हानि यदि कोई हो, पर ले जाया जाता है।

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियां

खर्च किए गए व्यय जो अमूर्त परिसंपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, उन्हें"विकास के तहत अमूर्तसंपत्ति" के रूप में तब तक वाहित किया जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हों।

स्वीकृति समाप्ति

एक अमूर्त संपत्ति को निपटान पर अस्वीकृत किया जाता है, या जब भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उपयोग से अपेक्षित नहीं होता है। एक अमूर्त संपत्ति की गैर–स्वीकृति से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि, शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वाहित राशि के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है, जब परिसंपत्ति को गैर–स्वीकृति प्राप्त होने पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(vii) उधार लागतें

अर्हक संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे उत्तरदायी सामान्य और विशिष्ट उधार लागतों को उस तारीख तक पूंजीकृत किया जाता है जब संपत्ति ऐसे फंड के अस्थायी निवेश पर अर्जित किसी भी आय को कम करने के बाद अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

इस सीमा तक, कि कंपनी आम तौर पर धन उधार लेती है और एक योग्य परिसंपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, पूंजीकरण के लिए पात्र उधार लेने की लागत की राशि उस परिसंपत्ति पर व्यय के लिए पूंजीकरण दर लागू करके निर्धारित की जाती है।

अन्य उधार लागतें उस अवधि में खर्च की जाती हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

(viii) आकस्मिक आस्तियां

आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है लेकिन टिप्पणियों में प्रकट किया जाता है जो आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं या जो आर्थिक लाभ की आमद की संभावना को जन्म देती हैं।

यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आर्थिक लाभों की आमद वस्तुतः निश्चित हो जाती है, आकस्मिक आस्तियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है, फिर ऐसी परिसंपत्तियों और सापेक्ष आय को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी जाएगी।

(ix) प्रावधान

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कंपनी का वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभव है कि दायित्वों को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसका एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

(x) आकस्मिक देनदारिया¡

आकस्मिक देनदारियों को मान्यता नहीं दी जाती है, लेकिन नोटों में इसका खुलासा किया जाता है जब कंपनी की पिछली घटनाओं के कारण संभावित दायित्व होता है और दायित्व का अस्तित्व भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर–घटना पर निर्भर करता है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है और पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्वों पर निर्भर करता है। यह संभव नहीं है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह संभावित हो गया है या नहीं यह निर्धारित करने के लिए आकस्मिक देनदारियों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। यदि बहिर्वाह संभावित हो जाता है, तो वित्तीय विवरणों में सापेक्ष प्रावधान को मान्यता दी जाती है।

(xi) सरकारी अनुदान / सहायता

कंपनी सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकती है जिसके लिए कंपनी की प्रचालन गतिविधियों से संबंधित कुछ शर्तों के अनुपालन की आवश्यकता होती है या कुछ योग्यता मानदंडों के आधार पर वित्तीय सहायता के माध्यम से कंपनी को प्रदान की जाती है।

सरकारी अनुदानों को तब स्वीकृति दी जाती है जब उचित आश्वासन मिलता है कि अनुदान प्राप्त होगा और कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करने में सक्षम होगी। इन अनुदानों को अनुदान की प्रकृति के आधार पर संपत्ति और राजस्व से संबंधित अनुदान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

लंबी अवधि की संपत्ति की खरीद, निर्माण या अन्यथा अधिग्रहण की शर्त के साथ सरकारी अनुदान को शुरू में आस्थगित आय के रूप में स्वीकृति दी जाती है। एक बार आस्थगित आय के रूप में स्वीकृत किए जाने के बाद, ऐसे अनुदानों को परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। अनुमानों में परिवर्तन को आस्ति के शेष जीवन काल में संभावित रूप से मान्यता दी जाती है।

सब्सिडी से संबंधित अनुदान को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में आस्थगित और स्वीकृति दी जाती है, जिसके लिए संबंधित लागत, जिसकी भरपाई करने का इरादा है, खर्च की जाती है।

ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों (एनआरएसई) के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुदान सहायता को आस्थगित आय के रूप में स्वीकृत किया जाता है और लेखांकित किया जाता है।

तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी) के तहत किए गए व्यय को वसूली योग्य माना जाता है और इसे 'अन्य वित्तीय परिसंपत्ति' शीर्ष के तहत दिखाया जाता है। बहुपक्षीय / द्विपक्षीय एजेंसियों से प्रतिपूर्ति की गई सहायता उक्त खाते में जमा की जाती है।

(xii) राजस्व मान्यता

❑ ब्याज आय

ब्याज आय का हिसाब सभी वित्तीय परिसंपत्तियों पर लगाया जाता है (सिवाय इसके कि कंपनी खराब क्रेडिट वित्तीय संपत्ति पर ब्याज आय को मान्यता नहीं दे रही है) परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

ब्याज आय को इंडएएस 109, वित्तीय लिखतों के अनुरूप प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है। प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) वह दर है जो प्रारंभिक मान्यता पर उस परिसंपत्ति की शुद्ध अग्रणीत राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन काल के दौरान अनुमानित भविष्य की नकद प्राप्तियों को सटीक रूप से छूट देती है।

ईआईआर की गणना लेन–देन की लागत और शुल्क को ध्यान में रखते हुए की जाती है जो इंडएएस 109 के अनुरूप ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ऋणबाधित आस्तियों पर ब्याज आय को प्राप्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है। उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के समय पर भुगतान के कारण छूट को संपूर्ण प्राप्त होने पर संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार समय पर देय ब्याज राशि और इसके खिलाफ शुद्ध है संबंधित ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

ऋण ग्रस्त आस्तियों से वसूल की गई राशियों को निम्नलिखित तरीके से विनियोजित किया जाता है:

1. आकस्मिक शुल्क
2. ब्याज
3. बकाया प्रिंसिपल

❑ अन्य राजस्व

- राजस्व (उन मदों के अलावा जिन पर इंडएएस 109 वित्तीय लिखत लागू हैं) को इंडएएस 115 के अनुसार मान्यता दी गई है –ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व ग्राहकों के साथ अनुबंधों से उत्पन्न राजस्व के लिए लेखांकन के एकल व्यापक मॉडल की रूपरेखा तैयार करता है।

- ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व में निर्धारित सिद्धांत के आधार पर ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को पहचानती है।

  ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि कंपनी को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है और राजस्व और लागत, यदि लागू हो, को मजबूती से मापा जा सकता है । राजस्व को अनुबंध के तहत सहमत लेन–देन मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन मूल्य में तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है (उदाहरण के लिए, सरकार की ओर से एकत्र किए गए कर) और छूट, छूट जैसे परिवर्तनीय विचार के लिए शामिल/समायोजित, केवल उस सीमा तक कि यह अत्यधिक संभावना है कि संचयी राजस्व की राशि में एक महत्वपूर्ण उत्क्रम तब मान्यता प्राप्त नहीं होगा जब परिवर्तनीय प्रतिफल से जुड़ी अनिश्चितता का समाधान बाद में किया जाएगा।

- सौर संयंत्र से राजस्व

  सोलर प्लांट से होने वाली आय को तब पहचाना जाता है जब निष्पादन दायित्व समय के साथ पूरा हो जाता है। दी गई छूट राशि को सकल राजस्व की राशि में से कटौती के रूप में प्रकट किया जाता है।

- फीस और कमीशन से राजस्व

  शुल्क और कमीशन को समय के आधार पर मान्यता दी जाती है जब ऐसी फीस एकत्र करने की संभावना स्थापित होती है।

(xiii) लाभांश

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में जिसमें उन्हें क्रमशः निदेशक मंडल द्वारा और शेयरधारकों की बैठक में अनुमोदित किया जाता है को इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी गई है।

(xiv) व्यय

खर्चों का हिसाब प्रोद्भवन के आधार पर किया जाता है। 5,00,000/– रुपये तक प्रीपेड खर्च प्रति आइटम के लिए शुल्क लिया जाता है और लाभ और हानि में विवरणित किया जाता है जब और जैसे खर्च/समायोजित/प्राप्त हो।

(xv) पट्टे

❑ **पट्टेदार के रूप में**

कंपनी किसी संविदा की शुरुआत में मूल्यांकन करती है कि क्या यह संविदा एक पट्टा है या इसमें पट्टा शामिल है। एक संविदा एक पट्टा है, या इसमें पट्टा शामिल है, यदि संविदा किसी पहचान की गई परिसंपत्ति के उपयोग को विचार करने के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आँकलन करने के लिए कि क्या संविदा किसी स्वीकृत की गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आँकलन करती है कि क्याः

(i) संविदा में किसी चिह्नित परिसम्पत्ति का उपयोग निहित है;

(ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ पर्याप्त रूप से प्राप्त हुए हैं, और

(iii) कम्पनी को परिसम्पत्ति के उपयोग को निर्दिष्ट करने का अधिकार है।

कंपनी सभी पट्टों के लिए एकल स्वीकृति और माप दृष्टिकोण लागू करती है, अल्पावधि पट्टों और कम मूल्य वाली परिसंपत्तियों के पट्टों को छोड़कर। कंपनी लीज भुगतान करने के लिए लीज देनदारियों और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के उपयोग के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति के अधिकार को स्वीकृति देती है।

I) प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियां

कंपनी पट्टे की आरंभ तिथि (यानी, अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि) पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति को स्वीकृति देती है। राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, किसी भी संचित मूल्यह्रास और हानि हानियों को कम करके और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनर्माप के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति की लागत में मान्यता प्राप्त लीज देनदारियों की राशि, प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत, और प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए लीज भुगतान में से प्राप्त किसी भी लीज प्रोत्साहन को शामिल किया गया है। परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर एक सीधी रेखा के आधार पर उपयोग के अधिकार की परिसंपत्ति का मूल्यह्रास किया जाता है।

ii) पट्टा देनदारियां

पट्टे की शुरुआत की तारीख में, कंपनी पट्टा अवधि में किए जाने वाले लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देनदारियों को पहचानती है। पट्टा भुगतान में निश्चित भुगतान (इन–सब्सेंस फिक्स्ड पेमेंट्स सहित) शामिल हैं, जिसमें कोई भी लीज इंसेंटिव कम होता है, वैरिएबल लीज भुगतान जो एक इंडेक्स या रेट पर निर्भर करता है, और राशि जो अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत अदा की जाती है। कंपनी लीज प्रारंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है। यदि ऋण 3 वर्ष तक का है तो ऋण की अवधि के लिए वृद्धिशील उधार दर एसबीआई एमसीएलआर दर है। 3 साल से ज्यादा की अवधि के लिए, एसबीआई एमसीएलआर रेट 3 साल के लिए लिया जा सकता है।

iii) अल्पावधिक पट्टे और कम मूल्य परिसम्पत्तियों के पट्टे

लघु अवधि के पट्टों (जिसमें 12 महीने तक की पट्टा अवधि है) पर लीज भुगतान और कम मूल्य की संपत्ति के पट्टों (रु. 10,00,000/– तक की संपत्ति) को लीज अवधि में खर्च के रूप में स्वीकृति दी जाती है। पट्टे की अवधि पट्टे की गैर–रद्दकरण योग्य अवधि दोनों के साथ लेकर निर्धारित की जाती है:

(क) पट्टे को विस्तार देने के लिए एक विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि, यदि पट्टेदार उस विकल्प का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से निश्चित है और

(ख) यदि पट्टेदार यथोचित रूप से निश्चित है कि उस विकल्प का प्रयोग नहीं करेगा, तो पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई अवधि।

❑ **पट्टादाता के रूप में**

जब कंपनी एक पट्टेदार के रूप में कार्य करती है, तो यह पट्टे की स्थापना के समय यह निर्धारित करती है कि क्या प्रत्येक पट्टा एक वित्त पट्टा या एक प्रचालनिक पट्टा है। प्रत्येक पट्टे को वर्गीकृत करने के लिए, कंपनी इस बात का समग्र मूल्यांकन करती है कि क्या पट्टा अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक सभी जोखिम और आगमों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित करता है। यदि ऐसा है, तो पट्टा एक वित्त पट्टा है, यदि नहीं, तो यह एक प्रचालनिक पट्टा है। मूल्यांकन के भाग के रूप में, कंपनी कुछ संकेतकों पर विचार करती है जैसे कि क्या पट्टा परिसंपत्ति के आर्थिक जीवन के प्रमुख भाग के लिए है। यदि किसी व्यवस्था में पट्टा और गैर–पट्टा घटक शामिल हैं, तो कंपनी अनुबंध में प्रतिफल आवंटित करने के लिए इंड एएस 115 "ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व" लागू करती है। कंपनी ऑपरेटिंग लीज के तहत प्राप्त लीज भुगतान को "ऑपरेशन से राजस्व" के हिस्से के रूप में लीज अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

(xvi) कराधान

चालूकर

वर्तमान में देय कर वर्ष के लिए कर योग्य लाभ पर आधारित होता है। कर योग्य लाभ 'कर पूर्व लाभ' से भिन्न होता है जैसा कि लाभ और हानि/अन्य व्यापक आय के विवरण में रिपोर्ट किया गया है क्योंकि आय या व्यय की मदें जो अन्य वर्षों में कर योग्य या कटौती योग्य हैं और वे आइटम जो कभी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हैं। कंपनी के वर्तमान कर की गणना उन कर दरों का उपयोग करके की जाती है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित की गई हैं।

वर्तमान कर को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में स्वीकृति प्राप्त मदों से संबंधित हों, उस स्थिति में, वर्तमान कर को अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में भी मान्यता दी जाती है। जहां व्यापार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर उत्पन्न होता है, व्यापार संयोजन के लिए कर प्रभाव को लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में परिसम्पत्तियों और देनदारियों की अग्रणीत राशियों और कराधान प्रयोजन के लिए उपयोग की गई संगत राशियों के बीच अस्थायी अंतर के संबंध में स्वीकृति दी जाती है।

आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को आमतौर पर केवल उस सीमा तक स्वीकृति दी जाती है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर आस्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है और इस हद तक कम कर दी जाती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त होने की संभावना नहीं रह जाती है।

वर्तमान और आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, उस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को क्रमशः इक्विटी में अन्य व्यापक आय या सीधे भी स्वीकृति दी जाती है।

(xvii) कर्मचारी लाभ

क) अल्पावधिक लाभ

वेतन सहित अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक मुआवजा अनुपस्थिति (जैसे एक भुगतान वार्षिक छुट्टी) जहां अनुपस्थिति उस अवधि के अंत के बाद बारह महीने के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा, लाभ साझाकरण और देय बोनस प्रदान करते हैं उस अवधि के अंत के बाद बारह महीनों के भीतर जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं और वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–मौद्रिक लाभों का अनुमान लगाया जाता है और बिना छूट के आधार पर मापा जाता है।

ख) रोजगार–पश्चात लाभ योजनाओं को परिभाषित लाभ योजनाओं और परिभाषित योगदान योजनाओं में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(I) परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित योगदान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत कंपनी कर्मचारियों के संबंध में एक अलग फंड में निश्चित योगदान का भुगतान करती है। कंपनी के पास निश्चित योगदान के भुगतान के बाद आगे के योगदान का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं है। कंपनी द्वारा परिभाषित योगदान योजनाओं के लिए किए गए योगदान को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है जिससे योगदान संबंधित है।

(ii) परिभाषित लाभ योजना

कंपनी का ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) और अन्य परिभाषित सेवा निवृत्ति लाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व है, जिन्हें परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में माना जा रहा है। पात्र कर्मचारियों को कवर करना। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवा निवृत्ति पर मिलने वाली राशि को कर्मचारी की सेवा की लंबाई, अंतिम वेतन और अन्य परिभाषित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना संपत्ति को अलग रखा गया हो।

परिभाषित लाभ योजनाओं के प्रति कंपनी का दायित्व अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यता प्राप्त देयता रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से कम है। प्रबंधन स्वतंत्र एक्चुअरीज की सहायता से सालाना डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्ति के पुनर्माप के परिणामस्वरूप बीमांकिक लाभ / हानि को अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

भविष्य निधि, परोपकारी निधि, सेवानिवृत्ति निधि और ग्रेच्युटी के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की देयता अलग–अलग ट्रस्टों द्वारा वित्तपोषित है।

भविष्य निधि/अधिवर्षिता निधि में कंपनी का योगदान पात्र कर्मचारी के वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर इस उद्देश्य के लिए स्थापित अलग–अलग ट्रस्टों को प्रेषित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में डेबिट किया जाता है।

ग) अन्य दीर्घावधिक कर्मचारी लाभ :

अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बैलेंस शीट की तारीख के अनुमान के बाद एक साल से अधिक समय तक प्रतिपूर्ति की अनुपस्थिति के कारण होने वाले या प्राप्त होने की उम्मीद के संबंध में देयता।

पिछले अनुभव से होने वाले बीमांकिक लाभ और हानियों और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है जिसमें ऐसे लाभ या हानि निर्धारित की जाती हैं।

(xviii) उचित मूल्य मापन और प्रकटीकरण

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर डेरिवेटिव जैसे वित्तीय साधनों को मापती है। उचित मूल्य वह मूल्य है जो

किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या मापतिथि पर बाजार सहभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेन–देन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य माप इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति को बेचने या देयता को स्थानांतरित करने के लिए लेन–देन या तो होता है:

- परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रमुख बाजार में, या
- एक प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्ति या देयता के लिए

सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में कंपनी द्वारा मूलधन या सबसे अधिक लाभप्रद बाजार तक पहुंच होनी चाहिए।

किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य को इस धारणा का उपयोग करके मापा जाता है कि बाजार सहभागियों का उपयोग परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय होगा, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल हैं, यह मानते हुए कि बाजार सहभागियों ने अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य किया है। एक गैर–वित्तीय परिसंपत्ति का उचित मूल्य माप एक बाजार सहभागी की संपत्ति को उसके उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करके या किसी अन्य बाजार सहभागी को बेचकर आर्थिक लाभ उत्पन्न करने की क्षमता को ध्यान में रखता है जो परिसंपत्ति का उच्चतम और सर्वोत्तम उपयोग में उपयोग करेगा।.

कंपनी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग को अधिकतम करने और अप्राप्य इनपुट के उपयोग को कम करने के लिए।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया गया है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया है, जोकि निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर वर्णित है, जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

- स्तर 1 समान आस्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- स्तर 2 मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य है
- स्तर 3 मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए उचित मूल्य मापन के लिए महत्वपूर्ण निम्नतम स्तर का इनपुट अवलोकनीय नहीं है।

वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से पहचाने जाने वाले आस्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण का पुनर्मूल्यांकन करके पदानुक्रम में स्तरों के बीच प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में स्थानांतरण हुआ है (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो समग्र रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है)।

(xix) मूल्यह्रास और परिशोधन

मूर्त पीपीई पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–*II* में विनिर्दिष्ट तरीके और

- पुस्तकालय की पुस्तकों पर मूल्यह्रास का प्रावधान खरीद के वर्ष में 100 प्रतिशत की दर से किया जाता है।
- सौर ऊर्जा परियोजना के पीपीई पर मूल्यह्रास का प्रावधान संबंधित केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) और संबंधित राज्य आयोग टैरिफ आदेशों के तहत निर्धारित दरों/पद्धति पर सरल रेखा पद्धति पर किया जाता है।
- रुपये 5,000/– या उससे कम की संपत्ति के संबंध में प्रावधान खरीद के वित्तीय वर्ष में मूल्यह्रास 100 प्रतिशत की दर से किया जाता है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

- अमूर्त संपत्ति का परिशोधन का प्रावधान सरल रेखा आधार पर किया जा रहा है।
- प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी पीपीई और अमूर्त संपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो, को लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

- **अनुसूची ।। के अनुसार परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवनः**

परिसम्पत्ति मूल्यह्रास	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
भवन	60 वर्ष	5%
कम्प्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग इकाइयां		
-लैपटॉप/कम्प्यूटर	3 वर्ष	5%
-सर्वर	6 वर्ष	5%
कार्यालय उपस्कर	5 वर्ष	5%
फर्नीचर और फिक्सचर	10 वर्ष	5%
वाहन	8 वर्ष	5%
अमूर्त परिसम्पत्तियां	5 वर्ष	0%

- **सीईआरसी के अनुसार परिसम्पत्तियों का उपयोगी जीवन**

परिसम्पत्ति मूल्यह्रास	अनुमानित उपयोगी जीवन	मूल लागत के प्रतिशत के रूप में अवशिष्ट मूल्य
सौर संयंत्र	25 वर्ष	10%

(xx) गैर–वित्तीय परिसम्पत्ति की अक्षमता

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यांकन करती है कि क्या कोई संकेत है कि एक परिसंपत्ति अक्षम हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। एक परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि एक परिसंपत्ति या नकद–उत्पादक इकाइयों (सीजीयू) के उचित मूल्य से अधिक है, जिसमें निपटान की लागत और उपयोग में इसका मूल्य कम है। वसूली योग्य राशि एक व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित की जाती है, जब तक कि परिसंपत्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से काफी हद तक स्वतंत्र होती है। जब किसी परिसंपत्ति या सीजीयू की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो संपत्ति को अक्षम हुआ माना जाता है और उसकी वसूली योग्य राशि के लिए लिखा जाता है।

उपयोग में मूल्य का आँकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व–कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो पैसे के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार आँकलन को दर्शाता है। निपटान की लागत घटाकर उचित मूल्य निर्धारित करने में, हाल के बाजार लेन–देन को ध्यान में रखा जाता है। यदि ऐसे किसी भी लेन–देन की पहचान नहीं की जा सकती है, तो एक उपयुक्त मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग किया जाता है।

(xxi) विदेशी मुद्रा लेन–देन

कार्यात्मक मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में लेन–देन को लेन–देन की तारीखों पर प्रचलित विनिमय दरों पर स्वीकृति दी जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का उस तिथि पर प्रचलित दरों पर पुनर्अंतरण किया जाता है। इस तरह के लेन–देन के निपटान से उत्पन्न विदेशी मुद्रा लाभ और हानि और अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों के पुनर्मापन को लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृति दी जाती है।

इरेडा ने भारतीय लेखा मानक 101 के पैरा डी13एए की छूट को अपनाया है, जिसके अनुसार पहली बार अंगीकर्ता वित्तीय विवरणों में स्वीकृति प्राप्त दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अनुवाद से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों के लिए लेखांकन के लिए अपनाई गई नीति को पिछले जीएएपी के अनुसार पहली इंड एएस वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत से ठीक पहले समाप्त होने वाली अवधि तक जारी रख सकता है।

तदनुसार, विदेशी मुद्रा में सभी लेन–देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर अभिलेखबद्ध किए जाते हैं। 31 मार्च, 2018 को बकाया लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दर पर, उस अवधि से अलग, जिस पर वे शुरू में इस अवधि के दौरान दर्ज किए गए थे, या पिछले में रिपोर्ट किए गए थे। वित्तीय विवरण, एक "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद रिजर्व खाता" में संचित होते हैं और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में मान्यता द्वारा, ऐसी लंबी अवधि की मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किए जाते हैं।

भारतीय लेखा मानक 21 के पैरा 27 के अनुसार, नकदी प्रवाह बचाव में हेजिंग लिखतों के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को अन्य व्यापक आय में उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक बचाव प्रभावी होता है। तदनुसार, कंपनी कैश फ्लो हेज रिजर्व में रिपोर्टिंग तिथि पर प्रचलित विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा ऋणों के अनुवाद के कारण विनिमय अंतर को पहचानती है।

(xxii) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से कर पश्चात शुद्ध लाभ को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर विरलित आय की गणना कर के बाद समायोजित शुद्ध लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों से विभाजित करके की जाती है। इक्विटी शेयरों की संख्या और संभावित रूप से कमजोर इक्विटी शेयरों को शेयर विभाजन / रिवर्स शेयर विभाजन और बोनस शेयरों के लिए उपयुक्त के रूप में समायोजित किया जाता है।

(xxiii) खंड रिपोर्टिंग

प्रचालनिक खंडों को मुख्य प्रचालनिक निर्णयकर्ता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) की पहचान मुख्य प्रचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) के रूप में की गई है।

(xxiv) महत्वपूर्ण गतिविधि की त्रुटियां

सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के प्रारंभिक शेष को पुनः वर्णित किया जाता है। पूर्व अवधि के आइटम रुपये तक। 1,00,000/– प्रति आइटम को समायोजित/प्राप्त किए जाने पर लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित किया जाता है और पुनर्कथन नहीं किया जाता है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 2: नकद और नकद समतुल्य (लाख रुपए में)

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
I. **नकद और नकद समतुल्य**		
(क) हस्तगत नकद	-	-
(ख) बैंकों में शेष :-		
(क) बैंकों में चालू खाता		
- भारतीय शाखाओं में	7,785.57	21,891.28
- विदेशी शाखाओं में		
(i) अमरीकी डॉलर में	2.51	9.95
(ख) जमा खाता (मूल परिपक्वता 3 महीने से कम)		
अल्पावधिक जमा	4,401.25	-
(ग) बचत बैंक खाता		
- भारतीय शाखाओं में	909.56	200.33
(ग) वसूली के तहत हस्तगत चेक/डीडी और डाक अग्रदाय	0.26	0.27
कुल (क+ख+ग)	18.35	-

ऊपर प्रस्तुत रिपोर्टिंग अवधियों के अंत में नकद और नकद समतुल्यों के संबंध में कोई प्रत्यावर्तन प्रतिबंध नहीं हैं।

नोट 3: नकद और नकद समतुल्यों में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. बैंकों के पास चिह्नित शेष		
क) चालू खाते में		
- एमएनआरई	2.15	2.15
- एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉण्ड (देखें नोट 38(33)	352.53	353.11
- इरेडा (बॉण्डों पर ब्याज)	67.11	134.84
- इरेडा लाभांश खाता	0.00	0.00
- एमएनआरई सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम का कार्यान्वयन (एसडब्ल्यूएचएस)	-	*357.95*
उप–योग (क)	**421.79**	**490.10**
ख) बचत खाते में		
- इरेडा राष्ट्रीय उर्जा निधि (एनसीईएफ)	8,994.29	8,472.94
- एमएनआरई एमएनआरई यूएनडीपी खाता (संदर्भ नोट 38 (31))	1,354.65	1,598.02
उप–योग (ख)	**10,348.94**	**10,070.96**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ग) जमा खाते में (भारतीय रुपए)		
- इरेडा	40.50	38.48
- एमएनआरई	17.25	17.25
- एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉण्ड (देखें नोट 38(32)	885.75	861.39
- इरेडा स्वच्छ ऊर्जा निधि (एनसीईएफ)	25,169.00	22,597.19
- एमएनआरई / यूएनडीपी–इरेडा योजना निधि (देखें नोट 38(31))	1,992.93	2,413.20
- उर्जा परियोजना तक पहुंचने के लिए डिफाल्ट जोखिम में कमी (केएफडब्ल्यू VI)[3]	675.68	-
उप योग ©	**28,781.11**	**25,927.51**
घ) जमा खाते में (विदेशी मुद्रा)		
- डॉलर जमा (एडीबी)[2]	-	1,740.73
उप योग (घ)	-	1,740.73
उप योग क (क+ख+ग+घ)	**39,551.85**	**38,229.29**
योग	**39,551.85**	**38,229.29**

कंपनी भारत सरकार की कुछ योजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है। योजना के तहत विभिन्न एजेंसियों को संवितरण के लिए प्राप्त धन को एक अलग बैंक खाते में रखा जाता है। योजना के लिए असंवितरित निधि (उस पर ब्याज सहित, यदि कोई हो) योजना की निर्दिष्ट निधि के रूप में प्रस्तुत की जाती है। देखें नोट 38 (31).

---

[1] 40.50 लाख रुपये (पिछले वर्ष 38.48 लाख रुपये) की राशि एफडीआर के रूप में रखी गई, जिसमें माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित सिविल विविध रिट याचिका संख्या 28928 से 2009 में पारित आदेश दिनांक 31.07.2009 के अनुसार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खन्ना मार्केट, लोधी रोड, नई दिल्ली के पास दो बॉन्ड धारकों अर्थात मेसर्स द बंगाल क्लब लिमिटेड और सुश्री माया एम. चुलानी को भुगतान के लिए ब्याज शामिल है।

[2] कंपनी ने बैंक ऑफ बड़ौदा से डॉलर जमा के बदले ऋण लिया है (जो नोट 20 के तहत दर्शाया गया है)।

[3] केएफडब्ल्यू द्वारा पोर्टफोलियो जोखिम आरक्षित खाते (पीआरआरए) की स्थापना द्वारा केएफडब्ल्य VI लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कंपनी के समग्र 'ऊर्जा तक पहुंच' पोर्टफोलियो के 70% तक डिफॉल्ट जोखिमों को कवर करने के लिए प्रदान किया गया। ऋण सेवा आरक्षित खाते (डीएसआरए) को एनपीए घोषित किए जाने के बाद, उक्त राशि का उपयोग उधारकर्ता के बकाया ऋण सेवा दायित्व के 70% तक की वसूली के लिए किया जाएगा।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 4 : डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

कंपनी विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए डेरिवेटिव अनुबंध करती है। देनदारियों को हेज करने के लिए डेरिवेटिव लेन–देन में फॉरवर्ड, ब्याज दर स्वैप, क्रॉस करेंसी स्वैप आदि शामिल हैं। ये डेरिवेटिव लेन–देन हेजिंग उद्देश्य के लिए किए जाते हैं न कि ट्रेडिंग या सट्टा उद्देश्य के लिए।

विवरण	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
भाग *I*	सांकेतिक राशियां	उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां	उचित मूल्य – देनदारियां	सांकेतिक राशियां	उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां	उचित मूल्य – देनदारियां
(i) **करंसी डेरिवेटिव**:-						
मूलधन केवल स्वैप	824,872.43	36,633.85	18,257.49	768,787.29	39,117.62	9,137.96
विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध	-	-	-	-	-	-
उप–योग कुल (i)	**824,872.43**	**36,633.85**	**18,257.49**	**768,787.29**	**39,117.62**	**9,137.96**
(ii) **बयाज दर डेरिवेटिव** :-						
क्रॉस करंसी ब्याज दर स्वैप	49,854.29	3,199.15	-	53,075.64	1,191.39	45.20
उप–योग (ii)	**49,854.29**	**3,199.15**	**-**	**53,075.64**	**1,191.39**	**45.20**
डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i+ii)	**874,726.72**	**39,833.00**	**18,257.49**	**821,862.93**	**40,309.01**	**9,183.16**
भाग I	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
	सांकेतिक राशियां	उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां	उचित मूल्य – देनदारियां	सांकेतिक राशियां	उचित मूल्य – परिसम्पत्तियां	उचित मूल्य – देनदारियां
उपरोक्त में शामिल (भाग I) हेजिंग और जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए धारित डेरिवेटिव हैं जो निम्नानुसार हैं:-						
(i) **नकद प्रवाह हेजिंग**:-						
करंसी डेरिवेटिव	799,305.46	35,364.09	18,257.49	741,731.33	37,700.50	9,137.96
ब्याज दर डेरिवेटिव	49,854.29	3,199.15	-	53,075.64	1,191.39	45.20
उप–योग (i)	**849,159.75**	**38,563.24**	**18,257.49**	**794,806.97**	**38,891.89**	**9,183.16**
(ii) **अनिर्दिष्ट डेरिवेटिव**:–						
करंसी डेरिवेटिव	25,566.97	1,269.76	-	27,055.96	1,417.12	-
ब्याज दर डेरिवेटिव	-	-	-	-	-	-
उप–योग (ii)	**25,566.97**	**1,269.76**	**-**	**27,055.96**	**1,417.12**	**-**
कुल डेरिवेटिव वित्तीय लिखत (i) + (ii)	**874,726.72**	**39,833.00**	**18,257.49**	**821,862.93**	**40,309.01**	**9,183.16**

जोखिम एक्सपोजर के लिए देखें नोट संख्या *38 (38)*

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 5 : प्राप्य : व्यापार प्राप्य

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क कारोबार प्राप्य		
(क) शोध्य माने गए प्राप्य – प्रत्याभूत	-	-
(ख) शोध्य माने गए प्राप्य – अप्रत्याभूत	452.68	297.04
(ग) वे प्राप्य जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
(घ) क्रेडिट अक्षम प्राप्य	-	-
उप–योग (क)	452.68	297.04
अक्षमता हानि के लिए भत्ता (ख)	-	-
कुल (क+ख)	**452.68**	**297.04**

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

31.03.2022 पर

(लाख रुपए में)

विवरण	बिल नहीं किया गया	देय नहीं	निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया भुगतान की देय तिथि से*					
			6 महीने से कम	6 महीने – 1 साल	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से ज्यादा	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माने जाने वाले*	272.61	-	180.03	-	0.04	-	-	452.68
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– जिन क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है			-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– बिगड़ा हुआ क्रेडिट			-	-	-	-	-	-
(iv) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माने जाने वाले			-	-	-	-	-	-
(v) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– जिन क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है			-	-	-	-	-	-
(vi) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– बिगड़ा हुआ क्रेडिट								

प्रकटीकरण लेन–देन की तारीख से है।
बिल न किए गए देय राशियों के विवरण के लिए नोट 38 (23) देखें

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2022 तक

(लाख रुपए में)

विवरण	बिल नहीं किया गया	देय नहीं	निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया भुगतान की देय तिथि से*					
			6 महीने से कम	6 महीने – 1 साल	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से ज्यादा	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– अच्छा माना जाता है*	297.00	-	0.04	-	-	-	-	297.04
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– जिन क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है			-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य– क्रेडिट बिगड़ा हुआ			-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य– अच्छा माना जाता है		-	-	-	-	-	-	
(v) विवादित व्यापार प्राप्य– जिन क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है			-	-	-	-	-	-
(Vi) विवादित व्यापार प्राप्य– क्रेडिट बिगड़ा हुआ			-	-	-	-	-	-

प्रकटीकरण लेन–देन की तारीख से है
बिल न किए गए देय राशियों के विवरण के लिए नोट 38(23) देखें।

नोट 6 : ऋण

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
क) ऋण		
(i) सावधि ऋण		
सावधि ऋण	3,393,060.62	2,785,392.12
अर्जित ब्याज और ऋण पर देय	5,159.56	3,620.26
उपार्जित और देय परिसमापन क्षति	2,777,929.18	2,349,209.04
अर्जित ब्याज लेकिन ऋण पर देय नहीं	1,170.23	1,067.03
फ्रंट एवं शुल्क समायोजन	(10,141.49)	(7,462.93)
परिशोधन लागत पर सकल सावधि ऋण	**3,389,374.30**	**2,782,652.25**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक परिशोधन लागत पर	मार्च 31, 2021 तक परिशोधन लागत पर
(ii) अन्य		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	664.69	664.69
एमएनआरई के ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज	254.77	254.77
कर्मचारियों को ऋण	826.31	261.36
संबंधित पक्षों को ऋण	12.00	3.21
अर्जित ब्याज लेकिन स्टाफ ऋण पर देय नहीं	175.01	190.83
अर्जित ब्याज लेकिन संबंधित पार्टी के स्टाफ ऋण पर देय नहीं	27.98	8.74
कुल (क) - सकल ऋण	**3,391,335.06**	**2,784,035.87**
घटाएं: हानि भत्ता ऋण (चरण 3)	73,890.29	93,471.56
कुल (क) - शुद्ध ऋण	**3,317,444.77**	**2,690,564.31**
(ख) उपरोक्त का उप वर्गीकरण :		
सुरक्षा वार वर्गीकरण		
(i) मूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित		
सावधि ऋण	2,499,026.52	2,437,369.42
कर्मचारियों को ऋण	826.31	261.36
संबंधित पक्षों को ऋण	12.00	3.21
अर्जित ब्याज और ऋण पर देय	5,159.56	3,620.26
उपार्जित और देय परिसमापन क्षति	125.38	35.77
अर्जित ब्याज लेकिन ऋण पर देय नहीं	1,345.24	1,257.86
अर्जित ब्याज लेकिन संबंधित पार्टी के ऋणों पर बकाया नहीं	27.98	8.74
एमएनआरई के घटकों को ऋण		
एमएनआरई के घटकों को ऋण	664.69	664.69
एमएनआरई ऋणों पर अर्जित और देय ब्याज	254.77	254.77
(ii) अमूर्त संपत्ति द्वारा सुरक्षित	-	-
(iii) बैंक/सरकारी गारंटी द्वारा कवर किया गया		
बैंक गारंटी/सरकारी गारंटी द्वारा सुरक्षित मियादी ऋण	436,420.85	14,516.95
(iv) असुरक्षित*		
सावधि ऋण	447,471.76	326,042.81
कुल (ख) - सकल	**3,391,335.06**	**2,784,035.87**
घटाएं: हानि भत्ता	73,890.29	93,471.56
कुल (ख) - शुद्ध	**3,317,444.77**	**2,690,564.31**
(ग) (आई) भारत में ऋण		
(i) सार्वजनिक क्षेत्र	1,147,658.47	692,445.66
(ii) अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	2,243,676.59	2,091,590.21

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक परिशोधन लागत पर	मार्च 31, 2021 तक परिशोधन लागत पर
कुल (ग) (I) सकल	**3,391,335.06**	**2,784,035.87**
घटाएं: हानि भत्ता	73,890.29	93,471.56
कुल (ग) (I) - शुद्ध	**3,317,444.77**	**2,690,564.31**
(ग) (II) भारत के बाहर ऋण	**-**	**-**
घटाएं: हानि भत्ता	-	-
कुल (ग) (II)- शुद्ध	**-**	**-**
कुल (ग) (I) एवं ग (II)	**3,317,444.77**	**2,690,564.31**

*₹ 447,471.76 लाख के कुल असुरक्षित ऋणों में से ₹ 447,154.80 लाख की राशि के ऋण अमूर्त सुरक्षा के माध्यम से सुरक्षित हैं, इरेडा ऋण के पुनर्भुगतान के लिए भार रहित विशिष्ट राजस्व धारा निर्धारित करके डिफॉल्ट खाते पर विशेष शुल्क।

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने उधारकर्ताओं को पत्र भेजे हैं, ऐसे मामलों में जहां ऋण वापस ले लिया गया है या अदालत/एनसीएलटी के समक्ष लंबित है, जिसमें उधारकर्ताओं को 31.03.2022 तक शेष राशि की पुष्टि करने की मांग की गई है। उक्त शेष राशि के 9.75 प्रतिशत की पुष्टि प्राप्त हो चुकी है। शेष ऋण परिसंपत्तियों में से रु. 3,062,319.72 लाख जिनके लिए शेष राशि की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, 68.80 प्रतिशत ऋण मूर्त प्रतिभूतियों द्वारा प्रत्याभूत हैं, 31.20 प्रतिशत सरकारी गारंटी/सरकार को ऋण के रूप में और 0.02 प्रतिशत अप्रत्याभूत ऋण हैं।

क्रेडिट जोखिम पर प्रकटीकरण के लिए, नोट 38 (37) देखें।

नोट 7 : निवेश

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
निवेश		
(क) निवेश		
28 के रूप में इंडस्ट्रीज के अनुसार लागत पर मापा गया सहयोगी में निवेश		
एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड में निवेश (24% ईक्विटी वाले)*	-	12.00
(पिछले वर्ष 31.03.2021 को समाप्त हुआ : 168,000 के इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक (रु. 10 के 48,000 ईक्विटी शेयरों सहित बोनस शेयरों के रूप में आबंटित))		
परिशोधन लागत पर		
भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (उद्धत)	9,926.84	-
(6.67% भारत सरकार 2035 एफ.वी. : ₹ 10,000.00 लाख)		
कुल - सकल (क)	**9,926.84**	**12.00**
(ख) उपरोक्त का उप वर्गीकरण :		
(i) भारत से बाहर निवेश	-	-
(ii) भारत में निवेश	9,926.84	12.00
कुल (ख)	**9,926.84**	**12.00**
घटाएं: हानि के लिए भत्ता (ग)	-	-
कुल - शुद्ध (घ)=(क)-(ग)	**9,926.84**	**12.00**

*(संदर्भित नोट संख्या 38(20) एवं 38(25))

नोट 8 : अन्य वित्तीय आस्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
सुरक्षा जमा	61.26	80.84
कर्मचारियों को अग्रिम	499.89	31.79
संबंधित पक्षों को अग्रिम	25.00	-
अन्य प्राप्य :		
एफडीआर - उधारकर्ता	1,978.73	1,922.57
वाणिज्यिक पत्र	6,899.11	6,899.11
घटाएं: वाणिज्यिक पत्रों पर हानि भत्ता	(6,899.11)	(6,899.11)
जीईएफ -एमएनआरई -संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना (नोट 38(31) देखें)	301.06	-
अन्य	316.15	244.16
कुल	**3,182.09**	**2,279.36**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 9 : वर्तमान कर परिसम्पत्तियां (शुद्ध)

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
प्रीपेड आयकर (क)	169,195.33	138,535.41
घटाएं : आयकर का प्रावधान (ख)	156,210.81	127,689.39
कुल (क-ख)	**12,984.52**	**10,846.02**

नोट 10 : आस्थगित कर आस्तियां / देयता (शुद्ध)

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
लाभ और हानि अनुभाग और ओसीआई		
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
गारंटी आयोग पर अप्रत्यक्ष कर और अन्य का प्रावधान	1,865.24	-
सेवा कर एवं अन्य का प्रावधान	277.20	-
छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	167.26	132.31
उपदान का प्रावधान	0.00	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हित लाभ का प्रावधान	290.31	250.22
बीमार छुट्टी का प्रावधान	109.63	95.53
सामान भत्ते का प्रावधान	5.29	4.43
विदाई उपहार का प्रावधान	2.71	-
निष्पादन प्रोत्साहन का प्रावधान	202.02	230.87
क्षति का प्रावधान	38,888.74	35,803.60
फ्रंट एवं शुल्क – पुस्तकों में आस्थगित	2,953.90	328.69
उप कुल	**44,762.30**	**36,845.63**
विलंबित कर उत्तरदायित्व		
मूल्यह्रास	4,907.50	5,197.09
विदेशी मुद्रा हानि अनुवाद अंतर	7,589.05	10,457.34
बंड की लेन–देन लागत	59.87	91.99
उप कुल	**12,556.42**	**15,746.42**
कुल	**32,205.88**	**21,099.21**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति / देयता	**32,205.88**	**21,099.21**

आस्थगित करों की आवाजाही के लिए नोट *38(29)* देखें

नोट 11 : निवेश संपत्ति

(लाख रुपए में)

विवरण	रकम निवेश संपत्ति (भवन – आवासीय)
सकल ब्लॉक	
01.04.2020 पर शेष राशि	**8.75**
जोड़	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
31.03.2021 पर शेष राशि	**8.75**
जोड़	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
31.03.2022 पर शेष राशि	**8.75**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2020 पर शेष राशि	**3.66**
मूल्यह्रास व्यय	0.84
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
31.03.2021 पर शेष राशि	**4.50**
मूल्यह्रास व्यय	0.70
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
31.03.2022 पर शेष राशि	**5.20**
ले जाने वाली राशि	
01.04.2020 तक	5.09
31.03.2021 तक	4.25
31.03.2022 तक	3.55

नोट *38(19)* देखें .

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य	(लाख रुपए में)
01.04.2020 तक	211.00
31.03.2021 तक	211.00
31.03.2022 तक	230.00

नोट 12 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर और फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय की जगह	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
सकल ब्लॉक									
01.04.2020 तक शेष	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**492.78**	**55.89**	**92.05**	**32.89**	**-**	**32,434.33**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	152.99	-	5.59	35.52	0.02	194.12
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटा : वर्ष के दौरान निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-	-	-	73.42	-	4.71	2.50	-	80.64
31.03.2021 तक शेष	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**572.34**	**55.89**	**92.93**	**65.91**	**0.02**	**32,547.81**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-	-	239.31	-	68.01	194.33	0.11	501.77
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटा : वर्ष के दौरान निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-	-	-	118.93	-	3.49	1.42	-	123.84
31.03.2022 तक शेष	**129.93**	**2,239.49**	**29,391.30**	**692.73**	**55.89**	**157.45**	**258.81**	**0.13**	**32,925.74**
संचित मूल्यह्रास									
01.04.2020 तक शेष	**33.62**	**393.53**	**5,125.23**	**318.99**	**34.73**	**48.12**	**11.71**	**-**	**5,965.93**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	9.15	132.77	1,729.11	127.22	6.49	8.99	6.54	0.02	2,020.29
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटा : निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-	-	-	69.27	-	4.47	2.31	-	76.04

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	भवन		संयंत्र और मशीनरी		वाहन	फर्नीचर और फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	पुस्तकालय	कुल
	चेन्नई में कार्यालय की जगह	सौर संयंत्र	सौर संयंत्र	कंप्यूटर					
31.03.2021 तक शेष	**42.77**	**526.30**	**6,854.34**	**376.94**	**41.22**	**52.64**	**15.94**	**0.02**	**7,910.18**
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मूल्यह्रास व्यय	8.28	132.77	1,729.11	193.47	4.33	12.19	40.70	0.11	2,120.96
पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यह्रास समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घटा : निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-	-	-	112.79	-	3.03	0.22	-	116.04
31.03.2022 तक शेष	**51.05**	**659.07**	**8,583.45**	**457.62**	**45.55**	**61.80**	**56.42**	**0.13**	**9,915.10**
ले जाने वाली राशि									
01.04.2020 तक	**96.31**	**1,845.95**	**24,266.07**	**173.79**	**21.17**	**43.94**	**21.18**	**-**	**26,468.39**
31.03.2021 तक	**87.16**	**1,713.18**	**22,536.96**	**195.40**	**14.68**	**40.29**	**49.96**	**-**	**24,637.63**
31.03.2022 तक	**78.88**	**1,580.42**	**20,807.84**	**235.11**	**10.35**	**95.65**	**202.39**	**-**	**23,010.64**

अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख जो कंपनी के नाम पर नहीं हैं की जानकारी के लिए नोट *38(45)* देखें।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 13 : पूंजीगत कार्य प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी)

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि
पूंजी का कार्य प्रगति पर – भवन	
01.04.2020 तक शेष	**0.86**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-
उधार लेने की लागत पूंजीकृत	-
घटाएं : संपत्ति संयंत्र और उपकरण/निवेश संपत्ति में स्थानांतरण	-
31.03.2021 तक शेष	**0.86**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	12,832.42
उधार लेने की लागत पूंजीकृत	-
घटाएं : संपत्ति संयंत्र और उपकरण/निवेश संपत्ति में स्थानांतरण	-
31.03.2022 तक शेष	**12,833.28**

I) पूंजी–कार्य–प्रगति की कालप्रभावन की अनुसूची (उस परियोजना सहित जिसका पूरा होना अतिदेय है)

(a) पूंजी–कार्य–प्रगति में (निर्धारित पूर्णता के भीतर)

(लाख रुपए में)

31.03.2022 तक	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	12,832.42	-	-	0.86	12,833.28
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(लाख रुपए में)

31.03.2021 तक	अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	-	-	0.86	-	0.86
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(b) पूंजी–कार्य–प्रगति में (completion overdue / exceeded cost compared to its original plan)

(लाख रुपए में)

31.03.2022 तक	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1				
परियोजना 2	-			

(लाख रुपए में)

31.03.2021 तक	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1				
परियोजना 2	-			

ii) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर जनहित याचिका (पीआईएल) के कारण एनबीसीसी परिसर के कब्जे में देरी हुई। इस प्रकार इसे विलंबित मूल योजना के बराबर नहीं माना गया।

iii) इरेडा ने 06.07.21 को एनबीसीसी भवन, किदवई नगर में कार्यालय स्थान और 15.07.21 को एनबीसीसी भवन, किदवई नगर में 2 आवासीय फ्लैटों का कब्जा ले लिया है। हालांकि वे उपयोग के लिए तैयार नहीं थे।

iv) इरेडा को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मेसर्स एनबीसीसी लिमिटेड से संपत्ति कर के भुगतान के संबंध में कोई पुष्टि नहीं मिली है।

v) सीपीडब्ल्यूआईपी को पूरा करने के लिए खर्च की जाने वाली राशि अनिश्चित है।

नोट 14 : संपत्ति के उपयोग का अधिकार

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि		
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	भवन	भूमि	कुल
01.04.2020 तक शेष राशि	**2,455.71**	**-**	**2,455.71**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	109.27	433.34	542.61
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	(173.27)	-	(173.27)
31.03.2021 तक शेष राशि	**2,391.72**	**433.34**	**2,825.06**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2022 तक शेष राशि	**2,391.72**	**433.34**	**2,825.06**
संचित मूल्यह्रास			
01.04.2020 तक शेष राशि	**741.12**	**-**	**741.12**
मूल्यह्रास व्यय	230.59	9.08	239.67
समायोजन / पुनर्वर्गीकरण	(117.57)	-	(117.57)
31.03.2021 तक शेष राशि	**854.13**	**9.08**	**863.22**
मूल्यह्रास व्यय	178.10	18.45	196.54
स्मायोजन / पुनर्वर्गीकरण	-	-	-
31.03.2022 तक शेष राशि	**1,032.23**	**27.53**	**1,059.76**
आगे ले जाने वाली राशि			
01.04.2020 तक	**1,714.60**	**-**	**1,714.60**
31.03.2021 तक	**1,537.59**	**424.26**	**1,961.84**
31.03.2022 तक	**1,359.49**	**405.81**	**1,765.30**

नोट *38(12)* का संदर्भ लें

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 15 : विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि
	विकास के तहत साफ्टवेयर
01.04.2020 तक शेष राशि	**-**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-
घटाएं : अमूर्त राशियों में अंतरण	-
31.03.2021 तक शेष राशि	**-**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	311.16
घटाएं : अमूर्त राशियों में अंतरण	-
31.03.2022 तक शेष राशि	**311.16**

I) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की कालप्रभावन अनुसूची (उस परियोजना सहित जिसका पूरा होना अतिदेय है)

(a) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति (निर्धारित पूर्णता के भीतर)

(लाख रुपए में)

31.03.2022 तक	अमूर्त संपत्ति अविकसितता की अवधि के लिए में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	311.16	-	-	-	311.16
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(लाख रुपए में)

31.03.2021 तक	अमूर्त संपत्ति अविकसितता की अवधि के लिए में राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
परियोजनाएं प्रगति पर	-	-	-	-	-
परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-

(ख) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति (इसकी मूल योजना की तुलना मे अतिदेय/अधिक लागत का पूरा करना)

(लाख रुपए में)

31.03.2022 तक	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
ईआरपी–डी 365 का कार्यान्वयन	682.80	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

(लाख रुपए में)

31.03.2021 तक	में पूरा किया जाना है			
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
परियोजना 1	-	-	-	-
परियोजना 2	-	-	-	-

परियोजना (ईआरपी - डी 365 के कार्यान्वयन) को 31.07.2021, को लाइव होना था, लेकिन कंपनी के नियंत्रण से बाहर के कारण जैसे कि कोविड-19 , परामर्श फर्म आदि में उच्च एट्रिशन) से परियोजना में देरी हुई. वित्त वर्ष 2022-23 में इसके गो लाइव होने की उम्मीद है।

नोट 16 : अमूर्त संपत्ति

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि
	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल ब्लॉक	
01.04.2020 तक शेष राशि	**43.18**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	0.82
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
31.03.2021 तक शेष राशि	**43.99**
वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिवर्तन की राशि	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण	-
31.03.2022 तक शेष राशि	**43.99**
संचित मूल्यह्रास	
01.04.2020 तक शेष राशि	**26.80**
परिशोधन व्यय	6.60
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिशोधन और समायोजन	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
31.03.2021 तक शेष राशि	**33.40**
परिशोधन व्यय	6.11
पुनर्मूल्यांकन के कारण परिशोधन और समायोजन	-
घटा: निपटान / बिक्री / स्थानांतरण पर समाप्त	-
31.03.2022 तक शेष राशि	**39.49**
ले जाने वाली राशि	
01.04.2020 तक	**16.38**
31.03.2021 तक	**10.60**
31.03.2022 तक	**4.50**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 17 : अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

विवरण	31, 2022 तक	31, 2021 तक
पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम	-	12,663.03
भारत सरकार पूरी तरह से सेवित बांड धन प्राप्य (देखें नोट 38(32)	163,879.20	163,879.20
अन्य प्राप्य	216.92	248.82
अन्य अग्रिम	116.69	153.32
कुल	**164,212.81**	**176,944.37**

नोट 18 : देय

(लाख रुपए में)

विवरण	31, 2022 तक	31, 2021 तक
देय व्यापार		
(i) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	62.26	43.47
(ii) माइक्रो के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	454.69	2,204.52
कुल	**516.95**	**2,247.98**

देय व्यापार काल प्रभावन अनुसूची
31.03.2022 तक

(लाख रुपए में)

विवरण	देय नहीं	बकाया बिल नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	कुल
(i) माइक्रो, लघु एवं मध्यम इंटरप्राइजेस (एमएसएमई)	57.05	2.11	-	-	-	-	59.16
(ii) अन्य	229.24	-	188.37	-	5.95	-	423.56
(iii) विवादित बकाया – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	-	-	-	1.22	1.88	-	3.10
(iv) विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	-	31.13	31.13

*जहां भुगतान की कोई देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है उस मामले में लेन–देन की तारीख से प्रकटीकरण किया गया है।

31.03.2021 तक

(लाख रुपए में)

विवरण	देय नहीं	बकाया बिल नहीं	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया*				
			1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से ज्यादा	कुल
(i) एमएसएमई -	-	40.37	-	-	-	40.37	
(ii) अन्य	20.81	-	494.38	23.68	-	1,625.00	2,163.87
(iii) विवादित बकाया – एमएसएमई -	-	1.22	1.88	-	-	3.10	
(iv) विवादित बकाया - अन्य	-	-	-	1.74	0.43	38.48	40.64

*ज्हां भुगतान की कोई देय तिथि निर्दिष्ट नहीं है, उस मामले में लेन–देन की तारीख से प्रकटीकरण किया गया है।

नोट 19 : ऋण प्रतिभूतियां

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
बॉण्ड:-		
(I) करमुक्त बॉण्ड - गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (सुरक्षित)		
(ऋण और अग्रिमों पर पारि–पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित (पुस्तक ऋण) कंपनी के.)		
(i) 8.16% कर मुक्त बॉण्ड	7,575.90	7,575.90
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IA- 2013-14)(13.03.2024 को चुकाने योग्य)		
(ii) 8.41% कर मुक्त बॉण्ड	10,529.14	10,529.14
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IB- 2013-14) (13.03.2024 को चुकाने योग्य)		
(iii) 7.17% कर मुक्त बॉण्ड	28,400.00	28,400.00
(श्रृंखला XIV निजी आईसी- 2015-16) (01.10.2025 को चुकाने योग्य)		
(iv) 7.28 % कर मुक्त बॉण्ड	10,889.06	10,889.06
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IA- 2015-16) (21.01.2026 को चुकाने योग्य)		
(v) 7.53 % कर मुक्त बॉण्ड	12,788.59	12,788.59
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IB- 2015-16) (21.01.2026 को चुकाने योग्य)		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(vi) 8.55% कर मुक्त बॉण्ड	12,307.69	12,307.69
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IIA- 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य)		
(vii) 8.80% कर मुक्त बॉण्ड	23,455.08	23,455.08
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IIB- 2013-14) (13.03.2029 को चुकाने योग्य)		
(viii) 8.56% कर मुक्त बॉण्ड	3,600.00	3,600.00
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IC- 2013-14) (27.03.2029 को चुकाने योग्य)		
(ix) 7.49 % कर मुक्त बॉण्ड	88,426.52	88,426.52
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IIA- 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य)		
(x) 7.74 % कर मुक्त बॉण्ड	48,351.53	48,351.53
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IIB- 2015-16) (21.01.2031 को चुकाने योग्य)		
(xi) 8.55% कर मुक्त बॉण्ड	3,881.23	3,881.23
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IIIA- 2013-14) (21.01.2034 को चुकाने योग्य)		
(xii) 8.80% कर मुक्त बॉण्ड	14,416.42	14,416.42
(श्रृंखला XIII किस्त-I-IIIB- 2013-14) (21.01.2034 को चुकाने योग्य)		
(xiii) 7.43 % कर मुक्त बॉण्ड	3,644.42	3,644.42
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IIIA- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य)		
(xiv) 7.68 % कर मुक्त बॉण्ड	7,499.88	7,499.88
(श्रृंखला XIV किस्त-I-IIIB- 2015-16) (21.01.2036 को चुकाने योग्य)		
उप–कुल (क)	**275,765.46**	**275,765.46**
(II) कर योग्य बॉण्ड - गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (सुरक्षित)*		
(कंपनी के ऋण और अग्रिमों पर ऋणात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा सुरक्षित (पुस्तक ऋण))		
(i) 9.49% कर योग्य बॉण्ड	30,000.00	30,000.00
(श्रृंखला IV- 2012-13) (04.06.2022 को चुकाने योग्य)		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(ii) 8.44% कर योग्य बॉण्ड	30,000.00	30,000.00
(श्रृंखला VA- 2013-14) (10.05.2023 को चुकाने योग्य)		
(iii) 9.02% कर योग्य बॉण्ड	25,000.00	25,000.00
(श्रृंखला III- 2010-11 - किस्त II)(24.09.2025 को चुकाने योग्य)		
(iv) 8.12% कर योग्य ग्रीन बॉण्ड	20,000.00	20,000.00
(श्रृंखला VI A - 2016-17) (24.03.2027 को चुकाने योग्य)		
(v) 8.05% कर योग्य ग्रीन बॉण्ड	50,000.00	50,000.00
(श्रृंखला VI B - 2016-17) (29.03.2027 को चुकाने योग्य)		
(vi) 8.49% कर योग्य बॉण्ड	20,000.00	20,000.00
(श्रृंखला VB- 2013-14) (10.05.2028 को चुकाने योग्य)		
(vii) 8.51% कर योग्य बॉण्ड	27,500.00	27,500.00
(श्रृंखला VIIA- 2018-19) (03.01.2029 को चुकाने योग्य)		
घटा :से अधिक पर लेन–देन लागत	18.99	21.01
	27,481.01	27,478.99
(viii) 8.47% कर योग्य बॉण्ड	59,000.00	59,000.00
(श्रृंखला VIIB- 2018-19) (17.01.2029 को चुकाने योग्य)		
घटा :से अधिक पर लेन–देन लागत	19.06	21.08
	58,980.94	58,978.92
(ix) 8% कर योग्य बॉण्ड	100,000.00	100,000.00
(श्रृंखला IX A- 2019-20) (24.09.2029 को चुकाने योग्य)		
घटा :से अधिक पर लेन–देन लागत	20.36	22.30
	99,979.64	99,977.70
(x) 7.40% कर योग्य बॉण्ड	80,300.00	80,300.00
(श्रृंखला IX B- 2019-20) (03.03.2030 को चुकाने योग्य)		
घ्झटा :से अधिक पर लेन–देन लागत	39.28	42.84
	80,260.72	80,257.16

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
उप–कुल (ख)	**441,702.30**	**441,692.76**
(III) कर योग्य बॉण्ड - गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (असुरक्षित)*		
(i) 5.98% कर योग्य बॉण्ड	10,600.00	-
(श्रृंखला XI A- 2021-22) (16.04.2025 को चुकाने योग्य)		
घटा :से अधिक पर लेन–देन लागत	0.86	-
उप–कुल (ग)	10,599.14	-
IV) मसाला बॉण्ड (असुरक्षित)		
(i) 7.125% ग्रीन मसाला बॉण्ड	195,000.00	195,000.00
(श्रृंखला I- 2017-18)(10.10.2022 को चुकाने योग्य)		
घ्झटा :से अधिक पर लेन–देन लागत	153.03	432.06
	194,846.97	194,567.94
उप–कुल (घ)	**194,846.97**	**194,567.94**
कुल बॉण्ड (क+ख+ग+घ)	**922,913.87**	**912,026.16**
भारत में ऋण प्रतिभूतियां	728,066.90	717,458.22
भारत से बाहर ऋण प्रतिभूतियां	194,846.97	194,567.94
कुल	**922,913.87**	**912,026.16**

नोट:

*इरेडा द्वारा जारी किए गए कर योग्य बांड में बांडों को पुनः जारी करने के लिए संबंधित बांडों के सूचना ज्ञापन में खंड होता है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी बांड को नहीं भुनाया है। *(पिछले वर्ष : 8.87% कर योग्य बांड - (श्रृंखला III-A 2010-11) (ISIN: INE202E07054) ₹ 15,000.00 लाख के)* जिसके लिए बांड को पुनः जारी करने के उद्देश्य से जीवित रखने का अधिकार था।

नोट 20 : उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक परिशोधन लागत पर	मार्च 31, 2021 तक परिशोधन लागत पर
(क) सावधि ऋण-		
(I) बैंकों से		
क. सावधि ऋण - सुरक्षित		
(I) एशियाई विकास बैंक से (एडीबी) - ऋण-I	-	1,784.89
(ऋण और अग्रिमों पर पारि–पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित (पुस्तक ऋण) और आगे भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती 15.01.2003 से शुरू 15.07.2021 तक यूएस$ 398,900 से यूएस$ 2,428,269 के बीच किश्तों में)		
(ii) केएफडब्ल्यू से - ऋण-V	53,470.35	63,442.05
(ऋण और अग्रिमों पर पारि–पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित (पुस्तक ऋण))		
(30.12.2018 से 30.12.2027 तक छमाही आधार पर चुकौती 5,263,000 यूरो की 16 किश्तों में और प्रत्येक 5,264,000 की 3 किश्तों में)		
(iii) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से (एचडीएफसी) - ऋण-I	-	5,000.00
(100% कवर के साथ 90 दिनों तक कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) और प्राप्तियों पर परि–पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(28.03.2019 से शुरू त्रैमासिक आधार पर चुकौती। शेष राशि रु.16,66,66,666 प्रत्येक की 11 किश्तों में चुकौती)		
(iv) एचडीएफसी बैंक लिमिटेड से (एचडीएफसी) - ऋण-II	-	22,500.00
(100% कवर के साथ 90 दिनों तक कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) और प्राप्तियों पर परि–पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
(30.12.2020 से शुरू होकर ₹ 125,000,000 प्रत्येक की 20 समान तिमाही किश्तों में चुकौती).		
(V) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से- ऋण-I*	45,000.00	65,000.00
(कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (पुस्तक ऋण) के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम समपार प्रभार द्वारा सुरक्षित ऋण राशि का 100%)		
(22.09.2019 से शुरू होकर रु. 500,000,000.00 की 20 समान तिमाही किश्तों में चुकौती) .		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
घ्झटा :उपरोक्त पर लेन–देन लागत	2.12	4.17
	44,997.88	**64,995.83**
(vi) भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई द्वितीय) से- ऋण-II* (कंपनी के ऋणों और अग्रिमों (पुस्तक ऋण) के दृष्टिबंधक के माध्यम से प्रथम समपार प्रभार द्वारा सुरक्षित ऋण राशि का 100%)	-	6,200.00
(27.08.2021 से शुरू होकर ₹ 500,000,000.00 प्रत्येक की 20 समान तिमाही किश्तों में चुकौती योग्य) .		
(vii) एशियाई विकास बैंक से (एडीबी) - पुस्तक ऋण-II (भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)	131,398.97	137,208.77
(ऋण और अग्रिमों पर पारि–पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित (पुस्तक ऋण))		
(अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती 15.04.2020 से शुरू होने तक 15.10.2034 प्रत्येक यूएस$ 6,666,666.67 की 29 समान किश्तों में और यूएस$ 6,666,666.57 की 30वीं किश्त में)		
(viii) बैंक ऑफ इंडिया से (बीओआई) - ऋण-I	84,299.55	24,799.55
(के प्राप्तियों पर पहले परि–पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित 100% सुरक्षा कवर वाली कंपनी)		
(22.02.2022 से शुरू होकर रु. 416,666,667 प्रत्येक की 24 समान तिमाही किश्तों में चुकौती) .		
(ix) बैंक ऑफ इंडिया से (बीओआई) - ऋण-II	50,000.00	-
(प्राप्तियों पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित 100% सुरक्षा कवर वाली कंपनी)		
(30.09.2022 से शुरू होकर रु.789,473,684 प्रत्येक की 19 समान तिमाही किश्तों में चुकौती.) .		
(X) पंजाब नेशनल बैंक से (पीएनबी) - ऋण-II (बकाया ऋण राशि के 1 गुना के न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ कंपनी के सभी वर्तमान और भविष्य की प्राप्य राशियों पर पहले पारि–पासु शुल्क द्वारा सुरक्षित)	60,001.00	-
(31.03.2023 से शुरू होकर रु. 1,687,500,00 प्रत्येक की 16 संरचित त्रैमासिक समान किश्तों में चुकौती).		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(xi) भारतीय स्टेट बैंक से (एसबीआई) - ऋण-III	240,000.00	
(दृष्टिबंधक के माध्यम से पहले पारि–पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित कंपनी के ऋण और अग्रिम (पुस्तक ऋण) के अधीन ऋण राशि का 100%)		
(30.06.2022 से शुरू होकर 1,578,947,369 की 19 समान तिमाही किश्तों में चुकौती) .		
(xii) केएफडब्ल्यू से - ऋण-VI	12,549.62	-
(ऋण और अग्रिमों पर पारि–पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित (पुस्तक ऋण))		
(अर्धवाषिक आधार पर 30.12.2021 से 30.06.2028 तक प्रत्येक 1,428,000 यूरों की 6 किश्तों में और प्रत्येक 1,429,000 यूरों की 8 किश्तों में चुकौती)		
उप–कुल (क)	**676,717.37**	**325,931.09**
ख. सावधि ऋण - असुरक्षित		
(I) केएफडब्ल्यू से - ऋण-I	17,887.91	19,201.83
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(अर्धवार्षिक आधार पर 30.12.2009 से 30.12.2039 तक यूरो 586,451.79 प्रत्येक की 28 किश्तों में, प्रत्येक 586,963.08 यूरों की 32 किश्तों में और 586,963 यूरो की 1 किश्त में चुकौती)		
(ii) केएफडब्ल्यू से - ऋण-III	15,783.15	16,623.13
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(अर्धवार्षिक आधार पर 30.06.2020 से 30.12.2049 तक प्रत्येक के लिए यूरो 332,000 प्रत्येक की 9 किश्तों में और प्रत्येक 333,000 यूरो की 51 किश्तों में चुकौती)		
(iii) केएफडब्ल्यू से - ऋण-IV	18,814.82	38,267.56
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत) (अर्धवार्षिक आधार पर 30.06.2014 से 30.12.2022 तक 11,111,000 यूरो की 16 किश्तों में और प्रत्येक 11,112,000 यूरो की 2 किश्तों में चुकौती)		
(iv) केएफडब्ल्यू से - ऋण-VII	13,213.67	12,812.35

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(अर्धवार्षिक आधार पर 15.05.2023 से 15.05.2035 तक की चुकौती 8,912,000 अमरीकी डालर की 5 किश्तों में और 8,913,000 अमरीकी डालर की 20 किश्तों में)		
(V) पुर्ननिर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) से - ऋण -III	11,817.16	8,117.93
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(बकाया ऋण एवं वार्षिक आधार पर 15.04.2022 से 15.10.2035 तक 556,508.17 अमरीकी डालर की 27 किश्तों और 562,743.60 अमरीकी डालर की 28वीं किश्त)		
(vi) पुर्ननिर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक (आईबीआरडी) स्वच्छ प्रौद्योगिक कोष (सीटीएफ) - ऋण-III	3,884.97	2,653.54
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(बकाया ऋण एवं वार्षिक आधार पर 15.04.2027 से 15.10.2056 तक यूएस डालर 51,248.27 की बीस किश्तों में और प्रत्येक यूएस$ 102,496.55 की 40 किश्तों में)		
उप कुल (ख)	**81,401.68**	**97,676.36**
बैंकों से कुल ऋण (ग=क+ख)	**758,119.06**	**423,607.44**
(II) दूसरों से		
घ. सावधि ऋण – सुरक्षित		
उप कुल (घ)	**-**	**-**
ज. सावधि ऋण – असुरक्षित		
(I) राष्ट्रीय स्वच्छ उर्जा कोष से (एनसीईएफ)	5,821.67	6,742.93
(33 - 40 संरचित त्रैमासिक किश्तों में चुकाने योग्य)		
(ii) एजेंस फ्रैंकाइज डी डेवलपमेंट (एएफडी) से - ऋण-I	35,557.16	40,179.53
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती 31.07.2016 से शुरू होने तक 31.01.2031 यूरो 2,333,333.33 की 30 किश्तों में)		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
(iii) एजेंस फ्रैंकाइज डी डेवलपमेंट (एएफडी) से - ऋण-II	63,494.93	73,184.15
(अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती 30.11.2019 से शुरू होने तक 30.05.2029 प्रत्येक 5,000,000 यूरो की 20 किश्तों में)		
(iv) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-I	177,583.09	199,080.00
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(छमाही आधार पर चुकौती 20.6.2021 से शुरू होकर 20.06.2041 जेपीवाई 731,720,000 और 40 की पहली किश्त में जेपीवाई 731,707,000 प्रत्येक की किश्तें)		
(v) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) से - ऋण-II	186,503.31	198,880.92
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(छमाही आधार पर चुकौती 20.03.2024 से शुरू होकर 20.03.2044 जेपीवाई 731,000,000 और 40 की पहली किश्त में जेपीवाई 730,975,000 प्रत्येक की किश्तें		
(vi) यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) से - ऋण-I	145,062.44	150,457.76
(भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत)		
(किश्त I - अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती से शुरू 26.09.2019 से 26.03.2035 तक 32 किश्तों में यूएस$ 662,000 प्रत्येक).		
(किश्त II - अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती से शुरू 15.07.2020 से 15.07.2036 तक तक 32 किश्तों में यूएस $ 1,999636.36 प्रत्येक $ 1,999,636.48 की 1 किश्त).		
(किश्त III - अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती से शुरू 16.02.2021 से 15.08.2036 तक तक 32 किश्तों में यूएस$ 4,005,375 प्रत्येक).		
(vii) यूरोपीय निवेश बैंक (ईआईबी) से - ऋण-II	130,596.68	43,261.19
(किश्त I - अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती से शुरू 27.02.2023 से 27.08.2035 तक 25 किश्तों में यूएस $ 2,263,653.85 प्रत्येक एवं यूएस$ 2,263,653.75 की एक किश्त).		
(किश्त II - अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती से शुरू 09.03.2024 से 09.09.2036 तक तक 26 किश्तों में यूएस$ 4,200,740.74 प्रत्येक एवं यूएस$ 4,200,740.76 की एक किश्त)		
(viii) भारत सरकार से ऋण	25,584.90	26,645.46
(अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (आईडीए) - के खिलाफ दूसरा अक्षय ऊर्जा परियोजना (आईएनआर ऋण)		
(15.10.2010 से शुरू होकर 15.04.2035 तक अर्धवार्षिक आधार पर चुकौती यूएस$ 625,000.00 प्रत्येक और 30 की 20 किश्तों में आईएनआर में देय		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
यूएस$ 1,250,000.00 की किश्तें)		
(ix) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से (आईआईएफसीएल) - ऋण-I	200,000.00	200,000.00
(ब्याज @ 5.60% प्रतिवर्ष बुलेट पुनर्भुगतान 26.03.2024 को)		
(x) इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से (आईआईएफसीएल) - ऋण-II	25,000.00	-
(ब्याज @ 5.86% प्रतिवर्ष बुलेट पुनर्भुगतान 24.08.2024 को)		
आरबीएल बैंक लि. से लघु अवधिक ऋण	-	15,000.00
(ब्याज @ 4.02% प्रतिवर्ष बुलेट पुनर्भुगतान 05.10.2021 को)		
उप–कुल (ई)	**995,204.18**	**953,431.94**
दूसरों से कुल ऋण (एफ=डी+ई)	**995,204.18**	**953,431.94**
कुल सावधि ऋण (ए=सी+एफ)	**1,753,323.24**	**1,377,039.39**
(ख)मांग पर चुकाने योग्य ऋण :-		
सुरक्षित		
बैंकों से		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	-	4,493.06
(25% के मार्जिन के साथ पुस्तक ऋण और प्राप्य पर प्रथम पारि–पासु चार्ज द्वारा सुरक्षित)		
बैंक ऑफ बड़ौदा	20,144.23	38,200.00
(बकाया ऋण के 125% की सीमा तक मानक संपत्ति से संबंधित पुस्तक ऋणों और प्राप्तियों पर प्रथम परि पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	-	3,322.64
(100% कवर के साथ 90 दिनों तक पुस्तक ऋणों और प्राप्तियों पर प्रथम परि पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित)		
उप–योग (ख)	**20,144.23**	**46,015.70**
कुल योग (क+ख)	**1,773,467.47**	**1,423,055.09**
भारत में उधार	730,264.33	391,254.01
भारत के बाहर उधार	1,043,203.14	1,031,801.08
योग	**1,773,467.47**	**1,423,055.09**

विभिन्न बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों अर्थात, एडीबी, विश्व बैंक, केएफडब्ल्यू, एएफडी, जेआईसीए और ईआईबी से विदेशी मुद्रा उधार को रुपये में बदल दिया गया है और इसकी हेजिंग विभिन्न बैंकों के साथ सादे वैनिला स्वैप लेन–देन/मुद्रा ब्याज दर स्वैप/मूलधन केवल स्वैप इत्यादि के द्वारा की जाती है, जिनके साथ इरेडा ने अंतर्राष्ट्रीय स्वैप और डेरिवेटिव एसोसिएशन (आईएसडीए) मास्टर समझौता हस्ताक्षर किए हैं। ये डेरिवेटिव लेन–देन प्रतिभागी बैंक के साथ परिपक्वता अवधि के लिए किए गए हैं जो ऋण की परिपक्वता अवधि से कम हो सकती है। विदेशी मुद्रा ऋण की हेजिंग विभिन्न अंतरालों पर और ऋण की रेखाओं के तहत आहरण के आधार पर कई चरणों में की गई है। ब्याज लागत और अन्य वित्तीय शुल्कों के अलावा, विदेशी मुद्रा ऋणों की हेजिंग के कारण, इन ऋणों में हेजिंग/व्युत्पन्न लागत होती है, जो कि क्रेडिट लाइन के तहत आहरण के अनुसार किश्तवार होती है, इस प्रकार इन लाइनों पर लागू ब्याज दर क्रेडिट का खुलासा ऊपर नहीं किया गया है।

'01.03.2021 से, भारतीय स्टेट बैंक से सावधि ऋण सुविधा I और II को 28.02.2022 तक एफसीएनआर (बी) मांग ऋण में परिवर्तित कर दिया गया था। एफसीएनआर (बी) ऋणों की निश्चित ब्याज दर 6.20 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी। और अन्य नियम और शर्तें पूर्ववर्ती सावधि ऋण सुविधा के समान थीं। 28.02.2022 के बाद, एफसीएनआर ऋणों को वापस रुपया सावधि ऋण सुविधा में परिवर्तित कर दिया गया है।

कंपनी बॉन्ड सहित विभिन्न उपकरणों के माध्यम से धन जुटाती है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने किसी भी ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने में चूक नहीं की है चाहे वह मूलधन के लिए हो या ब्याज के लिए।

वर्ष के दौरान जुटाई गई धनराशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन/सुविधा समझौते में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए किया गया है।

कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य उधारदाताओं द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

कंपनी द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ दाखिल किए गए बही ऋणों के विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

नोट 21 : अधीनस्थ देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
क) असुरक्षित		
स्थायी ऋण लिखतों / वरीयता शेयरों के अलावा अन्य		
(I) 9.23% इरेडा कर योग्य असुरक्षित	15,000.00	15,000.00
(अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड–श्रृंखला VIII- 22.2.2029 को चुकाने योग्य)		
कम : उपरोक्त पर लेन–देन लागत	25.15	27.68
	14,974.85	14,972.32
(ii) 7.74% इरेडा कर योग्य असुरक्षित	50,000.00	50,000.00
(अधीनस्थ टियर-II बॉण्ड - एसआर-एक्स- 08.05.2030 को चुकाने योग्य)		
कम : उपरोक्त पर लेन देन लागत	48.88	53.12
	49,951.12	49,946.88
कुल (क)	**64,925.97**	**64,919.20**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	परिशोधन लागत पर	परिशोधन लागत पर
ख) स्थान वार वर्गीकरण		
भारत में अधीनस्थ देयताएं	64,925.97	64,919.20
भारत के बाहर अधीनस्थ देयताएं	-	-
कुल (ख)	**64,925.97**	**64,919.20**

नोट 22 : अन्य वित्तीय देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
(क) राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ)	34,602.08	32,357.37
(ख) ब्याज और अन्य शुल्क अर्जित लेकिन उधार पर देय नहीं	38,785.50	39,129.20
(ग) अन्य देय :		
एमएनआरई कार्यक्रम निधि	944.85	944.85
एमएनआरई / यूएनडीपी -इरेडा योजना निधि (नोट 38(31) देखें)	3,344.23	4,010.87
जीईएफ -एमएनआरई -संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजना (नोट 38(31)देखें)	255.14	-
अदावाकृत बांड ब्याज *	67.11	134.73
एनसीईएफ को देय	89.11	212.12
लीज देयता	459.45	534.11
ब्याज पर समायोजन/ब्याज की वापसी का प्रावधान	-	250.00
अन्य	5,012.44	8,690.81
कुल	**83,559.91**	**86,264.06**

*इसमें से कोई भी राशि निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए पात्र नहीं है।

नोट 23 : प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान (नोट संख्या 38(8) देखें)		
-छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान	664.59	525.70
-उपदान के लिए प्रावधान	-	-
-सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) के लिए प्रावधान	1,153.49	994.19
-बीमार छुट्टी का प्रावधान	435.61	379.58
-सामान भत्ते का प्रावधान	21.04	17.59
-स्मृति चिन्ह (विदाई उपहार) का प्रावधान	10.77	-
अन्य		
-अप्रत्यक्ष कर और अन्य के लिए प्रावधान (गारंटी कमीशन पर)	7,411.15	-
-वित्तीय साधनों (ऋण) (पर आकस्मिक प्रावधान)स्टेज3 छोड़कर नानफंड सहित	95,899.91	58,328.81
कुल	**105,596.56**	**60,245.87**

नोट 24 : अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
अग्रिम में प्राप्त राजस्व		
अग्रिम में प्राप्त फ्रंट एंड शुल्क	1,595.21	1,305.94
अन्य अग्रिम		
अन्य	25.40	37.17
अन्य		
देय भविष्य निधि	0.06	-
सांविधिक बकाया	1,613.80	1,203.89
एमएनआरई भारत सरकार का पूरी तरह से वित्त बांड (ब्याज सहित) (नोट 38(32) देखें	165,117.48	165,093.70
विविध देयताएं -अंतर पूंजीकरण (वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण)	5,452.00	4,196.92
विश्व बैंक से पूंजी अनुदान (नोट 38(45) देखें)	311.16	-
ऊर्जा परियोजनाओं तक पहुंच के लिए डिफाल्ट जोखिम न्यूनीकरण निधि (केएफडब्ल्यू VI)#	675.68	-
कुल	**174,790.81**	**171,837.62**

#केएफडब्ल्यू द्वारा केएफडब्ल्यू VI लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत कंपनी के ऊर्जा पोर्ट फोलियो तक समग्र पहुंच के 70 प्रतिशत डिफॉल्ट जोखिमों को कवर करने के लिए प्रदान किया गया एक पोर्टफोलियो जोखिम आरक्षित खाता (पीआरआरए) की स्थापना करके उक्त राशि का उपयोग एनपीए घोषित होने पर, उधारकर्ता की सेवादायित्व, बकाया ऋण के 70 प्रतिशत तक की वसूली के लिए किया जाएगा, डीएसआरए समाप्त होने के बाद।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 25 : इक्विटी शेयर पूंजी

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
(क) अधिकृत शेयर पूंजी		
6,000,000,000 (पिछले वर्ष 6,000,000,000) रु. 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर	600,000.00	600,000.00
कुल	**600,000.00**	**600,000.00**
(ख) जारी, सदस्यता और पूरी तरह से भुगतान किया गया		
रु. 10 के 2,284,600,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक पूर्ण भुगतान (पिछले वर्ष : 784,600,000 रु. 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर).	228,460.00	78,460.00
पूरी तरह से भुगतान किया गया		
कुल	**228,460.00**	**78,460.00**

बकाया शेयरों की संख्या का समाधान : -

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक		मार्च 31, 2021 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष की शुरूआत में इक्विटी शेयर (रु. 10 प्रत्येक का)	784,600,000	78,460.00	784,600,000	78,460.00
जोड़ें:- वर्ष के दौरान जारी और आवंटित शेयर	1,500,000,000	150,000.00	-	-
वर्ष के दौरान वापस लाया गया	-	-	-	-
वर्ष के अंत में इक्विटी शेयर (रु. 10 प्रत्येक का)	2,284,600,000	228,460.00	784,600,000	78,460.00

5% से अधिक शेयर धारण करने वाले प्रत्येक शेयर धारक द्वारा धारित शेयरों का विवरण:-

विवरण	मार्च 31, 2022 तक		मार्च 31, 2021 तक	
	शेयरों की संख्या	% धारित	शेयरों की संख्या	% धारित
भारत सरकार	2,284,600,000	100	784,600,000	100

वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

विवरण	मार्च 31, 2022 तक			मार्च 31, 2021 तक		
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% परिवर्तन इस अवधि के दौरान	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	% परिवर्तन इस अवधि के दौरान
भारत सरकार	2,284,600,000	100	-	784,600,000	100	-

1 कंपनी ने ₹10 प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग जारी किया है।

2 इक्विटी शेयरधारक लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं, जो अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़कर, आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदन के अधीन है।

3 इक्विटी शेयरधारकों के पास बिना किसी प्रतिबंध के पूर्ण मतदान अधिकार हैं।

4 कंपनी ने तुलनपत्र की तारीख से ठीक पहले 5 वर्षों की अवधि के लिए नहीं किया है:

क) नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना इक्विटी शेयर जारी करना ।

ख) बोनस शेयर के माध्यम से इक्विटी शेयर जारी करना ।

ग) अपने किसी भी हिस्से को वापस खरीदना।

5 कंपनी के पास शेयरों की बिक्री या विनिवेश के लिए विकल्प/अनुबंध/प्रतिबद्धता के तहत जारी करने के लिए कोई इक्विटी शेयर आरक्षित नहीं है।

6 अवैतनिक कॉल (निदेशकों और अधिकारियों द्वारा अवैतनिक कॉलों का कुल मूल्य दिखाते हुए) : शून्य

7 जब्त किए गए शेयर (मूल रूप से भुगतान की गई राशि): शून्य

8 पूंजी प्रबंधन के लिए : नोट38 (38) देखें।

9 वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान भारत सरकार (भारत सरकार) ने 150,000.00 लाख इक्विटी योगदान का निवेश किया है। नोट 38(43) देखें।

नोट 26 : अन्य इक्विटी

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
(क) आरक्षित और अधिशेष		
(I) विशेश आरक्षित	116,155.27	104,590.98
(ii) डिबेंचर प्रतिदान आरक्षित	35,168.37	30,539.26
(iii) सामान्य आरक्षित	142,298.33	107,798.33
(iv) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद संव्यवहार आरक्षित (एफसीएमआईटीआर)	(42,156.14)	(63,875.83)
(v) एनबीएफसी आरक्षित	28,882.69	16,182.69
(ख) प्रतिधारित आय	138.14	233.40
(ग) नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग		
(i) नकद प्रवाह हेज आरक्षित	17,864.65	25,589.66
कुल अन्य ईक्विटी (क+ख+ग)	**298,351.31**	**221,058.50**

*वर्ष के दौरान परिवर्तनों के लिए ईक्विटी में परिवर्तन का विवरण देखें

अन्य ईक्विटी का ब्यौरा निम्नानुसार दर्शाया गया है :

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
अन्य आरक्षित		
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत		
वर्ष के प्रारंभ में शे ।	104,590.98	93,471.45
जोड़ें: चालू वर्ष अंतरण	11,564.29	11,119.53
घटायें : चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**116,155.27**	**104,590.98**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
डिबेंचर शोधन आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	30,539.26	25,910.15
जोड़ें : चालू वर्ष अंतरण	4,629.11	4,629.11
घटायें : चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**35,168.37**	**30,539.26**
सामान्य आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	107,798.33	88,298.33
जोड़ें : चालू वर्ष अंतरण	34,500.00	19,500.00
घटायें : चालू अवधि में अधित्याग	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**142,298.33**	**107,798.33**
विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद संव्यवहार आरक्षित (एफसीएमआईटीआर)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	(63,875.83)	(101,345.31)
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	17,133.73	30,488.20
घटायें : वर्ष के दौरान परिशोधन	(4,585.96)	(6,981.27)
वर्ष के अंत में शेष	**(42,156.14)**	**(63,875.83)**
एनबीएफसी आरक्षित (आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45-Iसी)		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	16,182.69	9,182.69
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	12,700.00	7,000.00
घटायें : वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**28,882.69**	**16,182.69**
प्रतिधारित आय		
वर्ष के प्रारंभ में प्रतिधारित आय	233.40	7,998.56
जोड़ें : वर्ष के दौरान संवर्धन	63,352.65	34,640.72
जोड़ें: अन्य व्यापक आय	(54.52)	(157.23)
घटायें: डिबेंचर शोधन आरक्षित में अंतरण	11,564.29	11,119.53
घटायें: डिबेंचर शोधन आरक्षित में अंतरण	4,629.11	4,629.11
घटायें: सामान्य आरक्षित में अंतरण	34,500.00	19,500.00
घटायें: एनबीएफसी आरक्षित में अंतरण	12,700.00	7,000.00
वर्ष के अंत में शेष	**138.14**	**233.40**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
नकद प्रवाह हेज का प्रभावी भाग		
नकद प्रवाह हेज आरक्षित		
वर्ष के प्रारंभ में शेष	25,589.66	50,155.98
हेज उपकरण पर लाभ/हानि का प्रभावी भाग	(10,323.14)	(32,828.63)
घटायें: उपरोक्त पर आयकर	2,598.13	8,262.31
वर्ष के अंत में शेष (करों का निवल)	**17,864.65**	**25,589.66**
कुल	**298,351.31**	**221,058.50**

आरक्षतियों की प्रकृति और उद्देश्य

1 **विशेष आरक्षित:** आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत आयकर कटौती का लाभ उठाने के लिए दीर्घकालिक वित्त प्रदान करने के व्यवसाय से प्राप्त कर पूर्व लाभ के /20 प्रतिशत की विशेष आरक्षित सृजित की गई है।

2 **डिबेंचर शोधन आरक्षित:** डिबेंचर शोधन आरक्षित डिबेंचर/बॉन्ड के मोचन के उद्देश्य से बनाए रखा आय से बनाया गया है। यह आरक्षित कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियों में निवेशित रहता है।

3 **सामान्य आरक्षित:** विनियोग उद्देश्यों के लिए प्रतिधारित आय से लाभ को स्थानांतरित करने के लिए समय–समय पर सामान्य आरक्षित का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसे इक्विटी के एक घटक से दूसरे में स्थानांतरित करके बनाया जाता है।

4 **विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद संव्यवहार आरक्षित (एफसीएमआईटीआर):** विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा उधारों पर असंशोधित विदेशी मुद्रा लाभ/हानि का प्रतिनिधित्व करता है जो संबंधित उधारों के कार्यकाल में परिशोधित होते हैं।

5 **प्रतिधारित आय:** प्रतिधारित आय लाभ और अन्य व्यापक आय की मदों का प्रतिनिधित्व करती है जो सीधे कंपनी द्वारा अर्जित प्रतिधारित आय में कम लाभांश वितरण और अन्य आरक्षित निधियों से अंतरण में मान्यता प्राप्त है।

6 **एनबीएफसी आरक्षित:** भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी(आई) के अंतर्गत सृजित आरक्षित, वर्ष के लिए कर पश्चात निवल लाभ के 20 प्रतिशत की प्रतिधारित आय से अंतरण का प्रतिनिधित्व करता है।

7 **नकदी प्रवाह हेज का प्रभावी भाग:** कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के अनुसरण में व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज अकाउंटिंग के तहत नामित व्युत्पन्न अनुबंध प्रभावी हेज हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'कैश फ्लो हेजेज के प्रभावी हिस्से' में मान्यता दी जाती है, इस तरह के रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जब बचाव की वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 27 : ब्याज आय

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	वित्तीय पर ब्याज परिशोधन लागत पर मापी गई संपत्ति	वित्तीय पर ब्याज परिशोधन लागत पर मापी गई संपत्ति
(I) ऋण पर ब्याज	265,805.73	249,588.83
कम : छूट	1,325.23	89.05
ऋण पर ब्याज (शुद्ध)	**264,480.50**	**249,499.78**
(ii) निवेश पर ब्याज आय		
-भारत सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज	197.38	-
-वाणिज्यिक पत्रों पर ब्याज	-	184.88
(iii) बैंकों में जमा राशि पर ब्याज		
-अल्पकालिक जमा-भारतीय मुद्रा	1,149.26	3,513.97
-अल्पकालिक जमा-विदेशी मुद्रा	1.80	46.63
(iv) अन्य ब्याज आय		
-बचत खाता पर ब्याज	4.49	0.47
(v) डिफरेंशियल इंटरेस्ट	5,488.68	3,188.10
कुल	**271,322.13**	**256,433.83**

नोट 28 : शुल्क और कमीशन आय

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
(क) व्यापार सेवा शुल्क		
(I) शुल्क आधारित आय 8,467.59	1,624.69	
(ii) परामर्श शुल्क	160.27	-
(iii) गारंटी आयोग	1,393.60	1,162.44
कुल व्यापार सेवा शुल्क (क)	**10,021.46**	**2,787.13**
(ख) सेवा शुल्क - सरकारी योजना कार्यान्वयन (ख)	617.15	590.13
कुल (क+ख)	**10,638.61**	**3,377.26**

नोट 29 : उचित परिवर्तन मूल्य पर शुद्ध लाभ/हानि

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
ट्रेडिंग पोर्टफोलियो के अलावा लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों पर शुद्ध लाभ/हानि		
(I) डेरिवेटिव्स		
- विदेशी मुद्रा ऋण के लिए लिए गए डेरिवेटिव कवर पर उचित मूल्य परिवर्तन	(147.35)	(1,247.32)
उचित मूल्य परिवर्तन:		
- वास्तविक		
- अवास्तविक	(147.35)	(1,247.32)
उचित मूल्य परिवर्तन पर कुल शुद्ध लाभ/हानि	**(147.35)**	**(1,247.32)**

*इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन अर्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों के अलावा अन्य हैं।

नोट 30 : अन्य परिचालन आय

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
I) सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व *		
बिजली की बिक्री (क)	2,907.06	2,797.68
घटाएं : ग्राहक को छूट (ख)	58.14	55.95
सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व (शुद्ध) (ग=क-ख)	**2,848.92**	**2,741.73**
ii) निवेश की बिक्री से लाभ	188.64	-
iii) अशोध्य ऋण की वसूली	1,138.99	4,175.63
कुल (i+ii+iii)	4,176.55	6,917.37

*(नोट सं. 38(23) और 38(24) देखें)

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 31 : अन्य आय

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
प्रावधान वापस लिखा गया	6.55	199.17
स्टाफ ऋण पर ब्याज	27.77	24.11
पीपीई की बिक्री पर लाभ	0.24	3.35
एसोसिएट में निवेश की बिक्री पर लाभ (देखें नोट 38(25)	12.00	-
किराये की आय	-	5.50
अन्य	1,378.98	61.08
कुल	**1,425.54**	**293.21**

नोट 32 : वित्तीय लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
	वित्तीय पर वित्तीय लागत देनदारियों को निष्पक्ष में मापा जाता है परिशोधन लागत के माध्यम से मूल्य	वित्तीय पर वित्तीय लागत देनदारियों को निष्पक्ष में मापा जाता है परिशोधन लागत के माध्यम से मूल्य
उधार पर ब्याज	70,332.92	66,761.73
ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज	71,681.80	72,296.42
अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज	5,254.50	4,862.20
अन्य उधार लागत	11,151.81	12,821.89
डधार पर लेन–देन लागत	297.41	276.06
पट्टा दायित्व पर ब्याज	6.69	7.89
कुल	**158,725.13**	**157,026.19**

नोट 33 : शुद्ध बदलाव/लेन–देन विनिमय हानि

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
शुद्ध बदलाव/लेन–देन विनिमय हानि	3.03	3.39
एमसीएमआईटीआर का परिशोधन	4,585.96	6,981.27
कुल	**4,588.99**	**6,984.66**

नोट 34 : वित्तीय आस्तियों पर क्षति

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक वित्तीय साधनों पर परिशोधन लागत पर मापा गया	मार्च 31, 2021 तक वित्तीय साधनों पर परिशोधन लागत पर मापा गया
ऋण*	17,989.84	34,164.50
कुल	**17,989.84**	**34,164.50**

*ऋणों का मूल्य वहन मूल्य पर होता है
(देखें नोट संख्या 38(37))

नोट 35 : कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
वेतन और मजदूरी	4,693.32	3,810.12
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	783.50	476.80
कर्मचारी कल्याण व्यय	397.41	444.83
मानव संसाधन विकास व्यय	7.60	4.20
कुल	**5,881.83**	**4,735.95**

नोट 36 : मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई) पर मूल्यह्रास (देखें नोट संख्या 12)	2,120.96	2,020.29
अमूर्त संपत्ति का परिशोधन (देखें नोट संख्या 16)	6.11	6.60
निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास (देखें नोट संख्या 11)	0.70	0.84
संपत्ति के उपयोग के आधार का परिशोधन (देखें नोट संख्या 14)	196.54	239.67
कुल	**2,324.31**	**2,267.40**

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

नोट 37 : अन्य खर्चे

(लाख रुपए में)

विवरण	मार्च 31, 2022 तक	मार्च 31, 2021 तक
किराया, कर और बिजली	8,768.82	233.38
मरम्मत और रखरखाव	609.60	575.59
संचार लागत	58.16	88.54
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	32.52	29.90
विज्ञापन और प्रचार	393.91	57.92
निदेशक की फीस, भत्ते और खर्चे	5.80	27.70
लेखा परीक्षक की फीस और व्यय (देखें नोट संख्या 38(28))	46.07	24.69
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	476.47	368.93
बीमा	11.92	10.25
अशोध्य ऋण	1,301.96	-
क्रेडिट रेटिंग व्यय	198.02	163.18
पीपीई की बिक्री पर नुकसान	4.33	4.30
अन्य व्यय	1,663.32	417.95
कुल	**13,570.90**	**2,002.33**

टिप्पणी - '38' लेखों पर टिप्पणियां

1. कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) में एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के रूप में पंजीकृत एक सरकारी कंपनी है। आरबीआई या अन्य नियामक द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश के लागू होते ही कार्यान्वित किया जाता है। आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन डीएनबीआर पीडी. 008/03.10.119/2016-17 दिनांक 01.09.2016 के अनुसार, इरेडा एक ''प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमाराशि स्वीकार न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी'' है।

   आरबीआई ने दिनांक 22.10.2021 को एनबीएफसी के लिए स्केल बेस्ड रेगुलेशन (एसबीआर) फ्रेमवर्क पेश किया। इस फ्रेमवर्क के अनुसार सरकार के स्वामित्व वाली एनबीएफसी अभी भी संक्रमण काल में हैं और इसलिए इस समय उन्हें अपर लेयर रेगुलेटोरी फ्रेमवर्क के अधीन नहीं करने का फैसला किया है और उस समय तक कंपनी पर एनबीएफसी–मिडल लेयर (एमएल) दिशानिर्देश लागू होंगे। यह फ्रेमवर्क 01.10.2022 से लागू होगा।

   कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और/या बीएसई लिमिटेड (जिसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता था) में सूचीबद्ध है। ग्रीन मसाला बॉण्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई आईएफएससी लिमिटेड (एनएसई इंटरनेशन एक्सचेंज) में सूचीबद्ध है।

   बैलेंस शीट, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और लाभ और हानि का विवरण एनबीएफसी के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ।।। के डिवीजन ।।। के तहत निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसके लिए इंड एएस का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है। इंड–एएस 7–नकद प्रवाह विवरणिका की अपेक्षानुसार नकद प्रवाह का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

2. **भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–36 ''परिसम्पत्तियों की अक्षमता'' के संबंध में प्रकटीकरण**

   कंपनी, प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर, यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति और/या नकदी पैदा करने वाली इकाई की हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो प्रत्येक परिसंपत्ति और/या नकद उत्पादन इकाई की अग्रणीत राशि की तुलना निवल बिक्री मूल्य या उपयोग में मूल्य से अधिक होने वाली वसूली योग्य राशि से की जाती है। उपयोग में मूल्य संपत्ति के निरंतर उपयोग से अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य से निर्धारित होता है। कंपनी को चालू और पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई अक्षमता हानि नहीं हुई है।

3. **भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–37 ''प्रावधान, आकस्मिक देनदारियों और आकस्मिक परिसम्पत्तियां'' के संबंध में प्रकटीकरण**

क. आकस्मिक देनदारियां: **(लाख रुपए में)**

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
क) कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	-	-
i) कराधान की मांग:		
आयकर की मांग[1]	21,212.06	21,211.96
सेवाकर की मांग[2]	19,993.88	-
ii) अन्य	303.61	274.65
ख) वित्तीय गारंटियों को छोड़कर गारंटियां		
i. गारंटियां	77,503.82	54,900.00
ii. आराम पत्र/भुगतान आदेश लिखत जारी किया गया और बकाया	67,879.23	50,010.00
ग) अन्य धन जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		
i. इंडिया हेबीटेट सेंटर में कार्यालय भवन के संबंध में सम्पत्ति कर (टिप्पणी 38(25) का संदर्भ लें	अनिर्धारणीय	अनिर्धारणीय

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

1 आयकर

आयकर मामले - आकलन वर्ष 1998-99 – आकलन वर्ष 2009-10:

आकलन वर्ष 1998–99 से आकलन वर्ष 2002–03 के लिए आयकर मामलों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर माननीय आईटीएटी और माननीय आईटीएटी से मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेजा गया था। आकलन वर्ष 2003–04 से आकलन वर्ष 2009–10 के लिए कर मामलों को माननीय आईटीएटी के निर्देश पर मूल्यांकन अधिकारी (एओ के रूप में संदर्भित) को वापस भेजा गया था। एओ ने अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक समय सीमा के भीतर इन मामलों पर आदेश पारित नहीं किया था। इससे पहले कंपनी ने उक्त आकलन वर्षों के लिए उठाई गई मांग के आधार पर कर जमा किया था।

पूर्वगामी पैरा को ध्यान में रखते हुए, दाखिल रिटर्न के अनुसार देय कर के ऊपर और ऊपर भुगतान की गई मांगें वापसी योग्य हो गईं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, विभाग को उपरोक्त वर्षों के लिए रिफंड देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय के साथ एक रिट याचिका दायर की गई है। दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था– ''इस बीच, उत्तरदाताओं को आगे बढ़ने और मूल्यांकन आदेशों को पूरा करने की अनुमति दी जाती है और इसे प्रभावी नहीं किया जाता है या कोई महत्वपूर्ण कार्रवाई नहीं की गई है।'' मामले में अंतिम फैसला अभी बाकी है।

कंपनी को निर्धारण वर्ष 2020–21 के लिए धारा 143(1) के तहत सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें आय रिटर्न में कुछ जोड़ दिया गया है और ₹17.033.48 लाख (ब्याज सहित) की मांग उठाई गई है। आयकर रिटर्न भरते समय कंपनी द्वारा ऐसी राशि को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था। जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि यह एक गलती है, कंपनी ने आयकर अधिनियम,1961 के तहत संशोधन के लिए धारा 154 के साथ–साथ संशोधन के लिए धारा 264 में याचिका भी दायर की है, इसलिए इसे आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण के लिए नहीं माना जाता सकता।

2 सेवा कर

कंपनी को आयुक्त, अधिनिर्णय, केंद्रीय कर, जीएसटी दिल्ली पूर्व से मांग/आदेश की सूचना संख्या जीएसटी–15/एडजू/डीई/इरेडा/71/2017–18/3706–08 दिनांक 15.03.2022 प्राप्त हुई है। आदेश में, निर्णायक आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2015–16 के लिए इरेडा पर ₹11,709.11 लाख की मांग रखी है। हालांकि कंपनी का तर्क है कि पूरी मांग को सीमित कर दिया गया है,इसने अपरिवर्तनशील आधार पर ₹1,101.41 लाख (ब्याज सहित) का प्रावधान किया है। मामले में कानून और तथ्यों के आधार पर, ₹19,993.88 लाख (ब्याज सहित) की सेवा कर मांग को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

इसके अलावा, चूंकि कंपनी एक सरकारी उद्यम है, इसलिए इसे किसी भी बदनीयती के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और इस प्रकार, ऐसे मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों के आधार पर सीमा की विस्तारित अवधि को लागू नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए जुर्माना नहीं लगाया गया है। एक आकस्मिक दायित्व के रूप में प्रकटीकरण के लिए विचार किया गया है।

[3]इरेडा की सेवा से कर्मचारियों को बर्खास्त करने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ रिट याचिका के रूप में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों को संदर्भित करता है। इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं है।

ख) आकस्मिक परिसम्पत्तियां : अपरिमेय* (गत वर्ष : ₹ शून्य).

*अरुणाचलम शुगर मिल्स लिमिटेड (एएसएमएल) के खिलाफ वसूली की कार्यवाही के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 29.03.2022 द्वारा कंपनी को ₹ 710.00 लाख और 18 प्रतिशत माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए एएसएमएल की संपत्ति की

बिक्री करने कि अनुमति दी है। कंपनी पहले ही उक्त बिक्री के खिलाफ ₹ 127.80 लाख की जीएसटी राशि के साथ ₹ 177.50 लाख वसूल कर चुकी है, जिसे कंपनी द्वारा विधिवत जमा किया गया था। माननीय न्यायालय ने उक्त आदेश के 15 दिनों के भीतर कंपनी को शेष ₹ 532.50 लाख में से ₹ 23.11 लाख का और प्रेषण करने का आदेश दिया। ₹ 509.38 लाख की शेष राशि आधिकारिक परिसमापक (ओएल) के पास है, जिसे माननीय अदालत ने कंपनी को शेष राशि हस्तांतरित करने से पहले सुरक्षित लेनदारों को बुलाने और कामगारों (जो अभी भी अनिर्धारित हैं) के पक्ष में आरोपों का निपटान करने का निर्देश दिया था। उक्त एनपीए परिसंपत्ति हानि के समतुल्य प्रावधान के विरुद्ध कंपनी के खाते की पुस्तकों में ₹ 0.40 लाख बकाया थे।

4. प्रतिबद्धताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
पूंजी प्रतिबद्धताए:		
पूंजी खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि	682.80	923.35

5. ऐसे कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिन पर कंपनी का बकाया है, जो 31 मार्च, 2022 को 45 दिनों से अधिक समय से बकाया हो (पिछले वर्षः शून्य)। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकट की जाने वाली आवश्यक जानकारी को कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई सीमा तक निर्धारित किया गया है।

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
1	वर्ष के अंत तक अदत्त मूलधन राशि	62.26	43.47
2	वर्ष के अंत में अदत्त रहा उस राशि पर देय ब्याज	-	-
3	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज	-	-
4	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए बकाया और देय, लेकिन एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना ब्याज	-	-
5	वर्ष के अंत में उपचित और अदत्त रहा ब्याज	-	-
6	आगे के वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज, ऐसी तारीख तक जब तक कि उपरोक्त देय ब्याज वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है	-	-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

6. **भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–21 ''विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों का प्रभाव'' के संबंध में प्रकटीकरण**

(लाख रुपए में)

विवरण	2021-22	2020-21
	डेबिट / (क्रेडिट)	डेबिट / (क्रेडिट)
लाभ और हानि विवरण में निवल डेबिट / (क्रेडिट) विनिमय अंतर की राशि	4,589.00	6,984.66
अन्य व्यापक आय के लिए निवल डेबिट / (क्रेडिट) विनिमय अंतर की राशि	(333.53)	2,722.13

7. **भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–23 ''उधार लागतें'' के संबंध में प्रकटीकरण – शून्य (गत वर्षः शून्य)**

8. **भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–19 ''कर्मचारी लाभ'' के संबंध में प्रकटीकरण**

विभिन्न परिभाषित कर्मचारी लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण निम्नानुसार हैः

क) **भविष्य निधिः** 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन के पूर्व निर्धारित निश्चित प्रतिशत पर भविष्य निधि में योगदान के संबंध में ₹ 519.69 लाख (पिछले वर्ष ₹ 215.98 लाख) के खर्च को मान्यता दी है और लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किया गया है जिसमें खंड संख्या 28 के उप–खंड संख्या 27 क क के अनुसार ₹ 291.47 लाख (पिछले वर्षः ₹ शून्य) का योगदान शामिल है, अर्थात कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 की छूट के नियम और शर्तें, निवेश के मूल्य में कमी के कारण ट्रस्ट को हुए नुकसान के लिए पीएफ ट्रस्ट द्वारा वसूल की गई कोई भी राशि कंपनी को वापस कर दी जाएगी। 31.03.2022 को पीएफ ट्रस्ट में कोई कमी नहीं है।

ख) **राष्ट्रीय पेंशन योजना / अधिवार्षिता लाभ निधि (परिभाषित अभिदान निधि):** 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कम्पनी ने पात्र कर्मचारियों के वेतन की पूर्वनिर्धारित नियत प्रतिशतता और लाभ हानि विवरण पर प्रभारित राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) (गत वर्षः अधिवार्षिता निधि / राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में योगदान के संबंध में 156.29 करोड़ रुपए (गत वर्षः 194.61 लाख रुपए) के व्यय को स्वीकृति दी है।

अन्य लाभः

ग) **अर्जित छुट्टी लाभ (ईएल):** प्रति वर्ष 30 दिन उपार्जन. सेवा में रहते हुए एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार नकदीकरण। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण एचपीएल सहित अधिकतम 300 दिन। बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए अर्जित अवकाश के लिए सर्वोत्तम अनुमान के अनुसार रु. 174.44 लाख (पिछले साल रू 172.80 लाख रुपये)

घ) **अर्ध छुट्टी लाभ (एचपीएल):** प्रोद्भवन प्रति वर्ष 10 पूर्ण दिवस। सेवा में रहते हुए कोई नकदीकरण नहीं। सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण ईएल सहित अधिकतम 300 दिन। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी का सबसे अच्छा अनुमान बीमारी अवकाश के लिए रु. 56.03 लाख (पिछले साल रू 54.68 लाख रुपये)।

ड) **ग्रेच्युटी:** सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन का उपार्जन। निहित अवधि 5 वर्ष है और भुगतान 01.01.2017 से लागू वेतन संशोधन के बाद 20 लाख रुपये तक सीमित है। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए ऑन रोल कर्मचारियों के लिए कंपनी का सबसे अच्छा अनुमान ग्रेच्युटी के लिए रु. 1,115.77 लाख (पिछले वर्ष रू 1.017. 25 लाख रुपये) जबकि उक्त देयता के विरुद्ध धारित संपत्ति रु. 1,167.44 लाख (पिछले वर्षः रु.1,019.80 लाख) है। वर्ष के दौरान प्रभारित व्यय रु.72.93 लाख (पिछले वर्षः रु.65.31 लाख) है।

च) **सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी):** बीमांकिक मूल्यांकन की अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए कंपनी सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना के लिए निर्धारित लाभ योजनाओं में योगदान करती है। योजना के तहत पात्र पूर्व कर्मचारियों और पात्र आश्रित परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान कंपनी ने पीआरएमबी की ओर रु. 220.06 लाख (पिछले वर्ष रु. 241.02 लाख) का प्रावधान किया है।

छ) **बैगेज भत्ता:** सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी अपनी पसंद के स्थान पर बसने के हकदार होते हैं और वे सामान भत्ते के लिए पात्र होते हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान भत्ते के लिए रु. 3.45 लाख (पिछले वर्षः रु. 1.89 लाख) का प्रावधान किया

ज) **विदाई उपहार:** कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय, कंपनी इस उद्देश्य के लिए बनाई गई नीति के अनुसार कर्मचारी को विदाई उपहार प्रदान करती है। उपहार का मूल्य सेवानिवृत्त कर्मचारी के पदनाम के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने विदाई उपहार के लिए रु. 11.07 लाख (पिछले वर्षः कोई प्रावधान नहीं बनाया) प्रदान किया है।

लाभ और हानि, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) और बैलेंस शीट और अन्य प्रकटीकरण के विवरण में मान्यता प्राप्त विभिन्न परिभाषित लाभों की सारांश स्थिति निम्नानुसार हैः

❖ **दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
प्रारंभ में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	2021-22	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.19	9.94
	2020-21	991.31	347.19	405.46	15.70	789.47	-
ब्याज लागत	2021-22	69.48	25.77	35.70	1.19	66.61	0.51
	2020-21	67.41	23.61	27.57	1.07	53.68	-
चालू सेवा लागत	2021-22	56.10	28.37	74.00	1.37	47.49	0.59
	2020-21	55.11	27.45	71.34	1.15	43.89	-
विगत सेवा लागत	2021-22	-	-	-	-	-	-
	2020-21	-	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	2021-22	-	-	(35.55)	-	(60.75)	-
	2020-21	(100.49)	(22.29)	(52.55)	-	(36.30)	-
दायित्वों पर प्रोद्भूत हानि / (लाभ)	2021-22	(27.06)	1.88	64.74	0.88	105.95	(0.28)
	2020-21	3.91	3.63	73.89	(0.33)	141.37	-
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2021-22	1,115.77	435.61	664.59	21.04	1,153.49	10.77
	2020-21	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.18	-

*31.03.2021 तक विदाई उपहार के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

❖ **योजना परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
वर्ष के प्रारंभ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	2021-22	1,019.80	-	-	-	-	-
	2020-21	937.09	-	-	-	-	-
ओपनिंग निधि में अंतर	2021-22	-	-	-	-	-	-
	2020-21	-	-	-	-	-	-
योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	2021-22	71.35	-	-	-	-	-
	2020-21	68.63	-	-	-	-	-
मृत्यु प्रभार	2021-22	(1.16)	-	-	-	-	-
	2020-21	(0.99)	-	-	-	-	-
नियोक्ता अभिदान	2021-22	71.35	-	-	-	-	-
	2020-21	115.56	-	-	-	-	-
प्रदत्त लाभ	2021-22	-	-	-	-	-	-
	2020-21	(100.49)	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	2021-22	1,167.44	-	-	-	-	-
	2020-21	1,019.80	-	-	-	-	-

*31.03.2021 तक विदाई उपहार के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।

❖ **तुलन पत्र में स्वीकृत राशि**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
वर्ष के अंत में दायित्वों का अनुमानित वर्तमान मूल्य	2021-22	1,115.77	435.61	664.59	21.04	1153.49	10.77
	2020-21	1,017.25	379.58	525.70	17.59	994.19	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	2021-22	1,167.44	-	-	-	-	-
	2020-21	1,019.80	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देनदारी	2021-22	-	(435.61)	(664.59)	(21.04)	(1153.49)	(10.77)
	2020-21	-	(379.58)	(525.70)	(17.59)	(994.19)	-

*31.03.2021 तक विदाई उपहार के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

❖ **लाभ हानि के विवरण में स्वीकृत राशि**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
चालू सेवा लागत	2021-22	56.10	28.37	74.00	1.37	47.49	0.59
	2020-21	55.11	27.45	71.34	1.15	43.89	-
कटौती लाभ/हानि सहित गत सेवा लागत	2021-22	-	-	-	-	-	-
	2020-21	-	-	-	-	-	-
ब्याज लागत योजना परिसम्पत्ति पर	2021-22	69.48	25.77	35.70	1.19	66.61	0.51
	2020-21	67.41	23.61	27.57	1.07	53.68	-
संभावित रिटर्न	2021-22	69.65	-	-	-	-	-
	2020-21	63.72	-	-	-	-	-
वर्ष में स्वीकृत निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	2021-22	-	1.88	64..74	-	-	-
	2020-21	-	3.63	73.89	-	-	-
आय विवरण में स्वीकृत व्यय	2021-22	106.63	56.03	174.44	2.57	114.10	1.10
	2020-21	65.31	54.68	172.80	1.89	97.57	-
में मान्यता प्राप्त राशि	2021-22	(33.70)	-	-	(0.88)	(105.95)	0.28
अन्य व्यापक आय	2020-21	-	-	-	0.33	(143.45)	-

*31.03.2021 तक विदाई उपहार के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।

❖ **बीमांकिक अवधारणा**

(लाख रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
		(वित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)	(अवित्तपोषित)
छूट दर	2021-22	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%	7.22%
	2020-21	6.79%	6.79%	6.79%	6.79%	6.70%	-
वेतन वृद्धि की दर	2021-22	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	-
	2020-21	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	-
प्रयुक्त पद्धति	2021-22	प्रत्याशित	प्रत्याशित	प्रत्याशित	प्रत्याशित	प्रत्याशित	प्रत्याशित
	2020-21	यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

*31.03.2021 तक विदाई उपहार के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

❖ **परिभाषित लाभ दायित्व का संवेदनशीलता विश्लेषण**

(लाख रुपए में)

क) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	ग्रेच्युटी	बीमारी छुट्टी	अर्जित छुट्टी	बैगेज	पीआरएमबी	विदाई उपहार
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,115.77	435.61	664.59	21.04	1,153.49	10.77
0.50% की वृद्धि की वजह से प्रभाव	(41.04)	(13.94)	(29.90)	(0.84)	(39.79)	(0.40)
0.50% की कमी की वजह से प्रभाव	44.07	14.78	32.28	0.91	41.82	0.42
ख) छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	**ग्रेच्युटी**	**बीमारी छुट्टी**	**अर्जित छुट्टी**	**बैगेज**	**पीआरएमबी**	**विदाई उपहार**
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,115.77	435.61	664.59	21.04	1,153.49	10.77
0.50% की वृद्धि की वजह से प्रभाव	19.63	14.82	32.38	0.91	42.39	-
0.50% की कमी की वजह से प्रभाव	(20.99)	(14.03)	(30.07)	(0.85)	(40.74)	-

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं हैं और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की गई है। भुगतान में पेंशन में वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन में वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा जैसी संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

9. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–108 ''प्रचालनिक खंड '' के संबंध में प्रकटीकरण

(i) प्रचालनिक खंड

इंड एएस 108 में परिभाषित ''प्रबंधन दृष्टिकोण'' के आधार पर, सीएमडी, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर (सीओडीएम) निष्पादन का मूल्यांकन करता है और व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांत व्यक्तिगत व्यवसाय खंड में राजस्व और व्यय को रिकॉर्ड करने के लिए लगातार लागू होते हैं, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों में निर्धारित होते हैं।

कंपनी 2 खंडों में काम करती है – अक्षय ऊर्जा (आरई) और ऊर्जा दक्षता (ईई) क्षेत्र में वित्तीय गतिविधियों और कासरगोड, केरल में सौर संयंत्र संचालन के माध्यम से बिजली का उत्पादन। कंपनी के लिए प्रमुख राजस्व आरई और ईई क्षेत्र में वित्तपोषण गतिविधियों के खंड से आता है। अन्य परिचालन खंड – सौर संयंत्र के माध्यम से बिजली का उत्पादन एक रिपोर्ट योग्य खंड नहीं है। कंपनी भारत में काम करती है, इसलिए इसे केवल घरेलू खंड में संचालित करने के लिए माना जाता है। इस प्रकार सेगमेंट रिपोर्टिंग के उद्देश्य से इसे एकल व्यवसाय/भौगोलिक खंड के रूप में माना जाता है।

(ii) प्रमुख (बड़े) ग्राहकों के बारे में सूचना

हमारे राजस्व में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान करने वाला कोई एक बाहरी ग्राहक नहीं है

(iii) भौगोलिक सूचना

परिचालन के स्थान के आधार पर बाहरी ग्राहकों से राजस्व और संपत्ति के स्थान के आधार पर इसकी गैर–चालू परिसम्पत्तियों' के बारे में जानकारी इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	बाहरी ग्राहकों से राजस्व		गैर चालू परिसम्पत्तियां*	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
भारत**	287,415.48	265,774.35	201,807.62	203,157.42
भारत से बाहर	-	-	-	-
कुल	287,415.48	265,774.35	201,807.62	203,157.42

*इस राशि में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, पूंजी कार्य–प्रगति, निवेश संपत्ति, प्रयोगाधिकार परिसंपत्ति, विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति, पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम और भारत सरकार पूरी तरह से सेवा बांड प्राप्त करने योग्य धन शामिल हैं।

**इसमें डेरवेटिवों के उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि) से संबंधित रु.(147.35) लाख (गत वर्ष रु.1,247.32 लाख) की राशि शामिल है, जिसे बाहरी ग्राहकों से राजस्व का भाग नहीं माना गया है।

(iv) मुख्य उत्पादों से राजस्व

प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए बाहरी ग्राहकों से होने वाली आय इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ब्याज आय	271,322.13	256,433.83
शुल्क और कमीशन आय	10,638.61	3,377.26
ऊर्जा की बिक्री	2,848.92	2,741.73

10. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–24 ''संबंधित पक्षकार प्रकटीकरण'' के संबंध में प्रकटीकरण

क. सरकार और सरकार से संबंधित निकायों से अन्य के लिए प्रकटीकरण

i. संबंधित पक्षकार का नाम

संबंधित पक्षकार का नाम	संबंध का प्रकार	अवधि (01.04.2020 से 31.03.2022)
मैसर्स एम.पी. विंडफार्म्स लिमिटेड	एम.पी. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (25%), कन्सोलिडेटेड एनर्जी कंसल्टेंट्स लिमिटेड (49.5%), इरेडा (24%) और अन्यों (1.5%) के सहयोग एक संयुक्त क्षेत्र की असूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड	01.04.2021 से 26.03.2022 01.04.2020 से 31.03.2021
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
श्री प्रदीप कुमार दास	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त)*	01.04.2021 से 31.03.2022 06.05.2020 से 31.03.2021
श्री भानु प्रताप यादव	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक*	01.04.2020 से 06.05.2020
	निदेशक – सरकारी नामित*	01.04.2021 से 08.07.2021 12.06.2020 से 31.03.2021
श्री चिंतन नवीनभाई शाह	निदेशक – तकनीकी निदेशक – वित्त '	01.04.2021 से 31.03.2022 01.04.2020 से 31.03.2021

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

श्री अमितेश कुमार सिन्हा	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2020 से 12.06.2020
श्री विमलेंद्र पटवर्धन	निदेशक – सरकारी नामित	01.04.2021 से 31.03.2022 01.04.2020 से 31.03.2021
श्री दिनेश दयानंद जगदले	निदेशक – सरकारी नामित	08.07.2021 से 31.03.2022
श्री शभदर्शन ब्राहमभट	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक***	28.01.2022 से 31.03.2022
श्री चेन्नेकेशवा मूर्थि जगन्नाथ	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक***	31.03.2022
श्री अभिषेक महावर	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2020 से 13.09.2020
सुश्री मधुश्री एम. स्वामी	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2020 से 18.03.2021
डॉ. गांगिडी एम. रेड्डी	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2020 से 18.03.2021
श्री संजय जैन	निदेशक – स्वतंत्र निदेशक	01.04.2020 से 01.08.2020
डॉ. आर.सी. शर्मा	महाप्रबंधक (एफ एंड ए) और मुख्य वित्तीय अधिकारी	01.04.2021 से 31.03.2022 01.02.2020 से 31.03.2021
श्री सुरेंद्र सुयाल	कम्पनी सचिव	01.04.2021 से 31.03.2022 01.04.2020 से 31.03.2021

^नोट देखें 38(25)

*श्री भानु प्रताप यादव, संयुक्त सचिव, एमएनआरई निदेशक (सरकारी नामित, इरेडा) को 02.01.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। श्री प्रदीप कुमार दास की इरेडा के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद से श्री भानु प्रताप यादव, 06.05.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा नहीं रहे। तत्पश्चात, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दिनांक 12.06.2020 को पत्र द्वारा श्री अमितेश के सिन्हा, जेएस, एमएनआरई के स्थान पर श्री भानु प्रताप यादव को निदेशक (सरकारी नामित) नियुक्त किया। एमएनआरई ने दिनांक 22.11.2021 को पत्र द्वारा श्री प्रदीप कुमार दास, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, इरेडा को सौंपे गए निदेशक (वित्त), इरेडा के पद का अतिरिक्त प्रभार 06.11.2021 से छह महीने की अवधि के लिए या एक नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति तक बढ़ा दिया है।

**श्री चिंतन शाह, निदेशक (तकनीकी) को 01.02.2020 से 3 महीने की अवधि के लिए या नियमित पदधारी की नियुक्ति तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। इसके अलावा, एमएनआरई ने निदेशक (वित्त) के उनके अतिरिक्त प्रभार को 01.05.2020 से बढ़ाकर 05.05.2020 कर दिया। तत्पश्चात, श्री प्रदीप कुमार दास, जिन्हें 06.05.2020 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इरेडा के रूप में नियुक्त किया गया था, को 06.05.2020 से निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था।

***नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने आदेश सं. 340–11/1/2018–इरेडा दिनांक 21.01.2022 में श्री शब्द शरण ब्रह्मभट्ट को तत्काल प्रभाव से तीन वर्ष की अवधि के लिए इरेडा के बोर्ड में अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया। हालांकि, 28.01.2022 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से डीआईएन प्राप्त कर लिया गया है। तदनुसार, 28.01.2022 से उन्हें निदेशक माना जाए।

****नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने अपने आदेश सं. 340–11/1/2018–इरेडा दिनांक 28.03.2022 में श्री चेन्नाकेशव मूर्ति जगन्नाथ को आदेश की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए इरेडा के बोर्ड में गैर–सरकारी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) के रूप में नियुक्त किया। हालांकि 31.03.2022 को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से डीआईएन प्राप्त कर लिया गया है। तदनुसार, 31.03.2022 से उन्हें निदेशक माना जाये।

कम्पनी के नियंत्रणाधीन न्यास/निधियां

- इरेडा कर्मचारी अभिदान भविष्य निधि न्यास
- इरेडा कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि न्यास
- इरेडा कर्मचारी परिभाषित अभिदान अधिवार्षिता न्यास (गैर संचालन)
- इरेडा कर्मचारी परोपकारी निधि
- इरेडा विनियम जोखिम प्रशासन निधि (गैर संचालन)

ii. **संबंधित पक्षकारों को प्रतिपूर्ति**

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2022	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021
अल्पावधिक लाभ		
- बैठक शुल्क (स्वतंत्र निदेशकों को)	5.80	27.70
- अन्य (वेतन)	262.64	185.43
सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ	23.36	20.76
कुल	291.80	233.89

टिप्पणी:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त) और निदेशक (तकनीकी) को सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार मासिक शुल्क के भुगतान पर प्रति माह 1000 किलोमीटर की सीमा तक निजी यात्रा सहित स्टाफ कार की भी अनुमति दी गई है। ।
- कार्यकारी निदेशकों के लिए ग्रेच्युटी फंड के लिए योगदान अलग से सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है क्योंकि एलआईसी में योगदान कर्मचारी के अनुसार नहीं बनाया गया है।
- बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कार्यकारी निदेशक को अवकाश नकदीकरण, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ आदि का प्रावधान किया गया है।

iii. **केएमपी को और से ऋणः**

(लाख रुपए में)

विवरण	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2022	वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021
केएमपी को ऋण		
वर्ष के प्रारंभ में ऋण	11.94	23.72
वर्ष के दौरान ऋण अग्रिम	39.30	2.32
वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान प्राप्त	5.51	12.11
वर्ष के दौरान प्रभारित ब्याज	23.40	0.52
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज	4.15	2.51
वर्ष के अंत में शेष	64.98	11.94
केएमपी से ऋण	-	-

संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन के प्रमुख नियम और शर्तें:

1. संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन सुरक्षित व सुविधाजनक लेन–देन की प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार होता है
2. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और स्टाफ ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप हैं
3. संबंधित पक्षों के लिए कोई लंबित प्रतिबद्धताएं नहीं हैं।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. सरकार और सरकारी निकायों के साथ किए गए लेन–देन के लिए प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

सरकार / सरकारी निकायों का नाम	कम्पनी के साथ संबंध की प्रकृति	लेनदेन की प्रकृति	2021-22 के दौरान लेन–देन	2020-21 के दौरान लेन–देन	31 मार्च, 2022 को शेष	31 मार्च, 2021 को शेष
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई)	प्रशासनिक मंत्रालय	ऋण पुनर्भुगतान – एमएनआरई के माध्यम से आईडीए	1,877.78	1,392.05	25,584.90	26,645.45
		ब्याज भुगतान	200.67	212.74	-	-
		गारंटी शुल्क भुगतान	9,721.51	11,528.41	-	-
		एमएनआरई की ओर से कर योग्य बॉडों की उगाही	-	-	भारत सरकार के पूर्ण सर्विस बॉड सीरीज -I : 61,000.00 सीरीज Iए : 22,000.00 सीरीज Iबी : 81,000.00 कुल : 164,000.00	

इरेडा भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है। एक ही सरकार के नियंत्रण / संयुक्त नियंत्रण में संबंधित पक्षों के साथ महत्वपूर्ण लेनदेन निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपए में)

कम्पनी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	2021-22 के दौरान लेन–देन	2019-21 के दौरान लेन–देन	31 मार्च, 2022 को शेष	31 मार्च, 2021 को शेष
रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का संवितरण	4,498.00	-	14,036.43	9,990.36
रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	ऋण का पुनर्भुगतान	451.93	-	14,036.43	9,990.36
भारतीय स्टेट बैंक	ऋण का पुनर्भुगतान	89.45	89.45	315.16	404.61
भारतीय जीवन बीमा निगम	किराया – शाखा कार्यालय	6.92	6.95	-	-
नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	अनुरक्षण प्रभार	22.57	89.37	10.38	-
पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	इंटरनेट कनेक्टिवटी प्रभार	9.09	9.25	(4.50)	-
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	भाड़े पर लिया गया स्थल	20.40	58.20	-	20.40

सोलर एनर्जी कोरपोरेशन आफ इंडिया	व्यय की प्रतिपूर्ति	-	-	9.37	9.37
सोलर एनर्जी कोरपोरेशन आफ इंडिया सोलर परियोजना	कसारगोड परियोजना	181.00	171.78	-	181.00
सेंट्रल वेयरहाउसिंग कोरपोरेशन	कार्यालय	30.16	-	(2.48)	-

कंपनी को सरकार से संबंधित संस्थाओं को ऋण पर 1,051–80 लाख (पिछले वर्षः रु– 1071.80 लाख) और मूलधन के भुगतान पर रु– 541.38 लाख (पिछले वर्षः 89–45 लाख रुपये) रुपये का ब्याज भी मिला है। इसके अलावा, ₹ 617.15 लाख (पिछले वर्षः ₹ 590.13 लाख) की राशि को भारत सरकार (भारत सरकार) के आदेश के अनुसार (वित्तीय विवरणों के नोट 28 देखें) विभिन्न कार्यान्वित योजनाओं के लिए सेवा शुल्क के रूप में हिसाब में दर्ज किया गया है।

सरकार से संबंधित संस्थाओं के साथ उपरोक्त लेन देन में से लेनदेन शामिल हैं जो व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। कंपनी ने अन्य सीपीएसयू के साथ अन्य लेनदेन जैसे टेलीफोन खर्च, हवाई यात्रा और जमा आदि में भी प्रवेश किया है। वे व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए उनका खुलासा नहीं किया गया है। सभी लेनदेन बाजार की शर्तों पर किए जाते हैं।

11. सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और 53(च) द्वारा यथापेक्षित प्रकटीकरण

सहयोगी		31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2022 को राशि	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	31 मार्च, 2021 को राशि	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि
1	ऋण और ऋणों की प्रकृति में अग्रिम	शून्य		शून्य	
क)	सहयोगियों को				
ख)	उन कम्पनियों को जिनमें निदेशकों की रुचि है				

12. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 ''पट्टे'' के संबंध में प्रकटीकरण

कंपनी ने 01, अप्रैल 2019 के प्रारंभिक आवेदन की तारीख के साथ इंड एएस 116 को लागू किया है। कंपनी ने संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए इंड एएस 116 को लागू किया है, जिसके तहत प्रारंभिक आवेदन के संचयी प्रभाव को 01, अप्रैल 2019 पर प्रतिधारित आय में स्वीकृत किया गया है। कंपनी ने 01 अप्रैल, 2019 को लागू होने वाली अपनी सभी लीज व्यवस्थाओं के लिए उपर्युक्त दृष्टिकोण को लागू किया है।

इंड एएस 116 के पैरा सी 11 के अनुसार, इंड एएस 17 को लागू करने वाले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए गए पट्टों के लिए, प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टा देयता की अग्रणी राशि होगी। लीज एसेट और लीज लायबिलिटी उस तारीख से ठीक पहले इंड एएस 17 को लागू करते हुए मापी जाती है। इसलिए, इंडिया हैबिटेट सेंटर (आईएचसी) और अगस्त क्रांति भवन (एकेबी) में लीजहोल्ड संपत्ति के मामले में लीज एसेट की अग्रणी राशि, कंपनी ने इंड एएस 116 के अनुसार संपत्ति के उपयोग के अधिकार के रूप में इसे आगे बढ़ाया है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

क) इंड एएस 116 के अनुसार प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के रूप में लेखांकित पट्टे का विवरण

कंपनी ने दिल्ली में ऑफिस स्पेस और केरल में सोलर पार्क लैंड आदि के लिए विभिन्न पार्टियों के साथ लीज एग्रीमेंट किया है। प्रत्येक एग्रीमेंट की अवधि और रेंटल भुगतान अलग–अलग हैं। हमने इंड एएस 116 के तहत उन पट्टों के लिए नए माप सिद्धांतों को लागू किया है जिन पर कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप अल्पावधि पट्टे के तहत छूट उपलब्ध नहीं है।

ख) लीज देनदारियों का परिपक्वता विश्लेषण

(लाख रुपए में)

परिपक्वता विश्लेषण–संविदात्मक और छूट रहित नकदी प्रवाह	31.03.2022 पर	31.03.2021 पर
एक वर्ष से कम के लिए	64.29	81.35
एक से पाँच वर्ष के लिए	265.33	251.58
पाँच वर्ष से अधिक के लिए	624.32	702.36
कुल बिना छूट वाली लीज देनदारियां	953.94	1,035.29
वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल लीज देयताएं	459.45	534.11
चालू	26.05	74.66
गैर–चालू	433.40	459.45

ग) लाभ या हानि में स्वीकृत राशियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 पर	31.03.2021 पर
लीज देनदारियों पर ब्याज	6.69	7.89
लीज देनदारियों के मापन में शामिल न किए गए चल लीज भुगतान	-	-
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की सब–लीजिंग से आय	-	-
लीज देनदारियों की स्वीकृति रद्द करना	-	59.02
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की स्वीकृति रद्द करना	-	173.27
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के संचित मूल्यह्रास की स्वीकृति रद्द करना	-	117.57
अल्पावधिक पट्टों से संबंधित व्यय	-	-
अंतर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों के लिए मूल्यह्रास प्रभार	196.54	239.67

*आरआईएनएल से लीज पर लिए गए कार्यालय परिसर को इरेडा द्वारा खाली कर दिया गया था और 30 अक्टूबर, 2020 को आरआईएनएल को कब्जा सौंप दिया गया।

घ) नकद प्रवाहों के विवरण में स्वीकृत राशियां

(लाख रुपए में)

विवरण	राशि
31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए	81.35
31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	59.80

ङ) तुलन पत्र में स्वीकृत राशियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 पर	31.03.2021 पर
वर्ष के प्रारंभ में शेष	2,825.06	2,455.71
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों में संवर्धन	-	542.61
प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों का विलोप/स्वीकृति रद्द करना	-	- 173.27
वर्ष के अंत में शेष	2,825.06	2,825.06
अंतर्निहित परिसम्पत्ति की श्रेणी द्वारा प्रतिवेदन अवधि के अंत में प्रयोगाधिकार परिसम्पत्तियों की वाहित राशि	1,765.30	1,961.84

च) अन्य प्रकटीकरण

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 पर	31.03.2021 पर
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित खर्च	8.55	6.05

13. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–33 ''आय प्रति शेयर (ईपीएस)'' के संबंध में प्रकटीकरण

क. मूल ईपीएस

मूल ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले साधारण शेयरों की कमाई और भारित औसत संख्या इस प्रकार हैः–

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
कम्पनी के स्वामियों के कारण वर्ष के लिए लाभ (हानि) (लाख रुपए)	63,352.65	34,640.72
मूल आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय (क) (लाख रुपए)	63,352.65	34,640.72
मूल आय प्रति शेयर के उद्देश्य से सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	788,709,589*	784,600,000**
मूल ईपीएस (क/ख) (रुपए में)	8.03	4.42

* औसत भरांक (784,600,000 *365/365 + 1,500,000,000*1/365)

** औसत भरांक (784,600,000 *365/365)

ख. विरलित ईपीएस

विरलित ईपीएस की गणना में उपयोग किए जाने वाले साधारण शेयरों की कमाई और भारित औसत संख्या इस प्रकार हैः–

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
कम्पनी के स्वामियों के कारण वर्ष के लिए लाभ (हानि) (लाख रुपए)	63,352.65	34,640.72
विरलित आय प्रति शेयर की गणना में प्रयुक्त आय (क) (लाख रुपए)	63,352.65	34,640.72
विरलित आय प्रति शेयर के उद्देश्य से सामान्य शेयरों की भारित औसत संख्या (ख)	788,709,589*	784,600,000**
विरलित ईपीएस (क/ख) (रुपए में)	8.03	4.42

* औसत भरांक (784,600,000 *365/365 + 1,500,000,000*1/365)

** औसत भरांक (784,600,000 *365/365)

14. निष्पादन संबद्ध वेतन

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने निष्पादन संबंधी वेतन के लिए ₹695.96 लाख (पिछले वर्षः ₹199.56 लाख) का प्रावधान किया है। अंतर्निहित योजना के अनुसार पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान ₹810.59लाख (पिछले वर्षः ₹400.34 लाख) की राशि का भुगतान किया गया था।

15. परिसम्पत्तियों पर सृजित प्रतिभूति

i. प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखी गई परिसम्पत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 पर	31.03.2021 पर
हमारे ऋणों और अग्रिमों पर समरूप आधार पर प्रथम प्रभार (कम्पनी के बुक ऋण)		
वित्तीय परिसम्पत्तियां		
- कर मुक्त बॉण्ड	275,765.46	275,765.46
-बैंकों की उधार राशियां*	704,298.42	123,495.37
-विदेशी मुद्रा ऋण	197,418.95	202,435.71
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
अस्थायी प्रभार		
वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-
गैर वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-

इसके अतिरिक्त, 31.03.2022 को 441,702.30 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्षः 441,692.75 लाख रुपये) के कर योग्य बांड, ऋणात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा प्रत्याभूत हैं।

ii. **बुक ऋणों पर ऋणात्मक ग्रहणाधिकार द्वारा प्रत्याभूत**

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 पर	31.03.2021 पर
ऋणात्मक ग्रहणाधिकार (कम्पनी के बुक ऋण)		
वित्तीय परिसम्पत्तियां		
-कर योग्य बॉण्ड	441,702.30	441,692.75
गैर–वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-

16. कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार से जुड़े ब्याज दर जोखिम के प्रबंधन के अनुसरण में व्युत्पन्न उपकरणों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम की हेजिंग के लिए, कंपनी विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंध, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज अकाउंटिंग के तहत नामित डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स प्रभावी हेज हैं, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य में बदलाव को ''कैश फ्लो हेजेज के प्रभावी हिस्से'' में मान्यता दी गई है। इस तरह के रिजर्व में मान्यता प्राप्त राशि को लाभ और हानि के विवरण में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है, जब बचाव की गई (हैज्ड) वस्तु लाभ या हानि को प्रभावित करती है।

17. उधार लेने वाली संस्थाओं की संपत्ति आदि के रूप में रखी गई प्रतिभूति के अतिरिक्त, कंपनी के पास बैंकों द्वारा जारी एफडीआर और गारंटी के रूप में 20,055.86 लाख रुपये और दिए गए, ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूतियों के रूप में क्रमशः 16,466.17 लाख (पिछले वर्षः रु– 11,658.90 लाख और रु– 19,476.29 लाख) रुपये की गारंटी है।

18. इरेडा की बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और व्युत्पन्न जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार, विदेशी मुद्रा ऋण (बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 40 प्रतिशत) पर एक खुला जोखिम अनुमेय है। 31 मार्च, 2022 पर खुला एक्सपोजर रु. 194,043.39 लाख (पिछले वर्षः 235,254.31 लाख रुपये) जोकि बकाया विदेशी मुद्रा उधार का 18.60 प्रतिशत (पिछले वर्षः 22.80 प्रतिशत) है और अनुमेय सीमा के भीतर है।

उक्त ओपन एक्सपोजर में से पार्टहेजिंग यूरो मुद्रा ऋण (पिछले वर्ष 36,808,471.72 अमरीकी डालर के यूरो ऋण के बराबर 27,055.96 लाख रुपये) के लिए केवल मूलधन स्वैप (यूएसडी/आईएनआर) लेकर यूएसडी 33,726,347.73 के बराबर 25,566.97 लाख रुपए के लिए किया गया है।

19. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 40 – ''निवेश सम्पत्ति'' के अनुसार प्रकटीकरण

(i) जंगुपरा, दिल्ली में आवासीय फ्लैट
(ii) आयों और व्ययों का ब्यौराः

(लाख रुपए में)

विवरण	31.03.2022 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
किराया आय*	-	5.50
प्रत्यक्ष प्रचालन व्यय	14.72	0.05

*02.01.2021 को खाली फ्लैट का कब्जा इरेडा को सौंप दिया।

(iii) **निवेश परिसम्पत्ति का उचित मूल्य**

संपत्ति के बाजार मूल्य का आकलन किया गया है (कंपनी नियम, 2017 (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) के नियम 2 के तहत परिभाषित एक पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार) 31.03.2022 को ₹ 230.00 लाख) (गत वर्ष 31.03.2021 को समाप्त पर ₹ 211.00 लाख)।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

20. भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 27 – ''पृथक वित्तीय विवरण''

निम्नलिखित सूचना कम्पनी के सहयोगी कम्पनी के संबंध में है:

31.03.2022 को

निकाय का नाम	कारोबार का स्थान/ निगमीकरण का देश	समूह गैर–नियंत्रक ब्याज राशियों द्वारा धारित स्वामित्व ब्याज	प्रधान गतिविधियां	संबंध	लेखांकन पद्धति	वाहित राशि (लाख रुपए में)
सहयोगी कम्पनी में निवेश						
शून्य^						

31.03.2021 को

निकाय का नाम	कारोबार का स्थान/ निगमीकरण का देश	समूह गैर–नियंत्रक ब्याज राशियों द्वारा धारित स्वामित्व ब्याज	प्रधान गतिविधियां	संबंध	लेखांकन पद्धति	वाहित राशि (लाख रुपए में)
सहयोगी कम्पनी में निवेश						
एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड में निवेश	मध्य प्रदेश – भारत	24%	ऊर्जा उत्पादन	सहयोगी	इक्विटी पद्धति	12.00

^ 38(25) नोट का संदर्भ लें

21. सम्पत्ति, सयंत्र और उपस्कर की लागत में शामिल बंद देनदारियां

इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण परिशिष्ट ए ''मौजूदा डीकमीशनिंग, बहाली और इसी तरह की देनदारियों में परिवर्तन'' के अनुसार, डीकमीशनिंग, बहाली या इसी तरह की देयता में विनिर्दिष्ट परिवर्तनों को उस परिसंपत्ति की लागत से जोड़ा या घटाया जाना चाहिए जिसमें यह संबंधित; परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि को उसके शेष उपयोगी जीवन पर संभावित रूप से मूल्यह्रास किया जाता है। इंडस्ट्रीज एएस 16 के पैरा 55 के अनुसार, एक परिसंपत्ति की मूल्यह्रास राशि उसके अवशिष्ट मूल्य को घटाने के बाद निर्धारित की जाती है। डीकमिशनिंग देयता की राशि और सौर संयंत्र से संबंधित अवशिष्ट मूल्य विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित नहीं है। इसलिए, सौर संयंत्र से संबंधित डीकमिशनिंग देयता और अवशिष्ट मूल्य पर विचार नहीं किया गया है। हालांकि, प्रबंधन की राय है कि बंद करने की लागत (सौर संयंत्र के अवशिष्ट मूल्य का निवल) महत्वपूर्ण नहीं होगी।

22. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन

वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया और 30.04.2022 को जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत किया गया।

23. ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व

कंपनी के पास सोलर पावर प्लांट है। बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर इरेडा और केरल राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच 31.03.2017 / रुपये पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 4.95/केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईबीएल) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो। तदनुसार इरेडा ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते के अनुमोदन

के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 14.02.18 में रुपये के अंतरिम टैरिफ को मंजूरी दी है। मार्च, 2018 तक 3.90 प्रति यूनिट। वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, केएसईआरसी ने एक टैरिफ आदेश पारित किया है और प्रति यूनिट 3.83 रुपये का टैरिफ निर्धारित किया है। तदनुसार, कंपनी ने केएसईबीएल को बिजली की डिलीवरी पर सकल राजस्व को मान्यता दी

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए			
		उत्पादित यूनिट (मिल.)	बेची गई इकाई (मिल)	दर प्रति इकाई (रुपए)	कुल (लाख रुपए में)
i)	ऊर्जा उत्पादन	76.29	75.90	3.83	2,907.06
क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए			
		उत्पादित यूनिट (मिल.)	बेची गई इकाई (मिल)	दर प्रति इकाई (रुपए)	कुल (लाख रुपए में)
i)	ऊर्जा उत्पादन	73.43	73.04	3.83	2,797.69

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
बिक्रियों में शामिल बिल न किए गए राजस्व की राशि	278.17	303.06

क). राजस्व का पृथक्करण

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का पृथक्करण नीचे दिया गया है:

सौर ऊर्जा संयंत्र से राजस्व

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**राजस्व**		
प्रचालनों से निवल राजस्व (2 प्रतिशत छूट से निवल, जहां लागू हो)		2,848.92	2,741.73
परामर्श शुल्क		160.27	-
2	**प्राथमिक भौगोलिक बाजार**		
घरेलू राजस्व		3,009.19	2,741.73
अंतरराष्ट्रीय राजस्व		-	-
कुल राजस्व		3,009.19	2,741.73
3	**राजस्व स्वीकृति का समय**		
एक समय में		-	-
समय के बाद		3,009.19	2,741.73
कुल राजस्व		3,009.19	2,741.73

टिप्पणी: केएसईबीएल ऊर्जा की बिक्री के लिए एकमात्र ग्राहक है

ख) कारोबार प्राप्य और संविदा शेष

निम्न तालिका ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्य और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है:–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
कारोबार प्राप्य (निवल) (सौर संयंत्र)	272.61	297.00

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

24. सौर ऊर्जा परियोजना

कंपनी ने केरल राज्य में कासरगोड जिले के अंबाला थरा सोलर पार्क में स्थित इरेडा की 50 मेगावाट सौर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2014–15 में भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसे वित्तीय वर्ष 2016–17 में बहीखातों में रु. 29,398–48 लाख पर पूंजीकृत किया गया है। इसके बदले में, एसईसीआई (एक परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में) ने इरेडा की ओर से मेसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड का ईपीसी (इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन) कंसल्टेंट के रूप में डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, इरेक्शन, टेस्टिंग, सोलर पीवी पावर प्लांट की स्थापना के लिए 26,929.25 लाख रुपये प्लस 8: प्रबंधन शुल्क (कर सहित) एसईसीआई को देय और रु. 2,456.32 लाख रुपये की निश्चित कीमत पर चयन किया है। वित्त वर्ष 2016–17 के दौरान 12–92 लाख का ब्याज पूंजीकृत किया जा रहा है। 1,500.00 लाख (करों को छोड़कर) रुपये की राशि जोकि अक्षय ऊर्जा निगम केरल लिमिटेड (आरपीसीकेएल), सोलर पार्क डेवलपर को निकासी शुल्क के लिए अग्रिम के रूप में भुगतान किया गया था, वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान पूंजीकृत किया गया था। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, 812.71 लाख रुपये की एक और राशि का भुगतान और पूंजीकरण किया गया।

पीपी, पर 31–03–2017 को इरेडा और केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल) के बीच रु 4.95/केडब्ल्यूएच या केरल राज्य विद्युत नियामक आयोग (केएसईआरसी) द्वारा अनुमोदित दर, जो भी कम हो, से हस्ताक्षर किए गए थे। तदनुसार इरेडा ने केएसईआरसी के साथ बिजली खरीद समझौते के अनुमोदन के लिए एक याचिका दायर की, जिसने अपने अंतरिम आदेश दिनांक 14–02–18 में रुपये 3.90 प्रति यूनिट के अंतरिम टैरिफ को मंजूरी दी थी। इसके अलावा, केएसईआरसी ने दिनांक 06–02–19 के अपने आदेश में रुपये 3–83 प्रति यूनिट के स्तर पर टैरिफ को मंजूरी दी थी। इसने आगे निम्नानुसार आदेश भी दिया है:

- केएसईबी लिमिटेड इस आदेश में निर्दिष्ट इक्विटी की राशि तक सीमित आरओई पर भुगतान किए गए किसी भी कर की प्रतिपूर्ति करेगा। कर का दावा करने के लिए, डेवलपर केएसईबी लिमिटेड को ऐसे कर के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

- केएसईबी लिमिटेड, उपरोक्त के अतिरिक्त, इरेडा/आरपीसीकेएल द्वारा भुगतान की गई भूमि पट्टे की, सब्सिडी के रूप में प्राप्त राशि, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति करेगा।

तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 में इरेडा ने आरपीसीकेएल से 1,313 लाख रु. का दावा किया था, जिन्होंने दावे और उसके मूल्य के बारे में नकारात्मक जवाब दिया था। इसके अलावा, इरेडा ने निर्धारित टैरिफ की समीक्षा के लिए एक समीक्षा याचिका के साथ बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) से संपर्क किया है। इसके बावजूद, उत्पादन आय रुपये 3.83 प्रति यूनिट लेखांकित की गई है ।

संयंत्र की निष्पादन गारंटी परीक्षण परिचालन स्वीकृति हो चुकी थी और कंपनी ने 09.03.2020 को परिचालन स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया था। प्लांट हैंडओवर और टेकओवर 09.03.2021 को किया गया है। सौर परियोजना लीजहोल्ड भूमि पर स्थापित की गई है, जिसके लिए पहले 5 वर्षों के लिए कोई पट्टा किराया देय नहीं था। वर्ष के दौरान, कंपनी ने भूमि उपयोग के संबंध में रिन्यूएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड (आरपीसीकेएल) के साथ एक पट्टा समझौता किया है। अनुबंध के अनुसार, कंपनी को 06.10.2020 तक भूमि पट्टा शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी। केएसईआरसी टैरिफ आदेश दिनांक 06.02.2019 के अनुसार, इरेडा आरपीकेएल को भुगतान किए गए भूमि पट्टा शुल्क की प्रतिपूर्ति का लाभ उठाने के लिए पात्र है। इसके मद्देनजर भुगतान किए गए लीज रेंट के लिए केएसईबीएल को 24.03.2022 को प्रतिपूर्ति पत्र भेजा गया है। वही अनिश्चित होने के कारण, उसके लिए कोई संपत्ति नहीं बनाई गई है।

वर्ष के दौरान, पी.एम.सी. की सिफारिश पर, ईपीसी सलाहकार, मैसर्स जैक्सन इंजीनियर्स लिमिटेड पर ₹ 1,377.12 लाख की राशि लगाई गई और परिसमाप्त क्षति के रूप में वसूल की गई,जिसे वित्तीय विवरणों के नोट 31 में दिखाया गया है।

25. वर्ष के दौरान, कंपनी ने सहायक कंपनी – एमपी विंड फार्म्स लिमिटेड में अपने निवेश को रु. 24.00 लाख के लिए, मेसर्स आई–बान रिटेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर परिसमाप्त कर दिया है। तदनुसार, इरेडा द्वारा धारित रु. 10/– के अंकित मूल्य के पूरे 168,000 इक्विटी शेयरों (बोनस शेयरों के रूप में आवंटित प्रत्येक रु. 10/– के 48,000 इक्विटी शेयरों सहित) का हस्तांतरण/बिक्री 26.03.2022 को हस्तांतरित की गई। निवेश की बिक्री के लाभ को वित्तीय विवरणों के नोट 31 के तहत दर्शाया गया है।

26. सभी आवासीय और कार्यालय परिसरों के संबंध में 31 मार्च, 2022 तक की गई संपत्तिकर की मांग का भुगतान कर दिया गया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर में कार्यालय भवन के संबंध में 31 मार्च, 2021 तक इंडिया हैबिटेट सेंटर की मांग के अनुसार संपत्तिकर का भुगतान किया गया है, जो इकाई क्षेत्र पद्धति पर आधारित था। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने 1994–2004 की अवधि के लिए अनुमत मूल्य की गणना के उद्देश्य से सुविधा क्षेत्र के लिए प्राप्त लाइसेंस शुल्क को शामिल करने के लिए इंडिया हैबिटेट सेंटर के साथ एक मुद्दा उठाया है। यह मामला अब माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। यदि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय कंपनी के खिलाफ फैसला करता है, तो नगरपालिका कर के कारण देयता को फिर से काम करना होगा जो इस स्तर पर सुनिश्चित नहीं है।

27. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, इरेडा को निदेशक मंडल की एक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति का गठन करना अपेक्षित है और कंपनी को अपने तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का 2% खर्च करना होगा। वर्ष की गणना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार की गई है। 31.03.2022 को:

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली कुल राशि का विवरण:

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
1	वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि	685.34	727.36
2	खर्च की गई राशि	872.93	902.02
3	वर्ष के अंत में कम/(अतिरिक्त)'* (1-2)	(187.59)	(174.66)
4	पिछले वर्षों की कुल कमी		
क)	अथशेष	700.63	1,440.21
ख)	वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	77.67	739.58
ग)	अंतः शेष [कम/अतिरिक्त]** (क–ख)	622.97	700.63

*संभावित रूप से लागू दिनांक 22.01.2021 की एमसीए अधिसूचना के मद्देनजर, खर्च की गई अतिरिक्त राशि का उपयोग लगातार 3 वर्षों में किया जा सकता है।

**वित्त वर्ष 2019–20 तक पिछले वर्षों से संबंधित अव्ययित राशि, चल रही परियोजनाओं से संबंधित है और परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर खर्च की जाएगी।

वित्त वर्ष 2021–22, बोर्ड ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार औसत स्टैंडअलोन लाभ कर पूर्व लाभ के 2 प्रतिशत के आधार पर रु. 747.72 लाख (पिछले वर्ष रु. 727.36 लाख) के सीएसआर बजट को मंजूरी दी थी। वर्ष में स्वीकृत परियोजनाएं बाद के वर्षों में परियोजना के पूरा होने के विभिन्न चरणों के के आधार पर भुगतान कर पूरी की जा सकती हैं । इसके अलावा, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, सीएसआर बजट अव्यपगत है और किसी भी अव्ययित राशि को उस उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए अगले वर्ष तक ले जाया जाता है जिसके लिए इसे आवंटित किया गया था।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशिः

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	नकद में	अब भी मामले में भुगतान	कुल	नकद में	अब भी मामले में भुगतान	कुल
		31.03.2022 को समाप्त वर्ष			31.03.2021 को समाप्त वर्ष		
(i)	किसी परिसम्पत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	949.37	-	949.37	1,640.40	-	1,640.40
(ii)	उपर्युक्त (I) के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों पर	1.23	-	1.23	1.19	-	1.19
	कुल	950.60	-	950.60	1,641.60	-	1,641.60

वर्ष के दौरान, परियोजनाओं की प्रगति के आधार पर सीएसआर परियोजनाओं पर 950.62 लाख (पिछले वर्ष 1,641.60 लाख रुपये) रुपये की राशि खर्च की गई है। वर्ष के दौरान जारी की गई धनराशि में से रु. 872.93 लाख वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित है और शेष रु. 77.67 लाख पूर्व के वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित हैं (पिछले वर्ष कुल 1,641.60 लाख रुपये खर्च किए गए थे, जिनमें से 902.20 लाख रुपये वित्तीय वर्ष 2020–21 में स्वीकृत और वितरित परियोजनाओं पर खर्च से संबंधित थे और शेष 739.58 लाख रुपये पिछले वर्षों में स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित हैं)।

व्ययित और अव्ययित राशि का ब्यौराः

31.3.02022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्ययित राशि (लाख रुपए में)	अव्ययित राशि (लाख रुपए में)				
	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित कुल राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तारीख
872.93	-	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

गत वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौराः–

(लाख रुपए में)

धारा 135(5) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांरित राशि (लाख रुपए में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रुपए में)	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित कुल राशि			अगले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (लाख रुपए में)
		निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तारीख	
-	77.67	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	622.97^

* वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खर्च किए गए अतिशेष 174.66 लाख रुपए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अतिशेष 125.21 लाख रुपए के समायोजन के बाद अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में निपटान के लिए उपलब्ध

(लाख रुपए में)

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल व्ययित राशि (लाख रुपए में)	अव्ययित राशि				
	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि		कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित कुल राशि		
	राशि	हस्तांतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तारीख
902.02	-	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं

गत वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरा:–

(लाख रुपए में)

धारा 135(5) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांरित राशि (लाख रुपए में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (लाख रुपए में)	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित कुल राशि			अगले वित्तीय वर्षों में खर्च की जाने वाली शेष राशि (लाख रुपए में)
		निधि का नाम	राशि	हस्तांतरण की तारीख	
-	739.58	लागू नहीं	शून्य	लागू नहीं	527.97*

* वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए खर्च किए गए रु. 174.66 लाख अतिरिक्त का समायोजन पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों के समायोजन के लिए उपलब्ध है।

28. लेखापरीक्षक को पारिश्रमिक

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक		
• सीमित समीक्षा	2.18	2.21
• सांविधिक लेखापरीक्षा	8.73	8.83
• कर लेखापरीक्षा	2.91	2.95
• अंतरिम लेखों के लिए लेखापरीक्षा शुल्क	24.00	5.95
अन्य सेवाएं		
• प्रमाणन शुल्क	3.25	1.75
• डीआरएचपी आईपीओ से संबंधित	5.00	3.00

*जीएसटी को छोड़कर

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

29. आस्थगित कर – इंड एएस 12 'आयकर' के अनुसार प्रकटीकरण

क. लाभ हानि विवरण में स्वीकृत कर

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित के संबंध में चालू आयकर व्ययः		
चालू वर्ष	31,119.55	29,162.31
उप योग (क)	31,119.55	29,162.31
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी भिन्नताओं की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(11,088.33)	(6,851.31)
पूर्व में गैर–स्वीकृत कर हानि, कर क्रेडिट या पूर्व अवधि का अस्थायी अंतर (आस्थगित कर व्यय को कम करने के लिए प्रयुक्त)	-	-
उप योग (ख)	(11,088.33)	(6,851.31)
कुल (ग=क+ख)	20,031.22	22,311.00
नकद प्रवाह हेज रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ के प्रभावी हिस्से पर मान्यता प्राप्त कर व्यय (घ)	(2,598.13)	(8,262.31)
कुल कर व्यय (ग+घ)	17,433.09	14,048.69

ख. अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कर

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(18.34)	16.21
नकद प्रवाह हेज में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर प्रभावी भाग पर आयकर	(2,598.13)	(8,262.31)
कुल	(2,616.46)	(8,246.10)

ग. कर व्यय और लेखांकन लाभ का समाशोधन

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
कर और ओसीआई से पूर्व लाभ	72,987.88	23,982.06
लागू आयकर दर (%)	25.17%	25.17%
संभावित आयकर	18,369.59	6,035.81
आयकर समायोजन का कर प्रभाव:		
मूल्यह्रास	(116.66)	121.63
आस्थगित मदें और ओसीआई समायोजन	(1,878.21)	1,003.96
46 क का शोधन	2,598.13	9,430.32

क्षति	1,444.43	1,108.15
धारा 43ख और अन्यों के तहत निवल निषेध	15.54	(15.98)
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36(1) के अंतर्गत कटौती का लाभ	(4,353.05)	(3,906.04)
सीएसआर व्ययों और अन्यों की गैर–स्वीकार्यता	239.25	413.16
स्थायी परिसम्पत्तियों का समायोजन	1.03	0.24
अन्य कटौती योग्य कर व्यय	-	(189.18)
मुहैया कराया गया अतिशेष कर	91.62	46.63
पिछले वर्षों में आयकर	1,021.43	-
पिछले वर्ष के लेखों में समायोजन	17,433.09	14,048.69
लाभ हानि के स्टैंडअलोन विवरण में कुल कर व्यय	23.88%	58.58%

घ. आस्थगित कर का आवागमन

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को निवल शेष	लाभ हानि में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च, 2022 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
गारंटी कमीशन पर कर और अन्य का प्रावधान	-	1,865.24		1,865.24
सेवा कर और अन्य के लिए प्रावधान	-	277.20		277.20
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	132.31	34.95	-	167.26
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	-	8.48	(8.48)	0.00
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान	250.22	13.43	26.67	290.31
बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	95.53	14.10	-	109.63
बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	4.43	0.65	0.22	5.29
स्टाफ के लिए प्रावधान (मीमेंटो)	-	2.78	(0.07)	2.71
निष्पादन प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान	230.87	(28.85)	-	202.02
अक्षमता	35,803.60	3,085.14	-	38,888.74
फ्रंट एंड शुल्क – बुक में आस्थगित	328.68	2,625.21	-	2,953.89
कुल	36,845.63	7,898.33	18.34	44,762.30

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

मूल्यह्रास	5,197.09	(289.59)	-	4,907.50
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	10,457.34	(2,868.28)	-	7,589.05
बॉण्ड	91.99	(32.13)	-	59.87
कुल	15,746.42	(3,190.00)	-	12,556.42
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति / (देनदारी)	21,099.21	11,088.33	18.34	32,205.88

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को निवल शेष	लाभ हानि में स्वीकृत	ओसीआई में स्वीकृत	31 मार्च, 2022 को निवल शेष
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	102.05	30.26	-	132.31
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	0.08	(0.08)	-	0.00
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ पर बीमांकिक हानि	160.82	53.81	-	214.64
बीमारी छुट्टी के लिए प्रावधान	87.38	8.15	-	95.53
बैगेज भत्ते के लिए प्रावधान	3.69	0.82	-	4.51
निष्पादन प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान	281.40	(50.53)	-	230.87
अक्षमता	28,313.22	7,490.38	-	35,803.60
फ्रंट एंड शुल्क – बहियों में आस्थगित	367.83	(39.15)	-	328.68
कुल	29,316.47	7,493.66	-	36,810.14
ओसीआई खंड				
आस्थगित कर परिसम्पत्तियां				
ग्रेच्युटी पर बीमांकिक हानि	13.57	-	(13.57)	(0.00)
सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ पर बीमांकिक हानि	37.87	-	(2.29)	35.58
बैगेज भत्ते पर बीमांकिक हानि	0.26	-	(0.35)	(0.08)
कुल	51.70	-	(16.21)	35.49

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

आस्थगित कर देनदारियां				
मूल्यह्रास	5,047.92	149.18	-	5,197.09
विदेशी मुद्रा परिवर्तन अंतर	9,951.61	505.73	-	10,457.34
बॉण्ड	104.55	(12.56)	-	91.99
कुल	15,104.07	642.35	-	15,746.42
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति / (देनदारी)	14,264.10	6,851.31	(16.21)	21,099.21

ड. आगे ले गए कटौती योग्य अस्थायी अंतर / अप्रयुक्त कर हानियां / अप्रयुक्त कर क्रेडिट

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	समाप्ति की तारीख	31 मार्च, 2021 को	समाप्ति की तारीख
आगे ले गए कटौती योग्य अस्थायी अंतर / अप्रयुक्त कर हानियां / अप्रयुक्त कर क्रेडिट जिनके लिए किसी भी आस्थगित कर परिसम्पत्ति को स्वीकृति नहीं दी गई है	–	लागू नहीं	–	लागू नहीं

च. सकल चालू कर और आस्थगित कर जिन्हें सीधे इक्विटी में स्वीकृत किया गया है

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्माप पर आस्थगित कर	18.34	(16.21)
कैश फ्लो हेज रिजर्व में हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पर लाभ / (हानि) के प्रभावी हिस्से पर वर्तमान कर	2,598.13	8,262.31
कुल	2,616.46	8,246.10

30. अतिरिक्त सूचना

क) विदेशी मुद्रा में व्ययः

- यात्रा पर रुपए शून्य (गत वर्षः शून्य रुपए)
- ब्याज और प्रतिबद्धता व्ययः रु. 9,119.43 लाख (गत वर्षः 10,871.75 लाख रुपए)

ख) विदेशी मुद्रा में आयः

- ब्याजः रु. 1.81 लाख (गत वर्षः 46.63 लाख रुपए)

ग) वर्ष के दौरान, मेसर्स केएफडब्ल्यू ने तकनीकी के खिलाफ रु. 203.98 लाख (पिछले वर्षः रु. 105.51 लाख) (प्रत्यक्ष संवितरण प्रक्रियाओं के तहत टीए कार्यक्रम के तहत किराये पर लिए गए सलाहकारों को सीधे रु. 183.24 लाख और करों के लिए इरेडा को सीधे रु. 20.74 लाख सहित) का भुगतान किया। ''भारत में सौर पीवी परियोजना पाइपलाइन के लिए तकनीकी सहायता कार्यक्रम (टीएपी)'' आदि के लिए केएफडब्ल्यू IV लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में इरेडा को 0.6 मिलियन यूरो का सहायता स्वीकृत।

घ) मैसर्स केएफडब्ल्यू ने रु. 173.93 के लिए विशेषज्ञ सेवाओं के लिए टी,पी के खिलाफ इरेडा के लिए माल और सेवाओं के लिए क्षमता निर्माण उपायों और लागतों के लिए विशेषज्ञ सेवाओं के लिए केएफडब्ल्यू VI लाइन ऑफ क्रेडिट के संबंध में इरेडा को स्वीकृत 1 मिलियन यूरो के सापेक्ष सीधे संवितरण प्रक्रियाओं के तहत टीए कार्यक्रम के तहत किराए पर लिए गए, सलाहकार को सीधे 112.28 लाख रुपए (पिछले वर्ष रु. 206.40 लाख) का भुगतान किया।

ड) विश्व बैंक ने आईबीआरडी III लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत सौर पार्क परियोजना के लिए साझा बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में सहायता के लिए 2 मिलियन अमरीकी डॉलर के स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) अनुदान को मंजूरी दी है। वर्ष के दौरान, विश्व बैंक ने सीटीएफ अनुदान के तहत इरेडा को 246.92 लाख (पिछले वर्षः 132.64) रुपये की प्रतिपूर्ति की।

31. एमएनआरई / यूएनडीपी–इरेडा योजना निधियां

क) कंपनी अपनी गतिविधियों के अलावा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से उक्त मंत्रालय के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के आधार पर कार्यक्रमों को लागू करती है। प्रत्येक समझौता ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, एमएनआरई ने कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए कंपनी के साथ प्रत्येक कार्यक्रम के संबंध में एक सहमत राशि रखी है। एमएनआरई निधियों पर ब्याज प्राप्त होने पर लेखा किया जाता है। चूंकि एमएनआरई कार्यक्रम ऋणों द्वारा उत्पन्न आय कंपनी की आय नहीं है और साथ ही ऋण परिसंपत्तियां एमएनआरई से संबंधित हैं, इसे परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण उद्देश्यों के लिए नहीं माना जाता है। संबंधित कार्यक्रमों के बंद होने पर, कंपनी को एमओयू में निर्धारित सेवा शुल्क, अपूरणीय चूक और अन्य देय राशि की कटौती के बाद एमएनआरई (उस पर अर्जित ब्याज सहित) में जमा राशि को एमएनआरई को हस्तांतरित करना आवश्यक है। अवधि के अंत में उपरोक्त के कारण एमएनआरई के कारण राशि, राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ अलग बैंक खातों में बचत बैंक / अल्पकालिक जमा आदि के रूप में अलग–अलग बैंक खातों में रखे गए अप्रयुक्त धन पर ब्याज के साथ, नकद में शामिल के अलावा अन्य बैंक शेष के रूप में दिखाया गया है और नकद समकक्ष (टिप्पणी 3 देखें) और संबंधित देयता बैलेंस शीट में अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 22 देखें) शीर्ष के तहत दिखाई जाती है।

उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (जीबीआई) और पूंजीगत सब्सिडी योजना आदि : इरेडा पवन और सौर क्षेत्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन और पूंजीगत सब्सिडी के वितरण के लिए एमएनआरई की ओर से एक निधि प्रशासक है। इन योजनाओं के तहत, एमएनआरई द्वारा एमएनआरई की योजना के अनुसार जीबीआई दावेदारों को इसके संवितरण के उद्देश्य से आईआरईडीए को विशिष्ट निधि राशि प्रदान की जाती है। इसलिए, अनिवार्य रूप से, यह गतिविधि धन की प्राप्ति और उपयोग की है। जीबीआई निधियों को और जारी करने के लिए, इरेडा को चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा विधिवत प्रमाणित व्यय के लेखापरीक्षित विवरण के साथ उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उक्त आवश्यकता का इरेडा द्वारा पूरी तरह से अनुपालन किया गया है और एमएनआरई द्वारा अब तक और कुछ भी अपेक्षित नहीं किया गया है। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने योजना के लेखों की लेखापरीक्षा नहीं की है।

अवधि के अंत में उपरोक्त के कारण एमएनआरई को देय राशि, अप्रयुक्त धन पर ब्याज के साथ, राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ अलग–अलग बैंक खातों जैसे बचत बैंक / अल्पकालिक जमा आदि के रूप में रखे गए, नकद और नकद समकक्ष (नोट 3 देखें) में शामिल के अतिरिक्त, अन्य को बैंक शेष के रूप में दिखाया गया है और संबंधित देयता बैलेंस शीट में अन्य वित्तीय देयताएं (टिप्पणी 22 देखें) शीर्ष के तहत दिखाई गई है।

ख) **जीईएफ–एमएनआरई–संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (यूएनआईडीओ) परियोजनाः** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और यूएनआईडीओ ने संयुक्त रूप से अपशिष्ट से ऊर्जा रूपांतरण के लिए बायोगैस / बायो–मीथेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने, नवाचारों को लक्षित करने और औद्योगिक जैविक अपशिष्ट से स्थायी ऊर्जा उत्पादन। उक्त परियोजना के तहत यूएनआईडीओ परियोजना विकासकर्ताओं के लिए ब्याज दर में 5 प्रतिशत की सब्सिडी के लिए धन उपलब्ध कराएगा और इरेडा फंड हैंडलर है। वर्ष के दौरान, 340,000 अमरीकी डालर की पहली किश्त जारी करने के लिए रु. 45.92 लाख के जीएसटी के साथ, रु. 255.14 लाख की राशि के आवश्यक दस्तावेज बनाए गए हैं, नोट 8 के तहत दिखाया गया है – अन्य वित्तीय संपत्ति जबकि अपेक्षित फंड देयता का खुलासा नोट 22–अन्य वित्तीय देनदारियों के तहत किया गया है ।

32. एमएनआरई भारत सरकार के पूर्ण सर्विस्ड बॉण्ड

आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा जारी ओएम संख्या एफ.15(4)–बी(सीडीएन)/2015 दिनांक 03.10.16 के अनुसार इरेडा को ग्रिड इंटरएक्टिव अक्षय ऊर्जा, ऑफ–ग्रिड/वितरित और विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा और निगमों और स्वायत्त निकायों में निवेश से संबंधित एमएनआरई योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए उनके द्वारा प्राप्त राशि के उपयोग के लिए भारत सरकार के पूरी तरह से सेवित बांड के माध्यम से 400,000.00 लाख रुपये की राशि जुटाने के लिए कहा गया था। एमएनआरई और इरेडा के बीच 25.01.17 को दोनों की भूमिका और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करते हुए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन के पृष्ठ 5 पर सामान्य खंड के पैरा संख्या (ग) में विशेष रूप से परिभाषित किया गया है कि एमएनआरई बांड के उधार को कंपनी द्वारा किसी भी वित्तीय गणना के लिए संपत्ति/देयता के रूप में नहीं माना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि एमएनआरई बांडों के माध्यम से जुटाई गई राशि उधार लेने के साथ–साथ परिसंपत्तियों में भी दिखाई देगी, हालांकि, इरेडा के उधारों/परिसम्पत्तियों या आय/व्यय पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इरेडा ने वर्ष 2016–17 के दौरान एमएनआरई की ओर से 164,000.00 लाख रूपए के भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड जुटाए थे और इसे टिप्पणी संख्या 24 – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है। इसके सापेक्ष विभिन्न योजनाओं/योजनाओं के लिए एमएनआरई के निर्देशों के अनुसार 31 मार्च, 2021 तक रू. 163,879.20 लाख रुपए (31 मार्च, 2020 तक रू. 163,879.20 लाख रू.) वितरित किए जा चुके हैं। उक्त राशि को नोट संख्या 17 – अन्य गैर–वित्तीय संपत्ति – के तहत एमएनआरई से वसूली योग्य राशि के रूप में दिखाया गया है। राशि को एमआईबीओआर लिंक्ड डिपॉजिट में रखा गया था जिस पर रु. 31 मार्च, 2022 को 1,117.48 लाख रूपए (31 मार्च, 2021 तक 1,093.70 लाख रुपये) को नोट संख्या 24 – अन्य गैर–वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है। 31 मार्च, 2022 को शेष संचयी राशि (उपार्जित/अर्जित ब्याज सहित) 888.75 लाख (31 मार्च, 2021 तक 861.39 लाख रुपये) है, जिसे एमआईबीओआर लिंक्ड टर्म डिपॉजिट में रखा गया है और राशि 31 मार्च, 2022 तक 352.53 लाख रुपये (31 मार्च, 2021 तक 353.11 लाख रुपये) इंडसइंड बैंक के चालू खाते में शेष है, जो कि टिप्पणी संख्या 3 – संबंधित उप शीर्षों में अन्य बैंक शेष के तहत दर्शाए गए हैं।

वर्ष के दौरान, भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड पर ब्याज की राशि रु. 12,434.70 लाख (पिछले वर्ष रू 12,434.70 लाख रुपये) भुगतान के लिए देय हो गए और इस राशि को भारत सरकार से प्राप्त किया गया और निवेशक को भुगतान किया गया।

33. एमएनआरई से प्राप्त और उनकी ओर से संचालित की गई सब्सिडी/प्रोत्साहन राशि

क. ब्याज सब्सिडी

सरकार की नीति के अनुसार एमएनआरई ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रहा है। एनपीवी आधार पर सह–उत्पादन, लघु हाइड्रो, ब्रिकेटिंग, बायोमास, सौर थर्मल और अपशिष्ट से ऊर्जा के एमएनआरई कार्यक्रमों को लागू करने वाले और वास्तविक आधार पर सौर और एसपीवी कार्यक्रमों के लिए ब्याज सब्सिडी जारी की जाती है। इन उधारकर्ताओं द्वारा मंजूरी के नियमों और शर्तों का पालन करने के अधीन तिमाही आधार पर उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

ब्याज सब्सिडी का कार्यक्रम–वार विवरण इस प्रकार है:–

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(i) **एनपीवी आधार पर ब्याज सब्सिडीः–**

(लाख रुपए में)

सेक्टर का नाम	बायो मास सह–उत्पादन	लघु हाइड्रो	उप योग (क)
31 मार्च, 2022	215.01	1.83	216.84
31 मार्च, 2021	215.01	1.83	216.84

(ii) **बीमांकिक आधार पर ब्याज सब्सिडी:-**

सेक्टर का नाम	सोलर थर्मल सेक्टर	एसपवीवी डब्ल्यूपी 2000-01	एसपवीवी डब्ल्यूपी 2001-02	एसपवीवी डब्ल्यूपी 1999-00	एसपवीवी डब्ल्यूपी निर्माण	एसपवीवी डब्ल्यूपी 2002-03	त्वरित एसडब्ल्यूएच प्रणाली	उप योग (ख)	कुल योग (क+ख)
31 मार्च, 2022	0.04	(-)51.35	(-)1,36.03	(-)6.85	(-)2.97	(-)41.39	0.10	(-)238.45	(-) 21.61
31 मार्च, 2021	0.04	(-)51.35	(-)1,36.03	(-)6.85	(-)2.97	(-)41.39	0.10	(-)238.45	(-) 21.61

ख. पूंजी सब्सिडी

वर्ष के दौरान, एमएनआरई से पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 3,871.00 लाख (पिछले वर्षः रु. 1,275.00 लाख) रुपये की राशि प्राप्त हुई। उपलब्ध कुल पूंजीगत सब्सिडी राशि में से रु. 3,871.38 लाख (पिछले वर्षः रु. 1.275.00 लाख) पूंजी सब्सिडी योजना के नियमों और शर्तों के अनुपालन पर उधारकर्ताओं को आगे संप्रेषित की गई।

34. डिबेंचर रिडेम्पशन आरक्षित

कंपनी अधिनियम 2013 के नियम 18 (7) (बी) (ii) के अनुसार, कंपनी को पब्लिक इश्यू के माध्यम से जारी किए गए बॉन्ड के 25 प्रतिशत तक डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व (डीआरआर) बनाने की आवश्यकता है। कंपनी ने डीआरआर के लिए प्रावधान किया है, ताकि कर मुक्त बांड की संबंधित अवधि में आवश्यक राशि प्राप्त की जा सके। तदनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 4,629.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4,629.11 लाख रुपये) का प्रावधान किया गया है।

35. एनबीएफसी आरक्षित

आरबीआई के परिपत्र संख्या डीएनबीआर(पीडी)सीसी.सं.092 / 03.10.001 / 2017–18 दिनांक 31 मई 2018 के अनुसार इरेडा द्वारा कर पश्चात लाभ के 20 प्रतिशत की दर से आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत एनबीएफसी आरक्षिति बनाया जाना अपेक्षित है। 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के अनुसार रु. 12,700.00 लाख (पिछले वर्ष रू 7,000.00 लाख रुपये) की धनराशि को एनबीएफसी रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

36. वित्तीय विलेखों से संबंधित प्रकटीकरण

I. उचित मूल्य माप

श्रेणी द्वारा वित्तीय विलेख

(लाख रुपए में)

विवरण (31 मार्च, 2022)	परिशोधित लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पीएंडएल के माध्यम से	
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकद और नकद समतुल्य	13,117.48				13,117.48
चिह्नित बैंक शेष	39,551.85				39,551.85
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			38,563.24	1,269.76	39,833.00
कारोबारी प्राप्य	452.68				452.68
ऋण	3,317,444.77				3,317,444.77
निवेश	9,926.84				9,926.84
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	3,182.09				3,182.09
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	3,383,675.71		38,563.24	1,269.76	3,423,508.71
वित्तीय देनदारियां					
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			18,257.49		18,257.49
कारोबारी देय	516.95				516.95
ऋण प्रतिभूतियां	922,913.87				922,913.87
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	1,773,467.47				1,773,467.47
अधीनस्थ देनदारियां	64,925.97				64,925.97
अन्य वित्तीय देनदारियां	83,559.91				83,559.91
कुल वित्तीय देनदारियां	2,845,384.17	-	18,257.49		2,863,641.67

(लाख रुपए में)

विवरण (31 मार्च, 2022)	परिशोधित लागत	लागत पर	उचित मूल्य पर		कुल
			ओसीआई के माध्यम से	पीएंडएल के माध्यम से	
वित्तीय परिसम्पत्तियां					
नकद और नकद समतुल्य	22,101.83				22,101.83
चिह्नित बैंक शेष	38,229.29				38,229.29
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			38,891.90	1,417.11	40,309.01
कारोबारी प्राप्य	297.04				297.04
ऋण	2,690,564.31				26,90,564.31
निवेश		12.00			12.00
अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,279.36				2,279.36

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,753,471.83	12.00	38,891.90	1,417.11	2,793,792.84
वित्तीय देनदारिया					
डेरिवेटिव वित्तीय विलेख			9,183.16		9,183.16
कारोबारी देय	2,247.98				2,247.98
ऋण प्रतिभूतियां	912,026.16				912,026.16
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	1,423,055.09				1,423,055.09
अधीनस्थ देनदारियां	64,919.20				64,919.20
अन्य वित्तीय देनदारियां	86,264.06				86,264.06
कुल वित्तीय देनदारियां	2,488,512.50	-	9,183.16		2,497,695.66

II. उचित मूल्य पदानुक्रम

इस खंड में वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों के निर्धारण में किए गए ऐसे निर्णयों और अनुमानों की व्याख्या करता है जो

(क) उचित मूल्य पर स्वीकृत और मापित हैं और

(ख) परिशोधन लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है। कंपनी ने उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। तालिका के नीचे प्रत्येक स्तर पर एक स्पष्टीकरण दिया गया है।

(ग) भौतिकता को देखते हुए, हमने कर्मचारी ऋण और सुरक्षा जमा की छूट को नजरअंदाज कर दिया है।

मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए कंपनी निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है:

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके मापा गया वित्तीय साधन शामिल है। इसमें सूचीबद्ध इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेडेड बॉन्ड और म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिनकी कीमत उद्धृत की गई है। स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले सभी इक्विटी उपकरणों (बांड सहित) के उचित मूल्य का मूल्यांकन रिपोर्टिंग अवधि के अनुसार समापन मूल्य का उपयोग करके किया जाता है। म्यूचुअल फंड का मूल्यांकन क्लोजिंग एनएवी का उपयोग करके किया जाता है।

स्तर 2: वित्तीय साधन जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं होता है (उदाहरण के लिए, ट्रेडेड बॉन्ड), अन्य तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसके लिए रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले सभी इनपुट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं।

स्तर 3: ऐसी तकनीक जिसमें इनपुट का उपयोग किया जाता है जिसका रिकॉर्ड किए गए उचित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है जो गैर–सूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियों जैसे अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं होते हैं।

क. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31 मार्च, 2022 तक*

(लाख रुपए में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां :-			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	35,364.50
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	3,199.15
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	1,269.76
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	39,833.01
वित्तीय देनदारियां			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	18,257.49
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	-
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	18,257.49

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है

संपत्ति और देनदारियां जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा गया है जिसके लिए उचित मूल्यों का प्रकटीकरण किया गया है।

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2022 को *	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
परिशोधन पर वित्तीय परिसंपत्तियां:			
कम्पनियों को ऋण	-	-	3,309,948.30
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	3,309,948.30
वित्तीय देनदारियां			
परिशोधन पर वित्तीय देनदारियां:			
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	9,22,913.87
उधार राशियां ;ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	1,773,467.47
अधीनस्थ देनदारियां	-	-	64,925.97
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	2,761,307.31

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां – आवर्ती उचित मूल्य माप– 31 मार्च, 2021 तक*

(लाख रुपए में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां:–			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	37,750.50
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	1,191.39
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	1,417.12
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	40,309.01
वित्तीय देनदारियां			
हेजेज से रूप में नामित डेरिवेटिव			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	9,137.96
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	45.20
डेरिवेटिव्स जिन्हें हेजेज के रूप में नामित नहीं किया गया है			
मूलधान केवल स्वैप	-	-	-
क्रॉस करेंसी ब्याज दर स्वैप	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	9,183.16

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है।

संपत्ति और देनदारियां जिन्हें परिशोधन लागत पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया जाता है।

(लाख रुपए में)

31 मार्च, 2022 को *	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
वित्तीय परिसम्पत्तियां			
परिशोधन पर वित्तीय परिसंपत्तियां			
कम्पनियों को ऋण	-	-	2,685,377.08
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	-	-	2,685,377.08
वित्तीय देनदारियां			
परिशोधन पर वित्तीय देनदारियां			
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	912,026.16
उधार राशियां ;ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	-	-	1,423,055.09
अधीनस्थ देनदारियां	-	-	64,919.20
कुल वित्तीय देनदारियां	-	-	2,400,000.450

* राशियों को उनके उचित मूल्य पर दर्शाया गया है।

III. उचित मूल्य निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांन तकनीक

एमटीएम गणना रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया डेरिवेटिव लिखत के लिए पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान किए गए मूल्यांकन पर आधारित है।

रियायती नकदी प्रवाह विश्लेषण।

महत्वपूर्ण गैर–अवलोकन योग्य इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप (स्तर 3)

कर–पूर्व दर जो मुद्रा के समय मूल्य और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिम के वर्तमान बाजार आकलन को दर्शाती है।

निम्न तालिका 31 मार्च, 2022 और 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि के लिए स्तर 3 की वस्तुओं में परिवर्तन प्रस्तुत करती है:

(लाख रुपए में)

विवरण	डेरिवेटिव विलेख	डेरिवेटिव मद
व्युत्पन्न लेखांकन में व्युत्पन्न सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ / (हानि)	(147.36)	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत लाभ / (हानि)	(10,656.67)	333.53)
31 मार्च, 2022 को	(10,804.03)	333.53
व्युत्पन्न लेखांकन में व्युत्पन्न सौदों के तहत लाभ और हानि में स्वीकृत लाभ / (हानि)	(1,247.31)	-
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत लाभ / (हानि)	(30,106.51)	(2,722.13)
31 मार्च, 2021 को	(31,353.82)	(2,722.13)

IV. मूल्यांकन प्रक्रियाएं

हेज सौदे के एमटीएम मूल्य के मूल्यांकन के लिए, इरेडा ने एक पंजीकृत स्वतंत्र विशेषज्ञ मूल्यांकनकर्ता से मूल्यांकन प्राप्त किया है, जिसने बाजार की स्थिति में उतार–चढ़ाव, विनिमय दर में उतार–चढ़ाव, ब्याज दर आदि पर विचार करने के बाद ऐसा मूल्यांकन प्रदान किया है।

V. परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
वित्तीय परिसम्पत्तियां	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां:				
कम्पनियों को ऋण	3,309,948.30	3,320,089.79	2,685,377.08	2,692,840.02
कुल वित्तीय परिसम्पत्तियां	3,309,948.30	3,320,089.79	2,685,377.08	2,692,840.02

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
वित्तीय परिसम्पत्तियां	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य	वाहित राशि	लेनदेन का मूल्य
वित्तीय देनदारियां परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां:				
ऋण प्रतिभूतियां	922,913.87	923,165.46	912,026.16	912,565.46
उधार राशियां (ऋण प्रतिभूतियों से भिन्न)	1,773,467.47	1,773,469.59	1,423,055.09	1,423,059.27
अधीनस्थ देनदारियां	64,925.97	65,000.00	64,919.20	65,000.00
कुल वित्तीय देनदारियां	2,761,307.31	2,761,635.05	2,400,000.45	2,400,624.73

व्यापार प्राप्य, व्यापार देय राशि, नकद और नकद समकक्ष, अन्य बैंक शेष, अन्य वित्तीय संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान मानी जाती है।

उधार के लिए उचित मूल्य, कंपनियों को ऋण, ऋण प्रतिभूतियों की गणना वर्तमान उधार दर का उपयोग करके छूट वाले नकदी प्रवाह के आधार पर की जाती है। उन्हें स्वयं के क्रेडिट जोखिम सहित गैर–अवलोकन योग्य इनपुट को शामिल करने के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गैर–चालू उधार राशियों के उचित मूल्य, चालू उधार दर का उपयोग करते हुए रियायती नकदी प्रवाह पर आधारित होते हैं। उन्हें स्वयं के क्रेडिट जोखिम सहित गैर–अवलोकन योग्य इनपुट के उपयोग के कारण उचित मूल्य पदानुक्रम में स्तर 3 उचित मूल्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

37. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

जोखिम का प्रबंधन जोखिम प्रबंधन ढांचे, पहचान माप और निगरानी के माध्यम से किया जाता है जो जोखिम सीमाओं और अन्य नियंत्रणों के अधीन होता है। निदेशक मंडल समग्र जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण और जोखिम प्रबंधन रणनीतियों और सिद्धांतों के अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है।

जोखिम समिति के पास जोखिम रणनीति के विकास और सिद्धांतों, ढांचे, नीतियों और सीमाओं को लागू करने की जिम्मेदारी है। जोखिम समिति जोखिम निर्णयों के प्रबंधन और जोखिम स्तर की निगरानी और बोर्ड को रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। कंपनी का वित्त और खजाना इसकी संपत्ति और देयता और समग्र वित्तीय संरचना के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। वित्त और ट्रेजरी कंपनी की फंडिंग और तरलता के लिए भी जिम्मेदार है। आरबीआई के निर्देश के अनुसार कंपनी के पास एक नामित मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी है

कंपनी की गतिविधियां इसे बाजार जोखिम, तरलता जोखिम और ऋण जोखिम के लिए उजागर करती हैं। कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, विदेशी मुद्रा वायदा अनुबंधों, विदेशी मुद्रा विकल्प अनुबंधों, स्वैप आदि जैसे डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को विदेशी मुद्रा जोखिम जोखिम को हेज करने के लिए दर्ज किया जाता है। डेरिवेटिव का उपयोग विशेष रूप से हेजिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है न कि ट्रेडिंग या सट्टा उपकरणों के रूप में। एक विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति, कंपनी में एक विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति मौजूद है और विदेशी मुद्रा उधारों पर मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कमध्कम करने के लिए हेजिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है।

यह टिप्पणी जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करती है जिनसे प्रतिष्ठान को अवगत कराया जाता है और संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम और बचाव लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न होने वाला जोखिम	मापन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समतुल्य, परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्ति। (ऋण और अग्रिम), व्यापार प्राप्य, व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण,	आयु बढ़ने का विश्लेषण क्रेडिट रेटिंग	बैंक जमा का विविधीकरण, क्रेडिट एक्सपोजर सीमा, साख पत्र, हेजिंग लेनदेन की निगरानी
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियां	चल नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों, उधार लेने की सुविधाओं और अल्पावधि ऋण/डब्ल्यूसी सीमाओं और ओडी सीमाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा विनिमय	विदेशी विनिमय दर के कारण उचित मूल्य या वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान	फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वैप आदि
		संवेदनशीलता विश्लेषण	
बाजार जोखिम– ब्याज दर	परिवर्तनीय दरों पर लंबी अवधि के उधार	संवेदनशीलता विश्लेषण	ब्याज दर स्वैप
बाजार जोखिम– सुरक्षा मूल्य	कमर्शियल पेपर में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	पोर्टफोलियो विविधिकरण

क. क्रेडिट जोखिम

ऋण जोखिम उधार संचालन में निहित जोखिम होता है और उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता में कमी और उधारकर्ताओं द्वारा चुकौती में चूक के जोखिम से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का आकलन करने के लिए परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक मजबूत क्रेडिट मूल्यांकन प्रणाली मौजूद है। इस प्रक्रिया में परियोजनाओं का मूल्यांकन, बाहरी एजेंसियों द्वारा रेटिंग और क्रेडिट जोखिम का आकलन, अन्य क्रेडिट जोखिम शमन उपायों के साथ जोखिम को कम करने के लिए उपयुक्त संरचना शामिल है।

कंपनी अपने एक्सपोजर को साझा क्रेडिट जोखिम विशेषता के आधार पर छोटे समरूप पोर्टफोलियो में विभाजित करती है, जैसा कि निम्नलिखित क्रम में नीचे वर्णित है: –

- प्रत्याभूत/अप्रत्याभूत अर्थात ऋण सुरक्षित हैं या नहीं, इस पर आधारित।
- प्रतिभूति की प्रकृति यानी सुरक्षा की प्रकृति यदि ऋण सुरक्षित होने के लिए निर्धारित हैं।
- ऋण की प्रकृति अर्थात आरई क्षेत्र जिसमें ऋण दिया गया है।

वित्तीय साधन के शेष क्रियात्मक समय में होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम में परिवर्तन पर विचार करके प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में काफी वृद्धि हुई है या नहीं, इसका आकलन। यह निर्धारित करने में कि क्या प्रारंभिक मान्यता के बाद से चूक का जोखिम काफी बढ़ गया है, कंपनी एक पैरामीटर के रूप में 30 दिनों से अधिक अतिदेय मानती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि का संकेत देने वाले किसी अन्य अवलोकन योग्य इनपुट पर विचार करती है।

कंपनी एक वित्तीय साधन को डिफॉल्ट के रूप में परिभाषित करती है जब उसके पास रिपोर्टिंग तिथि पर हानि का वस्तुनिष्ठ साक्ष्य होता है। इसने चरण III के तहत इन ऋणों का मूल्यांकन परियोजना के चूक समय, प्रदर्शन / संचालन के आधार पर मामला दर मामला आधार पर किया है।

कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता दी है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

संपार्श्विक और अन्य ऋण वृद्धि

आवश्यक संपार्श्विक की राशि और प्रकार क्रेडिट जोखिम के आकलन पर निर्भर करता है। मुख्य प्रकार के संपार्श्विक एफडीआर/बीजी हैं, प्रमोटर से संबंधित अचल संपत्ति पर शुल्क और मामले के आधार पर कॉर्पोरेट गारंटी।

क) कंपनी अलग–अलग प्रतिपक्षकारों और उद्योग सांद्रता के लिए और ऐसी सीमाओं के संबंध में एक्सपोजर की निगरानी करके जोखिम की मात्रा पर सीमा निर्धारित करके क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करती है।

i. संभावित क्रेडिट हानियों के लिए प्रावधान

स्टेज	श्रेणी	श्रेणी का विवरण	संभावित क्रेडिट हानि प्रावधान की स्वीकृति के लिए आधार
			ऋण
स्टेज 1	मानक परिसम्पत्तियां	ऐसी परिसंपत्तियां जहां प्रतिपक्षकार के पास दायित्वों को पूरा करने की मजबूत क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम नगण्य है या शून्य/नियमित रूप से भुगतान करने वाली परिसंपत्तियां हैं	12 महीने का ईसीएल
स्टेज 2	संवर्धित क्रेडिट जोखिम वाले ऋण	ऐसी परिसम्पत्तियां जहां प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।	जीवनकाल तक संभावित क्रेडिट हानियां
स्टेज 3	ऋण – हानि	ऐसी संपत्तियां जहां चूक की उच्च संभावना है और जहां वसूली की कम उम्मीद है वहां संपत्ति को बट्टे खाते में डाल दिया गया है	जीवनकाल तक संभावित क्रेडिट हानियां

ii. उल्लेखनीय अनुमान और निर्णयन

वित्तीय परिसम्पत्तियों की अक्षमता

(क) ऋणों के लिए संभावित क्रेडिट हानि (ईसीएल)

(लाख रुपए में)

स्टेज	परिसम्पत्ति ग्रुप	31 मार्च, 2022 को ऋण पोर्टफोलियो	31 मार्च, 2022 को ईसीएल
स्टेज I	ऋण	2,942,541.41	49,710.90
स्टेज II	ऋण	267,394.83	45,519.11
स्टेज III	ऋण	176,825.44	73,286.44
	कुल	3,386,761.68*	168,516.45

*वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) को छोड़कर रु. 5,452.01 लाख, जिस पर बराबर की देनदारी बहियों में बनी हुई है।

(लाख रुपए में)

स्टेज	परिसम्पत्ति समूह	31 मार्च, 2021 को ऋण पोर्टफोलियो	31 मार्च, 2021 को ईसीएल
स्टेज I	ऋण	2,372,746.14	25,547.32
स्टेज II	ऋण	163,862.40	32,294.79
स्टेज III	ऋण	244,155.27	93,132.88
	कुल	2,780,763.82 *	150,974.99

*वित्त पोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) को छोड़कर रु. 4,196.92 लाख, जिस पर बराबर की देनदारी बहियों में बनी हुई है।

(ख) सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत कारोबारी प्राप्य राशियोंके लिए अपेक्षित ऋण हानिः

(लाख रुपए में)

आयु (31 मार्च, 2022 को)	अदेय	0-30 दिनों के बाद देय	31-60 दिनों के बाद देय	91-120 दिनों के बाद देय	120 दिनों से अधिक के बाद देय	कुल
सकल वहन राशि*	272.61	-	-	-	-	272.61
संभावित हानि दर	-	-	-	-	-	-
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
कारोबारी प्राप्यों की वहन राशि (हानि का निवल)	272.61	-	-	-	-	272.61
31 मार्च, 2022 को शेष	272.61	-	-	-	-	272.61

*सौर ऊर्जा परिसम्पत्तियों के लिए कारोबारी प्राप्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

(लाख रुपए में)

आयु (31 मार्च, 2021 को)	अदेय	0-30 दिनों के बाद देय	31-60 दिनों के बाद देय	91-120 दिनों के बाद देय	120 दिनों से अधिक के बाद देय	कुल
सकल वहन राशि*	297.00	-	-	-	-	297.00
संभावित हानि दर	-	-	-	-	-	-
संभावित क्रेडिट हानियां (हानि भत्ता प्रावधान)	-	-	-	-	-	-
कारोबारी प्राप्यों की वहन राशि (अक्षमता का निवल)	297.00	-	-	-	-	297.00
31 मार्च, 2021 को शेष	297.00	-	-	-	-	297.00

*सौर ऊर्जा परिसम्पत्तियों के लिए कारोबारी प्राप्यों का प्रतिनिधित्व करता है।

ख. चलनिधि जोखिम

चलनिधि जोखिम अल्पकालिक और दीर्घकालिक देनदारियों को पूरा करने में असमर्थता है जब और जब वे देय हो जाते हैं।

चलनिधि अंतराल विश्लेषण द्वारा चलनिधि की निगरानी की जाती है। चलनिधि जोखिम को कई रणनीतियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जैसे कि दीर्घकालिक संसाधन जुटाना, अनुमानित संवितरण और परिपक्वता प्रोफाइल के आधार पर संसाधन जुटाना।

(i) वित्तीय व्यवस्थाएं

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी की निम्नलिखित आहरित उधार सुविधाओं तक पहुंच थी:

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
स्थायी दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	3,173.41	17,219.80
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	60,000.00	-
अस्थायी दर		
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	-	86,099.00
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	209,999.00	-
- एक वर्ष के भीतर समाप्त होने वाली (बैंक ऋण)	-175,200.45	
- एक वर्ष के बाद समाप्त होने वाली (वित्तीय संस्थाएं – विदेशी मुद्रा ऋण)	200,737.87	197,966.72

इरेडा के पास नकद ऋण (सीसी)/ओवरड्राफ्ट (ओडी)/अल्पकालिक ऋण (एसटीएल)/कार्यशील पूंजी मांग ऋण (डब्ल्यूसीडीएल) के रूप में कुल रु. 323,000.00 लाख जहां अधितम ई–पहचान रु. 150,000 लाख तक सीमित है (पिछला वर्ष रू 117,800.00 लाख रुपये) हैं। उक्त सुविधा में रु.113,000.00 लाख (पिछले वर्ष रु. 68,000.00 लाख) के एसटीएल2डब्ल्यूसीडीएल के साथ विनिमेय ओवरड्राफ्ट/सीसी सुविधा शामिल है। 31.03.2022 को कुल कार्यशील पूंजी का उपयोग 20,144.23 लाख (पिछले वर्ष रु. 61,015.70 लाख) है जिसमें रु. 20,144.23 लाख (पिछले वर्ष रु. 46,015.70 लाख) का सीसी/ओडी शामिल है।

(ii) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वताएं

नीचे दी गई तालिकाओं में कंपनी की वित्तीय देनदारियों का उनकी संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता समूहों में विश्लेषण किया गया है: वे सभी गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियां जिनके लिए संविदात्मक परिपक्वता नकदी प्रवाह के समय की समझ के लिए आवश्यक हैं: –

तालिका में प्रकट की गई राशियां संविदागत छूट रहित नकदी प्रवाह हैं।

31 मार्च, 2022 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15- 30/ 31 दिन (1 माह)	1 माह -2 माह से अधिक	2 माह से अधिक – 3 माह तक	3 माह से अधिक – 6 माह तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
उधार राशियां	20,144.23	-	-	4,166.67	51,048.26	33,092.50	270,237.48	518,893.57	251,892.40	568,956.80	1,718,431.92
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	6,423.27	4,233.00	20,402.98	7,029.47	39,804.71	158,005.99	152,531.84	654,771.88	1,043,203.14

31 मार्च, 2021 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15- 30/ 31 दिन (1 माह)	1 माह -2 माह से अधिक	2 माह से अधिक – 3 माह तक	3 माह से अधिक – 6 माह तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
उधार राशियां	46,015.70	-	15,000.00	-	8,147.79	13,117.43	20,022.71	545,838.37	91,931.20	628,750.44	1,368,823.64
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	5,819.12	4,304.95	20,820.56	8,694.44	37,854.09	163,102.02	173,289.47	617,916.44	1,031,801.08

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

ग. बाजार जोखिम

बाजार जोखिम मुख्य रूप से ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव के कारण नुकसान की संभावना है। उधार ब्याज दर जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी की एक समिति है जो समय–समय पर बाजार की स्थितियों, साथियों की चल रही ब्याज दरों और उधार की बढ़ती लागत के आधार पर अपनी उधार दरों की समीक्षा करती है।

कंपनी के उधार में फ्लोटिंग रेट और फिक्स्ड रेट दोनों तरह के उधार शामिल हैं जो बेंचमार्क दरों से जुड़े हैं। विदेशी मुद्रा उधार के लिए, कंपनी हेजिंग व्यवस्था करके फ्लोटिंग ब्याज दर के कारण जोखिम को कम करती है। इसके अलावा कंपनी समय–समय पर फ्लोटिंग रेट लिंक्ड पोर्टफोलियो की निगरानी करती है।

विदेशी उधार एजेंसियों से विदेशी मुद्रा उधार कंपनी को विदेशी मुद्रा विनिमय दर आंदोलन जोखिम के लिए उजागर करती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी ब्याज दर और मुद्रा स्वैप (डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन), फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स इत्यादि जैसे जोखिम को हेज करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्न उपकरणों को शुरू करके विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किए गए इन व्युत्पन्न अनुबंधों की कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग–अलग परिपक्वताएं हैं।

I. विदेशी मुद्रा जोखिमः–

कंपनी के पास अपने संसाधन–समूह के हिस्से के रूप में विदेशी उधार एजेंसियों से उधार के रूप में विदेशी मुद्रा जोखिम है, अस्थिरता के साथ बड़े सीमा पार प्रवाह इरेडा की बैलेंस शीट को विनिमय दर मूवमेंट के लिए कमजोर बना सकते हैं। अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, कंपनी ब्याज दर और मुद्रा स्वैप (डेरिवेटिव लेनदेन) के माध्यम से विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करती है। उचित मूल्य पर किए गए इन विदेशी मुद्रा अनुबंधों में कंपनी की अंतर्निहित अनुबंध आवश्यकता और जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर अलग–अलग परिपक्वता होती है।.

(क) विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधनः

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति एक्सपोजर, जो भारतीय रुपये में व्यक्त किया गया है, इस प्रकार हैः–

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022			31 मार्च, 2021		
	अमरीकी डॉलर	यूरो	जापानी येन	अमरीकी डॉलर	यूरो	जापानी येन
वित्तीय परिसम्पत्तियां						
बाहरी देशों में बैंक शेष	2.51	-	-	1,750.68	-	-
व्युत्पन्न परिसम्पत्तियां						
विदेशी मुद्रा स्वैप संविदाएं	34,596.66	734.97	4,501.37	31,221.67	3,941.47	5,145.87
वित्तीय देनदारियां						
विदेशी मुद्रा ऋण	461,558.81	217,557.92	364,086.40	382,941.90	250,898.26	397,960.92
व्युत्पन्न देनदारियां						
विदेशी मुद्रा स्वैप संविदाएं	728.77	3,076.35	14,452.38	1,817.95	1,497.06	5,868.15
विदेशी मुद्रा जोखिम में निवल एक्सपोजर (देनदारियां)	427,688.41	219,899.30	374,037.41	351,788.42	248,453.85	398,683.20
विदेशी मुद्रा जोखिम में निवल एक्सपोजर (परिसम्पत्तियां)	-	-	-	-	-	-

(ख) संवेदनशीलता

विनिमय दरों में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि की संवेदनशीलता मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा मूल्यवर्ग के वित्तीय साधनों से उत्पन्न होती है। नीचे दी गई तालिका में विदेशी मुद्रा एक्सपोजर पर 5% भारतीय रुपए तक के सापेक्ष विदेशी मुद्रा विनिमय दर में परिवर्तन के कारण लाभ और हानि (लाभ/(–) हानि) के विवरण पर प्रभाव प्रस्तुत किया गया है।*:-

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022		31 मार्च, 2021	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
	विदेशी मुद्रा दर में परिवर्तन के कारण			
अमरीकी डॉलर संवेदनशीलता	(1,041.45)	1,041.45	(1,028.96)	1,028.96
यूरो संवेदनशीलता	3,037.72	(3,037.72)	4,099.18	(4,099.18)
जापानी येन संवेदनशीलता	6,427.55	(6,427.55)	7,339.70	(7,339.70)

*अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए।

II. नकद प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण किसी वित्तीय साधन के उचित मूल्य या भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा। बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के जोखिम के प्रति कंपनी का जोखिम फ्लोटिंग ब्याज दरों के साथ लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा ऋण से संबंधित है। कंपनी अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार अपने ब्याज दर जोखिम का प्रबंधन करती है।

कंपनी की निश्चित दर उधार परिशोधन लागत पर की जाती है। इसलिए वे ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार की ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

(क) ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

समीक्षाधीन अवधि के अंत में ब्याज दर में परिवर्तन के लिए समूह के उधार का एक्सपोजर इस प्रकार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
परिवर्तनीय दर उधार राशियां		
घरेलू	264,298.42	52,299.55
अंतरराष्ट्रीय	351,939.26	369,941.03
कुल	616,237.68	422,240.58

(ख) संवेदनशीलता

लाभ या हानि ब्याज दरों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप उधार से उच्च/निम्न ब्याज व्यय के प्रति संवेदनशील है।

(लाख रुपए में)

विवरण	कर पश्चात लाभ पर प्रभाव	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
ब्याज दरें – 50 मूल अंकों की वृद्धि*	(3,081.19)	(2,111.21)
ब्याज दरें – 50 मूल अंकों की कमी	3,081.19	2,111.21

*अन्य सभी चरों को स्थिर रखते हुए।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(ग) हेजिंग गतिविधियों का प्रभाव

व्युत्पन्न वित्तीय साधन और हेज अकाउंटिंग

कंपनी के पास केवल प्रिंसिपल स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी और इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड्स, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स (आईआरएस), क्रॉस, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शंस, स्ट्रक्चर्ड जैसे डेरिवेटिव वित्तीय साधनों को शुरू करने के लिए लागत में कमी के उत्पादों आदि को अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने और कम करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति है।

कंपनी केवल प्रिंसिपल स्वैप (पीओएस), क्रॉस करेंसी और इंटरेस्ट रेट स्वैप (सीसीआईआरएस), फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप (आईआरएस), क्रॉस, करेंसी और क्रॉस करेंसी ऑप्शंस, स्ट्रक्चर्ड/कॉस्ट रिडक्शन प्रोडक्ट्स आदि के रूप में अपने विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को हेज करने के लिए डेरिवेटिव वित्तीय साधनों का उपयोग करती है।

हेज की अप्रभावीता का निर्धारण हेज संबंध की शुरुआत में और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता आकलन के माध्यम से किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हेज की गई वस्तु और हेजिंग उपकरण के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियों को लागू करती है:

– क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के लिए जो हेज किए गए आइटम की शर्तों से बिल्कुल मेल खाते हैं, आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता महत्वपूर्ण शर्तों के मिलान पद्धति का उपयोग करके गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि अंतर्निहित जोखिम और हेजिंग उपकरणों की अनुमानित राशि हेज की गई वस्तुओं के समान है।

नकदी प्रवाह हेज रिजर्व में गतिविधि:

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वर्ष के प्रारंभ में शेष	22,325.69	55,154.33
हेजिंग उपकरणों के प्रभावी हिस्से के उचित मूल्य में परिवर्तन	(10,656.67)	(30,106.51)
हेज की गई मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	333.53	(2,722.13)
हेज की गई मदों पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	12,002.55	22,325.69

तुलन पत्र पर हेज लेखांकन के प्रभावों का प्रकटीकरण:

31 मार्च, 2022 को

(लाख रुपए में)

हेज और जोखिमों का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक प्राइस/दर	हेज उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह हेज				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) क्रॉस करेंसी स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	15-अक्टूबर-2024 to 09-मार्च-2037	1 : 1	69.5146	2,728.27
-यूरो	30-दिसम्बर-2022 to 31-मई-2029	1 : 1	81.7493	(4,763.02)
-जापानी येन	19-मार्च-2021 to 20-मार्च-2025	1 : 1	0.6480	(9,421.19)

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

हेज और जोखिमों का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक प्राइस/दर	हेज उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन
(ii) ब्याज दर स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	15-जुलाई-2026 से 15-अक्टूबर-2026	1 : 1	67.0767	1,883.27
-यूरो	30-जून-2024	1 : 1	81.4	(22.76)
-जापानी येन	19-जून-2024	1 : 1	0.5925	192.46

31 मार्च, 2021 को

(लाख रुपए में)

हेज और जोखिमों का प्रकार	परिपक्वता की तारीखें	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक प्राइस/दर	हेज उपकरणों के उचित मूल्य में परिवर्तन
नकद प्रवाह हेज				
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम				
(i) क्रॉस करेंसी स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	15-अक्टूबर-2024 से 07-अक्टू-2035	1 : 1	67.6734	(21,457.99)
-यूरो	28-मई-2021 से 31-मई-2029	1 : 1	81.3521	8,660.31
-जापानी येन	19-जून-2021 से 20-मार्च-2025	1 : 1	0.6590	(14,623.77)
(ii) ब्याज दर स्वैप				
-अमरीकी डॉलर	15-जुलाई-2026 से 15-अक्टू-2026	1 : 1	67.0767	(1,006.41)
-यूरो	30-जून-2024	1 : 1	81.4	(449.69)
-जापानी येन	19-जून-2024	1 : 1	0.5925	(1,662.93)

सांकेतिक राशियों और डेरिवेटिव की अग्रणीत राशि के विवरण के लिए, कृपया वित्तीय विवरणों में टिप्पणी 4 – 'व्युत्पन्न वित्तीय विलेख' देखें।

हेजिंग लेखांकन का लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण पर प्रभावः–

31 मार्च 2022 को

(लाख रुपए में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत की गई हेज अप्रभावीता	हेज की गई मद पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन आइटम
विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम	(10,656.67)	-	333.53	नकद प्रवाह हेज आरक्षिती में हेजिंग उपकरण पर लाभ/(हानि)/भावी हिस्सा

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च 2021 को

(लाख रुपए में)

हेज का प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन	लाभ और हानि के विवरण में स्वीकृत की गई हेज अप्रभावीता	हेज की गई मद पर विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि)	अन्य व्यापक आय में प्रभावित लाइन आइटम
नकद प्रवाह हेज विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम	(30,106.51)	-	(2,722.13)	नकद प्रवाह हेज आरक्षिती में हेजिंग उपकरण पर लाभ/(हानि) का प्रभावी हिस्सा

38. पूंजी प्रबंधन

जोखिम प्रबंधनः

कंपनी की पूंजी प्रबंधन नीति का प्राथमिक उद्देश्य नियामक पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना है। इस उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी हर समय पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित करती है और अपने व्यवसाय को इस तरह से प्रबंधित करती है कि पूंजी की रक्षा की जाती है, संतोषजनक व्यावसायिक विकास सुनिश्चित किया जाता है, नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और रेटिंग को बनाए रखा जाता है।

उद्योग में अन्य लोगों के अनुरूप, कंपनी निम्नलिखित अनुपात के आधार पर पूंजी की निगरानी करती हैः

निवल ऋण (कुल उधार) को कुल 'इक्विटी' से विभाजित किया जाता है जैसा कि बैलेंस शीट में दर्शाया गया है।

कंपनी का ऋण–इक्विटी अनुपात इस प्रकार हैः

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ऋण	2,761,307.31	2,400,000.45
इक्विटी (पूंजी आरक्षिति सहित)	526,811.31	299,518.50
ऋण–इक्विटी अनुपात	5.24	8.01

39. सेबी के दिशानिर्देशों के तहत ''बड़े निकायों द्वारा ऋण प्रतिभूतियां जारी करके धन जुटाने'' के लिए आवश्यक प्रकटीकरण'' :

सेबी के परिपत्र सं. सेबी/एचओ/डीडीएचएस/सीआईआर/पी/2018/144 दिनांक 26 नवंबर, 2018, के अनुपालन में, इरेडा ने उपरोक्त परिपत्र के तहत दिए गए प्रयोज्यता मानदंड के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए खुद को एक बड़ी इकाई कॉर्पोरेट के रूप में पहचाना। तदनुसार निम्नलिखित का प्रकटीकरण किया जा रहा हैः

1. कम्पनी का नामः भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

2. सीआईएनः U65100DL1987GOI027265

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	विवरण
2 साल की ब्लॉक अवधि	2021-22, 2022-23
वित्त वर्ष 2022 में किया गया वृद्धिशील उधार (लगभग) (क)	455,101.00*
ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से अनिवार्य उधार लिया जाना (लगभग) (ख) = (क का 25 प्रतिशत)	113,775.25
वित्तीय वर्ष 2022 में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से किया गया वास्तविक उधार (ग)	10,600.00
वित्त वर्ष 2021 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधारी में कमी को वित्त वर्ष 2022 तक अग्रेनीत(घ)	N.A.
(घ) की मात्रा, जो (ग), (ङ) से पूर्ण की जा चुकी है	N.A.
वित्तीय वर्ष 2022 के लिए ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधार में कमी, यदि कोई हो तो (लगभग) (च)=(ख)–(ग)–ङ	103,175.25**

* द्विपक्षीय / बहुपक्षीय संस्थाओं से लिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

**आवश्यक अनुपालन 2 वर्ष की ब्लॉक अवधि में किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए

(लाख रुपए में)

विवरण	विवरण
वित्तीय वर्ष में की गई वृद्धिशील उधारी (लगभग) (क)	346,000.00*
ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने के माध्यम से की गई अनिवार्य उधारी (ख) = (क का 25%:)	86,500.00
वित्तीय वर्ष में ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से की गई वास्तविक उधारी (ग)	50,000.00
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधारी में कमी, यदि कोई हो (घ) = (ख) - (ग)	36,500.00
ऋण प्रतिभूतियों के माध्यम से अनिवार्य उधारी में कमी, यदि कोई हो, कारण	**

*द्विपक्षीय / बहुपक्षीय संस्थाओं से लिए गए ऋण शामिल नहीं हैं।

**वित्त वर्ष 2021 के लिए, इरेडा ने रु 500 करोड़ कर योग्य बांडों के माध्यम से जुटाए। महामारी के कारण, इरेडा का प्रमुख संवितरण पिछली तिमाही में, विशेषकर मार्च' 21 में हुआ। तदनुसार, घरेलू स्रोतों से उधार मुख्य रूप से वित्त वर्ष 21 की अंतिम तिमाही में किए गए थे, जिसमें अधिकतम भाग मार्च, 21 में उठाया गया था। प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर आगे उधार देने के लिए, इरेडा ने निधि के सबसे सस्ते स्रोत से संसाधन जुटाए। बॉन्ड बाजार के माध्यम से फंड जुटाना बैंकों से मिलने वाले आवधिक ऋण की तुलना में महंगा था। इसलिए, आर्थिक दृष्टिकोण से, धन जुटाने का एक अधिकांश कार्य घरेलू बैंकों से सावधि ऋण के माध्यम से किया गया था।

40. कोविड 19 से संबंधित प्रकटीकरण

कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड–19 से संबंधित महामारी के परिणामस्वरूप होने वाले संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जिसमें अवधि के लिए वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों और ईसीएल गणनाओं की वहन राशि की वसूली शामिल है। कोविड–19 के प्रभाव से वैश्विक और भारतीय वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण अस्थिरता और वैश्विक और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। कोविड–19 महामारी कंपनी के परिणामों को किस हद तक प्रभावित करती रहेगी, यह चल रहे और साथ ही भविष्य के विकास पर निर्भर करेगा, जो अत्यधिक अनिश्चित हैं। इसके अलावा, कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

41. एनसीएलटी के तहत कंसोर्टियम मामला – मेसर्स गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, यूको बैंक और मेसर्स गंगाखेड़ शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड के अन्य बैंकरों द्वारा धोखाधड़ी का पता चला था। यूको बैंक ने 11 मई, 2020 को खाते को धोखाधड़ी घोषित किया है और ओबीसी ने 21 जनवरी, 2020 को उक्त खाते को धोखाधड़ी घोषित किया है। कंपनी ने 10,000.00 लाख रुपये का परियोजना ऋण स्वीकृत किया है, जिसमें से रु. 31 मार्च 2021 को 5,107.95 लाख (पिछले वर्ष 5,107.95 लाख रुपये) बकाया है। उक्त खाता 30 सितंबर, 2019 से कंपनी की पुस्तकों में एनपीए है। रेडा की ऋण सुविधा को–जेनरेशन परिसंपत्ति के लिए मौजूदा ऋण का टेकआउट था। कंसोर्टियम लीड द्वारा साझा की गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, सह–उत्पादन परिसंपत्ति के प्रति धोखाधड़ी के किसी भी उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया था। ऋण लेने वाली कंपनी अक्टूबर, 2019 से एनसीएलटी के माध्यम से दिवाला प्रक्रिया में है। धोखाधड़ी वाले लेनदेन और समाधान योजना सहित सभी लेनदेन वर्तमान में आईबीसी के तहत एनसीएलटी मुंबई बेंच द्वारा निर्णय के लिए सूचीबद्ध हैं और सुनवाई चल रही है।

42. प्रकटीकरण – बिजली खरीद समझौते (पीपीए) से जुड़े एपी मामलों के लिए– 90 दिनों से अधिक बकाया वाले खाते लेकिन क्रेडिट बिगड़ा नहीं माना जाता है

कई उधारकर्ताओं ने खाते को गैर–निष्पादित संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं करने के लिए आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय से एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया है। उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में दिए गए अंतरिम आदेश को 05.05.2022 तक बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, उधारकर्ता के बकाया ऋण को चरण III परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, भले ही अतिदेय 90 दिनों से अधिक पुराने हों। हालांकि, कंपनी ने 31.03.2022 (पिछले वर्ष रु. 83,232.19 लाख के बकाया ऋण पर रु. 25,232.96 लाख का प्रावधान) के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ईसीएल) के अनुसार परियोजनाओं के वित्तीय और परिचालन मानकों पर विचार करने के बाद खातों की पुस्तकों में रु. 91,879.22 लाख के बकाया ऋण पर रु. 39,543.65 लाख का पर्याप्त प्रावधान किया है। हालांकि खातों को एनपीए घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इन खातों में आय नकद/वसूली के आधार पर दर्ज की जाती है (यानी कोई भी 'ब्याज देय और प्राप्त नहीं हुआ' उलट दिया गया है और ब्याज आय के रूप में नहीं लिया गया है)।

(लाख रुपए में)

विवरण	खाता संख्या	बकाया राशि	अतिदेय राशि	ईसीएल राशि
31.03.2022 को	8	91,879.22	40,041.53	39,543.65
31.03.2021 को	7	83,232.19	20,250.35	25,232.96

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय ने 15.03.2022 को बिजली उत्पादकों द्वारा दायर रिट अपीलों के बैच के लिए एक सामान्य निर्णय पारित किया और सभी डिस्कॉम को पीपीए में उल्लिखित दर पर सभी लंबित और भविष्य के बिलों का भुगतान करने का निर्देश दिया। बकाया/लंबित बिलों का भुगतान निर्णय की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाएगा।

43. प्रस्तावित इक्विटी निवेश

फरवरी 2021 की बजट घोषणा में, माननीय वित्त मंत्री ने कंपनी में इक्विटी के रूप में रु. 150,000.00 लाख डालने की घोषणा की थी। वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने रु. 150,000.00 लाख की इक्विटी डाली, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पिछले वर्ष के रु. 78,460.00 लाख के मुकाबले 31.03.2022 को समाप्त वर्ष में बढ़कर रु. 228,460.00 लाख हो गई। तदनुसार, 1,500,000,000 इक्विटी शेयर 31.03.2022 को सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को आवंटित किए गए थे। कथित इक्विटी के विलय ने पूंजी आधार को बढ़ाया है, और कंपनी को इसका लाभ उठाने और अक्षय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए उधार देने में अधिक सक्षम बनाया है और इस प्रकार आरई क्षमता स्थापना के भारत सरकार के लक्ष्य में योगदान देता है। वित्तीय विवरणों का नोट 25 देखें।

44. भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) –20 के संबंध में प्रकटीकरण ''सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण''

क) पूंजीगत आस्तियों के लिए अनुदान

i) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर के विकास के लिए किए गए व्यय – माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 (डी 365), जो अमूर्त संपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, उन्हें 'विकास के तहत अमूर्त संपत्ति' के रूप में तब तक ले जाया जा सकता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हों। 31.03.2022 तक, कंपनी ने ''विकास के तहत अमूर्त संपत्ति'' (वित्तीय विवरणों के नोट 15 देखें) के तहत रु. 311.16 लाख (पिछले वर्ष रु. शून्य) की राशि का प्रकटीकरण किया है।

ii) विश्व बैंक स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) अनुदानः:-

विकास के तहत अमूर्त संपत्ति से संबंधित विश्व बैंक सीटीएफ अनुदान को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। आस्थगित आय का व्यवस्थित आवंटन सॉफ्टवेयर के इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से शुरू होगा – माइक्रोसॉफ्ट डाइनैमिक्स 365 (डी365)।

कंपनी ने 31.03.2022 तक अमूर्त संपत्ति के विकास के लिए अनुदान के रूप में रु. 311.16 लाख (प्रतिपूर्ति, विक्रेता को सीधे संवितरण और विश्व बैंक से किए गए खर्चों की प्रतिपूर्ति सहित) का प्रकटीकरण किया है। कंपनी ने उक्त अनुदान को ''अन्य गैर–वित्तीय देनदारियों'' के तहत ''विश्व बैंक–स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष (सीटीएफ) से पूंजी अनुदान'' के रूप में प्रकट किया है। (वित्तीय विवरणों के नोट 24 देखें)।

ख) राजस्व अनुदानः-

कंपनी को केएफडब्ल्यू और इरेडा की क्रेडिट लाइन के लिए उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत ऋण आवेदनों का आकलन करने के लिए बाहरी सलाहकार को नियुक्त करने के लिए केएफडब्ल्यू और विश्व बैंक से राजस्व अनुदान ''तकनीकी सहायता'' (टीए), जो 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए रु. 429.49 लाख (पिछले वर्ष रु. 245.84 लाख) प्राप्त हुआ है। कंपनी ने भारतीय एएस 20 ''सरकारी अनुदान और सहायता'' के अनुपालन में अपने राजस्व अनुदान को संबंधित खर्चों में कटौती के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपनाया है। निम्नलिखित तालिका लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्यता प्राप्त राशि का प्रकटीकरण करती हैः -

(लाख रुपए में)

अवधि	टीए घटक प्राप्त	टीए के प्रति किए गए व्यय	लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त शुद्ध राशि
31.03.2022 को समाप्त वर्ष	429.49	429.49	-
31.03.2021 को समाप्त वर्ष	245.84	245.84	-

45. कंपनी के नाम नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के टाइटलडीड

31.03.2022 को

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइनआइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ लाख में)	जिन के नाम पर टाइटलडीड है	क्या टाइटलडीड धारक, प्रमोटर/निदेशक या प्रमोटर के रिश्तेदार/प्रमोटर/निदेशक/प्रमोटर के कर्मचारी	तब से धारित संपत्ति	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति के पयोग का अधिकार	कार्यालय परिसर-आईएचसी	172.34	-	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	इरेडा सहित आईएचसी में सभी आबंटित संस्थानों के संबंध में भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी) ख्भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ), आईएचसी और आबंटित संस्थानों के बीच, द्वारा त्रिपक्षीय वाहन विलेख/अनुबंध का निष्पादन लंबित है। आईएचसी लीज डीड के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ अनुसरण कर रहा है। लीज डीड के मसौदे को एलएंडडीओ ने मंजूरी दे दी है।
	कार्यालय परिसर-एकेबी	2,110.10	-	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के साथ संपत्ति के अधिकारों के हस्तांतरण को फॉलो किया जा रहा है। नवीनतम संचार 22.02.2022 को किया गया।
निवेश सम्पत्ति	आवासीय फ्लैट	8.75	-	नहीं	23.06.1994	एल एंड डीओ के साथ संपत्ति के हस्तांतरण को हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा फॉलो किया जा रहा है। नवीनतम संचार 17.02.22 को किया गया। इसके बाद डीड का निष्पादन होगा।

31.03.2021 को

बैलेंस शीट में प्रासंगिक लाइनआइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	जिनके नाम पर टाइटलडीड है	क्या टाइटलडीड धारक, प्रमोटर/निदेशक या प्रमोटर के रिश्तेदार/प्रमोटर/निदेशक/प्रमोटर के कर्मचारी	तब से धारित संपत्ति	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति के पयोग का अधिकार	कार्यालय परिसर-आईएचसी	172.34	-	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 12.04.1993	इरेडा सहित आईएचसी में सभी आबंटित संस्थानों के संबंध में भारत पर्यावास केंद्र (आईएचसी)/भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ),आईएचसी और आबंटित संस्थानों के बीच, द्वारा त्रिपक्षीय वाहन विलेख/अनुबंध का निष्पादन लंबित है। आईएचसी लीज डीड के निष्पादन के लिए एल एंड डीओ के साथ अनुसरण कर रहा है। लीज डीड के मसौदे को एलएंडडीओ ने मंजूरी दे दी है।
	कार्यालय परिसर-एकेबी	2,110.10	-	नहीं	आवंटन पत्र दिनांक 04.12.2006	हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (हुडको) के साथ संपत्ति के अधिकारों के हस्तांतरण को फॉलो किया जा रहा है।
निवेश सम्पत्ति	आवासीय फ्लैट	8.75	-	नहीं	23.06.1994	एल एंड डीओ के साथ संपत्ति के हस्तांतरण को हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल) द्वारा फॉलो किया जा रहा है। इसके बाद डीड का निष्पादन होगा।

46. प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है) को अलग–अलग या संयुक्त रूप से किसी अन्य व्यक्ति के साथ दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिमः:

(क) मांग पर चुकाने योग्य या

(ख) किसी भी शर्तों या चुकौती की अवधि निर्दिष्ट किए बिना

(लाख रुपए में)

उधारकर्ता का प्रकार	31.03.2022 तक		31.03.2021 तक	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों काः आयु %	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम की राशि	ऋण की प्रकृति में कुल ऋणों और अग्रिमों काः आयु %
प्रमोटर	शून्य		शून्य	
निदेशक				
के एम पी				
संबंधित पार्टियां				

47. धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चालू और पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

48. बंद कंपनियों के साथ संबंध

31.03.2022 तक

बंद कंपनी का नाम	बंद कंपनी के साथ लेन–देन की प्रकृति	31.03.2022 को बकाया शेष (रु. लाख में)	बंद कंपनी के साथ लेन–देन का संबंध, यदि कोई हो	31.03.2022 को बकाया शेष (रु. लाख में)	बंद कंपनी के साथ लेन–देन का संबंध, यदि कोई हो
एस पी वी पावर लिमिटेड	प्राप्तियां	0.10	-	0.10	-
महाकृष्णा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	प्राप्तियां	0.10	-	0.10	-
ओचा पाइन फ्यूल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	0.10	-	0.10	-
सुजस एनर्जी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	0.10	-	0.10	-
विजयश्री केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्तियां	0.10	-	0.10	-

विभिन्न कानूनी मंचों में प्रवर्तकों/गारंटरों से संबंधित मामलों में वसूली की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए शेष को बहियों में रखा जा रहा है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

49. कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) के साथ शुल्क या संतुष्टि का पंजीकरण

सभी शुल्क आरओसी के साथ वैधानिक अवधि के भीतर पंजीकृत/संतुष्ट हैं, वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान वैधानिक अवधि से आगे कोई देरी नहीं हुई है।

50. अघोषित आय

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान आय के रूप में सरेंडर या प्रकट किए गए खातों की पुस्तकों में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया था। इस प्रकार खातों की पुस्तकों में आगे किसी लेखांकन की आवश्यकता नहीं है।

51. कंपनियों की परतों की संख्या का अनुपालन

कंपनी ने मौजूदा और पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के तहत निर्दिष्ट कंपनियों की परतों में निवेश नहीं किया है।

52. व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना(यों) का अनुपालन

चालू और पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यवस्था की योजना को मंजूरी नहीं दी गई है।

53. उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम का उपयोग

क) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों) को किसी भी फंड (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड) को उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया है। (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कि मध्यस्थ

(i) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करना या

(ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना

(ख) इसके अलावा, कंपनी को विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) से इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो) कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है कि कंपनी को

(i) कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करना या

(ii) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना।

कंपनी की राय है कि एमएनआरई जीओआई फुली सर्विस्ड बॉन्ड्स के संबंध में प्राप्य राशि (नोट 38(32 देखें) उपरोक्त प्रकटीकरण के अंतर्गत शामिल नहीं है क्योंकि यह भारत सरकार के अधिदेश/एमओयू के अनुसार है।

54. क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण

कंपनी ने वर्तमान और पिछले वित्तीय वर्षों के दौरान क्रिप्टोकरेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

55. वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) और राइट–ऑफ (लोन एसेट)

क) मेसर्स रायपति पावर जनरेशन (पी) लिमिटेड को दिए गए 21 मार्च, 2022 के एकमुश्त निपटान प्रस्ताव के अनुसार, कंपनी ने रु. 712.34 लाख की वसूली करने के बाद रु. 1,301.66 लाख (नोट 37 देखें) की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है। कंपनी ने उक्त ऋण परिसंपत्ति के प्रति रु. 1,200.41 लाख का ईसीएल प्रावधान बनाया था। पिछले वर्ष के दौरान ऐसा कुछ बट्टे खाते में नहीं डाला गया था।

ख) 346वीं बोर्ड बैठक के अनुसार, कंपनी ने ''एनपीए हानि संपत्ति'' के रूप में वर्गीकृत 3 उधारकर्ताओं से संबंधित रु. 0.30 लाख (पिछले वर्ष रु. शून्य) की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है।

56. हालिया लेखा घोषणाः मानक जारी किया गया लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं है

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (''एमसीए'') समय–समय पर जारी कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत मौजूदा मानकों में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। 23.03.2022 को, एमसीए ने 01.04.2022 से लागू कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में निम्नानुसार संशोधन कियाः

इंड ए एस 103 – संकल्पनात्मक ढांचे का संदर्भ

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि अधिग्रहण पद्धति को लागू करने के हिस्से के रूप में मान्यता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, अर्जित की गई पहचान योग्य संपत्ति और ग्रहण की गई देनदारियों को संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखा मानकों (वैचारिक ढांचे) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अवधारणात्मक ढांचे में संपत्ति और देनदारियों की परिभाषाओं को पूरा करना चाहिए। अधिग्रहण की तारीख में भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की। ये परिवर्तन इंड ए एस 103 की आवश्यकताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं करते हैं। कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

इंड ए एस 16 – इच्छित उपयोग से पहले प्राप्तियाँ

संशोधन मुख्य रूप से एक इकाई को संपत्ति की लागत, संयंत्र और उत्पादित वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त उपकरण राशि में कटौती करने से रोकते हैं, जबकि कंपनी अपने इच्छित उपयोग के लिए संपत्ति को तैयार कर रही है। इसके बजाय, एक प्रतिष्ठान ऐसी बिक्री आय और संबंधित लागत को लाभ या हानि में मान्यता देगा। कंपनी अपने वित्तीय विवरणों में अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की मान्यता में संशोधनों के प्रभाव की अपेक्षा नहीं करती है।

इंड ए एस 37 – भारयुक्त अनुबंध – एक अनुबंध को पूरा करने की लागत

संशोधन निर्दिष्ट करते हैं कि एक अनुबंध को पूरा करने की लागत में वह लागत शामिल है 'जो सीधे अनुबंध से संबंधित है'। एक अनुबंध से सीधे संबंधित लागत या तो उस अनुबंध को पूरा करने की वृद्धिशील लागत हो सकती है (उदाहरण के तौर पर प्रत्यक्ष श्रम, सामग्री) या अन्य लागतों का आवंटन जो सीधे अनुबंधों को पूरा करने से संबंधित हैं। संशोधन अनिवार्य रूप से एक स्पष्टीकरण है और कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

इंड ए एस 109 – इंड ए एस (2021) में वार्षिक सुधार

संशोधन स्पष्ट करता है कि एक इकाई में कौन सी फीस शामिल है, जब यह इंडएएस 109 के '10 प्रतिशत' परीक्षण को लागू करती है, यह आकलन करने के लिए कि क्या वित्तीय दायित्व को पहचानना है या नहीं। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

इंड ए एस 106 – इंड ए एस (2021) में वार्षिक सुधार

संशोधन पट्टा प्रोत्साहनों के उपचार के संबंध में किसी भी संभावित भ्रम को हल करने के लिए पट्टेदार द्वारा लीजहोल्ड सुधारों की प्रतिपूर्ति के चित्रण को हटा देता है, जो कि उस दृष्टांत में पट्टा प्रोत्साहनों का वर्णन करने के तरीके के कारण उत्पन्न हो सकता है। कंपनी को उम्मीद नहीं है कि संशोधन का उसके वित्तीय विवरणों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा।

57. संपत्ति और देनदारियों के तहत प्रत्येक पंक्ति वस्तु जिसकी 12 महीने के भीतर और उससे आगे में वसूली / निपटान होने की उम्मीद है

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31.03.2022 तक			31.03.2021 तक		
		12 महीनों के भीतर	12 महीनों से अधिक	कुल	12 महीनों के भीतर	12 महीनों से अधिक	कुल
I	संपत्तियां						
क	वित्तीय संपत्ति						
	(क) नकद और नकद समकक्ष	13,117.48	-	13,117.48	22,101.83	-	22,101.83
	(ख) उपरोक्त (क) के अलावा अन्य बैंक बैलेंस	39,551.85	-	39,551.85	38,229.29	-	38,229.29
	(ग) व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्र	-	39,833.00	39,833.00	2,579.65	37,729.36	40,309.01
	(घ) प्राप्य	-	-	-			
	(I) व्यापार प्राप्तियां	452.64	0.03	452.68	297.04	-	297.04
	(II) अन्य प्राप्य	-	-	-	-	-	-
	(ङ) ऋण	627,979.05	2,689,465.73	3,317,444.77	496,583.44	2,193,980.87	2,690,564.31
	(च) निवेश	-	9,926.84	9,926.84	-	12.00	12.00
	(छ) अन्य वित्तीय संपत्ति	2,182.17	999.92	3,182.09	1,440.99	838.37	2,279.36
	कुल (क)	683,283.19	2,740,225.52	3,423,508.71	561,232.25	2,232,560.59	2,793,792.85
ख	गैर–वित्तीय संपत्ति						
	(क) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	12,984.52	-	12,984.52	10,846.02	-	10,846.02
	(ख) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	-	32,205.88	32,205.88	-	21,099.21	21,099.21
	(ग) निवेश संपत्ति	-	3.55	3.55	-	4.25	4.25
	(घ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	-	23,010.64	23,010.64	-	24,637.63	24,637.63
	(ङ) पूंजीगत कार्य–प्रगति	-	12,833.28	12,833.28	-	0.86	0.86
	(च) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	-	1,765.30	1,765.30	-	1,961.84	1,961.84
	(छ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	311.16	-	311.16	-	-	-

	(ज) अमूर्त संपत्ति	-	4.50	4.50	-	10.60	10.60
	(i) अन्य गैर–वित्तीय संपत्ति	331.67	163,881.14	164,212.81	13,059.42	163,884.96	176,944.37
	कुल (ख)	13,627.35	233,704.29	247,331.64	23,905.44	211,599.35	235,504.79
	कुल संपत्ति (क+ख)	696,910.54	2,973,929.80	3,670,840.35	585,137.69	2,444,159.94	3,029,297.64
II.	देयताएं और ईक्विटी						
	देयताएं						
क	वित्तीय देनदारियां						
	(क) व्युत्पन्न वित्तीय प्रपत्र	1,920.03	16,337.47	18,257.49	5,871.62	3,311.54	9,183.16
	(ख) देय						
	(I) व्यापार देय राशि	474.69	42.26	516.95	556.78	1,691.21	2,247.98
	(ग) ऋण प्रतिभूति	225,000.00	697,913.87	922,913.87	-	912,026.16	912,026.16
	(घ) उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	231,582.56	1,541,884.91	1,773,467.47	179,796.78	1,243,258.31	1,423,055.09
	(ड) अधीनस्थ देयताएं	-	64,925.97	64,925.97	-	64,919.20	64,919.20
	(च) अन्य वित्तीय देनदारियां	44,655.73	38,904.19	83,559.91	48,667.86	37,596.19	86,264.06
	कुल (क)	503,633.00	2,360,008.66	2,863,641.67	234,893.04	2,262,802.62	2,497,695.66
ख	गैर–वित्तीय देयताएं			-			
	(क) प्रावधान	792.91	104,803.66	105,596.56	542.24	59,703.64	60,245.87
	(ख) अन्य गैर–वित्तीय देनदारियां	5,226.05	169,564.76	174,790.81	2,962.89	168,874.73	171,837.62
	कुल (ख)	6,018.95	274,368.42	280,387.37	3,505.12	228,578.36	232,083.49
ग	इक्विटी						
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	-	228,460.00	228,460.00	-	78,460.00	78,460.00
	(ख) अन्य इक्विटी	-	298,351.31	298,351.31	-	221,058.50	221,058.50
	कुल (ग)	-	526,811.31	526,811.31	-	299,518.50	299,518.50
	कुल देयताएं और इक्विटी (क+ख+ग)	509,651.96	3,161,188.39	3,670,840.35	238,398.17	2,790,899.48	3,029,297.64

58. गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न दिशा–निर्देशों / परिपत्रों के संदर्भ में प्रकटीकरण

क. पुनर्संचित लेखों का प्रकटीकरण

31.03.2022 को

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार / परिसम्पत्ति वर्गीकरण / ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल 2021 को पुनर्संरचित लेखे (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	21	-	-	-	21	21	-	-	-	21
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			86,960.09	-	-	-	86,960.09	86,960.09	-	-	-	86,960.09
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			5,493.02	-	-	-	5,493.02	5,493.02	-	-	-	5,493.02
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	4	-	-	-	4	4	-	-	-	4
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			31,008.49	-	-	-	31,008.49	31,008.49	-	-	-	31,008.49
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			3,101.95	-	-	-	3,101.95	3,101.95	-	-	-	3,101.95
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचिन मान की श्रेणी में स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	--	
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			-				-	-			-	
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	पुनर्रचित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और / या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इस लिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाया जाना अपेक्षित नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों का स्तरावनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			5.44	-	-	-	5.44	5.44	-	-	-	5.44
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			5.44	-	-	-	5.44	5.44	-	-	-	5.44

वित्तीय विवरणों पर नोट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार परिसम्पत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों को बट्टे खाते किया जाना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	वर्ष के दौरा बंद खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	2	-	-	-	2	2	-	-	-	2
		बकाया राशि (लाख रुपए में))			12,927.48	-	-	-	12,927.48	12,927.48	-	-	-	12,927.48
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			911.95	-	-	-	911.95	911.95	-	-	-	911.95
8	31 मार्च. 2022 को पुनर्संरचित लेखे	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	21	-	-	-	21	21	-	-	-	21
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			85,035.67	-	-	-	85,035.67	85,035.67	-	-	-	85,035.67
		इस पर प्रावधान** (लाख रुपए में)			6,677.57	-	-	-	6,677.57	6,677.57	-	-	-	6,677.57

* मानक पुनर्संरचित अग्रिम राशियों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण या जोखिमभार (यदि लागू हो) को आकर्षित नहीं करते हैं।

**उपरोक्त प्रावधान आईआर,सीपी मानदंडों के अनुसार प्रकट किया गया है। हालांकि कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता दी है।

वित्तीय विवरणों पर नोट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2021 को

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार / परिसम्पत्ति वर्गीकरण / ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल 2020 को पुनर्संरचित लेखे (प्रारंभिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	24				24	24				24
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			92,140.64				92,140.64	92,140.64				92,140.64
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			5,745.11				5,745.11	5,745.11				5,745.11
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	1				1	1				1
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			321.73				321.73	321.73				321.73
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			16.09				16.09	16.09				16.09
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मान की श्रेणी में स्तरोन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	-				-	-				-
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			-				-	-				-
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			-				-	-				-
4	पुनर्रचित मानक अग्रिम जो वित्तीय वर्ष के अंत में उच्च प्रावधान और/या अतिरिक्त जोखिम भार को आकर्षित करना बंद कर देते हैं और इस लिए अगले वित्तीय वर्ष की शुरूआत में पुनर्संरचित मानक अग्रिम के रूप में दिखाया जाना अपेक्षित नहीं है।	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	-				-	-				-
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			-				-	-				-
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			-				-	-				-
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों का स्तरावनयन	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	4				4	4				4
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			5,502.27				5,502.27	5,502.27				5,502.27
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			268.17				268.17	268.17				268.17

वित्तीय विवरणों पर नोट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	पुनर्संरचना का प्रकार परिसम्पत्ति वर्गीकरण ब्यौरा		सीडीआर तंत्र के अंतर्गत	एसएमई ऋण पुनर्संरचना के अंतर्गत	अन्य					कुल				
					मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित लेखों को बट्टे खाते किया जाना	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	-				-	-				-
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			-				-	-				-
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			-				-	-				-
7	वर्ष के दौरा बंद खाते	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	-				-	-				-
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			-				-	-				-
		इस पर प्रावधान (लाख रुपए में)			-				-	-				-
8	31 मार्च. 2021 को पुनर्संरचित लेखे	उधारकर्ताओं की संख्या	शून्य	शून्य	21				21	21				21
		बकाया राशि (लाख रुपए में)			86,960.09				86,960.09	86,960.09				86,960.09
		इस पर प्रावधान** (लाख रुपए में)			5,493.02				5,493.02	5,493.02				5,493.02

* मानक पुनर्संरचित अग्रिम राशियों के आंकड़ों को छोड़कर जो उच्च प्रावधानीकरण या जोखिमभार (यदि लागू हो) को आकर्षित नहीं करते हैं।

**उपरोक्त प्रावधान आईआर,सीपी मानदंडों के अनुसार प्रकट किया गया है। हालांकि कंपनी ने ईसीएल मॉडल के आधार पर ऋण और अग्रिम के प्रावधान को मान्यता दी है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. पूंजी

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1	सीआरएआर (%)*	21.22	17.12
2	सीआरएआर – टीयर I पूंजी (%)	17.60	12.91
3	सीआरएआर - टीयर II टीयर (%)	3.62	4.22
4	टीयर–।। पूंजी के रूप में जुटाए गए अधीनस्थ ऋण की राशि (लाख रुपए में)	64,925.97	64,919.20
5	चिरस्थायी ऋण लिखित जारी करके जुटाई गई राशि	-	-

सीआरएआर का निर्धारण टियर I / टियर II कैपिटल और रिस्क वेटेड एसेट (आरडब्ल्यूए) के साथ किया गया है, जिसकी गणना आरबीआई मास्टर निर्देश डीएनबीआर.पीडी.008/03.10.119/2016–17 दिनांक 01.09.2016 में उल्लिखित जोखिम भार के अनुसार की गई है। सीआरएआर में सुधार मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा इक्विटी निवेश के कारण इक्विटी आधार में वृद्धि के कारण हुआ है।

ग. निवेश

			विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(1)	निवेशों का मूल्य				
	(i)	निवेशों का सकल मूल्य			
		(क)	भारत में		
			-बैंकों में अल्पावधिक जमा राशियां	4,401.25	-
			-एमआईबीओआर के साथ जुड़ी लचीली (फ्लेक्सी) जमा	10,123.23	-
			-वाणिज्यिक पत्र (पूर्ण अक्षम)	6,899.11	6,899.11
			-उपर्युक्त मदों पर उपचित ब्याज	-	-
		(ख)	भारत से बाहर,	-	-
	(ii)	मूल्यह्रास के लिए प्रावधान			
		(क)	भारत में	6,899.11	6,899.11
		(ख)	भारत से बाहर,	-	-
	(iii)	निवेश का निवल मूल्य			
		(क)	भारत में	14,524.48	-
		(ख)	भारत से बाहर	-	-
(2)	निवेश पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों का संचलन.				
	(i)	प्रारंभिक शेष		6,899.11	6,899.11
	(ii)	जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		-	-
	(iii)	घटाएं: वर्ष के दौरान अतिशेष प्रावधानों का अधित्याग/बट्टे खाते		-	-
	(iv)	लगाया जाना		6,899.11	6,899.11

ग. डेरिवेटिव

❖ **अग्र दर करार/ब्याज दर अदलाबदली (स्वैप)**

विवरण		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i)	स्वैप करारों का संकेतिक सिद्धांत	874,726.72	821,862.93
(ii)	यदि प्रतिपक्षकार, समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे, तो होने वाली हानियाँ	39,833.00	40,309.01
(iii)	स्वैप करारों में शामिल पर लागू एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित समपार्श्विक	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	स्वैप करारों से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रीकरण	लागू नहीं	लागू नहीं
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	21,575.51	31,125.85

* नेशनल प्रिंसिपल वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट (एफबीआईएल) के समापन तिथियों के लिए सीमित संदर्भ दर का उपयोग करके आईएनआर में परिवर्तित विदेशी मुद्रा सौदे की राशि को इंगित करता है।

**कंपनी आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन (आईएसडीए) बैंकों (पीएसयू बैंक, निजी भारतीय बैंक और विदेशी बैंकों) के साथ स्वैप समझौते करती है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप समझौते बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित क्रेडिट जोखिम सीमा के भीतर हैं।

❖ **एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट (आईआर) डेरिवेटिव्स – शून्य**

❖ **डेरिवेटिव्स में जोखिम एक्सपोजर पर प्रकटीकरण**

क) गुणवत्तात्मक प्रकटीकरण

(i) कंपनी ने ब्याज दर, विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और अन्य संपत्ति देयता बेमेल सहित विभिन्न बाजार जोखिमों को स्वीकृत किया;

(ii) सभी व्युत्पन्न सौदे विदेशी मुद्रा प्रबंधन समिति (एफएमसी) की देखरेख में किए जाते हैं। कंपनी को विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव और ब्याज दर जोखिम से बचाने के लिए, कंपनी ने आईएसडीए बैंकों के साथ व्युत्पन्न उपकरण के माध्यम से इस तरह के जोखिम को कम करने के लिए दीर्घकालिक समझौते किए हैं।

(iii) कंपनी के सदर केस आधार पर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट को अपनाकर एक्सचेंज के उतार–चढ़ाव के जोखिम से सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में, 31.03.2022 को समाप्त अवधि के दौरान, इरेडा ने 7आईएसडी, बैंकर के साथ 6 लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए 20 प्रिंसिपल ओनली स्वैप डील की है।

(iv) इरेडा के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा और डेरिवेटिव जोखिम प्रबंधन नीति है, ऐसी नीति खुले एक्सपोजर की अधिकतम अनुमेय सीमा को परिभाषित करती है जो बकाया विदेशी मुद्रा के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। 31 मार्च, 2022 को इरेडा का विदेशी मुद्रा एक्सपोजर कुल विदेशी मुद्रा एक्सपोजर का 18.60 प्रतिशत (पिछले वर्ष 22.80 प्रतिशत) है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण

31.03.2022 को

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा (पीओएस प्लस सीसीआईआरएस) डेरिवेटिव्स	ब्याज दर (सीसीआईआर एस) डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (सांकेतिक मूल धनराशि)		
	हेजिंग के लिए	€ 184,100,973.16 $ 589,013,168.84 ¥ 35,754,286,518	€ 1,114,906.03 $ 47,322,776.90 ¥ 2,094,871,635
	मूल्य (लाख रुपए में)	824,872.43	49,854.29
(ii)	बाजार से बाजार स्थिति		
	क) परिसम्पत्ति (+) (लाख रुपए में)	36,633.85	3,199.15
	ख) देनदारी (-)(लाख रुपए में)	18,257.49	-
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	अनहेज्ड एक्सपोजर (प्रिंसिपल और पार्ट हेज के लिए हेज नहीं माना जाता है) (लाख रुपए में)	194,043.39	

31.03.2021 को

क्र. सं.	विवरण	मुद्रा (पीओएस प्लस सीसीआईआरएस) डेरिवेटिव्स	ब्याज दर (सीसीआईआर एस) डेरिवेटिव्स
(i)	डेरिवेटिव्स (सांकेतिक मूल धनराशि)		
	हेजिंग के लिए	€ 195,071,590.70 $ 494,617,556.69 ¥ 35,754,286,518	€ 1,114,906.03 $ 51,988,716.28 ¥ 2,094,871,635
	मूल्य (लाख रुपए में)	768,787.29	53,075.64
(ii)	बाजार से बाजार स्थिति		
	क) परिसम्पत्ति (+) (लाख रुपए में)	39,117.62	1,191.39
	ख) देनदारी (-)(लाख रुपए में)	9,137.96	45.20
(iii)	क्रेडिट एक्सपोजर	लागू नहीं	लागू नहीं
(iv)	अनहेज्ड एक्सपोजर (प्रिंसिपल और पार्ट हेज के लिए हेज नहीं माना जाता है) (लाख रुपए में)	235,254.31	

ङ. परिसम्पत्तियों और देनदारियों की कतिपय मदों की परिसम्पत्ति देनदारी प्रबंधन परिवक्वता पद्धति

31 मार्च, 2022 को

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15- 30/ 31 दिन (1 महीना)	1 महीने से अधिक – 2 महीने तक	2 महीने से अधिक – 3 महीने तक	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशियां	4.34	5.11	5.93	0.05	-	4,322.00	63.81	-	-	-	4,401.25
ब्याज सहित अग्रिम	1,624.69	1,076.70	34,611.51	27,742.40	123,152.32	149,813.62	290,302.58	865,888.60	453,483.29	1,377,929.77	3,325,625.49
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,926.84	9,926.84
उधार राशियां	20,144.23	-	-	4,166.67	51,048.26	33,092.50	270,237.48	518,893.57	251,892.40	568,956.80	1,718,431.92
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	6,423.27	4,233.00	20,402.98	7,029.47	39,804.71	158,005.99	152,531.84	654,771.88	1,043,203.14

31 मार्च, 2021 को

(लाख रुपए में)

विवरण	1-7 दिन	8-14 दिन	15- 30/ 31 दिन (1 महीना)	1 महीने से अधिक – 2 महीने तक	2 महीने से अधिक – 3 महीने तक	3 महीने से अधिक – 6 महीने तक	6 महीने से अधिक – एक वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा राशियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज सहित अग्रिम	39,462.90	773.79	22,337.72	13,246.09	83,672.60	133,862.08	202,580.05	641,549.66	303,113.13	1,256,045.61	2,696,643.62
निवेश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	12.00
उधार राशियां	46,015.70	-	15,000.00	-	8,147.79	13,117.43	20,022.71	545,838.37	91,931.20	628,750.44	1,368,823.64
विदेशी मुद्रा परिसम्पत्तियां	-	-	-	-	-	1,740.73	-	-	-	-	1,740.73
विदेशी मुद्रा देनदारियां	-	-	5,819.12	4,304.95	20,820.56	8,694.44	37,854.09	163,102.02	173,289.47	617,916.44	1,031,801.08

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

च. एक्सपोजर

❖ **रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सपोजर**

(लाख रुपए में)

श्रेणी			31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क)	**प्रत्यक्ष एक्सपोजर**			
	(i)	**आवासीय बंधक–विलेख-**		
		आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूरी तरह से सुरक्षित उधार देना जो उधारकर्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है या किराए पर लिया गया है	-	-
	(ii)	**वाणिज्यिक रीयल एस्टेटः– -**		
		वाणिज्यिक अचल संपत्ति (कार्यालय भवन, खुदरा स्थान, बहुउद्देश्यीय वाणिज्यिक परिसर, बहु–परिवार आवासीय भवन, बहु–किरायेदार वाणिज्यिक परिसर, औद्योगिक या गोदामों की गति, होटल, एल और अधिग्रहण, विकास और निर्माण, आदि) पर बंधक द्वारा सुरक्षित उधार।) एक्सपोजर में गैर–निधि आधारित सीमाएं भी शामिल होंगी	-	-
	(iii)	**बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) और अन्य प्रतिभूतिकृत जोखिमों में निवेश–**		
		क) आवासीय	-	-
		ख) वाणिज्यिक रीयल एस्टेट	-	-
रीयल एस्टेट सेक्टर में कुल एक्सपोजर			-	-

❖ **पूंजी बाजार में एक्सपोजर**

(लाख रुपए में)

श्रेणी		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बांडों, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में प्रत्यक्ष निवेश, जिसका कोष विशेष रूप से निवेश नहीं किया गया है, में ऋण शामिल है	-	-
(ii)	शेयरों/बांडों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों पर या व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बांड, परिवर्तनीय डिबेंचर और इक्विटी–उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश के लिए स्पष्ट आधार पर अग्रिम	-	-
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय बांड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों को प्राथमिक सुरक्षा के रूप में लिया जाता है	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बांडों या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों की संपार्श्विक सुरक्षा द्वारा सुरक्षित सीमा तक किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम यानी जहां शेयरों/परिवर्तनीय बांडों/परिवर्तनीय डिबेंचर/इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंड की इकाइयों के अलावा प्राथमिक सुरक्षा अग्रिमों को पूरी तरह से कवर नहीं करता है	-	-
(v)	स्टॉक ब्रोकर्स को प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकर्स और मार्केट मेकर्स की ओर से जारी गारंटियां	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए शेयरों/डिबेंचर बांड या अन्य प्रतिभूतियों की सुरक्षा के खिलाफ या स्वच्छ आधार पर कॉर्पोरेट्स को स्वीकृत ऋण	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/इश्यूज पर कंपनियों को ब्रिज ऋण		
(viii)	वेंचर कैपिटल फंड में सभी एक्सपोजर (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों)	-	-

झ. **मूल कम्पनी के उत्पादों के वित्तपोषण का ब्यौरा,**

❖ **एकल उधारकर्ता सीमा (एसजीएल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जीबीएल) का विवरण लागू एनबीएफसी द्वारा अधिक्रमित किया गया**

31.03.2022 को सीमाओं से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र. सं	नाम	सेक्टर	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	%
शून्य				

* 31.12.2021 को रु.352,156.13 लाख की कुल संपत्ति रु. 150,000.00 लाख का पूंजी निवेश = रु. 502,156.13 लाख

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2021 को सीमाओं से अधिक एकल एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	नाम	सेक्टर	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	%
1	एज्यूर पॉवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड#	एसपीवी	51,254.85	20.33%

*31.03.2020 तक कुल संपत्ति रु. 252,131.85 लाख
#रु 30.09.2020 की निवल संपत्ति (यानी रु. 274,503.12 लाख) के आधार पर, एक्सपोजर अनुमेय सीमा के भीतर है।

31.03.2022 को सीमाओं से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	%
	शून्य		

*31.12.2021 को रु. 352,156.13 लाख की कुल संपत्ति. रु. 150,000.00 लाख का पूंजी निवेश = रु. 502,156.13 लाख

31.03.2021 को सीमाओं से अधिक समूह एक्सपोजर की सूची

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	समूह का नाम	एक्सपोजर (लाख रुपए में)	%
	शून्य		

*31.12.2020 को रु. 252,131.85 लाख

ज. विविध

❖ **अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण**

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	विनियामक का नाम	विवरण	पंजीकरण का विवरण
1	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	कॉरपोरेट आईडेंटिफिकेशन नंबर	U65100DL1987GOI027265
2	भारतीय रिजर्व बैंक	पंजीकरण संख्या	14.000012
3	लीगल एंटिटी आईडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड	एलईआई नंबर	335800AXWFKW4BC99J48

❖ आरबीआई और अन्य नियामकों द्वारा लगाए गए दंड का खुलासाः शून्य

❖ कंपनी के पास विदेश में संयुक्त उद्यम/सहायक कंपनियों के रूप में कोई विदेशी संपत्ति नहीं है।

❖ कंपनी द्वारा प्रायोजित कोई ऑफ–बैलेंस शीट एसपीवी नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

❖ **वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए शिकायतों का प्रकटीकरणः**

ग्राहक शिकायतें

क)	वर्ष की शुरुआत (01.04.2021) में लंबित शिकायतों की संख्या	-
ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	44
ग)	वर्ष के दौरान समाधान की गई शिकायतों की संख्या	44
घ)	वर्ष के अंत में (31.03.2022) में लंबित शिकायतों की संख्या	-

बंधपत्रधारकों से संबंधित शिकायतें
शेयरधारक के संबंध में 31.03.2022 को समाप्त वर्ष के लिए कोई शिकायत नहीं

झ. वर्ष के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग और रेटिंगों के विस्थापन का ब्यौरा

इरेडा ने कर योग्य / कर–मुक्त / मसाला बांड / बैंक ऋण जारी करके संसाधन जुटाए हैं, जिसके लिए उसने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों से इन निर्गमों के लिए रेटिंग प्राप्त की है। विवरण इस प्रकार हैः–

❖ कर–मुक्त बंधपत्र / कर योग्य बंधपत्र

(लाख रुपए में)

रेटिंग एजेंसी	विलेख / उद्देश्य / ईश्यू	रेटिंग
आईसीआरए लिमिटेड	कर मुक्त बॉण्ड (रु. 200,000.00 लाख) फिस्कल 2015-16 सीरीज XIV (सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट)	आईसीआरए एए+ (स्थिर) पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य ग्रीन बॉण्ड (रु. 70,000.00 लाख) फिस्कल 2016-17 सीरीज VI-क & VI-ख	आईसीआरए एए+ (स्थिर) पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड (रु. 10,600.00 लाख) फिस्कल 2021-22	आईसीआरए एए+ (स्थिर) समनुदेशित
इंडिया रेटिंग्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड	कर मुक्त बॉण्ड (रु. 200,000.00 लाख) फिस्कल 2015-16 सीरीज XIV (सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट)	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य ग्रीन बॉण्ड (रु. 70,000.00 लाख) फिस्कल 2016-17 सीरीज VI-क और VI-ख	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 86,500.00 लाख) फिस्कल 2018-19 सीरीज VIIक और VIIख	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य टियर-II उप ऋण (रु. 15,000.00 लाख) फिस्कल 2018.19 सीरीज VIII	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 180,300.00 लाख) फिस्कल 19.20 सीरीज IX-क और IX-ख	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य टियर II सबोर्डिनेट बॉण्ड (रु. 50,000.00 लाख) फिस्कल 20-21 वरिष्ठ X	आईएनडी एए (स्थिर) पुष्टि की गई
	कर योग्य असुरक्षित बॉण्ड (रु. 10,600.00 लाख) फिस्कल 2021-22	आईएनडी एए / स्थिर समनुदेशित
केयर रेटिंग्स लिमिटेड	कर योग्य बॉण्ड सीरीज III- ख, IV और V (रु. 105,000.00 लाख)	केयर एएए (सीई), स्थिर पुनःपुष्टि की गई

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

	कर मुक्त बॉण्ड सीरीज-XIII सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट (₹ 75,765.46 लाख फिस्कल वर्ष 13-14)	केयर एएए (सीई), स्थिर पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य ग्रीन बॉण्ड सीरीज VIA और VIB (Rs. 70,000.00 लाख) फिस्कल 2016-17	केयर एएए एए स्थिर पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य असुरक्षित बांड (₹ 10,600.00 लाख) फिस्कल 2021-22	केयर एए+, स्थिर, समुनदेशिर्त
ब्रिकवर्क रेटिंग्स	दीर्घावधिक कर योग्य बॉण्ड सीरीज III-B, IV और V (Rs. 105,000.00 लाख)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई) नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई
	कर मुक्त बॉण्ड सीरीज -XIII सार्वजनिक और निजी प्लेसमेंट (रु. 75,765.46 लाख फिस्कल 13.14)	बीडब्ल्यूआर एएए (सीई) नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 86,500.00 लाख) फिस्कल 2020 सीरीज VIIA और VIIB	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनः पुष्टि की गई
	कर योग्यबॉण्ड (रु. ऋण (रु. 15,000.00 लाख) फिस्कल 2018-19 सीरीज VIII	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनः पुष्टि की गई
	कर योग्य बॉण्ड (रु. 180,300.00 लाख) फिस्कल 19.20 सीरीज IX-A और IX-B	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई
	कर योग्य टीयर ।। सबोर्डिनेट बॉण्ड (रु. 50,000.00 लाख) फिस्कल 20–.21 सीरीज X	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई

❖ **बैंक ऋण**

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग	आवधिक ऋण
ब्रिकवर्क रेटिंग्स	बीडब्ल्यूआर एएए नकारात्मक पुनःपुष्टि की गई	• कुल रु. 443,000.00 लाख के आवधिक ऋण रेटेड। आवंटन का ब्यौराः ❖ एचडीएफसी आवधिक ऋणः रु. 8,000.00 लाख ❖ एसबीआई आवधिक ऋणः रु. 200,000.00 लाख ❖ एसएमबीसीः रु. 20,000.00 लाख ❖ आरबीएलः रु. 15,000.00 लाख ❖ यस बैंकः रु. 50,000.00 लाख ❖ बैंक ऑफ बडौदा : रु. 50,000.00 लाख ❖ बैंक ऑफ इंडिया : रु. 100,000.00 लाख

❖ **मसाला बॉण्ड**

रेटिंग एजेंसियां	दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग – माइग्रेशन	जुटाई गई राशि
मूडज इनवेसटर्स सर्विस	बीएए3, आउटलुक नकारात्मक	300 मिलियन अमरीकी डॉलर
फिच रेटिंग	बीबीबी– आउटलुक नकारात्मक (रेटिंग को बीबीबी– से स्तरोन्नयन करके बीबी प्लस किया गया, आउटलुक अपरिवर्तित है)	300 मिलियन अमरीकी डॉलर

❖ **भारत सरकार के पूर्वरूपेण सर्विस बॉण्ड**

रेटिंग एजेंसी	विलेख/उद्देश्य/ईश्यू	रेटिंग
केयर रेटिंग लिमिटेड इंडिया रेटिंग्स रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड आईसीआरए लिमिटेड	भारत सरकार के पूर्वरूपेण सर्विस बॉण्ड (रु.164,000.00) फिस्कल 2016–17	एएए, स्थिर, पुनः पुष्टि की गई

ञ. **जमा राशियों, अग्रिमों, एक्सपोजरों और एनपीए का संकेंद्रीकरण**

❖ **अग्रिमोंका संकेंद्रीकरण**

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम	1,494,371.17	1,010,357.94
कुल अग्रिमों की तुलना में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को दिए गए अग्रिमों का प्रतिशत	44.04%	36.27%

❖ **एक्सपोजर का संकेन्द्रीकरण**

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को कुल अग्रिम	1,561,850.03	1,053,951.38
उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर लागू एनबीएफसी के कुल एक्सपोजर के बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ग्राहकों को एक्सपोजरों का प्रतिशत	46.03%	37.84%

❖ **एनपीए का संकेंद्रीकरण**

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
शीर्ष पार्क एनपीए खाताओं की कुल एक्सपोजर	65,234.04	68,352.72

❖ **सेक्टर–वार एनपीए**

क्र.सं.	सेक्टर	उस सेक्टर में कुल अग्रिमों में एनपीए का प्रतिशत	
		31.03.2022 को	31.03.2021 को
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	-	
2.	एमएसएमई	-	
3.	कॉरपोरेट उधारकर्ता	5.21%	8.77%
4.	सर्विसेज	-	
5.	अप्रत्याभूत व्यक्तिगत ऋण	-	
6.	ऑटो ऋण	-	
7.	अन्य व्यक्तिगत ऋण	-	

नोट– इरेडा कॉर्पोरेट उधारकर्ता को आरई परियोजनाओं के वित्तपोषण प्रदान करने के व्यवसाय में है, इसलिए कुल सकल एनपीए को कॉर्पोरेट उधारकर्ता के रूप में दिखाया गया है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

❖ **एनपीए की गतिविधि**

विवरण			31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i)	निवल अग्रिम में निवल एनपीए (%)		3.12%	5.61%
(ii)	एनपीए की गतिविधि (सकल)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	244,155.27	237,300.16
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	3,269.73	53,074.22
	(ग)	वर्ष के दौरान कमियां	70,599.55	46,219.11
	(घ)	अंतिम शेष	176,825.45	244,155.27
(iii)	निवल एनपीए की गतिविधि			
	(क)	प्रारंभिक शेष	151,022.39	163,746.06
	(ख)	वर्ष के दौरान संवर्धन	2,903.28	43,528.16
	(ग)	वर्ष के दौरान कमियां	50,386.66	56,251.83
	(घ)	अंतिम शेष	103,539.01	151,022.39
(iv)	एनपीए के लिए प्रावधानों की गतिविधि (मानक परिसम्पत्तियों पर प्रावधान शामिल नहीं हैं)			
	(क)	प्रारंभिक शेष	93,132.88	73,554.10
	(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	15,169.05	35,241.15
	(ग)	अधिशेष प्रावधानों का अधित्याग/बट्टे खाते डाला जाना	35,015.50	15,662.37
	(घ)	अंतिम शेष	73,286.44	93,132.88

त. आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2020–21/88 डीओआर.एनबीएफसी (पीडी) सीसी सं.102/03/10.001/2020–21 दिनांक 04 नवंबर, 2020 के तहत गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे पर प्रकटीकरण।

i) **महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष (जमा और उधार दोनों) पर आधारित निधिकरण संकेंद्रण**

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	अवधि	उल्लेखनीय प्रतिपक्षकारों की संख्या *	राशि	कुल जमा रशियों का %	कुलदेनदारियों का %
1	31.03.2022 को	12	1,938,074.52	लागू नहीं	61.64%
2.	31.03.2021 को	13	1,594,560.49	लागू नहीं	58.41%

टिप्पणी:

- एक ''महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष'' को एकल प्रतिपक्ष या संबद्ध या संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डी की कुल देनदारियों के 1 प्रतिशत से अधिक और अन्य जमा न लेने वाली एनबीएफसी के लिए 10 प्रतिशत से अधिक है।
- कुल देनदारियों की गणना कुल संपत्ति कम इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित और अधिशेष के रूप में की गई है।

ii) **शीर्ष 20 बड़ी जमा राशियां**

(लाख रुपए में)

अवधि	बड़ी जमा राशियां	राशि	कुल जमा रशियों का %
31.03.2022 को	लागू नहीं		
31.03.2021 को			

iii) **शीर्ष 10 उधारदाता :**

31.03.2022 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	उधार राशियां	राशि	कुल उधार रशियों का %
1	दीर्घावधि सुविधा – आईएफसीएल (2020-21)	240,000.00	8.69%
2	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से ऋण।	200,000.00	7.24%
3	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से ऋण ।।	194,846.97	7.06%
4	7.125% ग्रीन मसाला बॉण्ड	186,503.31	6.75%
5	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)	177,583.09	6.43%
6	एडीबी से ऋण – ।।	145,062.44	5.25%
7	8% कर योग्य बॉण्ड (सीरीज IX A- 2019-20)	131,398.97	4.76%
8	7.49% कर मुक्त बॉण्ड (सीरीज XIV ट्रांच-I-IIA- 2015-16)	130,596.68	4.73%
9	7.40% इरेडा कर योग्य बॉण्ड -वरि-IX-ख -2030 (19-20)	99,979.64	3.62%
10	एजेंसी फ्रांकाइजदे डेवलपमेंट से ऋण ।। (एएफडी–।।)	88,426.52	3.20%

31.03.2021 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	उधार राशियां	राशि	कुल उधार रशियों का %
1	दीर्घावधि सुविधा – आईएफसीएल (2020-21)	200,000.00	8.33%
2	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से ऋण।	199,080.00	8.29%
3	जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी (जीआईसीए) से ऋण ।।	198,880.92	8.29%
4	7.125% ग्रीन मसाला बॉण्ड	194,567.94	8.11%
5	यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक (ईआईबी)	150,457.76	6.27%
6	एडीबी से ऋण – ।।	137,208.77	5.72%
7	8% कर योग्य बॉण्ड (सीरीज IX A- 2019-20)	99,977.70	4.17%
8	7.49% कर मुक्त बॉण्ड (सीरीज XIV ट्रांच-I-IIA- 2015-16)	88,426.52	3.68%
9	7.40% इरेडा कर योग्य बॉण्ड -वरि-IX-ख -2030 (19-20)	80,257.16	3.34%
10	एजेंसी फ्रांकाइजदे डेवलपमेंट से ऋण ।। (एएफडी–।।)	73,184.15	3.05%

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

iv) **उल्लेखनीय लिखत/उत्पाद के आधार पर वित्तपोषण संकेंद्रण**

31.03.2022 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि	कुल देनदारियों का %
1.	कर मुक्त बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	275,765.46	8.77%
2.	करयोग्य बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	441,702.30	14.05%
3.	मसाला बॉण्ड (अप्रत्याभूत)	194,846.97	6.20%
4.	अधीनस्थ देनदारियां	64,925.97	2.07%
5.	बैंकों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	676,717.37	21.52%
6.	बैंकों से आवधिक ऋण (अप्रत्याभूत)	81,401.68	2.59%
7.	अन्यों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	995,204.18	31.65%

31.03.2021 को

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	राशि	कुल देनदारियों का %
1.	कर मुक्त बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	275,765.46	10.10%
2.	करयोग्य बांड – गैर परिवर्तनीय प्रतिदेय डिबेंचर (प्रत्याभूत)	441,692.76	16.18%
3.	मसाला बॉण्ड (अप्रत्याभूत)	194,567.94	7.13%
4.	अधीनस्थ देनदारियां	64,919.20	2.38%
5.	बैंकों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	254,735.26	9.33%
6.	बैंकों से आवधिक ऋण (अप्रत्याभूत)	97,676.36	3.58%
7.	अन्यों से आवधिक ऋण (प्रत्याभूत)	953,431.94	34.93%
8.	माग पर पुनःप्रतिदेय ऋण	46,015.70	1.69%
9.	एफसीएनआर (ख) मांग ऋण	71,195.83	2.61%

टिप्पणी:

- एक ''महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष'' को एकल प्रतिपक्ष या संबद्ध या संबद्ध प्रतिपक्षकारों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डी की कुल देनदारियों के 1 प्रतिशत से अधिक और अन्य जमा न लेने वाली एनबीएफसी के लिए 10 प्रतिशत से अधिक है।
- कुल देनदारियों की गणना कुल संपत्ति कम इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षिति और अधिशेष के रूप में की गई है।
- एक ''महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद'' को समान लिखतों/उत्पादों के समूह के एकल लिखत/उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एनबीएफसी–एनडीएसआई, एनबीएफसी–डी की कुल देनदारियों के 1% से अधिक और एनबीएफसी लेने वाले अन्य गैर–जमा के लिए 10% से अधिक है।

v) **स्टॉक अनुपात :**

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	लिखत/उत्पाद की संख्या	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1	कुल सार्वजनिक निधि के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
2	कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
3	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
4	कुल सार्वजनिक निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम मूल परिवक्वता)	लागू नहीं	लागू नहीं
5	कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम मूल परिवक्वता)	लागू नहीं	लागू नहीं
6	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एक वर्ष से कम मूल परिवक्वता)	लागू नहीं	लागू नहीं
7	कुल सार्वजनिक निधियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधिक देनदारियां, यदि कोई हों	3.40%	4.01%
8	कुल देनदारियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधिक देनदारियां, यदि कोई हों	2.98%	3.53%
9	कुल परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में अन्य अल्पावधिक देनदारियां, यदि कोई हों	2.55%	3.18%

टिप्पणीः अन्य अल्पकालिक देनदारियों की गणना व्यापार देय राशि, अन्य वित्तीय और गैर–वित्तीय देनदारियों के कुल योग के रूप में की गई है, जिसमें भारत सरकार के पूर्ण सेवा बांड शामिल नहीं हैं।

vi) **चलनिधि जोखिम प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचा**

कंपनी के निदेशक मंडल ने परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और निवेश समिति का गठन किया है। परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ–साथ, परिसंपत्ति देयता प्रोफाइल, जोखिम निगरानी प्रणाली, तरलता जोखिम प्रबंधन, वित्त पोषण और पूंजी नियोजन, लाभ योजना और विकास अनुमान, विभिन्न परिदृश्यों का पूर्वानुमान और विश्लेषण और आकस्मिक योजनाओं की तैयारी की समीक्षा करती है।

इसके अलावा, जोखिम प्रबंधन समिति, अन्य बातों के साथ, कंपनी के जोखिम प्रोफाइल की निगरानी और माप करती है और कंपनी की एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली की देखरेख करती है। कंपनी पर्याप्त नकदी/ट्रेजरी अधिशेष बनाए रखकर चलनिधि जोखिम का प्रबंधन करती है।

प्रबंधन नियमित रूप से नकद और नकद समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। चलनिधि स्थिति की समीक्षा करते समय ऋण वित्तपोषण योजनाओं और बैलेंस शीट तरलता के रखरखाव सहित वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन किया जाता है। (डीएनबीएस 4ए और डीएनबीएस 4बी स्टेटमेंट की प्रस्तुति और निगरानी के माध्यम से)। कंपनी पहले से ही चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) की गणना के लिए प्रक्रिया की स्थापना और स्टॉक अनुपात के माध्यम से चलनिधि जोखिम के प्रबंधन के लिए मौजूदा चलनिधि जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार लाने पर काम कर रही है।

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

थ. आरबीआई परिपत्र संख्या आरबीआई/2019–20/170 डीओ (एनबीएफसी) के तहत प्रकटीकरण। सीसी.पीडी. सं. 109/22-10-106/2019-20 दिनांक 13 मार्च, 2020 भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन पर :

(लाख रुपए में)

आरबीआई मानकों के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	इंड एएस 109 के अनुसार परिसम्पत्ति वर्गीकरण	इंड एएस के अनुसार सकल वहन राशि	इंड एएस 109 के अंतर्गत यथापेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	कुल वहन राशि	आईआर एसीपी मानकों के अनुसार यथापेक्षित प्रावधान	इंड एएस 109 प्रावधानों और आई आरएसीपी मानकों के बीच भिन्नता
1	2	3	4	(5)=(3)-(4)	6	(7) = (4)-(6)
निष्पादन परिसम्पत्तियां						
मानक	अवस्था 1	2,942,541.41	49,710.90	2,892,830.51	43173.62*	52,056.39
	अवस्था 2	267,394.83	45,519.11	221,875.72		
उप योग		3,209,936.24	95,230.01	3,114,706.23	43,173.62	52,056.39
गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां (एनपीए)						
अवमानक	अवस्था 3	3,269.73	366.45	2,903.28	326.97	39.47
संदिग्ध – 1 वर्ष तक	अवस्था 3	28,943.70	6,076.93	22,866.77	20,355.57	(14,278.63)
1 से 3 वर्ष	अवस्था 3	65,614.53	30,419.24	35,195.29	40,610.42	(10,191.18)
3 वर्ष से अधिक	अवस्था 3	78,993.49	36,419.82	42,573.67	48,653.23	(12,233.41)
संदिग्ध पर उपयोग		173,551.72	72,915.99	100,635.73	109,619.22	(36,703.23)
हानि	अवस्था 3	4.00	4.00	-	4.00	-
एनपीए के लिए उपयोग		176,825.45	73,286.44	103,539.01	109,950.19	(36,663.75)
अन्य मदें जैसे गारंटी, ऋण प्रतिबद्धताएं, आदि जो भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में हैं लेकिन वर्तमान आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों के तहत शामिल नहीं हैं।	अवस्था 1	145,383.05	669.91	144,713.14	-	669.91
	अवस्था 2	-	-	-	-	-
	अवस्था 3	-	-	-	-	-
उप योग		145,383.05	669.91	144,713.14	-	669.91
कुल	**अवस्था 1**	3,087,924.46	50,380.81	3,037,543.65	153,123.81	16,062.55
	अवस्था 2	267,394.83	45,519.11	221,875.72		
	अवस्था 3	176,825.45	73,286.44#	103,539.01		
	कुल	3,532,144.73	169,186.36	3,362,958.38	153,123.81	16,062.55

* पुनर्निर्धारण पर प्रावधान, विशेष कोविड–19 सामान्य प्रावधान शामिल हैं।

603.85 लाख रुपये के एनपीए खातों पर आकस्मिक शुल्क (डेबिट बैलेंस) पर प्रावधान को छोड़कर।

द. चलनिधि कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरणः–

आरबीआई ने 04 नवंबर, 2019 को गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेश कंपनियों के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन ढांचे पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए हैं। उक्त दिशानिर्देशों के अनुसार, एलसीआर की आवश्यकता सभी गैर–जमा लेने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी होगी, जिनका परिसंपत्ति आकार दिशा–निर्देशों में दी गई समय–सीमा के अनुसार, 1 दिसंबर, 2020 से 10,000 करोड़ और उससे अधिक, न्यूनतम एलसीआर 50 प्रतिशत होने के साथ, उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, जब तक कि यह 1 दिसंबर 2024 तक 100 प्रतिशत के आवश्यक स्तर तक नहीं पहुंच जाता। इसके अलावा, एनबीएफसी को तिमाही आधार पर चलनिधि कवरेज अनुपात से संबंधित जानकारी का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना आवश्यक है। तदनुसार, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तिमाही–वित्तीय वर्ष 2021 के लिए इरेडा का चलनिधि कवरेज अनुपात पर प्रकटीकरण निम्नानुसार हैः

(लाख रुपए में)

उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां		तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2021)		तिमाही 2 (जुलाई–सितंबर 2021)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसंबर 2021)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च 2022)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां (एचक्यूएलए)	8,118.55	8,118.55	23,038.22	23,038.22	28,428.33	28,428.33	119,505.87	119,505.87
नकद बर्हिप्रवाह									
2	जमा राशियां (जमा राशि लेने वाली कंपनियां)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अप्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	3,403.63	3,914.17	2,003.08	2,303.54	6,516.17	7,493.59	2,183.80	2,511.37
4	प्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	8,223.39	9,456.90	6,321.40	7,269.61	8,072.90	9,283.84	2,470.34	2,840.89
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से		-		-		-		-
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	3,266.32	3,756.27	3,477.65	3,999.29	3,323.31	3,821.81	3,341.93	3,843.22
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-		-		-		-
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं		-	-	-		-		-
6	अन्य संविदागत वित्तपोषण दायित्व	590.13	678.65	-	-	-	-	2,764.28	3,178.92
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण देनदारियां	-	-		-		-		-
8	कुल नकद बहिर्वाह	-	17,805.99	-	13,572.44	17,912.38	20,599.24	10,760.35	12,374.40
नकद अंतःप्रवाह									
9	प्रत्याभूत ऋण	50,749.53	38,062.15	64,023.56	48,017.67	111,130.26	83,347.69	89,511.63	67,133.72
10	पूर्ण निष्पादक एक्सपोजरों से अंतःप्रवाह	-	-		-		-		-
11	अन्य नकद अंतःप्रवाह		-		-		-		-
12	कुल नकद अंतःप्रवाह	50,749.53	38,062.15	64,023.56	48,017.67	111,130.26	83,347.69	89,511.63	67,133.72
			कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य

वित्तीय विवरणों पर नोट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां		तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2021)		तिमाही 2 (जुलाई–सितंबर 2021)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसंबर 2021)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च 2022)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
13	कुल एचक्यूएलए		8,118.55		23,038.22		28,428.33		119,505.87
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		4,451.50		3,393.11		5,149.81		3,093.60
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		182%		679%		552%		3863%

(लाख रुपए में)

उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां		तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2020)		तिमाही 2 (जुलाई–सितंबर 2020)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसंबर 2020)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च 2021)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
1	कुल उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां (एचक्यूएलए)	91,468.86	91,468.86	67,634.39	67,634.39	105,109.93	105,109.93	108,566.49	108,566.49
नकद बर्हिप्रवाह									
2	जमा राशियां (जमा राशि लेने वाली कंपनियां)	-	-	-	-	-	-	-	-
3	अप्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	5,017.94	5,770.63	2,431.83	2,796.60	5,130.22	5,899.75	2,103.86	2,419.44
4	प्रत्याभूत थोक वित्तपोषण	9,362.55	10,766.94	13,095.48	15,059.80	14,352.53	16,505.42	51,754.05	59,517.16
5	अतिरिक्त अपेक्षाएं, जिसमें से		-		-		-		-
(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह	4,988.24	5,736.47	2,931.54	3,371.27	3,164.37	3,639.03	3,229.96	3,714.45
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बहिर्वाह	-	-		-		-		-
(iii)	क्रेडिट और चलनिधि सुविधाएं		-	0.04	0.05		-		-
6	अन्य संविदागत वित्तपोषण दायित्व	861.48	990.71	4,212.80	4,844.72	1,968.05	2,263.26	2,036.68	2,342.19
7	अन्य आकस्मिक वित्तपोषण देनदारियां	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कुल नकद बहिर्वाह	20,230.21	23,264.75	22,671.69	26,072.45	24,615.18	28,307.45	59,124.55	67,993.24
नकद अंतःप्रवाह									
9	प्रत्याभूत ऋण	7,734.57	5,800.93	29,489.35	22,117.02	45,300.82	33,975.62	77,967.08	58,475.31
10	पूर्ण निष्पादक एक्सपोजरों से अंतःप्रवाह	-	-		-		-		-
11	अन्य नकद अंतःप्रवाह		-		-		-		-
12	कुल नकद अंतःप्रवाह	7,734.57	5,800.93	29,489.35	22,117.02	45,300.82	33,975.62	77,967.08	58,475.31
			कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य	कुल समायोजित मूल्य

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

	उच्च गुणवत्ता चलनिधि परिसम्पत्तियां	तिमाही 1 (अप्रैल–जून 2020)		तिमाही 2 (जुलाई–सितंबर 2020)		तिमाही 3 (अक्टूबर–दिसंबर 2020)		तिमाही 4 (जनवरी–मार्च 2021)	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
13	कुल एचक्यूएलए		91,468.86		67,634.39		105,109.93		108,566.49
14	कुल निवल नकद बहिर्वाह		17,463.82		6,518.11		7,076.86		16,998.31
15	चलनिधि कवरेज अनुपात (%)		524%		1038%		1485%		639%

ध. भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र डीओआर.सं.बीपी.बीसी / 3 / 21.04.048 / 2020–21 दिनांक 06,2020 के अनुसार कोविड–19 से संबंधित तनाव के लिए समाधान ढांचे से संबंधित प्रकटीकरण:

(लाख रुपए में)

उधारकर्ता का प्रकार	(क) इस विंडो के तहत उन खातों की संख्या जहां समाधान योजना लागू की गई है	(ख) योजना के कार्यान्वयन से पहले (क) में उल्लिखित खातों के संपर्क में	(ग) (ख), ऋण की कुल राशि जिसे अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया गया था	(घ) अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत, यदि कोई हो, जिसमें योजना को लागू करने और कार्यान्वयन के बीच शामिल है	(ङ) समाधान योजना के कार्यान्वयन के कारण प्रावधानों में वृद्धि
व्यक्तिगत ऋण	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट व्यक्ति	2	266,87.97	-	-	2,668.80
जिनमें से, एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	2	266,87.97	-	-	2,668.80
कुल	2	266,87.97	-	-	2,668.80

(लाख रुपए में)

उधारकर्ता का प्रकार	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों मंम एक्सपोजर – पिछले छमाही के अंत में स्थिति (क)	(क) का, कुल ऋण जो छमाही के दौरान एनपीए में फिसल गया	(क) छमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	(क) छमाही के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि	समाधान योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मानक के रूप में वर्गीकृत खातों में एक्सपोजर – इस छमाही के अंत में स्थिति
व्यक्तिगत ऋण	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट व्यक्ति	266,87.97	-	-	-	266,87.97

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

जिनमें से, एमएसएमई	-	-	-	-	-
अन्य	266,87.97	-	-	-	266,87.97
कुल	266,87.97	-	-	-	266,87.97

न. **आरबीआई अधिनियम, 1943 के अनुसार तुलन पत्र के उद्धरण नीचे दिए गए हैं**

इरेडा के तुलनपत्र की अनुसूची
(31.03.2022 को)

(लाख रुपए में)

विवरण			बकाया राशि	अतिदेय राशि
देनदारियों का पक्ष				
1	**गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित किंतु अदत्त ब्याज सहित::**			
	(क)	डिबेंचरः प्रत्याभूत	734,861.99	-
		: अप्रत्याभूत	280,631.27	-
		(सार्वजनिक जमाराशियों के अभिप्राय के भीतर पड़ने वाले डिबेंचरों से भिन्न)		
	(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-
	(ग)	आवधिक ऋण	1,764,455.32	-
	(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार राशियां	-	-
	(ड.)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(च)	सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
	(छ)	अन्य ऋण – ओवर ड्राफ्ट	20,144.23	
2	**उपर्युक्त (1)(च) का ब्यौरा (बकाया सार्वजनिक जमा राशियां जिनमें उन पर उपचित किंतु अदत्त ब्याज शामिल है):**			
	(क)	अप्रत्याभूत डिबेंचरों के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर यानी डिबेंचर के रूप में जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष			**बकाया राशि**	
3	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा [नीचे (4) में शामिल से भिन्न]::**			
	(क)	प्रत्याभूत		2,943,863.31
	(ख)	अप्रत्याभूत		447,471.76
4	**पट्टे पर दी गई आस्तियों और भाड़े पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य संपत्तियों का ब्यौरा**			
	(i)	विविध देनदारों के तहत लीज रेंटल सहित लीज एसेट्स		

(लाख रुपए में)

		(क)	वित्तीय लीज	-
		(ख)	प्रचालनिक लीज	-
	(ii)		विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉकः	
		(क)	भाड़े पर परिसम्पत्तियां	-
		(ख)	पुनःप्रसंस्कृत परिसम्पत्तियां	-
	(iii)		एएफसी गतिविधियों की ओर अन्य ऋण गणना	
		(क)	वे ऋण जहां परिसम्पत्तियां प्रसंस्कृत की गई हैं	-
		(ख)	उपर्युक्त (क) से अन्य ऋण	-
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	चालू निवेश			
	1.		उद्धृत	
		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	(कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-
	2.		अनुद्धृत	
		(i)	शेयर	
			(ग) इक्विटी	-
			(घ) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
			अल्पावधिक जमा राशियां	4,401.25
			वाणिज्यिक पत्र (अक्षमता जिसके लिए पूर्ण प्रावधान किया गया है)	6,899.11
	दीर्घावधिक निवेश			
	1.		उद्धृत	
	(i)		शेयर	
		(क)	इक्विटी	-
		(ख)	प्राथमिकता	-
	(ii)		डिबेंचर और बॉण्ड	-
	(iii)		म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
	(iv)		सरकारी प्रतिभूतियां	9,926.84
	(v)		अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

	2.	अनुद्धृत	
	(i)	शेयर	
		(क) इक्विटी	-
		(ख) प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
	(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-

ऊपर (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

6	**श्रेणी**		**राशि (प्रावधानों का निवल) (लाख रुपए में)**		
			प्रत्याभूत	**अप्रत्याभूत**	**कुल**
	1	संबंधित पक्षकार			
		(क) अनुषंगियां	-	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	39.98	-	39.98
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	2,869,933.04	447,471.76	3,317,404.80
	कुल		2,869,973.02	447,471.76	3,317,444.78

7	**शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर–उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरणः**			
	श्रेणी		**बाजार मूल्य/ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी**	**बही मूल्य (प्रावधानों का निवल)**
	1	संबंधित पक्षकार		
		(क) अनुषंगियां	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	21,227.19	14,328.08
	कुल		21,227.19	14,328.08
8	**अन्य सूचना**			
	विवरण		**राशि (लाख रुपए में)**	
	(i)	सकल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां		
		(क) संबंधित पक्षकार		-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य		176,825.45
	(ii)	निवल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां		
		(क) संबंधित पक्षकार		-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य		103,539.01
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां		-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

इरेडा के तुलनपत्र की अनुसूची
(31.03.2021 को)

(लाख रुपए में)

विवरण			बकाया राशि	अतिदेय राशि
देनदारियों का पक्ष				
1	**गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम, उस पर अर्जित किंतु अदत्त ब्याज सहित:**			
	(क)	डिबेंचरः प्रत्याभूत	750,562.03	-
		: अप्रत्याभूत	216,008.66	-
		(सार्वजनिक जमाराशियों के अभिप्राय के भीतर पड़ने वाले डिबेंचरों से भिन्न)		
	(ख)	आस्थगित क्रेडिट	-	-
	(ग)	आवधिक ऋण	1,258,153.16	-
	(घ)	अंतर–कॉरपोरेट ऋण और उधार राशियां	-	-
	(ड)	वाणिज्यिक पत्र	-	-
	(च)	सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
	(छ)	अन्य ऋण – ओवर ड्राफ्ट	-	-
2	**उपर्युक्त (1)(च) का ब्यौरा (बकाया सार्वजनिक जमा राशियां जिनमें उन पर उपचित किंतु अदत्त ब्याज शामिल है):**			
	(क)	अप्रत्याभूत डिबेंचरों के रूप में	-	-
	(ख)	आंशिक रूप से सुरक्षित डिबेंचर यानी डिबेंचर के रूप में जहां सुरक्षा के मूल्य में कमी है	-	-
	(ग)	अन्य सार्वजनिक जमा राशियां	-	-
परिसम्पत्ति पक्ष				**बकाया राशि**
3	**प्राप्य बिलों सहित ऋणों और अग्रिमों का ब्यौरा [नीचे (4) में शामिल से भिन्न]:**			
	(क)	प्रत्याभूत		2,084,762.72
	(ख)	अप्रत्याभूत		286,672.52
4	**पट्टे पर दी गई आस्तियों और भाड़े पर स्टॉक और एएफसी गतिविधियों की गणना करने वाली अन्य संपत्तियों का ब्यौरा**			
	(i)	विविध देनदारों के तहत लीज रेंटल सहित लीज एसेट्स		
		(क) वित्तीय लीज		-
		(ख) प्रचालनिक लीज		-
	(ii)	विविध देनदारों के तहत किराया प्रभार सहित भाड़े पर स्टॉकः		
		(क) भाड़े पर परिसम्पत्तियां		-
		(ख) पुनःप्रसंस्कृत परिसम्पत्तियां		-
	(iii)	एएफसी गतिविधियों की ओर अन्य ऋण गणना		
		(क) वे ऋण जहां परिसम्पत्तियां पुनः अधिगृहित की गई हैं		-
		(ख) उपर्युक्त (क) से अन्य ऋण		-
5	**निवेशों का ब्यौरा**			
	चालू निवेश			
	1.	उद्धृत		

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(लाख रुपए में)

		(i)	शेयर	
			(क) इक्विटी	-
			(ख) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	-
2.	अनुद्धृत			
		(i)	शेयर	
			(ग) इक्विटी	-
			(घ) प्राथमिकता	-
		(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड	-
		(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें	-
		(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां	-
		(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	
		अल्पावधिक जमा राशियां (उपचित ब्याज सहित)		50,646.27
		वाणिज्यिक पत्र (अक्षमता पूर्ण प्रावधान)		6,899.11
	दीर्घावधिक निवेश			
	1.	उद्धृत		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	-
		(ख)	प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां		-
	(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		-
	2.	अनुद्धृत		
	(i)	शेयर		
		(क)	इक्विटी	12.00
		(ख)	प्राथमिकता	-
	(ii)	डिबेंचर और बॉण्ड		-
	(iii)	म्यूचुअल निधियों की यूनिटें		-
	(iv)	सरकारी प्रतिभूतियां		-
	(v)	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)		-

ऊपर (3) और (4) के अनुसार वित्तपोषित आस्तियों का ऋणी समूह–वार वर्गीकरण

6	श्रेणी		राशि (प्रावधानों का निवल) (लाख रुपए में)		
			प्रत्याभूत	अप्रत्याभूत	कुल
	1	संबंधित पक्षकार			
		(क) अनुषंगियां	-	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	21.82	-	21.82
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	2,011,074.34	286,672.52	2,297,746.86
	कुल		2,011,096.16	286,672.52	2,297,768.68

7	शेयरों और प्रतिभूतियों (उद्धृत और गैर–उद्धृत दोनों) में सभी निवेशों (वर्तमान और दीर्घकालिक) का निवेशक समूह–वार वर्गीकरण:			
	श्रेणी		बाजार मूल्य/ब्यौरा या उचित मूल्य या एनएवी	बुक मूल्य (प्रावधानों का निवल)
	1	संबंधित पक्षकार		
		(क) अनुषंगियां	-	-
		(ख) एक ही समूह में कम्पनियां	-	-
		(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	लागू नहीं	12.00
	2	संबंधित पक्षकारों से अन्य	50,646.27	50,646.27
	कुल		50,646.27	50,658.27

8	अन्य सूचना		
	विवरण		राशि (लाख रुपए में)
	(i)	सकल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	237,300.16
	(ii)	निवल गैर–निष्पादन परिसम्पत्तियां	
		(क) संबंधित पक्षकार	-
		(ख) संबंधित पक्षकारों से अन्य	163,746.06
	(iii)	ऋण की संतुष्टि में अधिग्रहीत परिसम्पत्तियां	-

वित्तीय विवरणों पर नोट
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

59. आंकड़े लाख में (शेयरों की संख्या को छोड़कर) निकटतम रुपये में पूर्णांकित किए जाते हैं। पिछले वर्ष के आँकड़ों को चालू वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, पुनर्व्यवस्थित/पुनः समूहित किया गया है।

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते डीएसपी एंड एसोशिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
आईसीएएआई पंजीकरण संख्या 006791N

ह./–
संजय जैन
भागीदार
सदस्यता संख्या
084906

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.04.2022

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
चिंतन नवीनभाई शाह
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन सं, 07795952

ह./–
डॉ. आर.सी. शर्मा
महाप्रबंधक (वित्त) और सीएफओ

ह./–
प्रदीप कुमार दास
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन सं, 07448576

ह./–
सुरेंद्र सुयाल
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या A11900



इरेडा ने क्योंझर जिला, ओडिशा में स्थित मैसर्स बैतर्णी पावर प्रा. लि. की 24 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया



शाश्वत ऊर्जा

इरेडा
IREDA

एक बार इरेडा सदैव इरेडा

भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास संस्था लिमिटेड

(भारत सरकार का प्रतिष्ठान)

पंजीकृत कार्यालय : प्रथम तल, कोर-4ए, ईस्ट कोर्ट, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष : 011-24682206-19 फैक्स : 91-11-24682202

कॉर्पोरेट कार्यालय : तीसरा तल, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

दूरभाष : 011-26717400-12 फैक्स : 91-11-26717416

वेबसाइट : **www.ireda.in**

सीआईएन : U65100DL1987GOI027265

Designed & Printed by : www.censer.in (Ph) 9810213218